भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पंचायती राज संस्थाओं पर प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 6

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का पंचायती राज संस्थाओं
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 6

विषय–सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii
अध्याय I **पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन**		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	3
पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न समितियों का गठन	1.4	3
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	4
लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर	1.6	6
सामाजिक अंकेक्षण	1.7	8
लोकायुक्त द्वारा जाँच	1.8	9
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण	1.9	9
वित्तीय रिपोर्टिंग मामलें	1.10	10
निष्कर्ष	1.11	17
अध्याय II **पंचायती राज संस्थाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्ष**		
ग्रामीण विकास विभाग		
सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन	2.1	19
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की कार्यप्रणाली	2.2	78
अध्याय III **पंचायती राज संस्थाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष**		
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग		
अनाधिकृत व्यय	3.1	115
कार्यों का अनाधिकृत निष्पादन	3.2	117
पंचायती राज विभाग		
अनाधिकृत भुगतान	3.3	118
स्वयं सहायता समूहों से सीड मनी की वसूली का अभाव	3.4	120

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	पृष्ठ
I	पंचायती राज संस्थाओं के संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों के हस्तांतरण का विवरण	123
II	महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए 13 मापदंडों को दर्शाने वाला विवरण	124
III	बीएडीपी के अंतर्गत संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चयनित कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	125
IV	बीएडीपी के अंतर्गत मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में मौजूद विभिन्न सेक्टरों के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंडों में गंभीर कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	126
V	बीएडीपी के अंतर्गत 'शून्य' रेखा से 0-10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित सीमावर्ती गाँवों/बस्तियों को बाहर रखे जाने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	128
VI	बीएडीपी के अंतर्गत 'शून्य' रेखा से 0-10 किलोमीटर से बाहर सीमावर्ती गाँवों में किए गए कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	129
VII	बीएडीपी के अंतर्गत आदर्श गाँवों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	130
VIII	बीएडीपी के अंतर्गत शिक्षा सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	133
IX	बीएडीपी के अंतर्गत स्वास्थ्य सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	137
X	बीएडीपी के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	139
XI	बीएडीपी के अंतर्गत आधारभूत अवसंरचना-I सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	142
XII	बीएडीपी के अंतर्गत आधारभूत अवसंरचना-II सेक्टर के अंतर्गत चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	147
XIII	बीएडीपी के अंतर्गत सामाजिक सेक्टर के चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	152
XIV	बीएडीपी के अंतर्गत खेल सेक्टर के चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	160
XV	बीएडीपी के अंतर्गत ठेकेदारों को अनियमित मजदूरी के भुगतान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	161
XVI	एमएलएलैड के अंतर्गत बिना नाली एवं विस्तार जोड़ निर्माण किये सीसी सड़कों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	162
XVII	एमएलएलैड के अंतर्गत संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गए क्षतिग्रस्त कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	169
XVIII	एमएलएलैड के अंतर्गत सोस्ता गड्ढा/पशु खेली के बिना हैण्डपम्पों की स्थापना और पशु खेली के प्रावधान नहीं किये जाने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	171

संख्या	विवरण	पृष्ठ
XIX	एमएलएलैड के अंतर्गत सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित सिंगल फेज बोरिंग का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	179
XX	एमएलएलैड के अंतर्गत बिना टेंडर के हैण्डपम्प और सिंगल फैज ट्यूबवेल के निर्माण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	183
XXI	एमएलएलैड के अंतर्गत कार्यों पर अलाभकारी व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	184
XXII	एमएलएलैड के अंतर्गत धार्मिक पूजा स्थलों के पास स्वीकृत खुला बरामदा और कबूतरखाना कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	187
XXIII	एमएलएलैड के अंतर्गत अन्य गैर अनुमत कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	192
XXIV	पंचायत समिति डीग, कामां, घाटोल एवं पिण्डवाडा में अतिरिक्त सामग्री/कार्यों के अनाधिकृत उपापन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	196
XXV	स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गयी, उनसे वसूल की गयी एवं बकाया रही सीड मनी का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	197

प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

यह प्रतिवेदन, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियों एवं व्यय की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं सपठित राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75 की उपधारा (4) का परंतुक यथा संशोधित दिनांक 27 मार्च 2011, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा एवं राज्य सरकार को ऐसी लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं, के अनुसार की गई लेखापरीक्षा से संबंधित है ।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण सम्मिलित हैं जो 2020-21 की अवधि में की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए और साथ-साथ वे भी जो विगत वर्षों में जानकारी में आए किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नहीं बताए जा सके । जहां आवश्यक है, वहां 2020-21 के बाद के मामले भी सम्मिलित किए गए हैं ।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2017) के अनुसार की गई है ।

विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां और तीन अध्याय शामिल हैं । अध्याय- I में 'पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन' शामिल है । अध्याय- II में 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन' और 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है । अध्याय-III में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए चार अनुच्छेद शामिल हैं ।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है ।

अध्याय– I

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 पंचायती राज के नए स्वरूप के अनुरूप है जो कि स्थानीय स्वायत्त निकायों की जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर शक्तियों के और अधिक विकेंद्रीकरण के साथ त्रिस्तरीय संरचना हेतु प्रावधान करता है । तेहत्तरवें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, अप्रैल 1994 से लागू हुआ ।

प्रत्येक पंचायती राज संस्था द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा अधिदेशित पांच स्थायी समितियों का गठन किया जाना था । तथापि, पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार टिप्पणी करने के बावजूद, उनके गठन की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

यद्यपि, राजस्व के कुछ स्रोत यथा मेला कर, भवन कर, शुल्क, भूमि एवं भवनों, जलाशयों इत्यादि से किराया तथा भूमि की बिक्री से पूंजीगत प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए थे तथापि, वे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान पर ही निर्भर रही हैं । यहाँ तक कि पिछले कई वर्षों से विभाग के पास 'निजी राजस्व' के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे ।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक है । निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के अंकेक्षण के साथ साथ उनके प्रमाणीकरण में भारी बकाया एक चिंता का विषय है । निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के मापदंड 4 और 5 के तहत इस कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया ।

वर्षों से बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का जमा होना, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मुद्दों को संबोधित करने में पंचायती राज संस्थाओं की रुचि की कमी को दर्शाता है । पंचायती राज संस्थाओं द्वारा

381 अनुच्छेदों वाले 32 निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान के लिए निर्धारित संख्या में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 1.1 से 1.11, पृष्ठ सं: 1-17)

अध्याय- II

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

बीएडीपी को राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनके कल्याण के उद्देश्य से लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों को चिन्हित करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया था और तदनुसार, इन महत्वपूर्ण कमियों की पूर्ति करने के लिए ग्रामवार दीर्घकालिक कार्य योजना भी तैयार नहीं की गई थी। फलस्वरूप, वर्ष 2016-21 के दौरान, 0-10 किमी के भीतर स्थित 40 प्रतिशत से अधिक सीमावर्ती गांवों में कार्य स्वीकृत/निष्पादित नहीं किये गए, जबकि राशि ₹ 148.06 करोड़ के, 18.38 प्रतिशत कार्य (4,130 में से 759), 10 किलोमीटर की सीमा में स्थित गांवों/बस्तियों की परिपूर्णता (सेचुरेशन) सुनिश्चित किए बिना ही 10 किमी से बाहर स्वीकृत कर दिए गए थे।

1993-2021 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत लिए ₹ 2,187.20 करोड़ के उपयोग के बावजूद, डीएलसी ने न तो 'मूलभूत अवसंरचना सहित गांव का सैचुरेशन' को परिभाषित किया है और न ही शून्य रेखा से 10 किमी के भीतर किसी भी गांव को सैचुरेटेड घोषित किया।

निधियाँ लम्बी अवधि तक राजस्थान सरकार के पास जमा रही, और इस प्रकार कार्यान्वयन संस्थाओं को विलम्ब से जारी की गई। साथ ही, कार्यान्वयन संस्थाओं को दिए गए अग्रिमों को भी समय पर समायोजित नहीं किया गया। कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा बीएडीपी की निधियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया। कौशल विकास प्रशिक्षणों में महिलाओं की कम भागीदारी, गैर-बीएडीपी ब्लॉको में प्रशिक्षण दिया जाना, रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 44.38 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार नहीं दे पाना, निधियों की उपलब्धता के बावजूद कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण नहीं किया जाना, आरएसएलडीसी द्वारा गैर अनुमत प्रशासनिक व्यय भारित किया जाना, आरएसएलडीसी द्वारा अग्रिमों का समाशोधन एवं समायोजन नहीं किए जाने के उदाहरण भी पाए गए।

जयसिंधर, बाड़मेर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आई.टी.आई. भवन, आवासीय विद्यालय (छात्र एवं छात्राएं) के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल रहा/ भौतिक सत्यापन के दौरान कार्यों के निष्पादन में विभिन्न कमियां देखी गई, जैसे कि निष्पादित कार्य मौके पर नहीं पाया जाना, अस्वीकार्य कार्य किया जाना, निष्फल/निष्क्रिय/अक्रियाशील कार्य, क्षतिग्रस्त और अपूर्ण कार्य इत्यादि।

आतंरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र कमजोर था, जैसा कि तिमाही प्रगति प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं की गई, तृतीय पक्ष निरीक्षण और मूल्यांकन अध्ययन पर अनुवर्ती कार्रवाई की उचित रूप से निगरानी नहीं की गई । राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति और जिला स्तरीय समिति की निर्धारित संख्या में बैठकों का आयोजन नहीं किया गया । निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों का संधारण नहीं किया गया तथा योजना का सामाजिक अंकेक्षण आयोजित नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 2.1, पृष्ठ सं: 19-77)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की कार्यप्रणाली

विधायकों की अभिशंसाओं पर उनके वार्षिक आवंटन तक, निर्वाचन क्षेत्रों में पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, 1999-2000 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएलैड) योजना प्रारम्भ की गई थी । एक विधायक का वार्षिक आवंटन वर्ष 2016-17 से ₹ 2.25 करोड़ था ।

2016-21 की अवधि हेतु योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि यह योजना लोकप्रिय थी क्योंकि इस योजनान्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के कार्य बड़ी संख्या में किये गए थे । तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि औसत वार्षिक आवंटन के दोगुने से अधिक के बराबर राशि अग्रिमों के रूप में कार्यकारी संस्थाओं के पास हमेशा अवरुद्ध रहती है । जिला परिषदों के पीडी खाते में पर्याप्त/अप्रयुक्त निधियों की उपलब्धता एवं कार्यकारी संस्थाओं के पास अग्रिम के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 2018-21 के दौरान बजट प्रावधानों का केवल 60.75 प्रतिशत जारी किया ।

विभाग ने लंबित अग्रिमों के समायोजन के लिए कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कदम नहीं उठाये, जिससे मार्च 2021 तक लंबित अग्रिम बढ़कर ₹ 809.14 करोड़ के हो गए । उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत करने या प्रस्तुत नहीं करने के कारण उपलब्ध निधियों का वार्षिक उपयोग 33.86 प्रतिशत से 74.94 प्रतिशत के मध्य रहा ।

नमूना जांच किये चार जिलों (सात में से) के विधायकों द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी क्षेत्रों और संबल ग्रामों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत निधियों की अभिशंसा नहीं की गई । नमूना जाँच किये गए सात जिलों द्वारा उपलब्ध निधियों का मनरेगा के साथ अभिसरण भी नहीं किया गया था ।

योजना की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं में इंगित किये जाने के बावजूद कार्य दोषपूर्ण ढंग से निष्पादित किये गए जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गैर अनुमत कार्यों का निष्पादन, निर्धारित मानदण्डों/विनियमों का पालन किये बिना कार्यों का निष्पादन, अपूर्ण कार्य, स्वीकृतियां जारी करने में विलम्ब, योजना के मूल्यांकन के अध्ययन की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं करना, तृतीय पक्ष के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराना इत्यादि के मामलों में पाया गया ।

(अनुच्छेद 2.2, पृष्ठ सं: 78-114)

अध्याय– III

आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन में अतिरिक्त सामग्री/कार्य का उपापन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 6.16 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ ।

(अनुच्छेद 3.1, पृष्ठ सं: 115)

पंचायत समिति ने आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निविदाएं आमंत्रित किये बिना कार्यों का अनाधिकृत रूप से निष्पादन किया ।

(अनुच्छेद 3.2, पृष्ठ सं: 117)

ग्राम सभाओं में कराए गए कार्यों के लिए भुगतान, विद्यमान नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए किया गया । इसके अलावा, मस्टर रोल में नामों का दोहराव/उल्लेख नहीं होना, जाली भुगतान एवं निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को इंगित करता है ।

(अनुच्छेद 3.3, पृष्ठ सं:118)

आईडब्ल्यूएमपी के परिचालन दिशा-निर्देशों और विभाग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विफलता के परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूहों से ₹ 1.66 करोड़ की वसूली का अभाव रहा, इस प्रकार भूमिहीन/परिसंपत्तिविहीन व्यक्तियों की आजीविका की गतिविधियों को संबल देने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(अनुच्छेद 3.4, पृष्ठ सं: 120)

अध्याय–I

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन

अध्याय–I
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 पंचायती राज के नए स्वरूप के अनुरूप है जो कि स्थानीय स्वायत्त निकायों की जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर शक्तियों के और अधिक विकेंद्रीकरण के साथ त्रिस्तरीय[1] संरचना हेतु प्रावधान करता है ।

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाले तेहत्तरवें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, अप्रैल 1994 से लागू हुआ । यह पंचायती राज संस्थाओं को शासन के तृतीय स्तर के रुप में कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके कार्यों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों को निरूपित करता है । तत्पश्चात, पंचायती राज संस्थाओं के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसके तहत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 निगमित किए गए ।

मार्च 2021 तक राज्य में 33 जिला परिषदें, प्रत्येक जिला परिषद में दो प्रकोष्ठों सहित अर्थात ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायत प्रकोष्ठ, 352 पंचायत समितियां और 11,341 ग्राम पंचायतें कार्यरत थी ।

राजस्थान देश में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, जिसमें से 5.15 करोड़ (75.18 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय रूपरेखा के साथ राज्य की तुलनात्मक जन सांख्यिकीय एवं विकासात्मक रूपरेखा नीचे **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.1

क्र.सं.	सूचक	इकाई	जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े	
			राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1.	जनसंख्या	करोड़	6.85	121.06
2.	जनसंख्या (ग्रामीण)	करोड़	5.15	83.35
3.	जनसंख्या (शहरी)	करोड़	1.70	37.71
4.	जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	200	382
5.	दशकीय विकास दर	प्रतिशत	21.30	17.70
6.	लिंगानुपात	प्रति 1,000 पुरूष पर महिलाएं	928	943
7.	कुल साक्षरता दर	प्रतिशत	66.10	73.00
8.	महिला साक्षरता दर	प्रतिशत	52.10	64.60
9.	पुरूष साक्षरता दर	प्रतिशत	79.20	80.90
10.	कुल साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	61.40	67.77
11.	महिला साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	45.80	57.93
12.	पुरूष साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	76.20	77.15
13.	जन्म दर*	प्रति 1,000 जनसंख्या पर	23.7 (2019)	19.7 (2019)
14.	मृत्यु दर*	प्रति 1,000 जनसंख्या पर	5.7 (2019)	6.0 (2019)
15.	शिशु मृत्यु दर*	प्रति 1,000 जीवित प्रसव पर	35 (2019)	30 (2019)
16.	मातृ मृत्यु दर*	प्रति लाख जीवित प्रसव पर	164 (2016-18)	113 (2016-18)

*स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार । *आर्थिक समीक्षा 2021-22, राजस्थान सरकार के अनुसार ।*

1 जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

ग्रामीण विकास को प्राथमिकता और विशेष महत्व देने के लिए 1971 में 'विशिष्ट योजना संगठन' की स्थापना की गई । इसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करते हुए 1979 में इसे 'विशिष्ट योजनाएँ एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग' के रूप में पुनर्गठित किया गया । आगे, 1999 में इसका नाम बदल कर 'ग्रामीण विकास विभाग' कर दिया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग की अधिकांश योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं । इसलिए, जिला स्तर पर समन्वय के लिए, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डीआरडीए) का जिला परिषदों में विलय कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ बनाया गया । इसी प्रकार, राज्य स्तर पर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने और कार्यक्रमों के बेहतर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय कर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बनाया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधीन सभी योजनाएं प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं ।

पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1

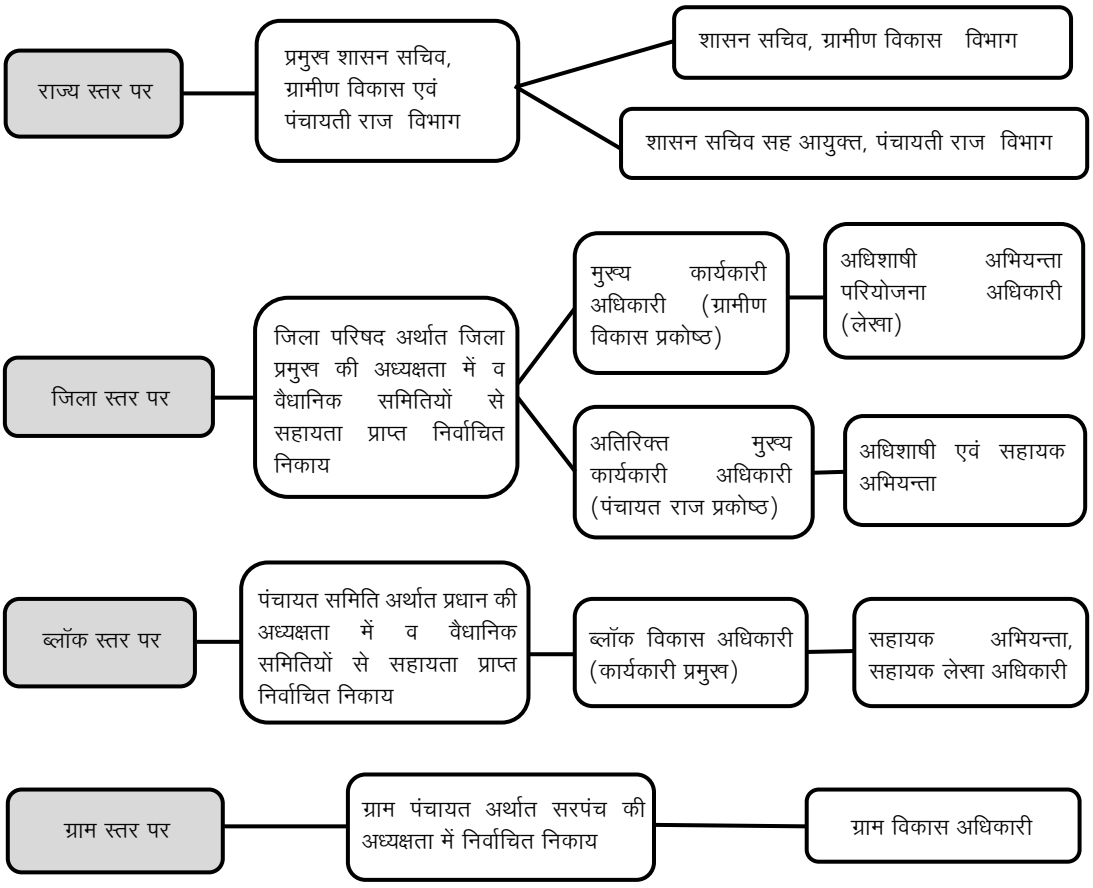

1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 (xvii) पंचायती राज संस्था को इस अधिनियम के अधीन, ग्राम या ब्लॉक या जिले के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व-शासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है । जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है ।

ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्था के 33 कार्यों में कृषि, लघु सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और ग्रामीण स्वच्छता इत्यादि से जुड़े सामान्य प्रशासनिक कार्य सम्मिलित हैं, जैसा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं ।

इसी प्रकार, पंचायत समितियों (30 कार्य) एवं जिला परिषदों (19 कार्य) के कार्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में वर्णित किए गए हैं ।

1.3.1 पंचायती राज संस्थाओं की निधियों, कार्यों तथा कार्मिकों का हस्तांतरण

तेहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के अनुसरण में, राजस्थान सरकार द्वारा जून 2003 एवं अक्टूबर 2010 में हस्तांतरण पर आदेश जारी किए गए । तदनुसार, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के सन्दर्भ में हस्तांतरित किए जाने वाले 29 कार्यों में से 28 कार्य प्रारम्भिक रूप से हस्तान्तरित किए गए । तथापि, मात्र 20 विषयों से संबंधित निधियों एवं कार्मिकों को हस्तांतरित किया गया **(परिशिष्ट-1)** । तदुपरांत, जनवरी 2004 में पंचायती राज विभाग से जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक-निर्माण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित पांच विषयों की निधियों, कार्यो तथा कार्मिकों के हस्तांतरण को वापस ले लिया गया ।

1.4 पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न समितियों का गठन

1.4.1 जिला आयोजना समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अनुसरण में राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजना समिति का गठन किया । जिला कलेक्टर, जिला आयोजना समिति के सदस्य हैं और वह या उसके द्वारा नामित अधिकारी जिला आयोजना समिति की बैठक में उपस्थित होते हैं । जिला आयोजना समिति की बैठक के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों में से 33 प्रतिशत की गणपूर्ति आवश्यक है ।

जिला आयोजना समिति का मुख्य उद्देश्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजना को समेकित करना, सम्पूर्ण जिले के लिए विकासात्मक योजना का एक प्रारूप तैयार करना और इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करना है । जिला आयोजना समिति को वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी चाहिए । जिला आयोजना समिति की बैठकों में जिले की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन/समीक्षा, योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं ।

तथापि, 2020-21 के दौरान, जिला परिषदों द्वारा आयोजित की गई जिला आयोजना समिति की बैठकों की सूचना बार-बार स्मरण कराए जाने (सितंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 एवं अप्रैल 2022) के बावजूद पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई ।

1.4.2 स्थायी समितियां

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 55 क, 56 एवं 57 में निहित प्रावधानों के अनुसार क्रमशः प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद निम्नलिखित विषय समूहों (क) प्रशासन एवं स्थापना, (ख) वित्त एवं कराधान, (ग) विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम जिनमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग और अन्य संबद्ध विषयों से संबंधित कार्यक्रम सम्मिलित हैं, (घ) शिक्षा, (ड़) सामाजिक सेवा एवं सामाजिक न्याय जिनमें ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामदान, सूचना, कमजोर वर्गों का कल्याण और संबद्ध विषय सम्मिलित हैं; के लिए पांच स्थायी समितियों का गठन करेंगे । इन स्थायी समितियों की अध्यक्षता क्रमशः संबंधित संस्था के निर्वाचित सदस्य अथवा निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे ।

पंचायती राज विभाग द्वारा स्थायी समितियों के गठन और कार्यशैली की वास्तविक स्थिति, बार-बार स्मरण कराए जाने (सितंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 एवं अप्रैल 2022) के बावजूद उपलब्ध नहीं करवाई गई ।

1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75(4) विहित करती है कि किसी पंचायती राज संस्था में संधारित एवं रखे जाने वाले सभी लेखाओं का अंकेक्षण निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[2] में पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा पर दो अध्याय अर्थात प्रथम 'पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की स्थिति' पर और द्वितीय 'लेखापरीक्षा निष्कर्ष' पर, सम्मिलित किए जाते हैं । पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेदों का परीक्षण राजस्थान विधानसभा द्वारा गठित स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा किया जाता है ।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का वर्ष 2020-21 के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के पटल पर 11 मार्च 2022 को उपस्थापित किया जा चुका है ।

1.5.1.1 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण

राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 के नियम 23 (एच) के अनुसार, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा तीन स्तरों अर्थात् जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखों की शुद्धता प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ।

2 राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 18 विहित करती है कि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखापरीक्षित लेखों पर अपना वार्षिक समेकित प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में रखे जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने 11,726 पंचायती राज संस्थाओं[3] में से 8,634 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखों को प्रमाणित किया तथा 3,092 पंचायती राज संस्थाओं के लेखे (26.37 प्रतिशत) अप्रमाणित रहे। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा सशर्त/बिना किसी शर्त के प्रमाणित किए गए वार्षिक लेखों की स्थिति बार-बार स्मरण कराए जाने (सितंबर 2021, जनवरी 2022 और फरवरी 2022) के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखे उचित तथा पूर्ण प्रारूप में बनाए गए थे।

इस प्रकार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एक वर्ष में सभी पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखों को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं हो पाया है।

1.5.1.2 स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किए गए अंकेक्षण के बकाया प्रकरण

राज्य में, मार्च 2020 तक 11,726 पंचायती राज संस्थायें (जिला परिषदः 33; पंचायत समितिः 352 एवं ग्राम पंचायतः 11,341) थीं। इनमें से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने 2020-21 के दौरान 2,732 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदः 6; पंचायत समितिः 82 एवं ग्राम पंचायतः 2,644) का अंकेक्षण किया और 8,994 पंचायती राज संस्थाएँ (जिला परिषदः 27; पंचायत समितिः 270 एवं ग्राम पंचायतः 8,697) अंकेक्षण के लिए बकाया रहीं। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा रिक्त पद एवं अंकेक्षण कर्मियों की विशेष जांच और चुनाव संबंधी कार्य के लिए तैनाती किए जाने को अंकेक्षण बकाया रहने का मुख्य कारण बताया गया (अक्टूबर 2021)।

विगत कई वर्षों से अंकेक्षण की भारी बकाया को लेखापरीक्षा के पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी इंगित किया जाता रहा है। तथापि, विभाग द्वारा स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए कुल 7,349 निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें 76,136 अनुच्छेद सम्मिलित थे, मार्च 2021 तक निस्तारण हेतु लंबित थे। इनमें से, ₹ 22.55 करोड़ के 7,111 अनुच्छेद गबन से संबंधित थे।

इस प्रकार, बड़ी मात्रा में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग तथा पंचायती राज संस्थाओं दोनों के स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में पहल के अभाव को इंगित करता है।

1.5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) पंचायती राज संस्थाओं की नमूना लेखापरीक्षा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम[4], 1994 की धारा 75 की उपधारा (4) दिनांक 27 मार्च 2011 को

---

3 राज्य में कुल 11,726 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदः 33; पंचायत समितिः 352 एवं ग्राम पंचायतः 11,341) के वार्षिक लेखे 2020-21 में प्रमाणित किये जाने थे।

4 पंचायती राज संस्था द्वारा संधारित एवं रखे जा रहे सभी लेखों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जितना जल्दी हो सके, राज्य के निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा तथा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू होंगे, बशर्ते कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भी ऐसे लेखों की नमूना जांच कर सकेंगे।

यथा संशोधित के प्रावधान के तहत आयोजित करते हैं तथा राज्य विधानसभा में उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं ।

1.5.2.1 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग/पर्यवेक्षण का कार्यान्वयन

तेरहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टीजीएस) प्रदान करने की जिम्मेदारी भारत के सीएजी को दिए जाने की अनुशंसा की । उक्त अनुशंसाओं के अनुसरण में, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान सरकार ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के संबंध में 13 मापदंडों (**परिशिष्ट-2**) को अंगीकृत करने हेतु दिनांक 2 फरवरी 2011 को अधिसूचना जारी की । तदनुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान[5] में तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ का गठन (नवम्बर 2012) किया गया । राजस्थान सरकार की अधिसूचना (25 अप्रैल 2016) द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अवधि (2015-20) को भी आवृत करने हेतु इन तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं को उन्हीं नियम और शर्तों पर, आगे बढ़ा दिया गया ।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा 2020-21 के दौरान अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित दो तथ्यात्मक विवरण (एफएस) के संबंध में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत टिप्पणियों/सुझावों से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया गया ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा तीन निरीक्षण प्रतिवेदनों को तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया । उचित संवीक्षा के बाद, तकनीकी मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त टिप्पणियों से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत (मई 2020) करा दिया गया ।

आगे, तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के मापदंड 4 और 5 की अनुपालना में, इस कार्यालय द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षित पंचायत समिति सांगानेर की नमूना लेखापरीक्षा आयोजित की गई और उसका निरीक्षण प्रतिवेदन आक्षेपों की अनुपालना के लिए निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रेषित (मार्च 2021) किया गया । निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 2022) ।

1.6 लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर

1.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों का प्रत्युत्तर

मार्च 2021 तक, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों (ग्राम पंचायतों सहित) से संबंधित कुल 3,043 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 28,215 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे, विवरण नीचे **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है:

5 दिनांक 18 मई 2020 से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान के रूप में जाना जाता है ।

तालिका 1.2

क्र. सं.	वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
1	2009-10 तक	1,410	11,305
2	2010-11	104	925
3	2011-12	206	2,471
4	2012-13	191	2,413
5	2013-14	203	2,246
6	2014-15	170	1,298
7	2015-16	161	1,478
8	2016-17	178	1,666
9	2017-18	133	1,424
10	2018-19	123	1,206
11	2019-20	141	1,551
12	2020-21	23	232
योग		**3,043**	**28,215**

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर पंचायत समिति-मोलासर एवं लक्ष्मणगढ में 2020-21 के दौरान ₹ 4.68 लाख की वसूली की गई ।

वृहद संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर तुरन्त कार्यवाही करने के अभाव को इंगित करते हैं ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान हेतु राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा अग्रेत्तर लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किए थे (अगस्त 1969) । इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की जाती रही है । मार्च 2002 में जारी किए गए अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था ।

तथापि, यह पाया गया कि 32 निरीक्षण प्रतिवेदनों जिनमें 381 अनुच्छेद सम्मिलित थे, की प्रथम अनुपालना नवम्बर 2021 तक प्राप्त नहीं हुई ।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान हेतु वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया था (अप्रैल 2016) । तथापि, एक वर्ष में निर्धारित लेखापरीक्षा समिति की आठ बैठकों के समक्ष (पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग प्रत्येक द्वारा चार), वर्ष 2020-21 के दौरान केवल छः (पंचायती राज विभागः 4 और ग्रामीण विकास विभागः 2) बैठकें आयोजित की गईं । सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत (जून 2022) कराया की कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की निर्धारित बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका ।

अनुशंसा:

1. *पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बकाया अनुच्छेदों के निपटान हेतु लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए त्वरित कार्यवाही भी करनी चाहिए।*

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर

वर्ष 2016-17 के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर अगस्त 2021 तक प्राप्त हो चुके हैं। तथापि, ₹ 2,217.04 करोड़ मूल्य के 24 अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर निर्धारित समय के बाद प्राप्त हुए।

1.6.3 समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण और विचार-विमर्श हेतु स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 1 अप्रैल 2013 से राजस्थान विधानसभा में गठित की गई है। वर्ष 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जा चुका/मान लिया गया है। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समिति द्वारा प्रतिवेदन लेखन के लिए एवं वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समिति द्वारा विचार-विमर्श के लिए लंबित है। मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधानसभा में उपस्थापन हेतु राज्यपाल एवं राज्य सरकार को 06 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मामलें

जवाबदेही तंत्र

1.7 सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंकेक्षण नियम[6], 2011 द्वारा लागू किया गया है। ये नियम, सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन के तरीके एवं क्रियाविधि निर्धारित करते हैं।

अग्रेतर सरलता के लिए, विभिन्न पदाधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार ने 2012 में सामाजिक अंकेक्षण के विस्तृत दिशा-निर्देश निरुपित किए। राजस्थान में, निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण का गठन (सितम्बर 2009) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत किया गया।

6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंकेक्षण नियम, 2011 अधिसूचित किए गए (30 जून 2011)।

निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण राज्य में योजनाओं[7] का सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण दिशा-निर्देश 2012 के प्रावधानानुसार करने के लिए उत्तरदायी है ।

तत्पश्चात, भारत सरकार के निर्देशानुसार, राज्य सरकार ने एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण संस्था, यथा सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट, एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी (एसएसएएटी) का गठन (सितंबर 2019) किया । वर्तमान में एसएसएएटी द्वारा सात[8] योजनाओं का अंकेक्षण किया जा रहा है । वर्ष की शुरुआत में एसएसएएटी को यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का वर्ष में दो बार अंकेक्षण हो सके एक कैलेंडर तैयार करना होता है जो अग्रिम रूप से उस क्रम को निर्धारित करेगा जिसमें राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किया जाएगा ।

एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड महामारी के कारण सामाजिक अंकेक्षण आयोजित नहीं किया गया ।

1.8 लोकायुक्त द्वारा जाँच

राज्य सरकार के मंत्रियों और उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और शक्तियों के त्रुटिपूर्ण उपयोग के प्रकरणों के समाधान के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुसरण में, फरवरी 1973 में लोकायुक्त, राजस्थान का कार्यालय स्थापित किया गया । यह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है । जिला परिषद के सभापति एवं उप-सभापति, पंचायत समिति के सभापति एवं उप-सभापति और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के द्वारा या उसके तहत गठित किसी भी स्थायी समिति के अध्यक्ष के कृत्य लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते है । तथापि, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप-सरपंचों के कृत्य लोकायुक्त के सीधे क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त, राजस्थान में 268 शिकायतों के प्रकरण प्राप्त हुए और प्रारंभिक शेष रहे 1,055 मामलों को जोड़कर, कुल 1,323 प्रकरण थे । इसमें से 40 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और शेष 1,283 प्रकरण लंबित थे (मार्च 2021 तक) ।

1.9 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रस्तुतीकरण

राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 284 एवं 286 के अनुसार पंचायती राज संस्थाएं उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगीं । इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संबंधित विकास अधिकारियों/सचिवों द्वारा

7 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अतिरिक्त एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का सामाजिक अंकेक्षण भी इन दिशा-निर्देशों को अंगीकृत करते हुए अप्रैल 2013 से प्रारम्भ किया गया ।

8 (i). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा); (ii). 15वां केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान (15वां सीएफ़सी अनुदान); (iii). राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी); (iv). प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी); (v). स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी); (vi). 14वां केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान (14वां सीएफ़सी अनुदान); (vii). श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) ।

अलग से तैयार किया जाएगा और संबंधित विभाग के जिला स्तर अधिकारी को भेजा जाएगा, जिनके द्वारा अनुदान जारी किया गया था । जिला स्तर अधिकारी इसे प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे एवं सीधे ही महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान को प्रस्तुत करेंगे ।

1.9.1 पंचायती राज विभाग

5वें राज्य वित्त आयोग एवं 14वें/15वें वित्त आयोग के संबंध में जारी अनुदानों के विरूद्ध मार्च 2021 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति बार-बार स्मरण कराने (सितंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 और अप्रैल 2022) के बावजूद पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

1.9.2 ग्रामीण विकास विभाग

केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के संबंध में वर्ष 2020-21 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे **तालिका 1.3** में दी गई है:

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि			
		मार्च 2018 तक	मार्च 2019 तक	मार्च 2020 तक	मार्च 2021 तक
1.	एमएलएलैड	1,432.58	1,282.79	912.95	1,053.19
2.	स्वविवेक जिला विकास योजना	14.98	10.99	9.42	5.44
3.	मनरेगा	805.36	56.53	65.51	181.47
4.	मगरा	95.65	89.52	53.45	37.16
5.	मेवात	125.75	82.92	56.16	40.51
6.	डांग	93.89	80.95	44.37	32.23
7.	बीएडीपी	260.93	347.40	275.52	174.93
8.	एमपीलैड	200.63	313.82	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	एमजीजेवीवाई	97.64	144.96	84.18	49.50
10.	एसपीएमआरएम	1.85	123.95	अनुपलब्ध	66.28
11.	सीएमजेएनवाई	-	-	-	8.25
कुल		**3,129.26**	**2,533.83**	**1,501.56**	**1,648.96**

**अनुपलब्ध: बार-बार स्मरण कराने के बावजूद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ।*

विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है ।

1.10 वित्तीय रिपोर्टिंग मामलें

1.10.1 निधियों का स्त्रोत

राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्त्रोतों से प्राप्तियों एवं व्ययों को पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग-अलग संकलित किया जाता है । पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों द्वारा निष्पादित की जाती हैं । पंचायती राज संस्थाओं का निधि प्रवाह आगे **चार्ट 1.2** में दिया गया है:

चार्ट 1.2

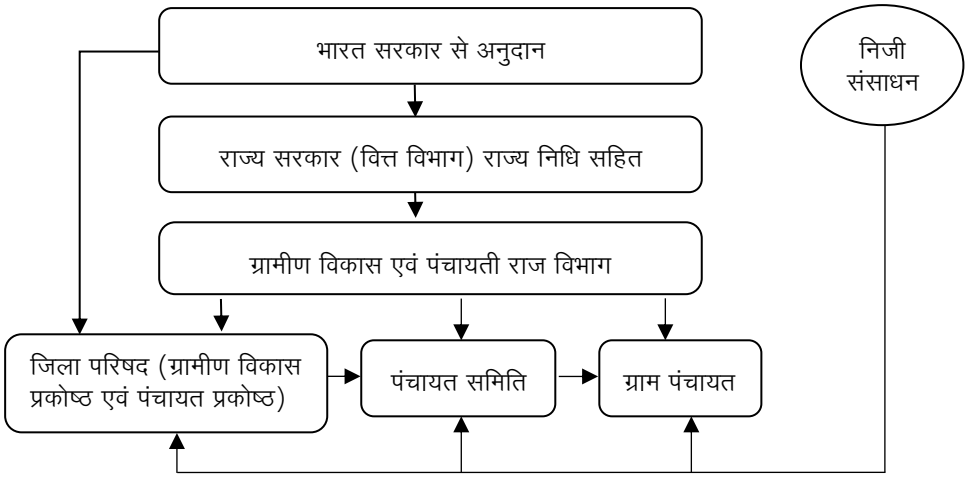

1.10.1.1 पंचायती राज विभाग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

पंचायती राज संस्थाओं के पास स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व के स्त्रोत हैं यथा - मेला कर, भवन कर, शुल्क, भूमि एवं भवनों, जलाशयों इत्यादि से किराया तथा भूमि की बिक्री से पूंजीगत प्राप्तियां । इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाएं सामान्य प्रशासन, विकासात्मक योजनाओं/ कार्यों के क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना सृजन इत्यादि हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान/ऋण के रूप में निधियां प्राप्त करती हैं । पंचायती राज संस्थाएं केन्द्र/राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अंतर्गत भी निधियां प्राप्त करती है । योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं की 2016-21 की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं व्यय की पंचायती राज विभाग द्वारा संकलित स्थिति नीचे **तालिका 1.4** में दी गई है:

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(अ) राजस्व प्राप्तियां					
कर (निजी राजस्व)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गैर-कर (जिला परिषद) (निजी राजस्व)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	11.28	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल निजी राजस्व	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	**11.28**	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
राज्य सरकार से सहायतार्थ अनुदान	5,237.27	6,456.10*	4,717.62*	1,356.06*	3,517.59*
चौदहवां वित्त आयोग अनुदान	2,305.52	2,657.47	1,362.11	5,043.12	-
पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	1,931.00
कुल प्राप्तियां	**7,542.79**	**9,113.57**	**6,091.01**	**6,399.18**	**5,448.59**
(ब) व्यय					
राजस्व व्यय (वेतन एवं भत्ते तथा अनुरक्षण व्यय)	7,499.67	8,486.82	6,440.25	990.61	961.13
पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय	-	-	-	361.95	2,556.44
चौदहवां वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय	-	-	-	5,043.12	-
पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत व्यय	-	-	-	-	1,931.00
पूंजीगत व्यय	43.13	25.00	6.50	2.25	3.5
कुल व्यय	**7,542.80**	**8,511.82**	**6,446.75**	**6,397.93**	**5,452.07**

स्त्रोतः पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार ।

* *इसमें पांचवें राज्य वित्त आयोग अनुदान से संबंधित राशि सम्मिलित हैं ।*

चार्ट 1.3

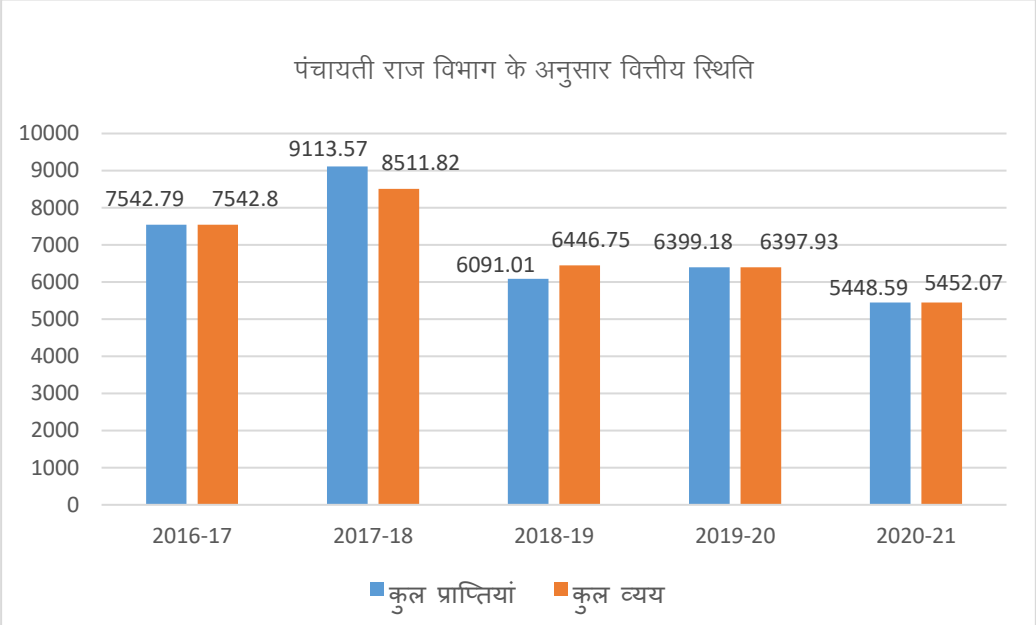

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि:

- वर्ष 2018-19 में कुल प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 33.17 प्रतिशत की भारी कमी आई। राज्य सरकार के अनुदान में 26.93 प्रतिशत की कमी हुई और इसी अवधि में चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान में भी गत वर्ष की तुलना में 48.74 प्रतिशत की कमी आई। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में कुल प्राप्तियों में 14.85 प्रतिशत की कमी हुई है।

- इसी प्रकार से, गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2018-19 से कुल व्यय में लगातार कमी आई है (2018-19: 24.26 प्रतिशत, 2019-20: 0.76 प्रतिशत, 2020-21: 14.78 प्रतिशत)।

- विभाग के पास वर्ष 2016-21 के लिए निजी राजस्व (कर एवं गैर-कर) के आंकड़ों की अनुपलब्धता (वर्ष 2018-19 के लिए गैर-कर निजी राजस्व को छोड़कर) विभाग की प्रबंधन सूचना प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है। जिला परिषद और पंचायत समिति में दुकानों से किराए, मत्स्यपालन, नीलामियों, निविदा पावती, अन्य करों आदि के रूप में सुनिश्चित राजस्व प्राप्तियां हैं। तथापि, इन्हें राज्य स्तर पर संकलित अथवा समेकित नहीं किया गया।

अतः पंचायती राज संस्थाएं राज्य सरकार और वित्त आयोग से प्राप्त सहायतार्थ अनुदानों पर पूर्णतया निर्भर है। अनुदानों पर पूर्ण निर्भरता और वित्तीय स्वायत्तता की कमी एक गंभीर मामला है, जमीनी स्तर पर शासन में सुधार के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.10.1.2 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संकलित पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2016-21 के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं की प्राप्तियों एवं व्यय की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संकलित स्थिति आगे **तालिका 1.5** में दी गई है:

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
		केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग
1.	प्रारम्भिक शेष	249.68	765.52	**1,015.20**	364.42	953.38	**1,317.80**	801.32	1,998.37	**2,799.69**	1,403.27	1,688.39	**3,091.66**	2,665.99	1,501.21	**4,167.2**
2.	प्राप्तियां	216.76	639.78	**856.54**	4,129.55	792.53	**4,922.08**	5,571.22	289.47	**5,860.69**	15,875.70	392.34	**16,268.04**	4,503.45	255.94	**4,759.39**
3.	कुल उपलब्ध निधियां *	440.92	1,103.03	**1,543.95**	4,493.99	1,745.92	**6,239.91**	6,373.04	2,287.84	**8,660.88**	17,278.97	2,080.73	**19,359.70**	7,169.44	1,757.15	**8,926.59**
4.	व्यय	304.16	767.04	**1,071.20**	4,068.26	666.32	**4,734.58**	5,243.65	603.01	**5,846.66**	13,847.90	578.36	**14,426.26**	5,772.10	539.12	**6,311.22**
5.	अन्तिम शेष	136.76	335.99	**472.75**	425.73	1,079.60	**1,505.33**	1,129.39	1,684.83	**2,814.22**	3,431.07	1,502.38	**4,933.45**	1,397.27	1,218.02	**2,615.29**
6.	कुल उपलब्ध निधि के समक्ष व्यय की प्रतिशतता	68.98	69.53	**69.38**	90.53	38.16	**75.88**	82.28	26.36	**67.51**	80.14	27.80	**74.52**	80.51	30.68	**70.70**
	केप्रयो: केन्द्रीय प्रवर्तित/सेक्टर योजना, राप्रयो: राज्य प्रवर्तित योजना * *विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कुल उपलब्ध निधि में निधि पर ब्याज को शामिल किया गया है तथा अस्वीकृत राशि को शामिल नही किया गया है।*															
	स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।															

चार्ट 1.4

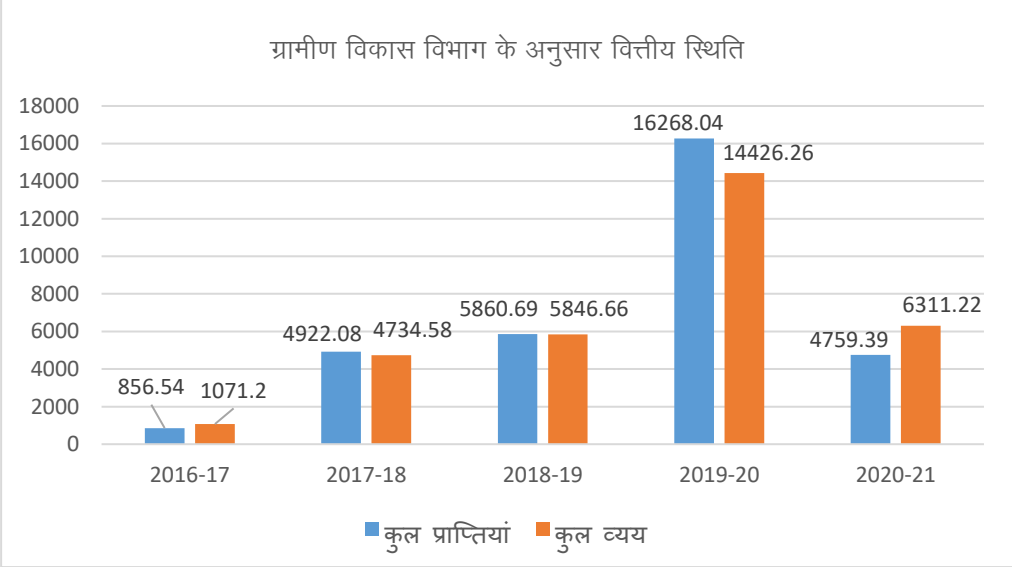

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि:

- प्रत्येक वर्ष के लिए पूर्व वर्ष के अंतिम शेष और आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में लगातार अंतर है। विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इसी तरह की विसंगतियों पर टिप्पणी की गई थी लेकिन वे अभी भी जारी हैं। राज्य सरकार द्वारा इन अंतरों के समाधान हेतु त्वरित उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।
- गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में केंद्र और राज्य सरकार से कुल प्राप्तियों में लगभग 70.74 प्रतिशत की कमी हुई है और व्यय में भी लगभग 56.25 प्रतिशत की कमी हुई है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध निधियों का उपयोग लगभग 70.70 प्रतिशत था जो कि गत वर्ष की तुलना में 3.82 प्रतिशत कम था।

वर्ष 2020-21 के दौरान योजनावार वित्तीय स्थिति एवं योजनाओं के अंतर्गत कार्य की प्रगति का विवरण आगे **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	उपलब्ध निधियों का व्यय प्रतिशत	कुल उपलब्ध निर्माण कार्य	पूर्ण कार्य	पूर्णता का प्रतिशत	अप्रारम्भ कार्य
1	एमएलएलैड	1483.53	430.33	29.01	23,234	10,840	46.66	2,234
2	स्वविवेक जिला विकास योजना	9.57	4.14	43.26	97	2	2.06	18
3	मनरेगा	2,256.14	2,004.78	88.86	9,86,370	3,98,549	40.41	1,38,861
4	मगरा	56.49	19.34	34.24	590	20	3.39	15
5	मेवात	58.16	17.65	30.35	812	5	0.62	15
6	डांग	44.37	12.15	27.38	644	11	1.71	40
7	बीएडीपी	301.32	126.32	41.92	1,658	916	55.25	5
8	एमपीलैड	109.87	16.41	14.94	756	341	45.11	118
9	एमजीजेवीवाई	105.03	55.53	52.87	1,080	29	2.69	66
10	एसपीएम आर एम	132.36	66.08	49.92	1,892	588	31.08	604

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो के अनुसार

1.10.2 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं

पांचवे राज्य वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ हुई । वर्ष 2019-20 की बकाया अनुदान राशि ₹ 2,556.44 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध करवाई गई । अनुदान राशि को जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को 5:20:75 के अनुपात में वितरित किया गया था । तदनुसार ही, अनुदान के उपयोग हेतु आदेश एवं दिशा-निर्देश दिए गए थे । अनुदान को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास एवं उनके अनुरक्षण के लिए निर्बन्ध राशि के रूप में जारी किया जाना था ।

1.10.3 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएं

1.10.3.1 पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान

15वें वित्त आयोग ने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए । पहले प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें शामिल थी और अंतिम प्रतिवेदन, 2021-26 की अवधि की सिफारिशों के लिए था । 2020-21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को ₹ 1,931 करोड़ की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ था (जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है) और इसे पंचायती राज संस्थाओं को पूर्णतया हस्तांतरित कर दिया गया ।

1.10.4 अप्रयुक्त निधियां

33 जिला परिषदों में से नौ[9] जिला परिषदों के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे । इन लेखों के आधार पर अप्रयुक्त निधियों की स्थिति नीचे तालिका 1.7 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल निधियां	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	179.90	185.56	365.46	117.80	247.66

स्रोतः 9 जिलों के वार्षिक लेखे ।

9 जिला परिषदः भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर ।

उक्त शेष राशि में केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोगों से प्राप्त निधियां एवं विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अन्य अनुदान शामिल हैं । उपलब्ध निधियों का अनुपयोजन, आयोजना और कार्यान्वयन में कमी का द्योतक है । पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए निधियों के प्रावधानों का राज्य स्तर पर विश्लेषण एवं उनकी प्राथमिकता तथा समय पर उनकी सर्वोत्तम उपयोगिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।

पंचायती राज विभाग द्वारा शेष जिला परिषदों के वार्षिक लेखे बार-बार स्मरण कराए जाने (सितंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 और अप्रैल 2022) के बावजूद लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये ।

1.10.5 अभिलेखों का संधारण

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 245 के अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था द्वारा आय और व्यय का एक त्रैमासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना एवं अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार, वर्ष के अंत में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को बजट के प्रत्येक शीर्ष के अधीन अपनी आय और व्यय दर्शाते हुए उक्त नियमों के नियम 246 के तहत निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखों का सार तैयार करना और उसे आगामी वर्ष की एक मई तक, जिला परिषद के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है । वार्षिक लेखों के सार के साथ, वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान एवं व्यय का विवरण, ऋणों एवं बकाया राशि का विवरण, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए कार्यों की सूची तथा परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण दिया जाना आवश्यक है ।

अभिलेख यथा रोकड़ बही, परिसम्पत्ति पंजिका, अग्रिम पंजिका, स्टॉक रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों के संधारण से संबंधित प्रावधान भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में उल्लिखित किए गए हैं ।

राज्य में कुल 352 पंचायत समितियों में से 189 पंचायत समितियों ने 2020-21 के दौरान राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए । शेष 163 पंचायत समितियों ने अक्टूबर 2021 तक राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे ।

1.10.5.1 प्रियासॉफ्ट एक केन्द्रीकृत लेखांकन पैकेज है जो आदर्श लेखांकन प्रणाली के अन्तर्गत लेखों के संधारण की सुविधा प्रदान करता है । आंकड़ों की प्रविष्टि जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर की जाती है एवं उनको राज्य स्तर पर एकीकृत किया जाता है । यह पाया गया कि पंचायती राज संस्थाएं केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग और निर्बन्ध निधियों के अनुदानों से संबंधित लेनदेन की प्रविष्टि कर रहीं थीं । विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 33 जिला परिषदों, 333 पंचायत समितियों एवं 11,066 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक बहियों को बंद किया था । यह पाया गया कि नौ[10] जिला परिषदों की ग्राम पंचायतों में प्रियासॉफ्ट में 90 प्रतिशत से कम प्रविष्टियाँ की गई थीं (75 प्रतिशत से लेकर 88.89 प्रतिशत तक) ।

10 जिला परिषदः बारां, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, राजसमंद, सवाई माधोपुर और टोंक ।

1.10.5.2 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 247(2) के अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद को प्राप्ति एवं व्यय के वार्षिक लेखों को तैयार करना तथा उनको प्रत्येक वर्ष 15 मई तक राज्य सरकार को भेजना अपेक्षित है ।

पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान कि गई सूचना के अनुसार, 33 जिला परिषदों (पंचायती राज प्रकोष्ठ) में से केवल 18 जिला परिषदों (पंचायती राज प्रकोष्ठ) ने वर्ष 2020-21 के लेखे निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किए और शेष 15 जिला परिषदों ने लेखे 13 से 111 दिन तक की देरी के साथ प्रस्तुत किए ।

इसी तरह, जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के वार्षिक लेखे ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 33 जिला परिषदों (पंचायती राज प्रकोष्ठ) में से 26 जिला परिषदों (पंचायती राज प्रकोष्ठ) ने वर्ष 2020-21 के लेखे 39 से 196 दिनों (जनवरी 2022 तक) की देरी के साथ प्रस्तुत किए । शेष सात[11] जिला परिषदों ने वर्ष 2020-21 के लेखे जनवरी 2022 तक प्रस्तुत नहीं किये थे ।

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) एवं जिला परिषद (पंचायती राज प्रकोष्ठ) दोनों को समय पर वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने के प्रयास करने की आवश्यकता है ।

1.10.6 रोकड़ बही शेषों का बैंक पास-बुक से मिलान

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 238 उपबन्धित करता है कि पंचायत सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायत अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक माह में बैंक पास-बुक से जमा और आहरण का मिलान करे और यदि कोई भूल हो तो उन्हें ठीक करे । इसी प्रकार, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रकरण में कैशियर प्रत्येक माह राजकोष के साथ व्यक्तिगत जमा खातों का मिलान करेगा ।

2020-21 के दौरान, 11 पंचायती राज संस्थाओं[12] की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि, मार्च 2021 तक पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों और बैंक/कोषागार लेखों में 12 प्रकरणों में ₹ 3.30 करोड़ राशि के अन्तर का मिलान किया जाना लंबित था ।

1.10.7 पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रारूपों एवं डाटा-बेस का संधारण

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों द्वारा जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय क्रियान्वयन के लिए आठ सरल लेखांकन डेटा-बेस प्रारूप (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित) आरम्भ किए (अक्टूबर 2009) । ये प्रारूप पंचायती राज संस्थाओं के समेकित वित्तीय स्थिति, आय और कर प्राप्तियां, गैर-कर प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां, व्यय का विवरण और केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोगों के तहत आवंटित निधियों की भौतिक प्रगति के आंकड़ों को संकलित करने के लिए थे । इन प्रारूपों को अप्रैल 2011 से विभाग द्वारा

11 जिला परिषद : अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, जालौर, झुंझुनूं और पाली ।

12 जिला परिषद : (पंचायत प्रकोष्ठ) एक, जिला परिषद : (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) दो तथा पंचायत समितिः आठ ।

क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य रूप से अपनाए जाने पर सहमति हुई थी । ये प्रारूप राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में मई 2015 में अधिसूचना के माध्यम से शामिल किए गए थे । तथापि, पंचायती राज संस्थाएं इन प्रारुपों में लेखों के आंकड़ो का संकलन एवं प्रदर्शन नहीं कर रही थीं ।

पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय प्रारूपों एवं डाटा-बेस की स्थिति बार-बार स्मरण (सितंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 और अप्रैल 2022) कराए जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं करवाई गई ।

अनुशंसाएं :

2. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों पर निरंतर निर्भरता को कम करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को अपने निजी कर एवं गैर-कर स्रोतों के माध्यम से राजस्व सृजन करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है ।

3. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा परम्परागत प्राप्ति एवं व्यय प्रारुप में लेखे तैयार करना जारी रखने के बजाय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित आदर्श लेखांकन प्रणाली और केन्द्रीकृत लेखा पैकेज प्रियासॉफ्ट को लागू करने के प्रयास करने चाहिए ।

1.11 निष्कर्ष

प्रत्येक पंचायती राज संस्था द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा अधिदेशित पांच स्थायी समितियों का गठन किया जाना था । तथापि, पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार टिप्पणी करने के बावजूद, उनके गठन की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

यद्यपि, राजस्व के कुछ स्रोत यथा मेला कर, भवन कर, शुल्क, भूमि एवं भवनों, जलाशयों इत्यादि से किराया तथा भूमि की बिक्री से पूंजीगत प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए थे तथापि, वे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान पर ही निर्भर रही हैं । यहाँ तक कि पिछले कई वर्षों से विभाग के पास 'निजी राजस्व' के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे ।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक है । निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के अंकेक्षण के साथ-साथ उनके प्रमाणीकरण में भारी बकाया, एक चिंता का विषय है । निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के मापदंड 4 और 5 के तहत इस कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया ।

वर्षों से बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का जमा होना, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मुद्दों को संबोधित करने में पंचायती राज संस्थाओं की रुचि की कमी को दर्शाता है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 381 अनुच्छेदों वाले 32 निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान के लिए निर्धारित संस्था में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी नहीं किया गया था ।

अध्याय–II

पंचायती राज संस्थाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

द्वितीय अध्याय

पंचायती राज संस्थाओं की निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्ष

इस अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ यथा, 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा और 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

2.1 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

कार्यकारी सारांश

बीएडीपी को राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनके कल्याण के उद्देश्य से लागू किया गया था । **(अनुच्छेद 2.1.1,पृष्ठः20)**

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों को चिन्हित करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया था और तदनुसार, इन महत्वपूर्ण कमियों की पूर्ति करने के लिए ग्रामवार दीर्घकालिक कार्य योजना भी तैयार नहीं की गई थी । फलस्वरूप, वर्ष 2016-21 के दौरान, 0-10 किमी के भीतर स्थित 40 प्रतिशत से अधिक सीमावर्ती गांवों में कार्य स्वीकृत/निष्पादित नहीं किये गए, जबकि राशि ₹ 148.06 करोड़ के, 18.38 प्रतिशत कार्य (4,130 में से 759), 10 किलोमीटर की सीमा में स्थित गांवों/बस्तियों की परिपूर्णता (सेचुरेशन) सुनिश्चित किए बिना ही 10 किमी से बाहर स्वीकृत कर दिए गए थे ।

(अनुच्छेद 2.1.8.1,पृष्ठः25, 2.1.8.2,पृष्ठः26 और 2.1.10.1,पृष्ठः39)

1993-2021 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत लिए ₹ 2,187.20 करोड़ के उपयोग के बावजूद, डीएलसी ने न तो 'मूलभूत अवसंरचना सहित गांव का सैचुरेशन' को परिभाषित किया है और न ही शून्य रेखा से 10 किमी के भीतर किसी भी गांव को सैचुरेटेड घोषित किया । **(अनुच्छेद 2.1.8.3,पृष्ठः27)**

निधियाँ लम्बी अवधि तक राजस्थान सरकार के पास जमा रही, और इस प्रकार कार्यान्वयन संस्थाओं को विलम्ब से जारी की गई । साथ ही, कार्यान्वयन संस्थाओं को दिए गए अग्रिमों को भी समय पर समायोजित नहीं किया गया । कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा बीएडीपी की निधियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया । कौशल विकास प्रशिक्षणों में महिलाओं की कम भागीदारी, गैर-बीएडीपी ब्लॉको में प्रशिक्षण दिया जाना, रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 44.38 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार नहीं दे पाना, निधियों की उपलब्धता के बावजूद कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण नहीं किया जाना, आरएसएलडीसी द्वारा गैर अनुमत प्रशासनिक व्यय भारित किया जाना, आरएसएलडीसी द्वारा अग्रिमों का समाशोधन एवं समायोजन नहीं किए जाने के उदाहरण भी पाए गए ।

(अनुच्छेद 2.1.9,पृष्ठः32 और अनुच्छेद 2.1.10.2,पृष्ठः40)

जयसिंधर, बाड़मेर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आई.टी.आई. भवन, आवासीय विद्यालय (छात्र एवं छात्राएं) के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल रहा । भौतिक सत्यापन के दौरान कार्यों के निष्पादन में विभिन्न कमियां देखी गई, जैसे कि निष्पादित कार्य मौके पर नहीं पाया जाना, अस्वीकार्य कार्य किया जाना, निष्फल/निष्क्रिय/अक्रियाशील कार्य, क्षतिग्रस्त और अपूर्ण कार्य इत्यादि । **(अनुच्छेद 2.1.10.5,पृष्ठः47)**

आतंरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र कमजोर था, जैसा कि तिमाही प्रगति प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं की गई, तृतीय पक्ष निरीक्षण और मूल्यांकन अध्ययन पर अनुवर्ती कार्रवाई की उचित रूप से निगरानी नहीं की गई । राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति और जिला स्तरीय समिति की निर्धारित संख्या में बैठकों का आयोजन नहीं किया गया । निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों का संधारण नहीं किया गया तथा योजना का सामाजिक अंकेक्षण आयोजित नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 2.1.11.4 से 2.1.11.9,पृष्ठः70 से 75)

2.1.1 परिचय

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) को, एक केंद्र प्रवर्तित योजना (सीएसएस) के रूप में सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) के दौरान केंद्र/राज्य/बीएडीपी/स्थानीय योजनाओं के अभिसरण एवं सहभागी दृष्टिकोण के जरिये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनके कल्याण के उद्देश्य से शुरू किया गया था । वर्ष 2016-17 से, कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया जा रहा है । सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय बीएडीपी के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है । बीएडीपी को 16 राज्यों[1] और दो केंद्र शासित प्रदेशों[2] में लागू किया जा रहा है ।

बीएडीपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0-10 किमी के भीतर स्थित सभी गांवों को कवर करता है, भले ही सीमा ब्लॉक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा[3] हुआ हो या नहीं । उन गांवों को प्राथमिकता दी जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी के भीतर स्थित हैं और इनमें से वे गांव, जिनकी पहचान सीमा रक्षक बलों[4] (बीजीएफ) द्वारा की जाती है और जिन्हें सामरिक गाँवों के रूप में जाना जाता है, को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । 0-10 किमी गांवों की परिपूर्णता[5] (सैचुरेशन) के बाद ही, राज्य सरकारों द्वारा 0-20 किमी की दूरी के भीतर के गांवों का अगला समूह लिया जाना है । 0-20 कि.मी. के गांवों के सैचुरेशन के बाद, राज्य सरकार 0-30 किलोमीटर की दूरी के भीतर, इसी क्रम से 0-50 किलोमीटर तक गांवों का अगला समूह ले सकती है । प्राथमिकता तय करने

1 अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ।

2 जम्मू और कश्मीर, लद्दाख ।

3 सभी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा पर गाँवों की अवस्थिति की दूरी समान रूप से ली जाएगी, चाहे उनका स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे ब्लॉक में हो या नहीं और हवाई दूरी को गणना में रखा जाएगा ।

4 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और असम राइफल्स जैसे सीमा रक्षक बलों । राजस्थान में केवल बीएसएफ सीमा रक्षक बल का प्रतिनिधित्व करता है ।

5 भारत सरकार ने 3 अप्रैल 2018 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि 'परिपूर्णता' शब्द का अर्थ किसी विशेष गांव/बसावट में बुनियादी आवश्यक अवसंरचना के प्रावधान या विकास के स्तर से है ।

के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से प्रथम बसावट/गांव को 'शून्य' ("0" लाइन दूरी) माना जाएगा और अगली दूरी की गणना इस गांव से ही की जाएगी ।

मई 2015 तक बीएडीपी को पांच सेक्टरों यथा-शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर में लागू किया गया था । जून 2015 से, मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन के साथ, खेल गतिविधियों और विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाओं को शामिल कर सेक्टरों को बढ़ाकर सात कर दिया गया । आगे, अवसंरचना सेक्टर को अवसंरचना- I (लिंक रोड, पुल, पुलिया, फुटपाथ, हेलीपैड, आदि) और अवसंरचना- II (सुरक्षित पेयजल आपूर्ति) में विभाजित किया गया ।

दिशा-निर्देशों को, आगे 1 अप्रैल 2020 से संशोधित किया गया, जिसके द्वारा सेक्टरों/ परियोजनाओं को निम्न प्रकार से पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया –

- सड़कें एवं पुल
- स्वास्थ्य अवसंरचना
- शिक्षा अवसंरचना
- कृषि अवसंरचना
- खेल अवसंरचना
- पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं
- सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचा
- मॉडल गांवों का विकास
- लघु उद्योगों के लिए अवसंरचना निर्माण
- बीएडीपी के तहत सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव (एक वित्तीय वर्ष में आवंटित निधि का अधिकतम 10 प्रतिशत), और
- प्रशासनिक व्यय (एक वित्तीय वर्ष में ₹ 50 लाख की उच्चतम सीमा के अधीन रहते हुए किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित निधियों के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं) ।

राजस्थान में, बीएडीपी समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, चार सीमावर्ती जिलों नामतः बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के कुल 16 ब्लॉकों[6] में लागू किया जा रहा है ।

6 **बाड़मेरः** 1. चौहटन 2. धनाऊ 3. गडरारोड 4. सेडवा 5. रामसर; **बीकानेरः** 1. खाजूवाला 2. कोलायत; **श्रीगंगानगरः** 1. अनूपगढ़ 2. घडसाना 3. श्रीगंगानगर 4. करनपुर 5. पदमपुर 6. रायसिंहनगर 7. श्रीविजयनगर और **जैसलमेरः** 1. जैसलमेर 2. सम ।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में बीएडीपी की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रावि एवं पंरावि)के अधीन ग्रामीण विकास विभाग (ग्राविवि या आरडीडी) नोडल विभाग है ।

राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर बीएडीपी की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न संस्थाओं को **तालिका 1** में निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

तालिका 1

स्तर	कार्यान्वयन तंत्र	दिशा-निर्देशों के अनुसार संरचना	भूमिका एवं उत्तरदायित्व
राज्य स्तर	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (एसएलएससी)	राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में	• बीएडीपी के तहत कार्यान्वयन के लिए योजनाओं/परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप देना और भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करना • बीएडीपी के निरीक्षण हेतु एक संस्थागत प्रणाली को विकसित करना • भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति एवं उसका जिला परिषदों को संवितरण • बीएडीपी के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों की सूची तैयार करना
	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	
जिला स्तर	जिला स्तरीय समिति (डीएलसी)	जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिसमें जिला वन अधिकारी, जिला आयोजना अधिकारी, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र में मौजूद सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) के कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट शामिल हैं ।	• बीएडीपी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती ब्लॉक में बीएडीपी की योजना और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी • सीमावर्ती गांवों में बेस लाइन सर्वेक्षण का आयोजन • लाइन विभागों के साथ व्यक्तिगत बैठक करना • निगरानी एवं मूल्यांकन
	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	

स्रोत : बीएडीपी दिशा-निर्देश 2015 तथा 2020

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में योजनावार स्वीकृत/निष्पादित कार्यों की निगरानी 2014-15 से एक कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली (वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम) नामतः 'एकीकृत कार्य निगरानी प्रणाली (आईडब्ल्यूएमएस[7])' के माध्यम से की जा रही है, जो कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के चरण तक के विवरण को दर्शाती है ।

7 **आईडब्ल्यूएमएस:** ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एक कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली (वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम) है, जो प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृतियों के ऑनलाइन सृजन, उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के सृजन, प्रभावी निगरानी के लिए डैश बोर्ड रिपोर्ट, परिसंपत्ति रजिस्टर के सृजन आदि के लिए एप्लिकेशन और विभाग द्वारा निष्पादित कार्यों की जिओ-टैग की गई तस्वीरों को अपलोड करने के लिए मोबाईल एप की सुविधा प्रदान करता है ।

2.1.3 कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य में बीएडीपी के अंतर्गत विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं हेतु ₹ 616.82 करोड़ (भारत सरकार राशि : ₹ 377.19 करोड़ और राजस्थान सरकार राशि : ₹ 239.63 करोड़) की राशि जारी की गई थी तथा राशि ₹ 646.20 करोड़ का व्यय किया गया था।

आईडब्ल्यूएमएस के आंकड़ों के अनुसार, 2016-21 के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत ₹ 628.45 करोड़[8] की राशि के 4,130 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 3,370 कार्य (81.60 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके थे, 183 कार्य अभी शुरू किए जाने थे, 61 कार्यों को निलम्बित कर दिया गया था तथा 516 कार्य अपूर्ण पड़े थे।

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

बीएडीपी पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्याः

i. कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आयोजना प्रक्रिया पर्याप्त, प्रभावी और दिशा-निर्देशों के अनुरूप थी;

ii. घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को मितव्ययतापूर्वक, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा था; और

iii. प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद था।

2.1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थेः

- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 2015 एवं 2020 के दौरान जारी किए गए दिशा-निर्देश;
- गृह मंत्रालय, सीमा प्रबंधन विभाग और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश/दिशा-निर्देश/परिपत्र;
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम;
- लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम; (पी.डब्लू.एफ. एण्ड ए.आर.)
- भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली; और
- भारत सरकार का आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क।

8 विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई आईडब्ल्यूएमएस के अनुसार व्यय राशि की स्थिति, ₹ 628.45 करोड़ (12 जुलाई 2021 तक) थी जबकि बीएडीपी जिलों के लिए सीए प्रतिवेदनों में दर्शाए गए अंतिम आंकड़े ₹ 646.20 करोड़ थे। अंतर आईडब्ल्यूएमएस में व्यय को अद्यतन न करने के कारण है।

2.1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

अवधि 2016-21 के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ हुई परिचयात्मक बैठक (6 जुलाई 2021) के साथ जुलाई 2021 में शुरू हुई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, ईकाइयों का चयन, लेखापरीक्षा पद्धति और निष्पादन लेखापरीक्षा का दायरा स्पष्ट किया गया था । ग्रामीण विकास विभाग, चयनित जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अभिलेखों की जांच अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान की गई । चयनित जिलों/ब्लॉकों में जिला परिषदों और लाइन विभागों[9] से लेखापरीक्षा पूछताछ के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित की गईं ।

सभी चार जिलों (बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर) जहां बीएडीपी लागू किया जा रहा है, को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था । आगे, विस्तृत अध्ययन के लिए आईडिया (IDEA) सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक नमूना पद्धति का उपयोग करके चार[10] ब्लॉकों (प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक) का चयन किया गया था । चयनित ब्लॉकों में 2016-21 के दौरान स्वीकृत किए गए 1,548 कार्यों में से 339 कार्यों (प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक सेक्टर से 20 प्रतिशत) के एक नमूने को भी, जिला परिषदों/लाइन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित किया गया था । उपरोक्त के अलावा, लेखापरीक्षा दलों द्वारा चिन्हित किए गए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के 78 (5 प्रतिशत) कार्यों को भी नमूने में शामिल किया गया था । इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए कुल मिलाकर 417 कार्यों का चयन किया गया (**परिशिष्ट** III) ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष, परिणाम और अनुशंसाएं, राज्य सरकार को फरवरी 2022 में प्रेषित की गई थीं तथा 2 मार्च 2022 को आयोजित बैठक में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और कार्यान्वयन संस्थाओं के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई थी । राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा समापन बैठक में व्यक्त किए गए मतों और बाद में प्राप्त हुई टिप्पणियों पर विचार कर लिया गया है तथा उनको यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है ।

2.1.7 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर की गई कार्यावाही

इस विषय पर गत निष्पादन लेखापरीक्षा को मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) में सम्मिलित किया गया था।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों के आधार पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की सिफारिशों का तैयार किया जाना मार्च 2022 तक प्रक्रियाधीन था ।

---

9 शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आदि ।

10 बाड़मेरः चोहटन; बीकानेरः खाजूवाला; श्रीगंगानगरः अनूपगढ़ और जैसलमेरः सम ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ग्रामीण विकास विभाग (राज्य स्तर पर), चयनित चार जिला परिषदों और चार पंचायत समितियों द्वारा संधारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा/नमूना जांच और योजनांतर्गत निष्पादित 417 कार्यों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से प्रकट हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों की लेखापरीक्षा उद्देश्यवार चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है ।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1: क्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आयोजना प्रक्रिया पर्याप्त, प्रभावी और दिशा-निर्देशों के अनुरूप थी ?

2.1.8 आयोजना

2.1.8.1 बेसलाइन सर्वेक्षण और स्थानिक संसाधन मानचित्रण

बीएडीपी दिशा-निर्देशों [11] के अनुसार, मूलभूत भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में कमियों की पहचान करने के लिए सीमावर्ती गांवों/कस्बों में बेसलाइन सर्वेक्षण और स्थानिक संसाधन मानचित्रण किया जाना था । राज्य सरकार इन कमियों की पूर्ति बीएडीपी सहित सरकार की अन्य विकास योजनाओं से करेगी ।

नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया किः

- बेसलाइन सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेख, नमूना जांच किए गए किसी भी जिले द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे । बेसलाइन सर्वेक्षण हुआ या नहीं, इसकी जानकारी भी राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थी । बेसलाइन सर्वेक्षण के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि कार्यक्रम के तहत किए गए कार्य सीमावर्ती गांवों के मूलभूत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना में चिन्हित की गई महत्वपूर्ण कमियों की पूर्ति के लिए ही थे ।

  राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि जिला परिषद बाड़मेर में बेसलाइन सर्वेक्षण के प्रारूप ग्राम पंचायतों से मांगे गए थे, तथापि, इन्हें तकनीकी कारणों से भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सका । जिला परिषद बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी के लिए चिन्हित गांवों का भौतिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है और तदनुसार कार्य, वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित किए जाते हैं । सरकार के उत्तर में, जिला परिषद जैसलमेर के संबंध में कुछ नहीं बताया गया ।

  तथापि, तथ्य यह है कि बेसलाइन सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं था और केवल वार्षिक कार्य योजना ही तैयार की जा रही थी ।

11 बीएडीपी दिशा-निर्देश 2015: अनुच्छेद 4.3 और दिशा-निर्देश 2020: अनुच्छेद 4.8

- इसके अलावा, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया (सितंबर 2020) कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण[12] (2019) के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग बीएडीपी के तहत निधियों के न्यायसंगत उपयोग के लिए भी किया जा सकता है । आगे, राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे बीएडीपी के तहत वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए उक्त बेसलाइन सर्वेक्षण/कमी विश्लेषण का उपयोग करें क्योंकि मंत्रालय भी वार्षिक कार्य योजना 2020-21 की जांच के लिए उक्त आंकड़ों का ही उपयोग करने वाला था ।

  मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के अंतर्गत किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण/कमी विश्लेषण में बीएडीपी में सम्मिलित सीमावर्ती क्षेत्रों में '0' बिंदु से 0-10 किलोमीटर की दूरी वाले 1,206 गांवों/बस्तियों में से 805 गांवों/बस्तियों[13] (66.75 प्रतिशत) को शामिल किया गया था । मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के दौरान इन 805 गांवों में विभिन्न सेक्टरों में चिन्हित की गई कुछ महत्वपूर्ण कमियों का विवरण **परिशिष्ट** IV में दिया गया है ।

  तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि, 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के तहत किए गए पूर्वोक्त बेसलाइन सर्वेक्षण/कमी विश्लेषण का उपयोग नहीं किया गया था ।

  राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय जिला परिषद जैसलमेर में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के तहत बेसलाइन सर्वेक्षण/कमी विश्लेषण का उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी करने (16 सितंबर 2020) से पहले ही सक्षम अधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जा चुका था। साथ ही यह भी बताया कि भविष्य में वार्षिक कार्य योजना मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के आधार पर तैयार की जाएगी । शेष तीन जिला परिषदों के संबंध में राजस्थान सरकार ने उत्तर नहीं दिया ।

2.1.8.2 दीर्घकालिक कार्य योजना/भावी कार्य योजना तैयार करना

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 5.4 के अनुसार, बेस लाइन सर्वेक्षण में चिन्हित की गई कमियों को दूर करने के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार एक विस्तृत ग्राम-वार दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए । दीर्घकालिक कार्य योजना में से प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को चुन कर प्रत्येक वार्षिक कार्य योजना को तैयार किया जावे । ऐसी कार्य योजना में बीएडीपी के साथ विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अभिसरण एवं सामंजस्य को भी सुनिश्चित किया जाएगा ।

आगे, दिशा-निर्देश 2020 के अनुच्छेद 2 (छ) के अनुसार, संसाधनों की पूलिंग के जरिये, चिह्नित की गई बस्तियों के विकास के लिए एक चार/पांच वर्षीय भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी ।

---

12 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय के तहत वर्ष 2019 के लिए देश के सभी गांवों में बेसलाइन सर्वेक्षण/कमी विश्लेषण किया, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के 27 मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का अधिकतम उपयोग और प्रबंधन लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ।

13 बाड़मेर-105, बीकानेर-19, जैसलमेर-59 और श्रीगंगानगर-622

आगामी वर्षों के लिए, व्यापक रूप से भावी कार्य योजना के अंतर्गत ही वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार की जाएगीं और उसमें अग्रेषित किए गए उद्देश्यों तथा अब तक के अनुभवों से प्राप्त सीखों और अन्य घटनाक्रमों के आधार पर आवश्यक संशोधनों को सम्मिलित किया जावेगा । वार्षिक कार्य योजनाएँ उक्त भावी कार्य योजना का ही एक भाग होंगी । प्रथम वर्ष के लिए भावी योजना के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना भी प्रस्तुत की जाएगी । सम्बंधित राज्य वर्ष 2023 तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के सैचुरेशन और अवसंरचना के सृजन का प्रयास करेंगे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बीएडीपी दिशा-निर्देश 2015 में यथा अपेक्षित ग्रामवार दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी । हालांकि, बीएडीपी दिशा-निर्देश 2020 में अपेक्षित एक मध्यम अवधि की भावी कार्य योजना तैयार की गई थी और वो 20 जुलाई 2020 को भारत सरकार को प्रेषित की गई थी, जिसे अभी तक (जुलाई 2021) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष था ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि बीएडीपी के अंतर्गत कार्य योजनाएं भारत सरकार/राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार तैयार की गई थी । दिशा-निर्देश 2020 के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए एक चार वर्षीय मध्यम अवधि की भावी कार्य योजना, तैयार की गई थी और भारत सरकार को प्रेषित की गई थी ।

तथापि, तथ्य यह है कि 2016-20 के दौरान ग्रामवार दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में लाभार्थियों के सैचुरेशन को प्राप्त करने और अवसंरचना निर्माण के लिए आवश्यक थी, जिसके अभाव में ग्रामीण विकास विभाग सीमावर्ती गांवों में से किसी भी गांव में सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका ।

2.1.8.3 जिला स्तरीय समिति द्वारा "मूलभूत अवसंरचना सहित गांव का सैचुरेशन" को परिभाषित किया जाना

बीएडीपी दिशा-निर्देश 2015 के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, जिला स्तरीय समितियां (डीएलसी) 'गांव की अवसंरचना के सैचुरेशन' के लिए अपनी परिभाषा बनाएंगीं । हालांकि, किसी 'गांव के सैचुरेशन' के लिए, न्यूनतम सुविधाओं में सड़क संपर्क, सुविधाओं जैसे कि लड़कियों के लिए अलग शौचालय से युक्त विद्यालय, खेल सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, जलापूर्ति, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक शौचालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए घर आदि शामिल होंगें । हालांकि, गांवों की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गांव की सैचुरेशन की परिभाषा तय करना जिला स्तरीय समितियों पर निर्भर होगा ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य में किसी भी जिला स्तरीय समिति ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 'गांव की संतृप्ति (सैचुरेशन)' के लिए आवश्यक मूलभूत अवसंरचना को परिभाषित नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के बावजूद कि अवधि 1993-2021 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए ₹ 2,362.13 करोड़ (केन्द्रीयांशः ₹ 2,122.50 करोड़ और राज्यांशः ₹ 239.63 करोड़) की

राशि जारी की गई है और लगभग ₹ 2,187.20 करोड़[14] राशि का उपयोग राज्य द्वारा कर लिया गया है, फिर भी बीएडीपी की शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी गांव को संतृप्त (सैचुरेटेड) के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है ।

राजस्थान सरकार ने जिला परिषद बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के संबंध में बताया (मई 2022) कि सीमावर्ती क्षेत्र का विकास एक सतत प्रक्रिया है और वार्षिक कार्य योजना में विभिन्न विकास कार्य शामिल किए जाते हैं । हालांकि, कोई भी गांव सभी सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं हुआ है । गांवों को मूलभूत अवसंरचना से परिपूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

लेखापरीक्षा का मत है कि किसी गांव या गांवों के समूह की स्थानीय परिस्थितियों/ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिला स्तरीय समिति को अन्य हितधारकों के परामर्श से इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए । ऊपर बताए गए अनुसार न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अवसंरचना को भी ग्रामवार दीर्घकालिक संभावित योजनाओं में शामिल किया जा सकता है ताकि चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं के सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त किया जा सके ।

2.1.8.4 वार्षिक कार्य योजना तैयार करना

(i) वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करना

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 5.11 के अनुसार, जिला स्तरीय समिति को प्रत्येक वर्ष मार्च तक वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित और अग्रेषित करना आवश्यक था, जबकि राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को प्रत्येक वर्ष अप्रैल तक इसे अनुमोदित और भारत सरकार को अग्रेषित करना आवश्यक था ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2016-21 की अवधि के दौरान वार्षिक कार्य योजनाओं को भारत सरकार को अनुमोदन के लिए 26 से 125 दिनों के विलंब से प्रेषित किया गया । विवरण नीचे **तालिका 2** में दिया गया है:

तालिका 2

वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन की दिनांक	अनुमोदन के लिए भारत सरकार को अग्रेषित किए जाने की दिनांक	भारत सरकार से अनुमोदन की दिनांक	वार्षिक कार्य योजना को प्रस्तुत करने में विलम्ब (दिनों में)
2016-17	15.03.2016	14.06.2016	30.06.2016	45
2017-18	23.01.2018*	03.08.2017	06.09.2017	95
2018-19	17.05.2018	26.05.2018	19.09.2018	26
2019-20	23.08.2019	02.09.2019	25.09.2019	125
2020-21	26.06.2020	20.07.2020	---	81

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना ।

नोट: *2017-18 के लिए वार्षिक कार्य योजना को मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद 03.08.2017 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया था और 23.01.2018 को राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदित किया गया था ।

14 ₹ 2,362.13 करोड़ (1993-2021 के दौरान बीएडीपी के लिए कुल जारी राशि) में से ₹ 174.93 करोड़ (31 मार्च 2022 तक अंतिम शेष) को घटाकर ।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2022) कि चूंकि जिला स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न हितधारक शामिल हैं, इसलिए इसमें शामिल सभी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में समय लगता है । इसके अलावा, कभी-कभी राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति वार्षिक कार्य योजना में संशोधन का सुझाव देती है, जिसके कारण जिला स्तरीय समिति की दूसरी बैठक आवश्यक होती है, जिसके परिणामस्वरूप विलंब होता है । भविष्य में, वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को समय पर भेजी जाएगी ।

(ii) वार्षिक कार्य योजना में सेक्टर-वार आवंटन

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 5.2 और 5.3 के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यों/योजनाओं को योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। उक्त कार्यों को, क्षेत्र के समग्र संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए तथा चिन्हित अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी एक सेक्टर को राज्य के आवंटन का आनुपातिक रूप से बड़ा हिस्सा न मिले । इस संबंध में, बीएडीपी के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए सेक्टर-वार सुझाई गई अधिकतम/न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की गई है । यदि राज्य सरकारों को लगता है कि कोई एक सेक्टर पहले ही विकसित हो चुका है और उस सेक्टर में आगे विकास की कोई गुंजाइश नहीं है, तो सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित करते हुए राज्य सरकार उस विशेष सेक्टर के लिए निर्धारित निधि का उपयोग किसी अन्य अल्प विकसित सेक्टर के विकास के लिए बीएडीपी के तहत अनुज्ञेय योजना पर कर सकती है। हालांकि, संशोधित बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2020 (अर्थात वर्ष 2020-21 से) में सेक्टर-वार सीमाएं (रखरखाव और प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) हटा दी गई थी ।

जहां सेक्टर-वार आवंटन के मानदंडों का पालन नहीं किया गया था, वहां जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में सेक्टर-वार प्रतिशत आवंटन का विवरण नीचे **तालिका 3** में दिया गया है:

तालिका 3

वार्षिक कार्य योजना 2016-17 से 2019-20								
क्र. सं.	सेक्टर	मानदंडों के अनुसार प्रतिशत	वार्षिक कार्य योजना में प्रतिशत आवंटन					टिप्पणी (वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावों का प्रतिशत विश्लेषण)
			2016-17 (केंद्र)	2016-17 (राज्य)	2017-18	2018-19	2019-20	
जिला: श्रीगंगानगर								
1	स्वास्थ्य	न्यूनतम 10	3.94	3.65	2.06	2.63	0.70	2016-20 में कम
2	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	अधिकतम 10	18.45	16.01	16.96	8.35	8.74	2016-18 में अधिक
3	खेल गतिविधियाँ	न्यूनतम 5	4.42	2.05	2.56	2.42	1.89	2016-20 में कम
4	विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं	न्यूनतम 10	0.00	0.00	0.65	1.00	0.7	2016-20 में कम
5	(ix) सीमा रक्षक बलों द्वारा सुझाई गई योजनाएं	अधिकतम 10	10.44	10.07	10.47	15.84	17.36	2016-20 में अधिक
जिला: बाड़मेर								
1	स्वास्थ्य	न्यूनतम 10	2.32	0.58	2.22	4.13	5.61	2016-20 में कम
2	सामाजिक सेक्टर/कौशल	अधिकतम 15	17.98	11.14	7.79	1.33	11.39	2016-17 में अधिक
3	खेल गतिविधियाँ	न्यूनतम 5	0.81	0.92	0.00	2.20	3.21	2016-20 में कम
4	विशेष/ विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं	न्यूनतम 10	0.00	0.00	0.30	1.77	0.00	2016-20 में कम
5	(viii) संपत्तियों का रखरखाव	अधिकतम 15	4.58	12.28	6.67	5.09	15.88	2019-20 में अधिक

वार्षिक कार्य योजना 2016-17 से 2019-20								
क्र. सं.	सेक्टर	मानदंडों के अनुसार प्रतिशत	वार्षिक कार्य योजना में प्रतिशत आवंटन					टिप्पणी (वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावों का प्रतिशत विश्लेषण)
			2016-17 (केंद्र)	2016-17 (राज्य)	2017-18	2018-19	2019-20	
6	(ix) सीमा रक्षक बलों द्वारा सुझाई गई योजनाएं	अधिकतम 10	3.92	3.45	10.88	12.13	8.68	2017-19 में अधिक
जिला: बीकानेर								
1	स्वास्थ्य	न्यूनतम 10	0.70	0.84	0.50	1.19	0.00	2016-20 में कम
2	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	अधिकतम 10	12.13	4.06	1.40	0.00	4.50	2016-17 में अधिक
3	सामाजिक सेक्टर/कौशल	अधिकतम 15	22.93	7.34	14.47	2.35	16.08	2016-17 और 2019-20 में अधिक
4	शिक्षा	न्यूनतम 10	13.15	17.79	3.19	8.51	4.26	2017-20 में कम
5	खेल गतिविधियाँ	न्यूनतम 5	4.26	0.00	0.00	0.98	2.31	2016-20 में कम
6	विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं	न्यूनतम 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2016-20 में कम
7	(viii) संपत्तियों का रखरखाव	अधिकतम 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2016-20 में कम
8	(ix) सीमा रक्षक बलों द्वारा सुझाई गई योजनाएं	अधिकतम 10	5.38	0.00	13.42	10.30	6.86	2017-18 में अधिक
जिला : जैसलमेर								
1	स्वास्थ्य	न्यूनतम 10	3.94	2.05	2.69	5.57	1.13	2016-20 में कम
2	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	अधिकतम 10	11.36	2.14	2.37	1.84	5.54	2016-17 में अधिक
3	सामाजिक सेक्टर/कौशल	अधिकतम 15	20.06	24.01	16.84	21.93	18.85	2016-20 में अधिक
4	शिक्षा	न्यूनतम 10	6.74	7.66	8.13	7.04	1.52	2016-20 में कम
5	खेल गतिविधियाँ	न्यूनतम 5	1.25	0.00	0.11	0.00	0.00	2016-20 में कम
6	विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं	न्यनतम 10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	2016-20 में कम
7	(ix) सीमा रक्षक बलों द्वारा सुझाई गई योजनाएं	अधिकतम 10	6.92	6.08	6.12	14.97	8.48	2018-19 में अधिक

स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना ।

तालिका से स्पष्ट है किः

- बीएडीपी की निधियाँ दो जिलों (बीकानेर और जैसलमेर) में शिक्षा से संबंधित कार्यों (न्यूनतम 10 प्रतिशत) तथा सभी जिलों में स्वास्थ्य (न्यूनतम 10 प्रतिशत) और खेल गतिविधियों (न्यूनतम 5 प्रतिशत) से संबंधित कार्यों पर निर्धारित सीमा से कम योजनाबद्ध/व्यय की गई थी ।

- दूसरी तरफ, सीमा रक्षक बलों और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्यों पर बीएडीपी की निधियाँ निर्धारित सीमा से अधिक योजनाबद्ध/व्यय कर दी गई थी ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और कमियों को दूर करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना में आवंटन किया गया था । भविष्य में, दिशा-निर्देशानुसार कार्यों की योजना बनाई जाएगी ।

तथापि, तथ्य यह है कि जिला परिषदों ने वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय सेक्टर-वार आवंटन के मानदंडों का पालन नहीं किया तथा यह ज्ञात करने के लिए कि कोई विशेष सेक्टर पहले ही विकसित हो चुका है और उस सेक्टर में आगे के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अभिलेखों में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था ।

(iii) अपूर्ण वार्षिक कार्य योजनाएं

बीएडीपी के तहत निधियाँ जारी कराने के लिए, राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यों/स्कीमों से युक्त वार्षिक कार्य योजना को निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक-IV (क) से IV(च) में एमआईएस एप्लीकेशन के माध्यम से, अन्य योजनावार उपलब्ध निधियों (बीएडीपी के अलावा) और बीएडीपी के तहत सेक्टर-वार प्रस्तावित कार्यों की सूचनाएँ, क्रमशः निर्धारित अनुलग्नक V(क) और V(ख) के साथ, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया जाना आवश्यक था।

वर्ष 2016-21 की वार्षिक कार्य योजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ किः

- बीएडीपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पना की गई थी कि सीमावर्ती ब्लॉकों में इन क्षेत्रों में भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजनाओं/फ्लैगशिप योजनाओं और स्टेट प्लान योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तथापि, सीमावर्ती ब्लॉक में उपलब्ध/उपयोग की जाने वाली निधियों का योजनावार अलग-अलग विवरण जिला कार्य योजनाओं में निर्धारित अनुलग्नक V(क) में वर्णित नहीं था। केवल जैसलमेर जिले ने कार्य योजना में इस तरह का विवरण प्रस्तुत किया था, लेकिन वह भी अपूर्ण था। अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना के अन्तर्गत जिला परिषदों के पास उपलब्ध संसाधनों के विवरण के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अन्य योजनाओं का बीएडीपी के साथ सामंजस्य/अभिसरण ठीक से किया गया था। हालाँकि, जिला परिषदों ने वार्षिक कार्य योजना के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र सलंग्न किया था कि बीएडीपी के तहत लिए गए कार्य, चल रही किसी अन्य योजना से अतिव्यापी (ओवर लेपिंग) नहीं है।

- वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान, किसी भी जिला कार्य योजना में अनुलग्नक IV(ड़) में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रकार, प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों (पुरुषों और महिलाओं) की संख्या और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का विवरण नहीं दिया गया था, जो कि इंगित करता है कि इस मद में निधियों की मांग, क्रियान्वयन की कोई योजना बनाए बिना ही की गई थी (**जैसा कि अनुच्छेद 2.1.10.2** (i) **और 2.1.10.2** (ii) **में चर्चा की गई है**)।

- 2016-17 से 2019-20 के दौरान वार्षिक कार्य योजना में अनुलग्नक IV(च) में कुल आवंटन के 1.5 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 50 लाख मात्र) की आरक्षित निधि में से निगरानी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, बीएडीपी के मूल्यांकन, प्रशासनिक व्यय, सर्वेक्षण, लोजिस्टिक सपोर्ट, मीडिया प्रचार आदि पर होने वाले व्यय का विवरण नहीं दिया गया था। यह दर्शाता है कि आरक्षित निधि के तहत गतिविधियों को ठीक से योजनाबद्ध नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि भविष्य में, वांछित प्रोफार्मा में वार्षिक कार्य योजना की सम्पूर्ण सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2: क्या घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को मितव्ययता पूर्वक, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा था ?

2.1.9 निधि प्रबंधन

2.1.9.1 निधियों को जारी और उपयोग करना

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 9.2 के अनुसार, राज्यों को दो किस्तों में धनराशि जारी की जाएगी । राज्य को कुल आवंटन के 90 प्रतिशत की प्रथम किश्त, पूर्ववर्ती वर्ष को छोड़कर, पहले के वर्षों में जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त होने के बाद ही राज्य को जारी की जाएगी । राज्य के आवंटन के शेष 10 प्रतिशत की दूसरी किश्त, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जारी की गई राशि के कम से कम 50 प्रतिशत सीमा तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएगी ।

वर्ष 2016-21 के दौरान जारी की गई निधियों और उनके विरुद्ध किए गए व्यय की स्थिति नीचे **तालिका 4** में दी गई है:

तालिका 4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		जारी निधियाँ				कुल उपलब्ध निधि	व्यय (प्रतिशत में)	अंतिम शेष	
	नगद[#]	कार्यान्वयन संस्थाओं को अग्रिम[$]	केंद्र	राज्य	कुल जारी	अन्य प्राप्तियाँ[@]			नगद	कार्यान्वयन संस्थाओं को अग्रिम
1	2A	2B	3	4	5	6	7 (**2A+2B +5+6**)	8		
2016-17	**82.53**	**105.95**	136.76*	0	136.76	5.49	330.73	118.81 (*35.92*)	98.17	113.75
2017-18	98.17	113.75	115.90	82.48	198.38	5.61	415.91	154.98 (*37.26*)	145.16	115.77
2018-19	145.16	115.77	86.10	77.33	163.43	3.42	427.78	80.38 (*18.79*)	205.09	142.31
2019-20	205.09	142.31	38.43	54.13	92.56	1.30	441.26	165.74 (*37.56*)	131.68	**143.84**
2020-21	**131.68**	**143.84**	**0**	**25.69**	**25.69**	**0.01**	**301.22**	**126.29 (*41.93*)**	**84.29**	**90.64**
कुल			**377.19**	**239.63**	**616.82**	**15.83**		**646.20**		

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए सीए प्रतिवेदनों पर आधारित सूचनाएं ।

*टिप्पणीः *इसमें वर्ष 2015-16 के लिए विशेष परियोजना के ₹ 18.14 करोड़ शामिल हैं, जो कि 2016-17 में जारी किये गये थे । उक्त राशि के अलावा, भारत सरकार से प्राप्त ₹ 40.00 लाख (₹ 10 लाख प्रति वर्ष) को प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य स्तर पर उपयोग के लिए रखा गया था । इसके विरूद्ध वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान ₹ 32 लाख का व्यय किया गया था ।*

@ अन्य प्राप्तियों में बैंक ब्याज शामिल है ।

 # नगद जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में शेष को दर्शाता है ।

$ कार्यान्वयन संस्थाओं के पास अग्रिम जिला परिषदों द्वारा स्वीकृत कार्यों के प्रति कार्यान्वयन संस्थाओं के पास पड़ी वह राशि है जिसका उपयोग या तो कार्य पर नहीं किया गया है या जो उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण कार्य पर खर्च के विरुद्ध समायोजन के लिए लंबित है ।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2016-21 के दौरान, राज्य में कुल उपलब्ध निधियों ₹ 821.13 करोड़[15] के विरुद्ध ₹ 646.20 करोड़ (78.70 प्रतिशत) की राशि बीएडीपी के अंतर्गत कार्यों/योजनाओं पर व्यय की गई थी । हालाँकि, उपलब्ध निधियों का वर्षवार उपयोग केवल 18.79 प्रतिशत से 41.93 प्रतिशत के बीच था ।
- 2016-21 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान ₹ 616.82 करोड़ में से, ₹ 174.93 करोड़ (28.36 प्रतिशत) की राशि मार्च 2021 तक अप्रयुक्त रही । लगभग आधी अव्ययित निधियाँ (₹ 84.29 करोड़) जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में पड़ी रही तथा अन्य आधी राशि (₹ 90.64 करोड़) कार्यान्वयन संस्थाओं (आईए) के पास अग्रिम के रूप में लम्बित थी । ₹ 90.64 करोड़ में से, ₹ 4.37 करोड़[16] की राशि 2016-17 से पूर्व की अवधि से संबंधित थी तथा लंबे समय से कार्यान्वयन संस्थाओं के पास समायोजन के लिए लंबित थी । अग्रिमों के समायोजन नहीं होने के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे दिया गया था । इसके अलावा, लंबी अवधि के लिए अग्रिमों के समायोजन का लम्बित होना गबन, धोखाधड़ी और निधियों के विपथन के जोखिम से भी भरा था ।
- कार्यक्रम के लिए जारी वार्षिक निधियाँ, वर्ष 2016-17 में ₹ 136.76 करोड़ से लगातार घटते हुए वर्ष 2019-20 में ₹ 25.69 करोड़ रह गई । यहाँ तक कि वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटन किए जाने के बावजूद भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि वार्षिक कार्य योजना में शामिल कार्यों की स्वीकृतियाँ प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाती है । कार्यान्वयन संस्थाओं को प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अग्रिम जारी किया जाता है और शेष कार्य पूरा होने पर जारी किया जाता है । फलस्वरूप, प्रगतिरत कार्यों के लिए अप्रयुक्त धनराशि जिला परिषदों के पीडी/बैंक खाते में पड़ी रहती है । वर्तमान में, राज्य नोडल बैंक खाता (एसएनए) प्रणाली का उपयोग निधियों के हस्तांतरण के लिए किया जा रहा है, परिणामस्वरूप, जिला परिषदों के पीडी/बैंक खाते में कोई भी निधि अप्रयुक्त नहीं पड़ी रहती है ।

तथापि, तथ्य यह है कि कार्यान्वयन संस्थाओं के पास लंबी अवधि के लिए शेष रहे अग्रिमों को समय पर समायोजित करने की आवश्यकता है ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गए । 12 मई 2022 तक ₹ 38.65 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु लम्बित पड़े थे, जैसा कि नीचे **तालिका 5** में दिया गया है:

15 प्रारंभिक शेषः ₹ 188.48 करोड़, 2016-21 के दौरान कुल जारीः ₹ 616.82 करोड़ एवं अन्य प्राप्तियांः ₹ 15.83 करोड़ का योग ।

16 जिला परिषदेंः बाड़मेर- ₹ 0.13 करोड़, बीकानेर- ₹ 0.71 करोड़, श्रीगंगानगर- ₹ 0.36 करोड़, जैसलमेर- ₹ 3.17 करोड़ ।

तालिका 5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीयांश/राज्यांश	प्राप्त राशि	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि
1	2	3	4	5(3-4)
2015-16	केन्द्रीयांश	158.39	158.08	0.31
2016-17	केन्द्रीयांश	123.72	123.63	0.09
	राज्यांश	82.48	81.74	0.74
2017-18	केन्द्रीयांश	116.00	116.00	0
	राज्यांश	77.33	73.27	4.06
2018-19	केन्द्रीयांश	81.20	79.71	1.49
	राज्यांश	54.13	48.43	5.70
2019-20	केन्द्रीयांश	38.53	29.21	9.32
	राज्यांश	25.69	8.75	16.94
2020-21	केन्द्रीयांश	अनुदान अप्राप्त		
	राज्यांश			
कुल		**757.47**	**718.82**	**38.65**

स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि निधियों के समायोजन और कार्यान्वयन संस्थाओं/जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के बाद, समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे जाते हैं । लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जिला परिषदों से प्राप्ति के बाद तुरंत भारत सरकार को भेज दिया जाएगा ।

तथापि, तथ्य यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत सरकार ने 2020-21 में आवंटित धनराशि जारी नहीं की थी । लेखापरीक्षा समापन बैठक (मार्च 2022) में उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने भी तथ्यों को स्वीकार किया ।

पिछले वर्षों में आवंटित निधियों के 50 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत न करने के कारण निधियों की कटौती/जारी नहीं करने से सम्बंधित प्रकरण को पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए) में भी उल्लिखित किया गया था । तथापि, ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई ।

2.1.9.2 जिला परिषदों को निधियों का विलम्ब से जारी किया जाना

अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, राज्य सरकारों को बीएडीपी के लिए एक पृथक बजट शीर्ष रखना आवश्यक है । भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त होने पर राज्य सरकारों द्वारा इन निधियों को तुरंत कार्यान्वयन संस्थाओं को जारी की जानी चाहिए और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार निधियों को किसी भी स्तर पर रोक कर रखना सख्त वर्जित है ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2016-20 की अवधि के दौरान, जिला परिषदों को केन्द्रीयांश 70 दिनों तक के विलम्ब से जारी किया गया था । आगे, संगत राज्यांश भी केंद्रीय सहायता जारी करने की दिनांक से 385 दिनों तक की देरी करते हुए जारी किया गया था । केन्द्रीयांश/राज्यांश विलम्ब से जारी किये जाने का विवरण **तालिका 6** में दिया गया है ।

तालिका 6

(₹ करोड़ में)

वर्ष			केन्द्रीयांश					राज्यांश			
	भारत सरकार द्वारा संभावित आवंटन		भारत सरकार द्वारा जारी		राज्यों द्वारा जिलों को जारी केन्द्रीयांश		विलम्ब (दिनों में)	देय राज्यांश	राज्य से जारी राज्यांश		विलम्ब (दिनों में)
	केन्द्रीयांश	राज्यांश	आरबीआई मीमो संख्या और दिनांक	राशि	दिनांक	राशि			दिनांक	राशि	
2016-17	123.72	82.48	24/30.06.16	103.25	04.08.16	103.15	35	68.83	22.06.17	82.48	321
			11/15.03.17	11.47	28.03.17	11.47	13	7.65			99
			18/23.03.17	1.00	31.03.17	1.00	8	0.67			91
			26/31.03.17	5.00	03.05.17	5.00	33	3.33			83
			26/31.03.17	3.00	31.03.17	3.00	0	2.00			83
कुल				**123.72**		**123.62**		**82.48**			
2017-18	116.00	77.33	21/30.08.17	38.32	27.09.17	38.22	28	25.54	23.07.18	77.33	325
			8/10.11.17	22.45	30.11.17	22.45	20	14.97			254
			10/11.01.18	9.50	19.02.18	9.50	39	6.34			192
			20/24.01.18	11.98	19.02.18	11.98	25	7.99			179
			20/24.01.18	11.60	19.02.18	11.60	25	7.73			179
			14/20.02.18	22.15	22.03.18	17.15	30	14.77			152
					25.04.18	5.00	64				
कुल				**116.00**		**115.90**					
2018-19	81.20	54.13	18/24.09.18	81.20	19.10.18	81.10	25	54.13	17.09.19	11.30	333
									18.10.19	42.83	364
कुल				**81.20**		**81.10**					
2019-20	38.53	25.687	20/25.09.19	38.53	04.12.19	38.43	70	0.26	16.10.20	25.69	385
कुल				**38.53**		**38.43**					
2020-21	36.526	24.35	अनुदान अप्राप्त								

स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना ।
नोटः बजट प्रावधानों में से ₹ 10 लाख राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यय आदि के उपयोग के लिए रखे गए थे ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि भारत सरकार से केन्द्रीयांश प्राप्त होने पर जिला परिषदों को केन्द्रीयांश और संबंधित राज्यांश जारी किया जाता है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीयांश जिला परिषदों को 70 दिनों तक के विलम्ब से जारी किया गया था और संगत राज्यांश भी केन्द्रीय सहायता जारी होने की तारीख से 385 दिन तक के विलंब से जारी किया गया था ।

राज्य सरकार द्वारा निधियाँ जारी करने में विलम्ब से संबंधित विषय पर पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए) में भी ध्यान आकर्षित किया गया था । तथापि, ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई ।

2.1.9.3 निधियों का विपथन

राजस्थान पंचायती राज नियमों, 1996 के नियम 199 में प्रावधान है कि राज्य सरकार/केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान को उसी उद्देश्य पर खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था और एक मुख्य शीर्ष के तहत स्वीकृत राशि को किसी अन्य मुख्य शीर्ष में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए । आगे, 'जिला ग्रामीण विकास संस्थाओं/जिला पंचायतों के लिए लेखा प्रक्रिया-2001' के अध्याय VI (पुनर्विनियोजन) के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित किया गया है कि निधियों को एक योजना से दूसरी योजना में विपथित किए जाने की अनुमति नहीं है ।

नमूना जांच की गई जिला परिषदों के अभिलेखों[17] की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2016-21 के दौरान दो जिला परिषदों (बाड़मेर और जैसलमेर) में बीएडीपी की ₹ 2.85 करोड़ की निधियों को डीआरडीए (प्रशासन) योजना (अन्य योजना) में विपथित किया गया था परन्तु मार्च 2021 तक इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी (कृपया **तालिका 7** देखें), जो कि सामान्य वित्तीय नियमों के साथ ही योजना के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन था।

तालिका 7

(₹ करोड़ में)

जिला	योजना में विपथन	1 अप्रेल 2016 को प्रारंभिक शेष	वर्ष					31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
बाड़मेर	डीआरडीए (प्रशासन)	0	0	0.45	0.20	0	0	0.65
जैसलमेर	डीआरडीए (प्रशासन)	1.88	0.34	0.09	0.11	(-) 0.03	(-) 0.19	2.20
कुल								**2.85**

स्रोतः सीए प्रतिवेदनों पर आधारित सूचना।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2022) कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए निधियों का डीआरडीए (प्रशासन) मद में विपथन किया गया था। आगे यह भी बताया कि डीआरडीए (प्रशासन) शीर्ष बंद हो चुका है (अप्रैल 2022)। डीआरडीए शीर्ष में बकाया निधियों का विवरण एकत्रित किया जा रहा है और इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा बीएडीपी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कार्यक्रम की निधियों को अन्य योजना में विपथित करने के विषय पर पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए) में भी ध्यान आकर्षित किया गया था। तथापि, ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

2.1.9.4 अन्य विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ अभिसरण/सामंजस्य

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार, जिला स्तरीय समितियां, केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के चल रहे विकास कार्यक्रमों और योजनाओं एवं विभिन्न माध्यमों[18] से आने वाली निधियों के साथ अभिसरण और सामंजस्य पर ध्यान देंगीं।

नमूना जांच की गई जिला परिषदों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2016-21 के दौरान, श्रीगंगानगर को छोड़कर सभी जिला परिषदों द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के चल रहे अन्य विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण/सामंजस्य के बिना ही बीएडीपी के तहत स्वीकृतियां जारी की गई थीं। जिला परिषद श्रीगंगानगर में, ₹ 10.06 करोड़ की राशि के 421 कार्यों में बीएडीपी निधियों का मनरेगा के साथ अभिसरण किया गया था, जबकि अन्य योजनाओं

17 सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य वित्तीय अभिलेख जैसे कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर ऑर्डर आदि।

18 प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जलापूर्ति योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक विकास योजनाएं, ग्रामीण विकास योजनाएं, पंचायती राज योजनाएं, कौशल विकास और जनकल्याण के लिए अन्य योजनाएं।

के बीएडीपी के साथ अभिसरण/सामंजस्य करने के उदाहरण अभिलेखों/आईडब्ल्यूएमएस में नहीं पाए गए थे ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित अन्य विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण/सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतियां जारी करने के प्रयास किए जाएंगे ।

2.1.9.5 जिला परिषदों और कार्यान्वयन संस्थाओं के पास उपलब्ध राशि पर अर्जित ब्याज

बीएडीपी दिशा-निर्देशों[19] के अनुसार, किसी भी स्तर पर जमा बीएडीपी निधियों पर अर्जित ब्याज को बीएडीपी के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन माना जाएगा और इसका उपयोग प्राथमिकता वाले गांवों में बीएडीपी के दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किए गए क्षेत्रों के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए कार्यों/परियोजनाओं पर किया जाएगा ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला परिषदों द्वारा अर्जित ₹ 15.35 करोड़ के ब्याज का लेखांकन तो किया गया था, तथापि, कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में उनके पास पड़ी राशियों पर अर्जित ब्याज को नमूना जाँच की गई किसी भी जिला परिषद (2017-18 में जिला परिषद बाड़मेर को छोड़कर) द्वारा बीएडीपी के वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया गया था ।

कार्यान्वयन संस्थाओं के विरूद्ध बकाया अग्रिमों और जिला परिषदों द्वारा सूचित ब्याज का विवरण **तालिका 8** में दिया गया है ।

तालिका 8

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यान्वयन संस्था के पास शेष राशि और सी ए प्रतिवेदन के अनुसार अर्जित ब्याज	बाड़मेर	बीकानेर	जैसलमेर	श्रीगंगानगर	कुल
2016-17	वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यान्वयन संस्था के पास शेष	6.02	54.09	43.62	10.01	113.74
	ब्याज- जिला परिषद	1.40	1.08	1.97	1.04	5.49
	ब्याज- कार्यान्वयन संस्था	0	0	0	0	0
2017-18	वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यान्वयन संस्था के पास शेष	(-) 1.12	55.89	26.81	34.21	115.79
	ब्याज- जिला परिषद	1.69	0.69	1.65	1.19	5.22
	ब्याज- कार्यान्वयन संस्था	0.04	0	0	0	0.04
2018-19	वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यान्वयन संस्था के पास शेष	3.72	49.76	53.70	34.48	141.66
	ब्याज- जिला परिषद	1.77	0.10	1.33	0.22	3.42
	ब्याज- कार्यान्वयन संस्था	0	0	0	0	0
2019-20	वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यान्वयन संस्था के पास शेष	18.96	50.75	47.52	25.96	143.19
	ब्याज- जिला परिषद	0.86	0.009	0.22	0.12	1.209
	ब्याज- कार्यान्वयन संस्था	0	0	0	0	0
2020-21	वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यान्वयन संस्था के पास शेष	11.13	26.99	32.03	19.84	89.99
	ब्याज- जिला परिषद	0	0	0	0.005	0.005
	ब्याज- कार्यान्वयन संस्था	0	0	0	0	0

स्रोतः सीए प्रतिवेदनों पर आधारित सूचना ।

19 दिशा-निर्देश 2015 का अनुच्छेद 12 और बीएडीपी दिशा-निर्देश 2020 का अनुच्छेद 10.3

आगे, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक कार्यान्वयन संस्था -'राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी)' ने बीएडीपी निधियों की शेष राशियों पर ब्याज के रूप में ₹ 173.28 लाख[20] (2017-18 तक) की राशि अर्जित की थी और जिला परिषदों को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख (मई 2019) किया। तथापि, इसे जिला परिषदों द्वारा अपने-अपने वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि, यद्यपि इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि बीएडीपी के अन्तर्गत सहायता अनुदान के विरुद्ध समस्त ब्याज या अन्य आय बीएडीपी खातों में जमा की गई है, (जैसा बीएडीपी दिशा-निर्देश 2020 के तहत आवश्यक था), भारत सरकार को प्रेषित किया गया था (जुलाई 2020), हालांकि, उक्त ब्याज राशि ₹1.73 करोड़ को बीएडीपी खाते में जमा/लेखांकन नहीं किया गया। इस प्रकार, समस्त ब्याज प्राप्तियों को बीएडीपी खाते में जमा करने के संबंध में भारत सरकार को एक गलत प्रमाण पत्र भेजा गया था।

इसके अलावा, अव्ययित शेषों और ब्याज की राशि को बीएडीपी के लिए राज्य स्तरीय खाते में स्थानांतरित किया जाना अभी भी शेष था। यह दर्शाता है कि सभी कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा अर्जित ब्याज का बीएडीपी के खातों में लेखांकन नहीं किया जा रहा था।

जिला परिषदों ने बताया (अक्टूबर 2021) कि जिला परिषद स्तर पर निधियों को निजी निक्षेप खातों (ब्याज रहित) में रखा जा रहा था और आरएसएलडीसी को जारी की गई निधियों पर अर्जित ब्याज को सूचना प्राप्त न होने के कारण खातों में नहीं दर्शाया गया था और उचित समय पर दर्शा दिया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि आरएसएलडीसी द्वारा अर्जित ब्याज के संबंध में विवरण मांगा जा रहा है और तदनुसार सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिया जाएगा।

2.1.9.6 सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन

सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश (दिसंबर 2016) के अनुसार बीएडीपी का कार्यान्वयन करने वाली सभी संस्थाओं को 31 मार्च 2017 तक सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाना आवश्यक था। बीएडीपी दिशा-निर्देश 2020 को प्रारंभ करते समय यह दोहराया गया (जून 2020) कि बीएडीपी के तहत निधियाँ जारी/हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के पास एक पृथक बजट शीर्ष और पीएफएमएस से जुड़ा बैंक खाता होना आवश्यक है। यह भी कहा गया था कि उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना अनिवार्य है, मंत्रालय उस राज्य को बीएडीपी के तहत कोई भी फंड जारी करने की स्थिति में नहीं होगा, जिसने अभी तक पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर सभी संस्थाओं (राज्य सरकार/जिलों/कार्यान्वयन संस्थाओं आदि) की अंतिम स्तर तक मैपिंग नहीं की है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बीएडीपी के अंतर्गत निधियाँ जारी/हस्तांतरण करने के लिए जिला स्तर पर बचत बैंक खाते 19 फरवरी 2021 को खोले गए थे। जिला

20 जिला परिषदें: बाड़मेर- ₹ 66.14 लाख, बीकानेर- ₹ 22.34 लाख, जैसलमेर- ₹ 72.89 लाख और श्रीगंगानगर- ₹11.91 लाख।

परिषदों के निजी निक्षेप खातों में रखी गई अव्ययित निधियों में से ₹ 55.45 करोड़[21] की राशि आगे उपयोग के लिए राज्य स्तरीय बचत बैंक खाते में पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानांतरित (जुलाई-अगस्त 2021) कर दी गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पीएफएमएस मॉड्यूल के माध्यम से संस्थाओं को निधियाँ जारी/हस्तांतरित किया जाना अगस्त 2021 तक भी शेष था।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि योजना के तहत पीएफएमएस को 01 जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है।

तथ्य यह रहा कि पीएफएमएस के कार्यान्वयन में देरी हुई, जिससे राजस्थान सरकार 2020-21 के दौरान केंद्रीय अनुदान प्राप्त नहीं कर पाई।

2.1.10 कार्यक्रम का निष्पादन

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुसार, उन गांवों को प्राथमिकता दी जानी थी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित हैं और इनमें से सीमा रक्षक बलों द्वारा सामरिक गांवों के रूप में चिह्नित किए गए गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी थी।

0-10 किलोमीटर तक के गांवों का सैचुरेशन होने के बाद ही, 0-20 किलोमीटर के भीतर के गांवों का अगला समूह और इसी तरह उनका सैचुरेशन होने पर 0-50 किलोमीटर तक के गांवो को लिया जाना था।

2.1.10.1 कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों/बस्तियों का कवरेज

लेखापरीक्षा ने राज्य में बीएडीपी के तहत स्वीकृत/निष्पादित किए गए 4,130 कार्यों (₹ 628.45 करोड़ के) के संबंध में एकीकृत कार्य निगरानी प्रणाली (राज्य के आंकड़े) पर उपलब्ध आंकड़ों की तुलना बीएडीपी पोर्टल (भारत सरकार के आंकड़े) पर उपलब्ध "शून्य" रेखा से 0-10 किमी के अन्दर के गांवों/बस्तियों के आंकड़ों के साथ की। आंकड़ों के दो समूहों (सैटों) की तुलना से ज्ञात हुआ किः

- 2016-21 के दौरान, "शून्य" रेखा से 0-10 किमी के अन्दर कुल 1,206 गांवों/बस्तियों में से केवल 697 गांवों/बस्तियों को शामिल किया गया था और शेष 509 गांवों/बस्तियों (42.21 प्रतिशत) में कोई कार्य स्वीकृत/निष्पादित नहीं किया गया था, जिससे इन गांवों के 2.40 लाख लोगों (2011 की जनगणना के अनुसार) को योजना के लाभों से वंचित रखा गया (विवरण **परिशिष्ट** V में दिया गया है)।

  राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि निधियों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तदनुसार, विभिन्न विभाग दिशा-निर्देशों के अनुसार अत्यधिक महत्ता के कार्यों का प्रस्ताव करते हैं और उन्ही को वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल किया जाता है।

21 जैसलमेरः 26 अगस्त 2021 को ₹ 10.00 करोड़, बाड़मेरः 26 जुलाई 2021 को ₹ 23.71 करोड़, बीकानेरः 19 अगस्त 2021 को ₹ 7.57 करोड़ और श्रीगंगानगरः 07 जुलाई 2021 को ₹ 14.17 करोड़।

- 0-10 कि.मी. के किसी भी गांव/बसावट को परिपूर्ण (सैचुरेटेड) घोषित किए बिना, "शून्य" रेखा से 10 किमी के परे राशि ₹ 148.06 करोड़ के कुल 759 (4,130 में से) कार्य स्वीकृत कर दिए गए थे। (विवरण **परिशिष्ट** VI में दिया गया है)

- आगे, गैर-बीएडीपी ब्लॉकों में भी ₹ 7.80 करोड़ की राशि के 22 कार्य[22] स्वीकृत कर दिए गए। जिला परिषद श्रीगंगानगर में स्वीकृत किये गये ₹ 0.56 करोड़ के तीन कार्यों के मामले में ग्राम/ब्लॉक के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था।

  राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि जिला परिषद श्रीगंगानगर में उक्त तीन कार्यों में ग्राम/ब्लॉक के नाम आईडब्ल्यूएमएस पर भूलवश खाली रह गए थे, हालाँकि, वे 0-10 किमी की सीमा के भीतर स्थित हैं। कार्य दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत किये गए हैं।

  गाँव के नाम के अभाव में, राजस्थान सरकार के उत्तर की पुष्टि नहीं हो सकी कि ये कार्य सीमावर्ती गांव/बस्ती में निष्पादित किए गऐ थे।

इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी में 40 प्रतिशत से अधिक सीमावर्ती गांव/बस्तियां, कार्यक्रम के लाभों से वंचित रहे जबकि गैर-बीएडीपी ब्लॉकों के लिए कार्यों को योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था।

2.1.10.2 कौशल विकास गतिविधियाँ

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के बीच सुरक्षा का भाव जगाने के लिए रोजगार प्रोत्साहन, उत्पादन-उन्मुख गतिविधियों, कौशल उन्नयन की योजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए ताकि लोग आजीविका की तलाश में अन्य क्षेत्रों में पलायन न करें।

(i) आरएसएलडीसी द्वारा दिया गया कौशल विकास प्रशिक्षण

बीएडीपी के सामाजिक सेक्टर के अंतर्गत, क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर व्यय की अनुमति इस शर्त पर है कि कुल आवंटन का न्यूनतम 10 प्रतिशत व्यय हो और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

राज्य में, आरएसएलडीसी अपने रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएलएसटीपी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। बीएडीपी के 'क्षमता निर्माण और कौशल विकास' घटक के अंतर्गत उपलब्ध निधियाँ जिला परिषदों द्वारा आरएसएलडीसी को प्रदान की जा रही थी। पात्र लाभार्थियों का विवरण आरएसएलडीसी के वेब पोर्टल "एकीकृत योजना प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस)" पर अपलोड किया जाना आवश्यक था। बीएडीपी के तहत कार्यरत राज्य/जिला स्तर के पदाधिकारियों को आईएसएमएस पोर्टल तक पहुंच के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किए गए थे।

तथापि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, आरएसएलडीसी को जारी की गई कुल निधियाँ और उनके उपयोग के अभिलेख राज्य स्तर पर विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे, यद्यपि निधियाँ आरएसएलडीसी को प्रदान की गई थी।

22 बाड़मेर : बाड़मेर (16 कार्य राशि ₹ 567.40 लाख) एवं शिव (05 कार्य राशि ₹ 210.02 लाख) ब्लॉक; बीकानेर : लूणकरणसर ब्लॉक (01 कार्य राशि ₹ 2.50 लाख)।

इस तरह के विवरण/आंकड़े लेखापरीक्षा ने आरएसएलडीसी से प्राप्त किए । तदनुसार, 2016-20 के दौरान 14 ब्लॉक (11 बीएडीपी ब्लॉक और तीन गैर-बीएडीपी ब्लॉक) के कुल 4,785 लाभार्थियों को ईएलएसटीपी के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया था । लाभार्थियों का ब्लॉक वार विवरण **तालिका 9** में दिया गया है ।

तालिका 9

जिला	ब्लॉक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			महिला प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिशत	नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या (प्रतिशत में)
		महिला	पुरुष	कुल		
बाड़मेर	बाड़मेर*	160	448	608	26.32	341 (*56.09*)
	चौहटन	10	92	102	9.80	62 (*60.78*)
	धोरीमना*	1	17	18	5.56	12 (*66.67*)
	शिव*	3	100	103	2.91	31 (*30.10*)
कुल		**174**	**657**	**831**	**20.94**	**446 (*53.67*)**
बीकानेर	खाजूवाला	2	119	121	1.65	83 (*68.60*)
	कोलायत	13	324	337	3.86	183 (*54.30*)
कुल		**15**	**443**	**458**	**3.28**	**266 (*58.08*)**
श्रीगंगानगर	अनूपगढ़	31	179	210	14.76	148 (*70.48*)
	गंगानगर	139	583	722	19.25	388 (*53.74*)
	घडसाना	185	609	794	23.30	531 (*66.88*)
	करनपुर	67	194	261	25.67	84 (*32.18*)
	पदमपुर	153	354	507	30.18	303 (*59.76*)
	रायसिंहनगर	53	275	328	16.16	189 (*57.62*)
कुल		**628**	**2,194**	**2,822**	**22.25**	**1,643 (*58.22*)**
जैसलमेर	जैसलमेर	8	563	571	1.40	264 (*46.23*)
	सम	0	103	103	0.00	47 (*45.63*)
कुल		**8**	**666**	**674**	**1.19**	**311 (*46.14*)**
कुल योग		**825**	**3,960**	**4,785**	**17.24**	**2,666 (*55.72*)**

टिप्पणी: आरएसएलडीसी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 2016-20 की अवधि के दौरान 4,731 लाभार्थियों को बीएडीपी के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जबकि बीएडीपी के अंतर्गत एमआईएस आंकड़ा 4,785 लाभार्थियों का दिया गया था ।
****गैर-बीएडीपी ब्लॉक ।***

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः

- **महिला भागीदारीः** बीएडीपी के तहत 50 प्रतिशत के मानदंड के विरुद्ध, केवल 17.24 प्रतिशत (4,785 में से 825) महिला प्रशिक्षणार्थियों को आरएसएलडीसी के ईएलएसटीपी के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण में शामिल किया गया था ।
- **कौशल प्रशिक्षण में बीएडीपी ब्लॉकों को शामिल नहीं किया जानाः** वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान, बाड़मेर जिले के चार ब्लॉकों (धनाऊ, गडरारोड, रामसर, सेवड़ा) और श्रीगंगानगर जिले के एक ब्लॉक (विजय नगर) के प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया ।
- **गैर-बीएडीपी ब्लॉकों को शामिल करनाः** बाड़मेर जिले में ईएलएसटीपी के तहत 87.73 प्रतिशत (कुल 831 में से 729) लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जो तीन गैर-

बीएडीपी ब्लॉकों (बाड़मेर, धोरीमना और शिव) से संबंधित थे। इस प्रकार, तीन गैर-बीएडीपी ब्लॉकों में कौशल प्रशिक्षण पर किए गए ₹ 1.24 करोड़ के व्यय को बीएडीपी के तहत अनियमित रूप से प्रभारित किया गया था।

- **प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया रोजगार:** कुल 4,785 प्रशिक्षुओं जिनको 2016-20 के दौरान ईएलएसटीपी के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया गया था, उन में से 2,666 प्रशिक्षुओं (55.72 प्रतिशत) को ही रोजगार प्रदान किया गया।
- उपरोक्त के अलावा, आरएसएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में 253 प्रशिक्षुओं के पते के कॉलम रिक्त थे।

लेखापरीक्षा ने ग्राम पंचायत रामगढ़ के स्थानीय दौरे के दौरान विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में एक प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) के रूप में, एक लाभार्थी का साक्षात्कार भी लियाः

प्रकरण अध्ययनः आरएसएलडीसी द्वारा बीएडीपी के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण

ईएलएसटीपी से लाभान्वित होने वाले प्रशिक्षुओं का विवरण आरएसएलडीसी से प्राप्त किया गया था। इस विवरण के आधार पर, जैसलमेर जिले में प्रशिक्षुओं से संपर्क करने का प्रयास किया गया। हालांकि, ग्राम पंचायत रामगढ़ में केवल एक प्रशिक्षु से संपर्क किया जा सका और संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में उसका बयान दर्ज किया गया।

आरएसएलडीसी के आंकड़ों के अनुसार, प्रशिक्षु को जगदंबा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर द्वारा बीएडीपी के तहत 08 नवंबर 2016 से 27 फरवरी 2017 के दौरान इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया गया था। हालांकि, प्रशिक्षु ने बताया कि **उक्त अवधि के दौरान उसे ऐसा कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था,** और कि उसने जनवरी 2016 में जगदंबा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर से दो साल का आईटीआई कोर्स पहले से ही पूरा कर लिया था।

इस प्रकार, बीएडीपी के तहत ईएलएसटीपी के माध्यम से लाभान्वित होने वाले प्रशिक्षुओं की सूची में इस प्रशिक्षु का नाम शामिल करना गलत था।

आगे, आरएसएलडीसी को प्रशिक्षणों के लिए कुल ₹ 12.17 करोड़ (2016-17 से पहलेः ₹ 6.78 करोड़ तथा 2016-20 के दौरानः ₹ 5.39 करोड़) प्रदान किए गए थे, जिसके विरुद्ध आरएसएलडीसी द्वारा ₹ 10.86 करोड़ का व्यय किया गया था, विवरण **तालिका 10** में दिया गया है।

तालिका 10

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषदों से प्राप्त निधियाँ					उपयोग की गई निधियाँ (10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय सम्मिलित करते हुए)				
	बाड़मेर	बीकानेर	जैसलमेर	श्रीगंगानगर	कुल	बाड़मेर	बीकानेर	जैसलमेर	श्रीगंगानगर	कुल
2013-14	2.05	0.92	2.06	1.03	6.06	0.12	0.11	0.05	1.09	1.37
2014-15	-	-	-	-	-	0.09	0.01	0.05	0.45	0.60
2015-16	-	-	-	0.72	0.72	0.30	0.44	0.07	0.31	1.12
2016-17	-	-	-	-	-	0.26	0.28	0.25	1.13	1.92
2017-18	-	-	-	-	-	0.19	0.07	0.30	1.30	1.86
2018-19	-	-	-	-	-	0.48	0.28	0.43	1.39	2.58
2019-20	-	-	-	3.77	3.77	0.46	-	0.14	0.81	1.41
2020-21	-	-	-	1.62	1.62	-	-	-	-	-
कुल	**2.05**	**0.92**	**2.06**	**7.14**	**12.17**	**1.90**	**1.19**	**1.29**	**6.48**	**10.86**

स्रोतः आरएसएलडीसी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार
टिप्पणीः इसमें आरएसएलडीसी के पास शेष राशि पर अर्जित ब्याज का विवरण शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार के निर्देशों (अगस्त 2015) के अनुसार, बीएडीपी के तहत प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षणों के संबंध में प्रशासनिक शुल्क की अनुमति नहीं थी, तथापि, आरएसएलडीसी ने अनियमित रूप से 10 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क (₹ 0.99 करोड़) को प्रशिक्षणों पर किए गए ₹ 10.86 करोड़ के कुल व्यय में प्रभारित कर लिया।

इसके अतिरिक्त, आरएसएलडीसी के पास मार्च 2021 तक शेष पड़ी ₹ 1.31 करोड़ की बीएडीपी निधियों को बीएडीपी के नोडल खातों में वापस लाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, जिला परिषद के वार्षिक लेखों के अनुसार, आरएसएलडीसी के विरूद्ध ₹ 3.70 करोड़ की राशि वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी। आंकड़ों का पुनर्मिलान किए जाने की आवश्यकता है।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि अनियमित रूप से प्रशासनिक प्रभार भारित करने, अव्ययित निधियों, उपयोजित निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, अर्जित ब्याज आदि से सम्बंधित सूचनाएं आरएसएलडीसी से मांगी गयी हैं और इनकी प्राप्ति होने पर सूचित कर दिया जाएगा।

(ii) सीमावर्ती ब्लॉकों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण

सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से सीमावर्ती जिलों में 'क्षमता निर्माण और कौशल विकास' घटक के अंतर्गत जारी निधियों में से पुरुष व महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा के साथ प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण, प्रत्येक की अनुमानित लागत राशि ₹ 3.5 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी (अक्टूबर 2015)।

ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण केवल सीमावर्ती ब्लॉकों के भीतर किया जाना था और कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षु सीमावर्ती गांवों से होने चाहिए थे। भारत सरकार ने प्रशिक्षण केन्द्रों और छात्रावासों के लिए चार स्थानों अर्थात चौहटन (बाड़मेर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), जैसलमेर (जैसलमेर) और खाजूवाला (बीकानेर) को मंजूरी दी (जनवरी 2016)।

आगे, राजस्थान सरकार ने आरएसएलडीसी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कराने का निर्णय लिया (मार्च 2016)। तदनुसार, आरएसएलडीसी ने राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (रुडसिको) के साथ राशि ₹ 14.00 करोड़ का एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया (नवंबर 2016)। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कुल अनुमानित राशि का 25 प्रतिशत रुडसिको को अग्रिम के रूप में दिया जाना था।

उपलब्ध अवसंरचना का आंकलन करने के बाद, आरएसएलडीसी ने चौहटन (बाड़मेर) और रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में दो कौशल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण का निर्णय लिया (मई 2017)। तदनुसार, ग्रामीण विकास विभाग ने आरएसएलडीसी को ₹ 1.75 करोड़[23] की राशि जारी की, और आरएसएलडीसी ने ₹ 3.50 लाख के टीडीएस की कटौती के बाद, रुडसिको को ₹ 1.715 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी (अक्टूबर 2017)।

23 जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा रायसिंहनगर में निर्माण के लिए ₹ 87.50 लाख (कुल राशि का 25 प्रतिशत) भेजा गया (जुलाई 2017) और जिला परिषद बाड़मेर द्वारा चौहटन में निर्माण के लिए ₹ 87.50 लाख (कुल राशि का 25 प्रतिशत) भेजा गया (अगस्त 2017)।

रुडसिको ने, आरएसएलडीसी को प्रस्तावित केंद्रों का लेआउट प्लान अग्रेषित करते हुए सूचित किया (फरवरी 2018) कि प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण हेतु राशि ₹ 3.50 करोड़ के बजाय ₹ 5.80 करोड़ की आवश्यकता होगी। हालांकि, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रस्तावों को खारिज कर दिया (सितंबर 2018)। तब, आरएसएलडीसी ने रुडसिको को राशि वापस करने के लिए कहा (अक्टूबर 2018)। रुडसिको ने ड्राइंग डिजाइन व्यय के पेटे ₹ 0.91 लाख की राशि काटकर तथा आरएसएलडीसी के कार्यालय भवन के निर्माण एवं अन्य कार्यों के विरूद्ध ₹ 65.99 लाख की पुरानी बकाया को समायोजित करके आरएसएलडीसी को केवल ₹ 104.61 लाख लौटाए (जून 2019)।

इस प्रकार, ग्रामीण विकास विभाग एवं आरएसएलडीसी के मध्य आयोजना एवं समन्वय के अभाव में निधियों की उपलब्धता के बावजूद सीमावर्ती ब्लॉकों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण नहीं किया जा सका। इसके अलावा, ड्राइंग डिजाइन पर किया गया ₹ 0.91 लाख का व्यय निष्फल रहा और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आरएसएलडीसी के लिए निष्पादित किए गए कार्यों के लिए रुडसिको द्वारा रखी गई राशि ₹ 65.99 लाख की वसूली किए जाने की भी आवश्यकता है।

2.1.10.3 मानव संसाधन विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, ज्ञान/कौशल का आदान-प्रदान (यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम)

सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और खेल गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा/या क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत मानव संसाधन विकास के एक उपाय के रूप में शहरी क्षेत्रों से छात्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों के गाँवों में दौरे आयोजित करने पर राज्य सरकार से विचार करने का अनुरोध किया (फरवरी 2017)। शहरी क्षेत्रों से छात्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में इस तरह के दौरे और उन गांवों में कुछ दिनों के लिए उनके प्रवास से सीमावर्ती गांवों के युवाओं में, ज्ञान/तकनीकी कौशल को प्रदान करने/आदान-प्रदान के माध्यम से आत्मविश्वास पैदा होगा और छात्रों को सीमावर्ती क्षेत्रों के गाँवों में रहने वाले लोगों के निर्वाह दशा और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के बारे में ज्ञान भी मिलेगा।

(i) ***वर्ष 2017-18 के लिए-*** भारत सरकार द्वारा 'कौशल विकास' के अंतर्गत छात्र/यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए *राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद* के माध्यम से प्राप्त हुए ₹ 46.20 लाख (प्रत्येक बीएडीपी जिले के लिए ₹ 11.55 लाख) के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई (नवंबर 2017)। तदनुसार, जिला परिषद कार्यालयों द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) को निधियाँ[24] हस्तांतरित (फरवरी 2018) की गई। बदले में, रमसा ने उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजन के लिए ₹ 25.74 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की (फरवरी 2018)। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 33 जिलों से 9वीं से 11वीं कक्षा के 1,650 छात्रों (प्रत्येक जिले से 50 छात्र) को सीमावर्ती जिलों (श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर) के गांवों में दौरे (3 दिनों के प्रवास के साथ) के लिए चुना जाना था। प्रत्येक सीमावर्ती जिले में 150-200 छात्रों के एक समूह को दौरा करना था। यह देखा गया कि

- बाड़मेर जिले में, 450 छात्रों (9 जिलों से) के लक्ष्य के मुकाबले, केवल 365 छात्रों (आठ जिलों से) ने दौरा किया था (फरवरी 2018)।

24 जैसलमेर - ₹ 11.20 लाख, बाड़मेर - ₹ 11.20 लाख, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर - उपलब्ध नहीं है।

- जैसलमेर जिले में, रमसा द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 400 छात्रों (8 जिलों से) को सीमा क्षेत्र का दौरा (12-14 फरवरी 2018) करना था। हालाँकि, जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में आयोजित किए गए दौरों की स्थिति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

- श्रीगंगानगर और बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में आयोजित किए गए दौरों की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

- आगे, यह भी देखा गया कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया (मई 2018) कि 33 जिलों में से प्रत्येक से 50 छात्रों का चयन किया गया था और 2017-18 के दौरान इस उद्देश्य के लिए जारी किये धन का उपयोग करके सभी चार जिलों के सीमा क्षेत्र में एक दौरा (12-17 फरवरी 2018) आयोजित किया गया था। हालांकि, राजस्थान सरकार ने केवल ₹ 1.40 लाख की वित्तीय उपलब्धि दर्शायी है।

  इस मामले में भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार से तथ्यात्मक स्थिति मांगी गई थी (जून 2018)। राज्य सरकार ने आगे रमसा से स्पष्टीकरण मांगा। तथापि, आदिनांक तक (फरवरी 2022) रमसा द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

(ii) ***वर्ष 2018-19 के लिए,*** राजस्थान सरकार ने वार्षिक कार्य योजना के साथ छात्र/युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए ₹ 1.25 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे (मई 2018)। भारत सरकार द्वारा इसकी जांच की गई और निम्नलिखित टिप्पणियां की गईः-

- राजस्थान सरकार ने प्रस्तावों को 2018-19 की वार्षिक कार्य योजना के साथ अग्रेषित किया, हालांकि, उन्हें वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया था। आगे, राजस्थान सरकार ने दिशा-निर्देश, 2015 द्वारा निर्धारित अनुबंध IV-(क) के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था।

- चूंकि इस परियोजना को वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उस वर्ष के परियोजना/सत्र के लिए वित्त पोषण का प्लान स्रोत स्पष्ट नहीं है।

- राजस्थान सरकार द्वारा परियोजनाओं के संबंध में दोहराव न होने का अपेक्षित प्रमाण पत्र और सांसदों/पंचायती राज संस्थाओं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों की अनुपालना के लिए रमसा को लिखा था (जून 2018), हालांकि, भारत सरकार को भेजी गई अनुपालना अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, 2018-19 के लिए भेजे गए प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और 2018-19 के दौरान कोई छात्र/युवा आदान-प्रदान (यूथ एक्सचेंज) कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

(iii) ***वर्ष 2019-20 के लिए,*** रमसा ने राजस्थान सरकार को ₹ 1.42 करोड़ कीमत के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना, 2019-20 में सम्मिलित करने के लिए भेजे (फरवरी 2019)। उक्त प्रस्तावों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु जिलों को भेज दिया गया था (फरवरी 2019)। हालांकि इन प्रस्तावों को वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया था।

अभिलेखों में वर्ष 2020-21 हेतु कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि 2017-18 में आयोजित यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मांगा गया है।

2.1.10.4 मॉडल गांवों/स्मार्ट गांवों का विकास

सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बीएडीपी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल/स्मार्ट गांवों के विकास पर एक अवधारणा नोट अग्रेषित किया (फरवरी 2017)। बीएडीपी के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में मॉडल/स्मार्ट गांवों पर अवधारणा नोट के अनुच्छेद 6.1 के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में सतत आजीविका के लिए पर्याप्त मूलभूत अवसंरचना और सुविधाएं नहीं हैं। लोग बेहतर जीवन स्तर के अलावा रोजगार और आर्थिक गतिविधियों की तलाश में विकसित/विकासशील क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।

आगे, अवधारणा नोट के अनुच्छेद 7.1 और 7.2 में वर्णित है कि एक मॉडल/स्मार्ट गांव एक ऐसा गांव होगा जहां अपने निवासियों के साथ-साथ आसपास के गांवों के निवासियों के लिए आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मॉडल/स्मार्ट गांव एक अच्छी खासी आबादी वाला एक केन्द्रक गांव होगा और 5-10 किमी के दायरे में चार-पांच गांवों से घिरा हुआ होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएडीपी के तहत 2016-17 के दौरान तीन मॉडल गांव स्वीकृत किए गए थे। विवरण नीचे **तालिका 11** में दिया गया है:

तालिका 11

(₹ करोड़ में)

जिला	मॉडल/स्मार्ट गाँवों की संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या	व्यय	कार्य की स्थिति
बाड़मेर	1 (मिठडाऊ-चौहटन ब्लॉक)	3.00	13	2.76	पूर्ण -13
बीकानेर	1 (20BD खाजूवाला ब्लॉक)	3.00	23	2.26	पूर्ण -16, अपूर्ण -07
श्रीगंगानगर	1 (18P-अनूपगढ़ ब्लॉक)	3.00	18	2.96	पूर्ण -18

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

भौतिक सत्यापन के दौरान, उपरोक्त मॉडल गांवों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति और बीएडीपी के तहत निष्पादित कार्यों की नमूना जांच की गई (विवरण **परिशिष्ट** VII में दिया गया है)। यह देखा गया था कि उक्त मॉडल गांवों में सुविधाओं की उपलब्धता ठीक नहीं थी और सीमा क्षेत्र में मॉडल/स्मार्ट गांवों के विकास पर अवधारणा नोट में परिकल्पित सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि मॉडल गांवों में कार्यों का निष्पादन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था और संबंधित विभाग को सौंप दिया गया था। परिसंपत्ति फिर विभागीय निर्देशों के अनुसार उपयोग में ली जाती है। निरीक्षण के समय मॉडल गांवों में पाई गई कमियां संबंधित विभाग में स्टाफ/बजट की कमी के कारण हो सकती है, जिन्हें पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

2.1.10.5 कार्यों का निष्पादन

बीएडीपी के तहत 2016-21 के दौरान, ₹ 628.45 करोड़ राशि के कुल 4,130 कार्य[25] स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 31 मार्च 2021 तक 3,370 कार्य (81.60 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके थे, 183 कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए थे, 61 कार्य बंद कर दिए गए थे और 516 कार्य अपूर्ण थे।

कुल 4,130 कार्यों में से, चार चयनित खण्डों में निष्पादित 1,548 कार्यों (₹ 257.74 करोड़) को विस्तृत जाँच के लिए चुना गया था और विभिन्न सेक्टरों[26] के अंतर्गत 419 कार्यों (₹ 25.50 करोड़) का संयुक्त निरीक्षण के लिए चयन किया गया था। अभिलेखों की जाँच एवं लेखापरीक्षा और विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यों के संयुक्त निरीक्षण (जुलाई-दिसंबर 2021) में क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति, निष्क्रिय /अक्रियाशील परिसंपत्ति, वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जा रही परिसंपत्ति आदि के उदाहरण प्रकट हुए, जिनकी स्थिति नीचे **तालिका 12** में संक्षेपित है।

तालिका 12

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा टिप्पणी	दोषपूर्ण कार्यों की संख्या							कुल	
	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	शिक्षा	स्वास्थ्य	अवसंरचना I (सड़क,पुल आदि)	अवसंरचना II (सुरक्षित पेयजल आपूर्ति)	सामाजिक सेक्टर	खेल	कार्य	व्यय राशि
भौतिक सत्यापन में शामिल किए गए कार्यों की कुल संख्या	**(28)**	**(79)**	**(21)**	**(83)**	**(83)**	**(112)**	**(13)**	**(419)**	**(59.54)**
क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है	1	10	2	28	9	25	1	76	13.83
निष्क्रिय/अक्रियाशील परिसंपत्तियां	10	16	6	-	17	11	7	67	9.22
परिसंपत्तियां अभिप्रेत उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं की जा रही है/निजी उपयोग	-	6	3	-	-	20	-	29	2.28
अपूर्ण/अनुचित स्थान का चयन	2	5	1	9	1	4	-	22	2.47
विनिर्देश के अनुसार निर्माण नहीं होना/ दोषपूर्ण	-	2	-	8	3	6	-	19	3.80
अस्वीकार्य कार्य	2	-	-	-	1	7	-	10	1.69
मौके पर कार्य का नहीं पाया जाना	-	-	-	-	-	3	-	3	0.28
कुल	**15**	**39**	**12**	**45**	**31**	**76**	**8**	**226**	**33.57**

सेक्टर वार, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) शिक्षा सेक्टर के अंतर्गत निष्पादित कार्य

इस सेक्टर में शिक्षण एवं अन्य कर्मचारियों के लिए आवास, विद्यालयों में कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, चारदीवारी आदि के निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, शिक्षा सेक्टर के अंतर्गत निर्मित कुल 39 परिसंपत्तियों (79 में से) में विभिन्न कमियां जैसे क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां (10 मामलों में), अक्रियाशील परिसंपत्तियां

25 जिला परिषदः बाड़मेर- ₹ 126.60 करोड़ के 633 कार्य, बीकानेर- ₹ 115.96 करोड़ के 592 कार्य, जैसलमेर- ₹ 239.12 करोड़ के 1,324 कार्य और श्रीगंगानगर- ₹ 146.77 करोड़ के 1,581 कार्य।

26 (i) शिक्षा (ii) स्वास्थ्य (iii) कृषि और संबद्ध सेवाएं (iv) अवसंरचना I और II (v) सामाजिक सेक्टर और (vi) खेल गतिविधियां (vii) विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं।

(16 मामलों में), अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना (6 मामलों में), अपूर्ण/अनुचित स्थान का चयन (5 मामलों में), विनिर्देश के अनुसार निर्माण नहीं होना/दोषपूर्ण (2 मामलों में) पायी गई। (विवरण **परिशिष्ट** VIII में दिया गया है)।

दृष्टान्त मामले निम्नानुसार दिए गए हैं:

- ***निष्क्रिय कंप्यूटर कक्ष:*** बीएडीपी के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायमला में कंप्यूटर कक्ष का निर्माण स्वीकृत (दिसंबर 2017) किया गया था और 2018-19 में पूरा किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक कम्प्यूटर कक्ष, एक आर्ट्स एवं क्राफ्ट कक्ष तथा एक पुस्तकालय कक्ष का भी निर्माण किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत निर्मित कंप्यूटर कक्ष निष्क्रिय पड़ा होना पाया गया था। इस प्रकार, वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना कार्य का दोहराव किया गया।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमला, ग्राम पंचायत रायमला, पंचायत समिति सम, जिला परिषद जैसलमेर में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण, (कार्य आईडीः 2017-18/18779) (समापनः सितम्बर 2018) भौतिक सत्यापन की तिथि 14.09.2021

- ***विद्यालय कार्यशील नहीं थाः*** ग्राम पंचायत हरनाऊ, जैसलमेर में सरकारी स्कूल में बीएडीपी के तहत एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया गया। यह देखा गया कि स्कूल में कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं था और पुराना भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में विद्यालय कार्यशील नहीं था। इस प्रकार, निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुरार, ग्राम पंचायत हरनाऊ, पंचायत समिति सम, जिला परिषद जैसलमेर (कार्य आईडीः 2018-19/29557) (समापनः सितम्बर 2019)। भौतिक सत्यापन की तिथि **05.10.2021**

- ***क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां:*** राजकीय विद्यालय, ग्राम पंचायत 17 केवाईडी, बीकानेर, में बीएडीपी के तहत एक शिक्षक आवास का निर्माण किया गया था, तथापि, उसका फर्श टूटा हुआ पाया गया तथा रैंप पर एक उच्च ढलान पाया गया जो कि खतरनाक था।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 12 केवाईडी, ग्राम पंचायतः 17 केवाईडी, पंचायत समितिः खाजूवाला, जिला परिषदः बीकानेर में शिक्षक आवास का निर्माण (कार्य आईडीः 2016-17/19995) (समापनः जुलाई 2018)। भौतिक सत्यापन 31.08.2021 से 06.09.2021 के दौरान

- ***अनुचित आयोजना के कारण निष्फल व्ययः*** राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति ने बीएडीपी के तहत आवासीय विद्यालय (छात्र), आवासीय विद्यालय (छात्रा), पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के भवनों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी (अप्रैल 2010 और जून-दिसंबर 2012)। सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय , भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के बाद जिला परिषद (ग्राविप्र), बाड़मेर द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए राशि ₹ 36.15 करोड़[27] की वित्तीय स्वीकृतियां (नवंबर 2011 से जनवरी 2021) चरणों में जारी की गई थी। इन कार्यों के लिए ग्राम पंचायत जयसिंधर स्टेशन को कार्यकारी संस्था बनाया गया था। अक्टूबर 2021 तक इन कार्यों पर राशि ₹ 29.69 करोड़[28] व्यय की जा चुकी थी।

जिला परिषद (ग्राविप्र), बाड़मेर के अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि बाड़मेर एवं बालोतरा के मौजूदा छह पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कम नामांकन के कारण निदेशक, तकनीकी शिक्षा जयसिंधर स्टेशन में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के निर्माण के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे (जून 2011)। इसके बावजूद, जयसिंधर स्टेशन पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को प्रस्तुत किया गया था और राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति ने इसे मंजूरी दी।

आगे, जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने क्षेत्र के दौरे (मार्च 2015) के दौरान, कार्य स्थलों का रेत के टीलों से ढके हुए होने और अच्छी पहुंच की अनुपलब्धता के मद्देनजर चार कार्यों को सार्थक नहीं पाया और इसलिए उन पर होने वाले व्यय को निष्फल होने से बचाने के लिए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के साथ-साथ आईटीआई भवन के निर्माण कार्यों को रोकने की एवं आवासीय विद्यालय (छात्र) एवं आवासीय विद्यालय (छात्रा) के निर्माण कार्यों को चालू रखने की सिफारिश की।

27 आवासीय विद्यालय (छात्र) एवं आवासीय विद्यालय (छात्रा): ₹ 32.25 करोड़, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयः ₹ 2.75 करोड़ और आईटीआईः ₹ 1.15 करोड़।

28 आवासीय विद्यालय (छात्र) एवं आवासीय विद्यालय (छात्रा): ₹ 27.87 करोड़, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयः ₹ 1.17 करोड़ और आईटीआईः ₹ 0.65 करोड़।

अन्ततः इन कार्यों की लागत बढ़कर राशि ₹ 39 करोड़ हो गई । अतः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने चार कार्यों हेतु ₹ 39 करोड़ की बड़ी राशि एक ही स्थान पर खर्च करना उचित नहीं समझा, और जिला कलेक्टर को आवासीय विद्यालय (छात्र), पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और आईटीआई भवन के निर्माण कार्यों को स्थगित करने एवं आवासीय विद्यालय (छात्रा) का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश जारी किया (सितंबर 2015) । तदनुसार, उपरोक्त तीन कार्यों को सितंबर 2015 में रोक दिया गया था । तथापि, सचिव द्वारा आवासीय विद्यालय (छात्र) एवं आवासीय विद्यालय (छात्रा) के कार्य को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए (दिसंबर 2015)।

21 अक्टूबर 2021 तक जयसिंधर स्टेशन पर पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भवन का अपूर्ण कार्य

21 अक्टूबर 2021 तक जयसिंधर स्टेशन पर अपूर्ण आईटीआई भवन

21 अक्टूबर 2021 तक निष्क्रिय और अपूर्ण छात्रावास भवन (छात्र)

21 अक्टूबर 2021 तक अपूर्ण विद्यालय भवन (छात्र)

निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जिला कलेक्टर, बाड़मेर और सचिव, ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण/ की गई कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त कार्यों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, आधारभूत सर्वेक्षण और आयोजना ठीक प्रकार से नहीं की गई थी । इसके अलावा, वास्तविक जरूरत का आंकलन किए बिना पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भवन का निर्माण शुरू किया गया । परिणामतः पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं आईटीआई के भवनों का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया तथा भवनों पर किया गया व्यय राशि ₹ 1.82 करोड़ निष्फल सिद्ध हुआ ।

10 वर्ष बीत जाने और भारी निवेश के बाद भी आवासीय विद्यालय (छात्र) का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया (अक्टूबर 2021) और अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सका । आवासीय विद्यालय (छात्रा) का निर्माण पूर्ण कर दिया गया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता

विभाग (एसजेईडी) के अंतर्गत राजस्थान आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी (आरआरईआईएस) को सौंप दिया गया (सितंबर 2021)।

इस प्रकार, आवासीय विद्यालय (छात्र) एवं आवासीय विद्यालय (छात्रा) पर राशि ₹ 27.87 करोड़ का भारी व्यय होने के बावजूद, आवासीय विद्यालय (छात्र) अपूर्ण था एवं आवासीय विद्यालय (छात्रा) पूर्ण होने के पश्चात् भी नवंबर 2021 तक कार्यशील नहीं था। आरआरईआईएस ने अवगत कराया कि आवासीय विद्यालय (छात्रा) के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियाधीन था (दिसंबर 2021)।

सचिव, ग्राविवि ने अवगत कराया (सितंबर 2021) कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और आईटीआई भवनों के निर्माण को एक सुरक्षित स्तर पर रोक दिया गया था क्योंकि उक्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए राशि ₹ 39.00 करोड़ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी। तथापि निर्मित संरचना का उपयोग भविष्य में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

प्रत्युत्तर लेखापरीक्षा के इस आक्षेप की पुष्टि करता है कि विभाग की कमजोर आयोजना एवं बाद में विभाग के स्तर पर अप्रभावी निगरानी के कारण, इन कार्यों की पूर्णता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा समापन बैठक (मार्च 2022) में, सचिव ग्राविवि ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और अवगत कराया कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और आईटीआई भवनों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से संशोधित किया जाएगा एवं विभाग अन्य योजनाओं/विभागों के लिए भवन को उपयोगी बनाने हेतु प्रयास करेगा।

(ii) स्वास्थ्य सेक्टर के अंतर्गत निष्पादित कार्य

इस सेक्टर में चिकित्सकों और पैरामेडिक्स के लिए आवास निर्माण, भवन, चिकित्सा उपकरण, चल औषधालय/रोगी वाहन और चारदीवारी आदि से संबंधित कार्य शामिल हैं।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, स्वास्थ्य सेक्टर के तहत निर्मित 12 परिसंपत्तियों (21 में से) के प्रकरणों में विभिन्न कमियां जैसे क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ (2 प्रकरणों में), निष्क्रिय/अक्रियाशील/अलाभकारी परिसंपत्ति होना (6 प्रकरणों में), अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना (3 प्रकरणों में), अपूर्ण/अनुचित स्थान का चयन (1 प्रकरण में) पाई गई थी। (विवरण ***परिशिष्ट IX*** में दिया गया है)।

दृष्टान्त मामले निम्नानुसार है :

- ***अभिप्रेत उद्देश्य के लिए परिसंपत्ति का उपयोग नहीं किया जाना:*** बीएडीपी के तहत ग्राम पंचायत म्याजलार में निर्मित प्रसूति कक्ष का उपयोग भंडार कक्ष के रूप में किया जा रहा था। आगे, प्रसूति कक्ष के सामने कोई सीढ़ी/रैंप निर्मित नहीं थी। अप्रयुक्त निर्माण सामग्री भी प्रसूति कक्ष के सामने रखी हुई थी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र म्याजलार, ग्राम पंचायत म्याजलार, पंचायत समिति सम, जिला परिषद - जैसलमेर में प्रसूति कक्ष का निर्माण (कार्य आईडीः 2016-17/14871) (समापनः जुलाई 2017)। भौतिक सत्यापन की तिथि- 28 और 29.09.2021

इसी प्रकार, ग्राम पंचायत शाहगढ़ में बीएडीपी के अंतर्गत निर्मित दो मिनी वॉर्ड, एक शीत कक्ष, स्टाफ़ कार्यालय और चिकित्सा अधिकारी का कक्ष मय शौचालय का उपयोग चिकित्सालय के लिए नहीं किया जा रहा था। चिकित्सालय में कोई चिकित्सक/चिकित्साकर्मी नियुक्त नहीं था। इसके बजाय, परिसंपत्ति, सेनाकर्मियों द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में ली जा रही थी।

दो मिनी वॉर्ड, एक शीत कक्ष, स्टाफ़ कार्यालय एवं चिकित्सा अधिकारी कक्ष मय शौचालय का निर्माणः घोटारू, ग्राम पंचायत शाहगढ़, पंचायत समिति सम, जिला परिषद जैसलमेर (कार्य आईडीः 2017-18/13281) (समापनः नवम्बर 2018)। भौतिक सत्यापन की तिथि- 23.09.2021

- ***निष्क्रिय परिसंपत्तियां:*** बीएडीपी के तहत ग्राम पंचायत 27-ए में निर्मित 10 बेड का वातानुकूलित चिकित्सालय अक्रियाशील/निष्क्रिय पड़ा था क्योंकि यह रखरखाव के अभाव के कारण बंद था।

ग्राम- 27 ए, बीओपी कैलाश के पास, ग्राम पंचायत 27-ए, पंचायत समिति अनूपगढ़, जिला परिषद श्रीगंगानगर में 10 बेड वाले वातानुकूलित चिकित्सालय का निर्माण (कार्य आईडीः 2019-20/333) (समापनः मार्च 2021)। भौतिक सत्यापन की तिथि- 23.09.2021

इसी प्रकार, ग्राम पंचायत 20 बीडी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन मय एएनएम क्वार्टर और प्रसूति गृह का उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि फर्श धूल/गंदगी से ढका हुआ था और रखरखाव किया जाना, दृष्टिगत नहीं हो रहा था।

उप स्वास्थ्य केन्द्र मय एएनएम क्वार्टर एवं प्रसूति गृह का निर्माण, ग्राम पंचायत 20 बीडी, पंचायत समितिः खाजूवाला, जिला परिषदः बीकानेर (समापनः अगस्त 2018)। भौतिक सत्यापन 31.08.2021 से 06.09.2021 के दौरान।

(iii) कृषि और संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत निष्पादित कार्य

इस सेक्टर में पशु चिकित्सा सहायता केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और प्रजनन केंद्र, सामाजिक वानिकी, सिंचाई तटबंधों का निर्माण, पशुपालन आदि से संबंधित कार्य शामिल हैं।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, कृषि और संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत निर्मित 15 परिसम्पत्तियों (28 में से) के प्रकरणों में विभिन्न कमियां जैसे निष्क्रिय/अक्रियाशील/अलाभकारी परिसंपत्तियाँ (10 प्रकरणों में), अपूर्ण/अनुचित स्थान का चयन (2 प्रकरणों में), अस्वीकार्य कार्य (2 प्रकरणों में) और क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति (1 प्रकरण में) पाई गईं थीं। (विवरण **परिशिष्ट** X में दिया गया है)।

दृष्टान्त मामले निम्नानुसार है :

- ***निष्क्रिय/अक्रियाशील परिसंपत्तियां:*** बीएडीपी के अंतर्गत, पशु चिकित्सालय, म्याजलार (जिला परिषदः जैसलमेर) में पशु चिकित्सक और कर्मचारियों के लिए निर्मित एक आवासीय गृह खाली पड़ा था, इसका निर्माण पूर्ण होने के बाद से ही उपयोग में नहीं लिया गया था।

पशु चिकित्सालय म्याजलार, ग्राम पंचायतः म्याजलार, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर में पशु चिकित्सक और कर्मचारियों के लिए आवासीय गृह का निर्माण (कार्य आईडीः 2018-19/778) (समापनः अप्रैल 2020)। भौतिक सत्यापन की तिथि- 28-29.09.2021

इसी प्रकार, बीएडीपी के तहत ग्राम पंचायतः 2 केएलडी (जिला परिषद : बीकानेर) में बनाया गया एक पशु उप केन्द्र उपयोग में नहीं लेना पाया गया। विद्युत कनेक्शन भी नहीं कराया गया था।

पशु उप केंद्र का निर्माण, ग्राम पंचायतः 2 केएलडी, पंचायत समितिः खाजूवाला, जिला परिषदः बीकानेर (कार्य आईडीः 2016-17/12889) (समापनः जुलाई 2019)। भौतिक सत्यापन 31.08.2021 से 06.09.2021 के दौरान।

विद्युत कनेक्शन स्थापित नहीं किया गया और भवन उपयोग में नहीं आ रहा था।

- ***निष्फल व्ययः*** वर्ष 2015 के दौरान ग्राम पंचायत धनाना (जिला परिषद जैसलमेर) में वन विभाग (बीएडीपी के अंतर्गत एक कार्यान्वयन संस्था) द्वारा जल मार्गों के साथ-साथ 20 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया था। पौधों का रखरखाव सितंबर 2019 तक किया गया था। इसके बाद से पौधों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। रखरखाव के अभाव में अधिकांश पौधे जीवित नहीं रहे।

जलमार्ग वृक्षारोपण, 7 डीएनडी धनाना, ग्राम पंचायतः धनाना, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2016-17/16100) (समापनः अप्रैल 2017)। भौतिक सत्यापन की तिथि 04.10.2021 **रखरखाव के अभाव में अधिकांश पौधे जीवित नहीं रहे ।**

(iv) अवसंरचना सेक्टर के अंतर्गत निष्पादित कार्य

इस सेक्टर में अवसंरचना- प्रथम श्रेणी के अंतर्गत सड़क, संपर्क सड़क, पुल, पुलिया, पैदल पुल, फुटपाथ, रास्ते, रोपवे, सीढ़ियां/चिनाई वाली सीढियाँ और हेलीपैड के निर्माण से संबंधित कार्य और अवसंरचना- द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्य शामिल हैं ।

(अ) अवसंरचना - प्रथम

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, इस सेक्टर के तहत निर्मित 83 परिसंपत्तियों में से 28 परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त पाई गईं और इसलिए उनकी मरम्मत की आवश्यकता थी । अन्य कमियां जैसे अपूर्ण परिसंपत्ति/उनके लिए अनुचित स्थान का चयन (9 प्रकरणों में) और विनिर्देशों के अनुसार निर्माण नहीं होना/दोषपूर्ण निर्माण (8 प्रकरणों में) भी देखी गई थीं । (विवरण **परिशिष्ट** XI में दिया गया है) ।

दृष्टान्त मामले निम्नानुसार है :

- ***क्षतिग्रस्त सड़कें:*** यह देखा गया कि बीएडीपी के तहत निर्मित दो बिटुमिनस सड़कों का ठीक प्रकार से रखरखाव नहीं किया जा रहा था और उनमें गड्ढे थे, विभिन्न अंतरालों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, शोल्डर टूट गए थे और पुलियाओं का निर्माण नहीं किया गया था ।

राघवा से कालरा कुवा की ढाणी तक 3 किमी बिटुमिनस सड़क का निर्माण, ग्राम पंचायत राघवा, पंचायत समिति सम, जिला परिषद जैसलमेर (कार्य आईडीः 2016-17/14849) (समापनः नवम्बर 2018)। भौतिक सत्यापन की तिथि 14.09.2021
सड़क क्षतिग्रस्त (गड्ढे) स्थिति में पाई गई क्योंकि रखरखाव नहीं किया जा रहा था ।

गोहरका ताला से भूरोमल की ढाणी तक बिटुमिनस का निर्माण, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति चौहटन, जिला परिषद बाड़मेर (कार्य आईडीः 2016-17/16713) (समापनः जनवरी 2018)। भौतिक सत्यापन की तिथि 18.10.2021.

विभिन्न स्थानों पर सड़क और शोल्डर क्षतिग्रस्त पाए गए ।

इसी तरह, बीएडीपी के तहत निर्मित सीसी सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाई गई थीं, कंक्रीट उखड़ गई थी और विस्तार जोड़ (एक्सपेंशन ज्वाइंट) नहीं दिए गए थे। भौतिक सत्यापन में बीएडीपी के तहत ग्राम पंचायत 12 एच (जिला परिषदः श्रीगंगानगर) में निर्मित एक खरंजा सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई थी।

एच-माइनर से आबादी हिशामकी तक खरंजा रोड़ का निर्माण, 11 एच, ग्राम पंचायतः 12 एच, पंचायत समिति अनूपगढ़, जिला परिषद श्रीगंगानगर (कार्य आईडीः 2017-18/25139) (समापनः जुलाई 2018)। भौतिक सत्यापन 17.09.2021 से 24.09.2021 के दौरान।

खरंजा सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई ।

- ***विनिर्देशों के अनुसार निर्माण नहीं होना :*** माप पुस्तिका के अभिलेखों के अनुसार, एक 2.0 किमी बिटुमिनस सड़क का निर्माण राशि ₹ 1.46 लाख के आठ पुलियाओं/पुलों सहित किया गया था। हालांकि, कार्य स्थल पर एक पुलिया के साथ केवल 1.4 किमी सड़क का निर्माण किया जाना पाया गया था। सड़क क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी और शोल्डर्स टूट गए थे। इस तथ्य

के बावजूद कि सड़क दोष दायित्व अवधि (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड)[29] के अधीन थी, सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई थी ।

बिटुमिनस रोड़ का निर्माण, चक नंबर 10 केएसआर, मुरबा नंबर 188/01, लीलावती की ढाणी तक, ग्राम पंचायतः रायमला, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2018-19/29312) (समापनः जून 2020) । भौतिक सत्यापन की तिथि 14.09.2021

सड़क क्षतिग्रस्त स्थिति में पाई गई थी और शोल्डर्स टूट गए थे जबकि सड़क दोष दायित्व अवधि के अधीन थी ।

(ब) अवसंरचना- द्वितीय (सुरक्षित पेयजल आपूर्ति)

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, इस सेक्टर के तहत निर्मित 83 परिसंपत्तियों में से 9 परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त पाई गईं थीं और इसलिए उनकी मरम्मत की आवश्यकता थी । अन्य, 17 परिसम्पत्तियां निष्क्रिय/अक्रियाशील पाई गईं थी जबकि 3 मामलों में निर्माण दोषपूर्ण अथवा विनिर्देश के अनुसार नहीं पाया गया था । अस्वीकार्य कार्य (1 कार्य) और अपूर्ण/अनुचित स्थल का चयन (1 कार्य) के मामले भी देखे गए थे । (विवरण **परिशिष्ट** XII में दिया गया है)

दृष्टान्त मामले निम्न प्रकार है :

- ***अनुपचारित जल जलाशय का निर्माण विनिर्देश के अनुसार नहीं होना :*** अनुपचारित जल की भंडारण सुविधा के निर्माण के मामले में, खराब निर्माण के कारण जलाशय को भरा नहीं जा सका क्योंकि इसे जलरोधक नहीं बनाया जा सका और रिसाव के माध्यम से पानी को भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया गया था । विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण पानी का पंप भी क्रियाशील नहीं था । अनुपचारित जल भंडारण जलाशय तक पहुंचने के लिए किसी संपर्क मार्ग का निर्माण नहीं किया गया था । इस प्रकार, बीएडीपी के तहत सृजित परिसंपत्ति की गुणवत्ता अवमानक स्तर की थी ।

29 संवेदक एक निश्चित अवधि (अनुबंध में विनिर्दिष्ट) के लिए परिसंपत्ति की पूर्णता और सौंपने के बाद परिसंपत्ति में पाए जाने वाले किसी भी दोष और क्षति को ठीक करने के लिए जिम्मेदार होता है, इस अवधि को दोष दायित्व अवधि के रूप में जाना जाता है ।

सागर मल गोपा नहर 190 आरडी पर 50 दिनों के अनुपचारित जल हेतु जलाशय का निर्माण और उसको चालू करना, ग्राम पंचायतः तेजपाला, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2019-20/8747) (समापनः जनवरी 2021)। भौतिक सत्यापन की तिथि-21.09.2021
अनुपचारित जल जलाशय का निर्माण विनिर्देश के अनुसार नहीं होना ।

- ***अक्रियाशील संपत्तिः*** क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना (आरडब्ल्यूएसएस) 4 एमएसआर से 24-ए जीएलआर, ग्राम पंचायतः 27ए, जिला परिषदः श्रीगंगानगर में 90 मिमी आकार की उच्च घनत्व पॉलिएथिलीन (एचडीपीई) पाइपलाइन की आपूर्ति, बिछाने और जोड़ने का कार्य बीएडीपी के अंतर्गत किया गया था जो कि श्मशान में पानी की आपूर्ति मोड़ने की वजह से बीच में बाधित पाया गया था। परिणामस्वरूप, भूस्तरीय जलाशय (जीएलआर) को पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकी, इस प्रकार, परिसम्पत्ति अक्रियाशील रही ।

आरडब्ल्यूएसएस 4 एमएसआर से 24-ए जीएलआर में 90 मिमी आकार की एचडीपीई पाइपलाइन की आपूर्ति, बिछाना और जोड़ना, ग्राम पंचायतः 27 ए, पंचायत समितिः अनूपगढ़, जिला परिषदः श्रीगंगानगर (कार्य आईडीः 2019-20/9539) (समापनः सितम्बर 2020)। भौतिक सत्यापन की तिथि 23.09.2021 : **जीएलआर में पानी की आपूर्ति नहीं थी क्योंकि एक श्मशान में पानी की आपूर्ति मोड़ने की वजह से आपूर्ति बीच में बाधित थी ।**

- ***क्षतिग्रस्त कार्यः*** 4 डीटीएम शाहगढ़ और भकरे की ढाणी, ग्राम पंचायतः बांधा (जिला परिषद जैसलमेर) में निर्मित पानी की डिग्गियां दोषपूर्ण और क्षतिग्रस्त पाई गईं थी। ऐसे में खराब निर्माण के कारण पानी का भण्डारण नहीं किया जा सका। ये कार्य ग्राम पंचायत शाहगढ़ के लिए स्वीकृत किये गये थे जबकि वास्तविक कार्य ग्राम पंचायत बांधा में पूर्ण किये गये जो कि "शून्य" रेखा प्रथम बसावट से 50 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित था।

4 डीटीएम शाहगढ़ में डिग्गी का निर्माण, ग्राम पंचायतः बांधा, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2017-18/22711) (समापनः अक्टूबर 2019) । भौतिक सत्यापन की तिथि 23.09.2021, **4 डीटीएम पर निर्मित डिग्गी क्षतिग्रस्त पाई गई थी ।**	**भकरे की ढाणी में बनी डिग्गी क्षतिग्रस्त पाई गई थी । साथ ही नहर का निकास डिग्गी की ओर उच्च स्तर पर था, जिसके कारण डिग्गी तक पानी ठीक से नहीं पहुंच पाता था ।**

इसके अलावा, भवरू भील की ढाणी और पुंजाराम भील की ढाणी में निर्मित दो भूस्तरीय जलाशयों (जीएलआर) से रिसाव हो रहा था और बिछाई गई जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन इसकी स्थापना के समय से ही क्रियाशील नहीं थी ।

भवरू भील की ढाणी, पुंजाराम भील की ढाणी में भूस्तरीय जलाशय (जीएलआर) और पाइपलाइन का निर्माण। (समापनः अक्टूबर 2019) **जीएलआर अक्रियाशील होना पाया गया** ।

(v) सामाजिक सेक्टर के अंतर्गत निष्पादित कार्य

इस सेक्टर में सामुदायिक केंद्रों, सांस्कृतिक केंद्रों, आंगनवाड़ी, क्षमता निर्माण/कौशल विकास/रोजगार सृजन सहित पर्यटन और आतिथ्य, ग्रामीण स्वच्छता/स्वच्छ भारत अभियान और शौचालयों के निर्माण आदि से संबंधित कार्य शामिल हैं ।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, इस सेक्टर के तहत निर्मित 112 परिसंपत्तियों में से 25 परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त पाई गईं थी और उनकी मरम्मत की आवश्यकता थी । 11 परिसंपत्तियां अक्रियाशील पाई गईं थी और 20 परिसंपत्तियों का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था । अन्य कमियां जैसे अपूर्ण/परिसंपत्ति के लिए अनुचित स्थल का चयन (4 मामलों में), निर्माण विनिर्देश के अनुसार नहीं होना /दोषपूर्ण (6 मामलों में) और अस्वीकार्य कार्य (7 मामलों में) भी देखी गई थी। यहां तक कि तीन परिसम्पत्तियां, जिनके निर्माण का दावा किया गया

था, मौके पर मौजूद नहीं मिली । (76 परिसम्पत्तियों में ऐसी कमियों का विवरण **परिशिष्ट** XIII में दिया गया है) ।

दृष्टान्त मामलों पर चर्चा निम्नानुसार की गई है:

- ***परिसम्पत्तियों का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था:*** बीएडीपी के तहत बनाए गए सामुदायिक केंद्रों का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था और ऐसे मामले देखे गए जिनमें सामुदायिक केंद्रों का उपयोग निजी उपयोग के लिए किया जा रहा था ।

सामुदायिक भवन का निर्माण हरनाऊ, ग्राम पंचायतः हरनाऊ, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2017-18/31656) । (समापनः नवम्बर 2018) भौतिक सत्यापन की तिथि-05.10.2021 **सामुदायिक भवन ख़राब स्थिति में था और इसका उपयोग अभीष्ट सामुदायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, यह परित्यक्त पड़ा हुआ था । आस-पास के स्थानों में बीएडीपी के तहत निर्मित किये गए कई सामुदायिक भवन थे ।**

इसी प्रकार, बीएडीपी के तहत रेवंतसिंह/दीपसिंह का वास में निर्मित एक अन्य सामुदायिक भवन, का उपयोग निजी उद्देश्य अर्थात स्वयं के व्यवसाय के लिए फ्रीजर स्थापित करके दूध संग्रहण भंडार के रूप में किया जा रहा था । इसके अतिरिक्त सामुदायिक भवन को एक व्यक्ति के बगल के मकान में मिलाकर अतिक्रमण कर लिया गया था ।

सामुदायिक भवन का निर्माण रेवंतसिंह/दीपसिंह का वास पोचीना, ग्राम पंचायतः पोचीना, पंचायत समितिः सम, जिला परिषद जैसलमेर (कार्य आईडीः 2017-18/31497) (समापनः दिसम्बर 2019) । भौतिक सत्यापन की तिथि 29.09.2021: **सामुदायिक भवन को फ्रीजर लगाकर दूध संग्रहण भंडार के रूप में उपयोग किया जा रहा था ।**

जिला परिषद बीकानेर में एक आंगनबाडी भवन का पानी की टंकी, शौचालय एवं चारदीवारी सहित निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग निजी उद्देश्य के लिए किया जा रहा था ।

आंगनबाडी भवन मय पानी की टंकी, शौचालय एवं चारदीवारी का निर्माण, 7 केएलडी, ग्राम पंचायतः कुंडल, पंचायत समितिः खाजूवाला, जिला परिषदः बीकानेर (कार्य आईडीः 2016-17/12946) (समापनः अगस्त 2018)

भौतिक सत्यापन 31.08.2021 से 06.09.2021 के दौरान निर्मित भवन का उपयोग निजी उद्देश्य के लिए किया जा रहा था । भवन में दरारें भी देखी गईं थी ।

- ***अपूर्ण परिसम्पत्तिः*** बीएडीपी के तहत निर्मित शौचालय अक्रियाशील/अपूर्ण पाए गए थे ।

लोंगेवाला में छह छह शौचालयों के दो सेटों का निर्माण, ग्राम पंचायतः नेतसी, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2019-20/1974) (समापनः मार्च 2021) । भौतिक सत्यापन की तिथि 21.09.2021

2 शौचालय सेट के प्रावधान के विरूद्ध, 3 शौचालय सेट का निर्माण किया गया । जिनमें से एक अपूर्ण और एक अक्रियाशील था । सिर्फ छह शौचालयों का एक सेट क्रियाशील पाया गया था ।

- ***अक्रियाशील/निष्क्रिय परिसंपत्तियांः*** जिला परिषद जैसलमेर में करण सिंह की ढाणी पर व्यक्तिगत आवासों तक विद्युत आपूर्ति लाइन (11 केवी एचटी लाइन और एलटी लाइन) बिछाकर विद्युत आपूर्ति लाइनें स्थापित की गई थी, हालांकि, घरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था । लाभार्थी की जरूरतों का आंकलन किए बिना ही विद्युत पोल स्थापित कर दिए गए थे ।

करण सिंह की ढाणी का विद्युतीकरण 3 आरवाईएम 129/61 रायमला 3 फेज, ग्राम पंचायतः रायमला, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2018-19/1609) (समापनः अप्रैल 2018)। भौतिक सत्यापन की तिथि 14.09.2021

11 केवी लाइन और एलटी लाइन स्थापित की गई थी और एलटी लाइन एवं पोल खुली भूमि में स्थापित किए गए जहां किसी भी लाभार्थी के घर का निर्माण नहीं किया गया था । हालाँकि, ना तो ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया था और ना ही विद्युत कनेक्शन दिया/ क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा आवेदित किया गया था ।

इसी प्रकार, ओनाड सिंह की ढाणी के एक कच्चे घर तक 7 किलोमीटर लम्बी तीन फेज की विद्युत एलटी लाइन बीएडीपी के तहत स्थापित की गई थी, हालांकि, कोई ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया गया था और इस लाइन के माध्यम से किसी भी घर का विद्युतीकरण नहीं किया गया था। इस प्रकार, परिसंपत्ति निष्क्रिय/अक्रियाशील रही ।

ओनाड सिंह की ढाणी का विद्युतीकरण, 3 पीएच 7 किमी, पोचीना, ग्राम पंचायतः पोचीना, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2018-19/29436) (समापनः सितम्बर 2020)।

भौतिक सत्यापन की तिथि 29.09.2021, ओनाड सिंह की ढाणी के एक कच्चे घर तक 7 किलोमीटर लंबी तीन फेज विद्युत लाइन और एलटी लाइन बिछाई गई थी । उक्त कार्य के अंतर्गत ना तो ट्रांसफार्मर लगाया गया और ना ही किसी घर का विद्युतीकरण किया गया ।

- ***अस्वीकार्य कार्यः*** बीएडीपी दिशा-निर्देश 2015 के अनुलग्नक II के अनुसार, व्यक्तिगत लाभ का कोई भी कार्य/स्कीम (जैसे निजी बस्तियों, निजी कृषि भूमि में स्थापित डेरा और ढाणी, फार्म हाउस इत्यादि के लिए सड़कें) अस्वीकार्य थे । आगे, बीएडीपी दिशा-निर्देश 2020 के

अनुच्छेद 4.11 के अनुसार, बीएडीपी के तहत सृजित सभी परिसंपत्तियां राज्य सरकार की संपत्ति होंगी । बीएडीपी के अंतर्गत कोई भी परिसंपत्ति केवल सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर ही बनाई जा सकती है । तथापि, भोजनशाला और सामुदायिक विश्राम गृह, धार्मिक परिसरों में बनाए गए थे, जो बीएडीपी के अंतर्गत अनुमत नहीं थे ।

स्याला मठ (एक धार्मिक स्थान) में भोजनशाला का निर्माण ग्राम पंचायतः म्याजलार, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2019-20/1842) (समापनः जून 2020) ।
भौतिक सत्यापन की तिथि 28 और 29.09.2021

स्याला मठ (एक धार्मिक स्थान) में सामुदायिक विश्राम गृह मय सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण ग्राम पंचायतः म्याजलार, पंचायत सिमिति सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2019-20/1910) (समापनः जून 2020) ।
भौतिक सत्यापन की तिथि 28 और 29.09.2021

इसी प्रकार, स्वांगियां मंदिर पंचायत समितिः सम (जिला परिषद जैसलमेर) में निर्मित चारदीवारी और सत्संग भवन भी बीएडीपी के अंतर्गत अनुमत नहीं थे ।

चारदीवारी और सत्संग भवन, स्वांगियां मंदिर, ग्राम पंचायतः म्याजलार, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2019-20/1826) (समापनः जुलाई 2020) । भौतिक सत्यापन की तिथि-28 एवं 29.09.2021,
बीएडीपी के तहत स्वांगियां मंदिर (धार्मिक स्थल) में चारदीवारी एवं सत्संग भवन का कार्य अनुमत नहीं था ।

- ***मौके पर कार्य निष्पादन नहीं पाया गया*** : ग्राम पंचायत बांधा (जिला परिषद जैसलमेर) में ₹ 19.98 लाख की लागत से निर्मित दो इंटरलॉकिंग सड़कें मय नाली, स्वीकृत स्थलों पर नहीं पाई गई थी, इस प्रकार, इन परिसम्पत्तियों का निर्माण संदिग्ध था ।

इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली 1 डीटीएम खसरा सं. 227/26 डीट्टोवाला, ग्राम पंचायतः बांधा, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2017-18/31404) (समापनः जनवरी 2019) । भौतिक सत्यापन की तिथि- 23.09.2021: **मौके पर परिसंपत्तियां नहीं पाई गई ।**	इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली 1 डीटीएम खसरा नं. 227/28 डीट्टोवाला, ग्राम पंचायतः बांधा, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडीः 2017-18/31657) (समापनः जनवरी 2019) । भौतिक सत्यापन की तिथि- 23.09.2021: **मौके पर परिसंपत्तियां नहीं पाई गई ।**

(vi) खेल गतिविधियों से संबंधित कार्य

इस सेक्टर में खेल के मैदान, मिनी ओपन स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम/ऑडिटोरियम, खेल सामग्री आदि के निर्माण से संबंधित कार्य सम्मिलित हैं ।

बीएडीपी के तहत खेल सेक्टर में सृजित किये गए 13 कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि सात परिसंपत्तियां निष्क्रिय/अक्रियाशील थी और एक परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त थी, इसलिए, उनकी मरम्मत की आवश्यकता थी । (विवरण **परिशिष्ट** XIV में दिया गया है) ।

दृष्टान्त मामलों पर निम्नानुसार चर्चा की गई हैः

- ***निष्क्रिय परिसंपत्तिः*** जिला परिषद श्रीगंगानगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 6 एमएसआर में बास्केटबॉल खेल मैदान निर्मित किया गया गया था । हालाँकि, प्राथमिक विद्यालय होने के कारण बास्केटबॉल खेल मैदान का उपयोग नहीं किया जा रहा था । बास्केटबॉल जाल और घेरा भी उपलब्ध नहीं थे । इससे यह भी इंगित होता है कि उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना ही परिसंपत्ति सृजित की गई थी ।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 6 एमएसआर, ग्राम पंचायतः 4 एसएसआर, पंचायत समितिः अनूपगढ़, जिला परिषदः श्रीगंगानगर में खेल मैदान का निर्माण (कार्य आईडीः 2020-21/6077) (समापनः मार्च 2021)। भौतिक सत्यापन 17.09.2021 से 24.09.2021 के दौरान

राजकीय प्राथमिक विद्यालय (राप्रावि) में बास्केटबॉल खेल मैदान का निर्माण किया गया था, हालांकि, बास्केटबॉल जाल और घेरा उपलब्ध नहीं थे । खेल के मैदान का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था ।

- ***क्षतिग्रस्त संपत्तिः*** लोंगेवाला (जिला परिषदः जैसलमेर) में बीएडीपी के अंतर्गत एक बास्केटबॉल खेल मैदान का निर्माण किया गया था, इसका निर्माण खराब गुणवत्ता का पाया गया था तथा परिसंपत्ति का उपयोग भी नहीं किया जा रहा था ।

बास्केट बॉल खेल मैदान, लोंगेवाला, ग्राम पंचायतः नेतसी, पंचायत समितिः सम, जिला परिषदः जैसलमेर (कार्य आईडी : 2017-18/22767) (समापनः अगस्त 2019)।

भौतिक सत्यापन की तिथि 21.09.2021: खेल मैदान की सतह टूटी हुई थी और ठीक से सीमेंट नहीं किया गया था ।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) में भी दोषपूर्ण/अपूर्ण/अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित मुद्दों पर टिप्पणी की गई थी । तथापि, ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई त्रुटियों/कमियों को दूर करने/सुधार करने के लिए और अक्रियाशील/निष्क्रिय परिसंपत्तियों का अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए संबंधित कार्यान्वयन संस्थाओं को निर्देश दिये गये हैं । आगे, कार्यस्थल पर नहीं मिली परिसंपत्तियों के संबंध में एक पत्र पंचायत समिति जैसलमेर और पंचायत समिति सम को लिखा गया है । प्रकरण की जांच करने और संलिप्त अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करने के लिए अधिशासी अभियंता एवं परियोजना अधिकारी (वित्त एवं लेखा) की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है । नियमानुसार की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं प्रभावी वसूली का विवरण सूचित कर दिया जाएगा ।

2.1.10.6 प्रारंभिक सीमा से कम के कार्यों का निष्पादन

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 5.13 के अनुसार, डीएलसी यह सुनिश्चित करेगी कि खेल गतिविधियों और शौचालयों के निर्माण को छोड़कर, बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना में ₹ 5 लाख की अनुमानित लागत से कम की कोई भी योजनाएं शामिल नहीं की जाएँ।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016-20 के दौरान, ₹ 17.81 करोड़ के 471 कार्य, प्रत्येक ₹ 5 लाख की प्रारंभिक सीमा से कम के, वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल किये गए थे और इन कार्यों पर ₹ 16.38 करोड़ की राशि (जुलाई 2021 तक) खर्च की गई थी। ऐसे कार्यों का सारांश **तालिका 13** में दिया गया है।

तालिका 13

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	जिला/ब्लॉक	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय
1	बाड़मेर	10	0.45	0.36
2	बीकानेर	70	2.10	1.00
3	जैसलमेर	142	4.77	4.67
4	श्रीगंगानगर	249	10.49	10.35
कुल योग		**471**	**17.81**	**16.38**

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि स्वीकृत कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति के थे और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गए थे। भविष्य में, मानदंडों का पालन किया जाएगा और ₹ 5 लाख की अनुमानित लागत से कम के कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

2.1.10.7 श्रम घटक के अंतर्गत भुगतान

राजस्थान पंचायती राज नियम (आरपीआरआर), 1996 के नियम 181 में यह प्रावधित है कि अनुबंध पर कार्यों के निष्पादन में: (1) पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) भी संवेदकों के माध्यम से किसी भी कार्य को निष्पादित कर सकता है जब तक कि संवेदक के माध्यम से ऐसे कार्य का निष्पादन सम्बंधित योजना के दिशा-निर्देशों द्वारा प्रतिबंधित न हो। आगे, उप नियम (2) में प्रावधान है कि उप-नियम (1) में किसी भी बात के होते हुए भी पंचायती राज संस्था मस्टर रोल पर श्रमिकों को नियोजित करके किसी भी कार्य को निष्पादित कर सकती है। आगे, उप नियम (3) में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्था निर्माण सामग्री की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उपरोक्त उप-नियम (2) के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए अनुबंध के आधार पर सामग्री की खरीद सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने निर्देश जारी किए (अप्रैल 2017) कि मनरेगा को छोड़कर अन्य सभी विभागीय योजनाओं के तहत ₹ 5 लाख (श्रम और सामग्री सहित) से अधिक लागत के निर्माण कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 और आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार खुली निविदा के माध्यम से किए जाने चाहिए।

जिला परिषद जैसलमेर में, छः ग्राम पंचायतों ने ₹ 102.64 लाख (सामग्री और श्रम सहित ₹ 5 लाख से अधिक का प्रत्येक कार्य) के नौ कार्यों के निष्पादन के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की जैसाकि राजस्थान पंचायती राज नियमों में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों ने इन कार्यों के निष्पादन के लिए संवेदकों से वार्षिक दर अनुबंधों के तहत सामग्री की

खरीद की और आश्चर्यजनक रूप से उन्ही संवेदकों को श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु ₹ 26.48 लाख की मजदूरी का भुगतान कर दिया ।

इस प्रकार, ग्राम पंचायतों ने प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से श्रमिकों के लिए संवेदक को नियुक्त नहीं किया । यह आरपीआरआर, 1996 और आरटीपीपी नियम, 2013 के नियमों का उल्लंघन था । ऐसे प्रकरणों की सूची **परिशिष्ट** XV में दी गई है ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि पंचायत समिति सम से सूचना मांगी गई है और तदनुसार अनुपालना जल्द ही प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

2.1.10.8 परिणाम आधारित निगरानी के लिए संकेतक

आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) परिणाम-आधारित निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है । यह फ्रेमवर्क, योजना के उद्देश्यों या 'परिणामों' की उपलब्धि को मापने योग्य संकेतक प्रदान करने का प्रयास करता है ।

ओओएमएफ का कार्य, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग को सौंपा गया (2017) था । फ्रेमवर्क को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जा रहा है जिसे केंद्रीय बजट के साथ संसद के समक्ष रखा जाता है । यह फ्रेमवर्क मंत्रालयों/विभागों द्वारा आउटपुट (कार्यक्रम गतिविधियों के मापने योग्य उत्पाद) और आउटकम (सेवाओं के वितरण द्वारा लाए गए सामूहिक परिणाम या गुणात्मक सुधार) संकेतकों पर लक्ष्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है ।

नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की परिणाम आधारित निगरानी हेतु संकेतकों की पहचान के लिए प्रपत्र तैयार किए गए थे ।

सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की परिणाम-आधारित निगरानी के संकेतकों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी चाही थी (दिसंबर 2017) । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किलोमीटर की सीमा के गांवों के संबंध में परिणाम आधारित निगरानी के लिए संकेतकों की स्थिति, जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा दी गई (जुलाई 2018) जानकारी की संवीक्षा से स्पष्ट है, नीचे **तालिका 14** में दी गई है:

तालिका 14

क्रम संख्या	संकेतक	31 मार्च 2018 तक परिणाम आधारित निगरानी के संकेतकों की स्थिति	2018-19 के दौरान परिणाम आधारित निगरानी के संकेतकों की स्थिति	
		अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी की सीमा के गांवों की कुल संख्या = 1,095	लक्ष्य	उपलब्धि
1	स्वास्थ्य सुविधाओं वाले सीमावर्ती गांवों की संख्या	232	35	0
2	शिक्षा सुविधाओं वाले सीमावर्ती गांवों की संख्या	479	261	0
3	सड़क संपर्क वाले सीमावर्ती गांवों की संख्या	428	226	0
4	बिजली आपूर्ति वाले सीमावर्ती गांवों की संख्या	599	78	0
5	जलापूर्ति वाले सीमावर्ती गांवों की संख्या	403	247	0

स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ।

यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारित किया गया कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की परिणाम आधारित निगरानी के संकेतकों के संबंध में सूचनाएँ राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर के अभिलेखों में भी उपलब्ध नहीं थी।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने वाले कार्यों को आगामी वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल किया जा रहा हैं और सीमा क्षेत्र से 0-10 किमी के गांवों को सैचुरेट करने हेतु मिशन अंत्योदय के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-3: क्या प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद था ?

2.1.11 योजना की निगरानी, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

गांव के साथ-साथ योजना/परियोजना को मूल इकाई मानकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार में विकसित की गई प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) एप्लीकेशन को वर्ष 2015-16 से लागू किया गया था। बीएडीपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वार्षिक कार्य योजनाओं को प्रस्तुत करने, निधियों को जारी करने, निगरानी और ई-फाइलिंग सहित सभी गतिविधियों को एमआईएस एप्लीकेशन के माध्यम से संपन्न किए जाने को सस्ती से लागू करना था।

2.1.11.1 बीएडीपी के लिए जिला आईटी नोडल अधिकारी की पहचान

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार, राज्य सरकारें राज्य के साथ-साथ जिला स्तर पर पर्याप्त वरिष्ठता के एक नोडल अधिकारी की पहचान करेंगीं, जिसे जिलों द्वारा राज्य को और राज्य द्वारा गृहमंत्रालय को प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़ों की नियमितता और सटीकता की निगरानी के लिए राज्य/जिला आईटी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का पर्याप्त ज्ञान हो। नोडल अधिकारी नियमित रूप से राज्य मुख्यालय में एनआईसी समन्वयक के साथ बातचीत करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर जैसा भी मामला हो, एप्लीकेशन पर आंकड़े अपलोड करने और इसके निर्बाध रखरखाव की जिम्मेदारी तय करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को मार्च 2021 में जाकर समन्वय और एमआईएस आंकड़े अपलोड करने के लिए राज्य के आईटी नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, किसी भी अधिकारी को जिला आईटी नोडल अधिकारी के रूप में नामित नहीं किया गया था। इस प्रकार, एप्लीकेशन पर आंकड़े अपलोड करने और इनके निर्बाध रखरखाव की निगरानी नहीं की गई थी।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि जिला परिषद बाड़मेर में मनरेगा के एमआईएस प्रबंधक को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाकर कार्य निष्पादित किया जाता है। शेष तीन जिला परिषदों में आईटी नोडल अधिकारी जल्द ही नियुक्त किया जाएगा।

2.1.11.2 एमआईएस एप्लीकेशन *पर आंकड़े अपलोड करना*

एमआईएस एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के लिए सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों (मई 2015) के अनुसार, राज्य सरकार को तुरंत निम्नलिखित कार्यवाही करने की आवश्यकता थीः -

(i) गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध बेसलाइन सर्वेक्षण एप्लीकेशन में चिन्हित किए गए सीमावर्ती ब्लॉकों में सभी सीमावर्ती गांवों में उपलब्ध सुविधाओं को दर्शाते हुए उनकी आबादी (जनगणना 2011), क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा से दूरी सहित बेसलाइन सर्वेक्षण के अद्यतन आंकड़े अपलोड करना।

(ii) 2012-13 से आगे के वर्षों के दौरान बीएडीपी के तहत गांवों में शुरू की गई प्रत्येक योजना के आंकड़े मय उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रगति प्रतिवेदन और फोटोग्राफ सहित पूर्णता प्रमाण पत्र को एनआईसी नेट के परीक्षण सर्वर पर उपलब्ध वार्षिक कार्य योजना एप्लीकेशन पर अपलोड करना।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त सूचना/आंकड़े अभी भी एमआईएस एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाना शेष था और पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य प्रगति पर होना बताया गया था (अक्टूबर 2021)।

लेखापरीक्षा समापन बैठक (मार्च 2022) में उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि जिलों में आईटी से संबंधित कार्य कर्मचारियों द्वारा एमआईएस प्रबंधकों की मदद से किए जा रहे हैं।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए जिला परिषद बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित सूचनाएं/आंकड़े अब एमआईएस पर अपलोड किए जा चुके हैं। तथापि, जिला परिषद श्रीगंगानगर के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

2.1.11.3 बीएडीपी के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की जिओ मेपिंग

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2020 के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, राज्य सरकार विश्लेषण आदि के उद्देश्य से सीमावर्ती जनगणना गांवों/बस्तियों में बीएडीपी के तहत सृजित परिसंपत्तियों की एक सूची विकसित करेगी। सभी परियोजनाओं की जिओ मेपिंग करना और उनको बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। पिछले 10 वर्षों के दौरान बीएडीपी के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं की जिओ मेपिंग की जानी चाहिए और भुवन प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट थीमेटिक लेयर पर अपलोड किया जाना चाहिए।

नमूना जांच किए गए जिला परिषदों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि पिछले 10 वर्षों के दौरान बीएडीपी के तहत शुरू की गई परियोजनाओं में से किसी की भी जिओ मेपिंग नहीं की गयी थी और भुवन प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट थीमेटिक लेयर पर आज तक (मार्च 2022) अपलोड नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि बीएडीपी के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों और प्रस्तावित कार्यों का विवरण जिला परिषद बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा, जिला परिषद बीकानेर के संबंध में पिछले दो वर्षों के कार्यों की भी जिओ मेपिंग की गई है। जिला परिषद जैसलमेर में बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली एवं भुवन प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट थीमेटिक लेयर पर अपलोड करने सम्बन्धी कार्य प्रगतिरत है।

2.1.11.4 तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 10.3 और 10.5 के अनुसार, जिला स्तरीय समिति बीएडीपी के तहत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ कार्यों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेगी और कार्यों/योजनाओं की फोटोग्राफ्स के साथ तिमाही प्रगति प्रतिवेदन आगे गृह मंत्रालय को भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। तिमाही समाप्त होने के 15वें दिन तक एमआईएस एप्लीकेशन (अनुलग्नक-VI में निर्धारित प्रपत्र में) के माध्यम से योजना-वार तिमाही प्रगति प्रतिवेदन को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016-21 के दौरान, सभी तिमाही प्रगति प्रतिवेदन भारत सरकार को नियत तिथि के बाद 13 से 222 दिनों की देरी से भेजे गए थे। अधिकांश मामलों में, नमूना जांच की गई सभी जिला परिषदें, निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्थान सरकार को तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकीं। विवरण **तालिका 15** में दिया गया है।

तालिका 15

वर्ष	तिमाही समाप्ति	देय तिथि	जिलों से प्राप्ति की तिथि				भारत सरकार को भेजने की तिथि	देरी (दिनों में)
			बीकानेर	बाड़मेर	जैसलमेर	श्रीगंगानगर		
2016-17	6/16	15.07.16	29.07.16	04.08.16	23.08.16	17.08.16	29.08.16	45
	9/16	15.10.16	05.10.16	08.11.16	26.10.16	17.10.16	28.11.16	44
	12/16	15.01.17	13.01.17	20.01.17	19.01.17	20.01.17	17.02.17	33
	3/17	15.04.17	05.05.17	13.04.17	12.04.17	13.04.17	26.05.17	41
2017-18	6/17	15.07.17	15.09.17	25.07.17	08.09.17	19.07.17	25.09.17	72
	9/17	15.10.17	23.10.17	06.11.17	02.11.17	24.10.17	22.11.17	38
	12/17	15.01.18	25.01.18	30.01.18	14.02.18	06.02.18	28.02.18	44
	3/18	15.04.18	01.05.18/ 02.08.18 (संशोधित)	26.07.18	25.05.18	15.05.18	13.08.18	120
2018-19	6/18	15.07.18	02.08.18	26.07.18	30.07.18	13.07.18	13.08.18	29
	9/18	15.10.18	20.11.18	01.11.18	14.11.18	19.11.18	03.12.18	49
	12/18	15.01.19	07.02.19	07.02.19	15.02.19	11.04.19	21.05.19	126
	3/19	15.04.19	24.05.19	14.05.19	03.06.19	27.06.19	11.07.19	87
2019-20	6/19	15.07.19	17.07.19	05.09.19	20.09.19	16.08.19	24.09.19	71
	9/19	15.10.19	24.10.19	23.10.19	18.10.19	05.11.19	18.11.19	34
	12/19	15.01.20	15.01.20	30.01.20	11.02.20	13.02.20	19.02.20	35
	3/20	15.04.20	12.05.20	28.05.20	04.06.20	16.06.20	10.07.20	86
2020-21	6/20	15.07.20	14.07.20	04.09.20	09.10.20	08.10.20	16.10.20	93
	9/20	15.10.20	16.10.20	22.10.20	05.10.20	08.10.20	28.10.20	13
	12/20	15.01.21	21.01.21	04.02.21	15.07.21	01.02.21	25.08.21	222
	3/21	15.04.21	15.04.21	08.07.21	15.07.21	14.07.21	25.08.21	132

स्रोतः जिला परिषदों और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि तिमाही प्रगति प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना विभिन्न विभागों/कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा देरी से उपलब्ध करवाई जाती है । हालांकि, तिमाही प्रगति प्रतिवेदन समय पर भेजने का प्रयास किया जाएगा ।

2.1.11.5 कार्यों का निरीक्षण

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 10.1 के अनुसार, राज्य सरकारें बीएडीपी योजनाओं/परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करेंगीं और सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगीं । प्रत्येक सीमा ब्लॉक को एक उच्च पदस्थ राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए जो नियमित रूप से ब्लॉक का दौरा करे और बीएडीपी योजनाओं की जिम्मेदारी ले । किए गए निरीक्षणों की संख्या दर्शाते हुए और निरीक्षण अधिकारियों के प्रतिवेदन में बताई गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों/कमियों को उजागर करते हुए एमआईएस एप्लीकेशन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

राज्य सरकार द्वारा बीएडीपी के अंतर्गत निरीक्षण के लिए निर्धारित किये गये (जनवरी 2009) मानदंड **तालिका 16** में संक्षेपित किये गए हैं ।

तालिका 16

क्र.सं.	पद	निरीक्षण के लिए मानदंड
1	परियोजना निदेशक सह उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग (एसएपी)	त्रैमासिक निरीक्षण एक वर्ष में 40 कार्य (प्रत्येक जिले में 10 कार्य)
2	शासन उप सचिव/समकक्ष अधिकारी मुख्यालय	जिले के भ्रमण के दौरान बीएडीपी के न्यूनतम 5 कार्य
3	जिला कलेक्टर	बीएडीपी के अंतर्गत निष्पादित 1 प्रतिशत कार्यों का भौतिक निरीक्षण
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	बीएडीपी के अंतर्गत निष्पादित 10 प्रतिशत कार्यों का भौतिक निरीक्षण
5	परियोजना अधिकारी, बीएडीपी, जिला परिषद	बीएडीपी के अंतर्गत निष्पादित शत-प्रतिशत कार्यों का भौतिक निरीक्षण

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा बीएडीपी के अंतर्गत कार्यों के निरीक्षण के लिए मानदंड निर्धारित किए गए थे, तथापि, ऐसे निरीक्षणों यदि वे किये गए हो, के संबंध में प्रतिवेदन, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था ।

इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण दर्शाने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर अभिलेखों/रजिस्टरों का संधारण भी नहीं किया गया था । वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य स्तर पर बीएडीपी के प्रशासनिक मद के अंतर्गत योजनाओं के निरीक्षण हेतु वाहन किराए पर लेने हेतु ₹ 15.71 लाख का व्यय दर्शाया गया था । संबंधित अभिलेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निरीक्षण किये गये थे ।

मामला ध्यान में लाए जाने पर, परियोजना निदेशक (एसएपी) के साथ-साथ जैसलमेर को छोड़कर संबंधित जिला परिषदों ने बताया (जुलाई-अक्टूबर 2021) कि कार्यों के निरीक्षण किए जाते हैं लेकिन अभिलेखों/रिपोर्ट का संधारण नहीं किया जाता है ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2020) कि जिला परिषद बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में कार्यों का निरीक्षण मानदंडानुसार किया गया था । हालांकि, निरीक्षण से सम्बंधित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया । भविष्य में, निरीक्षणों से संबंधित अभिलेख संधारित किये जावेंगे । जिला परिषद जैसलमेर, के संबंध में यह बताया गया कि सीईओ का पद रिक्त होने के कारण, 2016-17 से 2020-21 के दौरान कम निरीक्षण किए गए थे । भविष्य में, मानदंडानुसार निरीक्षण किये जायेगें ।

2.1.11.6 तृतीय-पक्ष निरीक्षण और मूल्यांकन अध्ययन

दिशा-निर्देश 2015 के अनुच्छेद 10.1 के प्रावधानानुसार, काम की गुणवत्ता और अन्य प्रासंगिक विषयों पर स्वतंत्र प्रतिक्रिया के लिए राज्यों द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षणों (टीपीआई) को भी शुरू करने की आवश्यकता थी । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को, नोडल अधिकारी, तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टीपीआईए) इत्यादि के निरीक्षण प्रतिवेदन, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के विवरण सहित प्रतिवर्ष दो बार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था (नवंबर 2013 और जून 2015) । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को टीपीआईए द्वारा किए गए बीएडीपी कार्यों/परियोजना के निरीक्षणों को प्रस्तुत करने के लिए एक नमूना (भरा हुआ) प्रपत्र भी प्रेषित किया था (जुलाई 2018) ।

i) तृतीय पक्ष निरीक्षण

2014-18 की अवधि के दौरान बीएडीपी के तहत निष्पादित 235 कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण, राज्य/जिला स्तर पर चार व्यक्तियों/संस्थाओं[30] (टीपीआईए) को सौंपा गया था (जून 2016 से जुलाई 2018) । इस संबंध में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- राज्य सरकार द्वारा टीपीआईए के निरीक्षण प्रतिवेदन इन निरीक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के विवरण सहित, प्रतिवर्ष दो बार भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गये । हालांकि, इन 235 कार्यों के संबंध में टीपीआई की एक सारांश रिपोर्ट कई स्मरण पत्रों के बाद भारत सरकार को भेज दी गई थी (जनवरी 2020) ।
- टीपीआईए ने निरीक्षणों की तिथि से काफी समय बीत जाने के बाद अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया था ।
- टीपीआईए द्वारा बताई गई कमियों/सुझावों पर अनुवर्ती कार्यवाही (फोलोअप)/की गई कार्यवाही, की उचित रूप से निगरानी नहीं की गई थी ।
- वर्ष 2018-21 के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में टीपीआई की जानकारी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी ।

30 (i) स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जयपुर, (ii) प्रज्ञान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग बालोतरा, (iii) इंजी. राज कुमार जांदू बीकानेर और (iv) ईटीटीएल जयपुर (श्रीगंगानगर जिले के लिए) ।

राजस्थान सरकार ने बताया (जून 2022) कि तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार को भेजी गई थी (जनवरी 2020)। इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को, सिफारिशों की अनुपालना के निर्देशों के साथ चारों बीएडीपी जिलों को भेजा गया था एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरे के दौरान अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये थे। हालांकि, 2019-20 और 2020-21 के दौरान कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण योजना की निगरानी और अन्य गतिविधियां प्रभावित हुईं।

तथापि, तथ्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा टीपीआईए के निरीक्षण प्रतिवेदनों को इन निरीक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के विवरण सहित प्रति वर्ष दो बार भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की उचित रूप से निगरानी भी नहीं की गयी थी।

ii) मूल्यांकन अध्ययन

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) द्वारा कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुरोध पर, 2007-08 से 2010-11 की संदर्भ अवधि के लिए बीएडीपी का मूल्यांकन किया गया था (2012)। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या कार्यक्रम ने लाभार्थियों के कवरेज एवं उन पर प्रभाव के वांछित स्तर को प्राप्त कर लिया है और इसकी अधिक प्रभावकारिता एवं प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम में संशोधन/सुधार का सुझाव देना था। रिपोर्ट जून 2015 में प्रकाशित हुई थी।

हालांकि, उक्त मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट पर विभाग/जिला परिषदों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, यद्यपि यह मांगा गया था (जनवरी 2022)।

आगे, निदेशालय मूल्यांकन संगठन, जयपुर द्वारा बीएडीपी पर एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया और परियोजना निदेशक (एसएपी), ग्रामीण विकास विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी (अगस्त 2015)।

राजस्थान सरकार ने बताया (जून 2022) कि निदेशालय मूल्यांकन संगठन द्वारा बीएडीपी पर किये गए मूल्यांकन अध्ययन का विश्लेषण करने के बाद, कार्यवाही योग्य बिंदु सभी चार बीएडीपी जिलों को भेजे गए थे और इन बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था (अक्टूबर 2015)। की गई कार्यवाही से निदेशालय मूल्यांकन संगठन को सूचित (दिसंबर 2015) कर दिया गया था एवं सिफारिशें बीएडीपी जिलों को अनुपालना के लिए अग्रेषित कर दी गई थी।

हालांकि, इसके बाद राज्य में आगे मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने आगे बताया कि स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में, आगे मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

2.1.11.7 राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठकों का आयोजन

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 7.4 और 7.6 में एसएलएससी की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित किए जाने का प्रावधान है । पहली बैठक मार्च/अप्रैल में बुलाई जाएगी ताकि वार्षिक कार्य योजना और डीएलसी द्वारा अनुशंसित योजनाओं को अंतिम रूप और मंजूरी दी जा सके । दूसरी बैठक नवंबर/दिसंबर में बीएडीपी के अंतर्गत योजनाओं की प्रगति, उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) का प्रस्तुतीकरण और तिमाही प्रगति प्रतिवेदन (क्यूपीआर) आदि की समीक्षा के लिए आयोजित की जाएगी ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एसएलसीसी की दूसरी बैठक जो मुख्य रूप से कार्यों की प्रगति और यूसी/क्यूपीआर प्रस्तुतिकरण की निगरानी से संबंधित थी, 2018-21 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा का मत है कि भारत सरकार को यूसी/क्यूपीआर प्रस्तुत करने में देरी का यह एक कारण हो सकता है जैसा कि पूर्व के अनुच्छेद **2.1.9.1** और **2.1.11.4** में चर्चा की गई है ।

इसके अलावा, पहली बैठक भी 2019-20 के दौरान चार महीने की देरी से आयोजित की गई थी । परियोजना निदेशक (एसएपी), ग्रामीण विकास विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2021) ।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि चूंकि भारत सरकार जिलों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाओं के संबंध में नियमित रूप से नए निर्देश जारी करती है, इसलिए निर्देशों को अक्षरशः लागू करने में समय लगता है । दूसरी बैठक के संबंध में, आगे बताया गया कि दूसरी बैठक का उद्देश्य निगरानी करना है जो हर माह सचिव स्तर पर जिलों के साथ की जाती है । साथ ही सभी योजनाओं की निगरानी मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्ष में एक या दो बार की जाती है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएलएससी का गठन विशेष रूप से वार्षिक कार्य योजना की मंजूरी और बीएडीपी के तहत कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए किया गया है । मानदंडों के अनुसार एसएलएससी की बैठक का संचालन नहीं करने के कारण, वार्षिक कार्य योजनाओं को भारत सरकार को देरी से भेजा गया था तथा योजनाओं की निगरानी भी खराब थी ।

2.1.11.8 जिला स्तरीय समिति की बैठकों का आयोजन

राजस्थान सरकार ने प्रत्येक बीएडीपी जिले के लिए जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) गठित करने के आदेश जारी किए थे (मार्च 2003) तथा डीएलसी की त्रैमासिक बैठक अर्थात एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे । 2016-21 के दौरान आयोजित डीएलसी बैठकों का जिलेवार विवरण नीचे **तालिका 17** में दिया गया है ।

तालिका 17

जिले का नाम	एक वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या					कुल
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
बाड़मेर	1	1	2	1	0	5
बीकानेर	1	4	3	1	2	11
जैसलमेर	1	1	1	2	2	7
श्रीगंगानगर	1	1	2	2	1	7

स्रोतः जिला परिषदों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार ।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2017-18 के दौरान बीकानेर को छोड़कर, किसी भी जिले में 2016-21 के दौरान आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गई। जैसलमेर जिले के मामले में 2016-19 के दौरान बैठकों के कार्यवृत्त भी जारी नहीं किये गए थे।

राजस्थान सरकार ने बताया (मई 2022) कि अलग-अलग विभागों से सम्बंधित विभिन्न हितधारकों की भागीदारी होने के कारण आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित नहीं हो सकी थी। 2020-21 के दौरान, कोविड महामारी ने भी डीएलसी बैठकों को प्रभावित किया।

2.1.11.9 सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली

बीएडीपी दिशा-निर्देशों[31] के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा एक उपयुक्त सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता थी। आगे, सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण किए गए कार्यों का वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण, सीमावर्ती जिलों की ग्राम सभा या समरूप स्थानीय निकायों/संबंधित सीमा रक्षक बलों के प्रतिनिधियों द्वारा की जानी थी। कार्यान्वयन संस्था को भी उनके द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि बीएडीपी के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, नमूना जांच की गई किसी भी जिला परिषद में नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने जिला परिषद बाड़मेर के संबंध में बताया (मई 2022) कि सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के साथ किया गया था। तथापि, शेष तीन जिला परिषदों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए) में भी मूल्यांकन अध्ययन की अनुशंसा पर कार्यवाही न करने तथा योजना का सामाजिक अंकेक्षण न करने के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया था। तथापि, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

2.1.11.10 परियोजना स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड की अनुपलब्धता

बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2015 के अनुच्छेद 10.5 के अनुसार, परियोजना स्थलों पर एक डिस्प्ले बोर्ड यह दर्शाते हुए रखा जाना चाहिए कि भारत सरकार के बीएडीपी के तहत कार्य किया जा रहा है/पूर्ण हो गया है।

419 कार्य स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त-अक्टूबर 2021) के दौरान 234 कार्यों [32] (55.85 प्रतिशत) के मामलों में कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाए गए थे।

राजस्थान सरकार ने जिला परिषद बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के संबंध में बताया (मई 2022) कि डिस्प्ले बोर्ड के फोटोग्राफ कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ भेजे जाते हैं। पूर्णता

31 दिशा-निर्देश 2015: अनुच्छेद 10.1 और दिशा-निर्देश 2020: अनुच्छेद 9.1

32 अनूपगढ़-36 कार्य, चौहटन-23 कार्य, खाजूवाला-37 कार्य एवं सम-138 कार्य।

प्रमाण पत्र के समायोजन के दौरान भी यह सुनिश्चित किया जाता है । हालांकि, डिस्प्ले बोर्ड बाद की अवस्था में बारिश/पाइपलाइन कार्य, विद्युतीकरण/चोरी इत्यादि के कारण नष्ट हो गए थे । जिला परिषद जैसलमेर के संबंध में, यह बताया गया कि पंचायत समिति सम से डिस्प्ले बोर्ड की अनुपलब्धता के कारण मांगे (मई 2022) गए हैं और नए डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं ।

2.1.12 निष्कर्ष

बीएडीपी को राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनके कल्याण के उद्देश्य से लागू किया गया था ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों को चिन्हित करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया था और तदनुसार, इन महत्वपूर्ण कमियों की पूर्ति करने के लिए ग्रामवार दीर्घकालिक कार्य योजना भी तैयार नहीं की गई थी ।

1993-2021 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 2,187.20 करोड़ के उपयोग के बावजूद, डीएलसी ने न तो 'मूलभूत अवसंरचना सहित गांव का सैचुरेशन' को परिभाषित किया है और न ही शून्य रेखा से 10 किमी के भीतर किसी भी गांव को सैचुरेटेड घोषित किया।

निधियाँ लम्बी अवधि तक राजस्थान सरकार के पास जमा रही, और इस प्रकार कार्यान्वयन संस्थाओं को विलम्ब से जारी की गई । साथ ही, कार्यान्वयन संस्थाओं को दिए गए अग्रिमों को भी समय पर समायोजित नहीं किया गया । कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा बीएडीपी की निधियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया ।

कौशल विकास प्रशिक्षणों में महिलाओं की कम भागीदारी, गैर-बीएडीपी ब्लॉको में प्रशिक्षण दिया जाना, रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को रोजगार नहीं दे पाना, निधियों की उपलब्धता के बावजूद कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण नहीं किया जाना, आरएसएलडीसी द्वारा गैर अनुमत प्रशासनिक व्यय भारित किया जाना, आरएसएलडीसी द्वारा अग्रिमों का समाशोधन एवं समायोजन नहीं किए जाने के उदाहरण भी पाए गए ।

भौतिक सत्यापन के दौरान कार्यों के निष्पादन में विभिन्न कमियां देखी गई, जैसे कि निष्पादित कार्य मौके पर नहीं पाया जाना, अस्वीकार्य कार्य किया जाना, निष्फल/निष्क्रिय/अक्रियाशील कार्य, क्षतिग्रस्त और अपूर्ण कार्य इत्यादि ।

आतंरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र कमजोर था, जैसा कि तिमाही प्रगति प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं की गई, तृतीय पक्ष निरीक्षण और मूल्यांकन अध्ययन पर अनुवर्ती कार्रवाई की उचित रूप से निगरानी नहीं की गई । राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति और जिला स्तरीय समिति की निर्धारित संख्या में बैठकों का आयोजन नहीं किया गया । निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों का संधारण नहीं किया गया तथा योजना का सामाजिक अंकेक्षण आयोजित नहीं किया गया ।

2.1.13 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार को-

(i) बुनियादी और सामाजिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों की सटीकता से पहचान करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण/स्थानिक संसाधन मानचित्रण करना चाहिए ;

(ii) वार्षिक कार्य योजना यथोचित कर्मठता से तैयार करनी चाहिए ;

(iii) 'मुलभूत अवसंरचना सहित गांव का सैचुरेशन' शब्द को परिभाषित करना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर शून्य रेखा से 10 किमी की सीमा के गांवों/बस्तियों को आवश्यक अवसंरचना से सैचुरेटेड करने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए ;

(iv) निधियाँ जिला परिषदों को समय पर जारी करनी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला परिषदों के पीडी खाते में पड़ी निधियों का उपयोग और कार्यान्वयन संस्थाओं को दिए गए अग्रिमों का समायोजन समय पर हो जाए ;

(v) 0-10 किमी के दायरे में वे 509 गांव/बस्तियाँ जो 2016-21 के दौरान छूट गए थे और जिनमें कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया था, का योजनान्तर्गत आवरण सुनिश्चित करना चाहिए ;

(vi) बीएडीपी के अंतर्गत कार्यों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निष्पादित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्थानीय आबादी के लिए लाभकारी और कार्यशील हैं ;

(vii) आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए ।

2.1.14 आभार

उक्त निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है ।

2.2 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की कार्यप्रणाली

कार्यकारी सारांश

विधायकों की अभिशंसाओं पर उनके वार्षिक आवंटन तक, निर्वाचन क्षेत्रों में पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, 1999-2000 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएलैड) योजना प्रारम्भ की गई थी। एक विधायक का वार्षिक आवंटन वर्ष 2016-17 से ₹ 2.25 करोड़ था। **(अनुच्छेद 2.2.1,पृष्ठः 78)**

2016-21 की अवधि हेतु योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि यह योजना लोकप्रिय थी क्योंकि इस योजनान्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के कार्य बड़ी संख्या में किये गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि औसत वार्षिक आवंटन के दोगुने से अधिक के बराबर राशि अग्रिमों के रूप में कार्यकारी संस्थाओं के पास हमेशा अवरुद्ध रहती है। जिला परिषदों के पीडी खाते में पर्याप्त/अप्रयुक्त निधियों की उपलब्धता एवं कार्यकारी संस्थाओं के पास अग्रिम के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 2018-21 के दौरान बजट प्रावधानों का केवल 60.75 प्रतिशत जारी किया।

(अनुच्छेद 2.2.7.1,पृष्ठः82, 2.2.7.2,पृष्ठः84 और 2.2.8.1,पृष्ठः92)

विभाग ने लंबित अग्रिमों के समायोजन के लिए कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कदम नहीं उठाये, जिससे मार्च 2021 तक लंबित अग्रिम बढ़कर ₹ 809.14 करोड़ के हो गए। उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत करने या प्रस्तुत नहीं करने के कारण उपलब्ध निधियों का वार्षिक उपयोग 33.86 प्रतिशत से 74.94 प्रतिशत के मध्य रहा।

(अनुच्छेद 2.2.7.2,पृष्ठः84)

नमूना जांच किये चार जिलों (सात में से) के विधायकों द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी क्षेत्रों और संबल ग्रामों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत निधियों की अभिशंसा नहीं की गई। नमूना जाँच किये गए सात जिलों द्वारा उपलब्ध निधियों का मनरेगा के साथ अभिसरण भी नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.7.5,पृष्ठः89, 2.2.7.6,पृष्ठः90)

योजना की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं में इंगित किये जाने के बावजूद कार्य दोषपूर्ण ढंग से निष्पादित किये गए जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गैर अनुमत कार्यों का निष्पादन, निर्धारित मानदण्डों/विनियमों का पालन किये बिना कार्यों का निष्पादन, अपूर्ण कार्य, स्वीकृतियां जारी करने में विलम्ब, योजना के मूल्यांकन के अध्ययन की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं करना, तृतीय पक्ष के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराना इत्यादि के मामलों में पाया गया।

(अनुच्छेद 2.2.9.1,पृष्ठः95, 2.2.10,पृष्ठः96, 2.2.12,पृष्ठः107 और 2.2.13,पृष्ठः110)

2.2.1 परिचय

राजस्थान सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधानसभा के सदस्यों (विधायक) की अभिशंसाओं पर पूँजीगत प्रकृति के विकासात्मक निर्माण कार्यों को कराने के उद्देश्य से एक प्लान योजना 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' को वर्ष 1999-2000 में प्रारम्भ किया। राज्य को 200 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रारम्भ में, ₹ 25

लाख की राशि प्रति वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र निर्धारित की गई थी, जिसे धीरे-धीरे[33] बढ़ाकर 2016-17 में ₹ 2.25 करोड़ प्रति वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया ।

योजना की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :-

- प्रत्येक विधायक एक एकल कार्य के लिए ₹ 50.00 लाख की सीमा सहित वर्ष में ₹ 2.25 करोड़ के पूंजीगत निर्माण कार्यों की सिफारिश कर सकता है । विशेष परिस्थितियों में, ₹ 50.00 लाख से अधिक के एकल कार्य की स्वीकृति के लिए राजस्थान सरकार से अनुमति लिया जाना अपेक्षित है ।

- इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्राथमिक रूप से टिकाऊ और विकासात्मक प्रकृति के होने चाहिए और सरकार/स्थानीय निकाय की भूमि पर सृजित किये जाने चाहिए ।

- इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों को सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्ट और संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित कराया जाना होता है ।

- प्रति वर्ष कुल आवंटित राशि की कम से कम 20 प्रतिशत राशि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों और संबल ग्रामों[34] के विकास के लिए अनुशंसित करना अनिवार्य होगा ।

- विधायकों द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियाँ, जिला परिषदों द्वारा, योजना के वार्षिक आवंटन से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला परिषदों को जारी निधियों में से, सीधे ही कार्यकारी संस्थाओं को जारी की जाती हैं ।

- विधायक द्वारा उनके वार्षिक आवंटन की 20 प्रतिशत राशि तक के कार्य सामुदायिक उपयोग की राजकीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत/नवीनीकरण करवाने हेतु प्रस्तावित किए जा सकेंगें ।

- योजना अंतर्गत जारी की गई निधियाँ गैर-व्यपगत मानी जाती हैं और अनुपयोजित रहीं निधियाँ बाद के वर्षों में उपयोग में ली जा सकती हैं ।

यह योजना ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जाती है, एवं फरवरी 2000 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है । उक्त दिशा-निर्देशों को, आगे फरवरी 2003, सितम्बर 2005, जुलाई 2009, मार्च 2013 एवं नवम्बर 2018 में संशोधित किया गया था । योजना पूर्णरूप से राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू है ।

33 2000-01 से ₹ 40 लाख, 2001-02 से ₹ 60 लाख, 2007-08 से ₹ 80 लाख, 2010-11 से ₹ 1.00 करोड़ एवं 2012-13 से ₹ 2.00 करोड़ ।

34 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संबल ग्राम विकास योजना कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिये ₹ 5.00 लाख प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जाते हैं ।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर, ग्रामीण विकास विभाग योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है । विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, विधायकों की पात्रता और विधायकों की संख्या के अनुसार, जिला प्राधिकारियों को निधियाँ जारी करने और पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और जिलों के साथ समन्वय के लिए भी उत्तरदायी हैं ।

जिला स्तर पर योजना के संचालन के लिये, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल कार्यालय है । जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्राधिकारी हैं । जिला कलेक्टर योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने, समय पर स्वीकृतियां जारी कराने एवं कार्यों को पूर्ण कराने के लिये उत्तरदायी हैं । जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने और कार्यकारी संस्थाओं[35] के माध्यम से निर्माण कार्यों का निष्पादन कराने, निजी निक्षेप (पीडी) खाते में निधियाँ रखने और कार्यकारी संस्थाओं को निधियाँ जारी करने, लेखों के रखरखाव और उनका अंकेक्षण कराने, मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन और चार्टर्ड एकाउंटेंट के अंकेक्षण की रिपोर्ट ग्रमीण विकास विभाग को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में, योजना-वार स्वीकृत/निष्पादित कार्यों की निगरानी वर्ष 2014-15 से कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली (वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम) अर्थात 'एकीकृत कार्य निगरानी प्रणाली (आईडब्ल्यूएमएस[36])' के माध्यम से की जा रही है, जो कार्यों के प्रस्तावों की प्राप्ति से लेकर (विधायकों की सिफारिश पर) पूर्णता प्रमाण-पत्र की अवस्था तक के विवरणों को दर्ज करता है ।

2.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

2016-21 की अवधि को आवृत करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा, जुलाई 2021 में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ एक परिचयात्मक बैठक (6 जुलाई 2021) के साथ प्रारम्भ की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, इकाइयों का चयन, लेखापरीक्षा पद्धति और निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया था । जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग, चयनित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच की गई ।

राजस्थान राज्य को सात प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । लेखापरीक्षा में नमूना जांच के लिये आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के सात प्रशासनिक संभागों से सात जिलों[37]

---

35 पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, लाईन विभाग-सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग आदि और गैर सरकारी संगठन ।

36 आईडब्ल्यूएमएसः ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के लिये एनआईसी द्वारा विकसित एक कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली (वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम) है, जो प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृतियों का ऑनलाइन सृजन, उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के सृजन, प्रभावी निगरानी के लिये डेश बोर्ड रिपोर्ट, परिसंपत्ति सम्पति पंजिका का सृजन आदि के लिए एप्लीकेशन और विभाग द्वारा निष्पादित कार्य का जिओ-टैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करने के लिये मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान करता हैं ।

37 बारां, भीलवाड़ा, चूरू, जोधपुर, करौली, प्रतापगढ़ और सीकर ।

(प्रत्येक संभाग से एक जिला) का यादृच्छिक रूप से चयन किया। इसके अलावा, प्रत्येक चयनित जिले में, आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक पद्धति द्वारा दो ब्लॉक अर्थात कुल 14 ब्लॉक्स[38] का चयन किया गया। इसके अलावा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के अनुरोध पर, एक ब्लॉक छबड़ा (जिला बारां) को लेखापरीक्षा नमूना में शामिल किया गया, इस प्रकार, कुल 15 पंचायत समितियां चयनित की गयी। चयनित जिलों में 2,060 कार्यों[39] में से, 374 कार्यों (प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 20 कार्य स्थानीय स्तर पर चयनित) का एक नमूना भी विस्तृत जांच और भौतिक सत्यापन के लिए चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों, निष्कर्षों और सिफारिशों को जनवरी 2022 में सरकार को सूचित किया गया था और उन पर 25 जनवरी 2022 को आयोजित लेखापरीक्षा समापन बैठक में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और कार्यान्वयन संस्थाओं के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई थी। सरकार द्वारा समापन बैठक में व्यक्त किये गये विचार और बाद में प्राप्त हुए मतों पर विचार कर लिया गया है और उनको उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था, कि क्याः

i. योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवंटित और जारी की गई निधियाँ पर्याप्त थी और उनका उपयोग मितव्ययता एवं कुशलतापूर्वक किया गया था;

ii. योजना मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जा रही थी; और

iii. प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद था।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किये गये लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से लिये गये थेः

- एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देश एवं इसमें समय-समय पर किये गये संशोधन;
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र एवं आदेश;
- ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010;
- राजस्थान पंचायती राज नियम,1996;
- लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम;
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013।

38 बारांः अंता, बारां; भीलवाड़ाः भीलवाड़ा (शहरी), बनेडा; चूरूः चूरू, राजगढ़; जोधपुरः देचू, लूनी; करौलीः करौली (शहरी), टोडाभीम; प्रतापगढ़ः पीपल खूंट, प्रतापगढ़ और सीकरः सीकर (शहरी), धोद।

39 इसमें छबड़ा ब्लॉक के कार्य शामिल हैं।

2.2.6 पिछली लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया

इस विषय पर की गई पिछली निष्पादन लेखापरीक्षाओं/समीक्षाओं को मार्च 2010 और मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (स्थानीय निकाय) में शामिल किया गया था। मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा चर्चा की हुई मान लिया गया था।

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मामले में, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा सरकार के उत्तरों के आधार पर, अनुशंसा रिपोर्ट तैयार किया जाना फरवरी 2022 तक प्रगतिरत था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ग्रामीण विकास विभाग (राज्य स्तर पर), चयनित सात जिला परिषदों और 15 पंचायत समितियों द्वारा संधारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा/ नमूना जांच और योजना अंतर्गत निष्पादित 374 निर्माण कार्यों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के माध्यम से प्रकट हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों की लेखापरीक्षा उद्देश्य-वार चर्चा, अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1: क्या योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवंटित और जारी की गई निधियाँ पर्याप्त थी और उनका उपयोग मितव्ययता एवं कुशलतापूर्वक किया गया था ?

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 जिला परिषदों को निधियाँ कम जारी करना

एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देशों (2013 और 2018) का पैरा 4.1 यह प्रावधित करता है कि योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष बजट के अनुमोदन के बाद, राज्य स्तर अर्थात ग्रामीण विकास विभाग (राजस्थान सरकार) से निधियाँ प्रत्येक जिला परिषद (सीधे ही पीडी खाते में) को सम्बंधित जिला परिषद के अन्तर्गत विधायकों की संख्या के आधार पर आवंटित/हस्तांतरित की जाएगी। इसके आगे, दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2 के अनुसार कुल आवंटित निधियों का 80 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में और शेष 20 प्रतिशत दूसरी किश्त के रूप में जिलों को जारी किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, वर्ष-वार बजट प्रावधान, संशोधित बजट प्रावधान और जिला परिषदों को योजना अंतर्गत जारी वास्तविक राशि **तालिका 1** में दी गई है।

तालिका 1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	संशोधित बजट प्रावधान	जारी राशि			
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	कुल
2016-17	400	400	320	80	0	400
2017-18	400	500	200	75	225	500
2018-19	450	325	225	0	0	225
2019-20	450	450	225	145.13	0	370.13
2020-21	450	225	225*	0	0	225
योग	**2,150**	**1,900**	**1,195**	**300.13**	**225**	**1,720.13**

स्रोत : बजट प्रावधान और संशोधित बजट प्रावधान के आंकड़े वित्त लेखों से लिए गये हैं एवं जारी की गई वास्तविक राशि के आंकड़े ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गए हैं ।

नोटः 2020-21 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा ₹ 225 करोड़ जारी करने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी (24.08.2020) की गई थी तथापि, प्रमाणित वार्षिक लेखों के अनुसार जिला परिषदों को केवल ₹ 220.50 करोड़ की प्राप्ति हुई थी । इस प्रकार, 2016-21 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा ₹ 1,720.13 करोड़ स्वीकृत किये गए तथापि, प्रमाणित वार्षिक लेखों के अनुसार जिला परिषदों को केवल ₹ 1,715.63 करोड़ प्राप्त हुए थे ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है किः

- 2016-21 के दौरान, योजना के लिए कुल बजट प्रावधान ₹ 2,150 करोड़ (संशोधित ₹ 1,900 करोड़) के विरुद्ध, राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को ₹ 1,720.13 करोड़ (मूल बजट प्रावधान का 80 प्रतिशत) जारी किये गए। यहाँ तक कि संशोधित बजट प्रावधान की तुलना में भी ₹ 179.87 (9.47 प्रतिशत) करोड़ राशि कम जारी की गई थी ।

- पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2018-21 के दौरान (15 वीं विधानसभा) जारी की गई निधियाँ उल्लेखनीय ढ़ंग से कम हो कर बजट प्रावधान की 60.75 प्रतिशत रह गई थी ।

  राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि जिला परिषदों के पीडी खातों में पर्याप्त/अप्रयुक्त निधियों की उपलब्धता के कारण वित्त विभाग ने वर्ष 2018-21 के दौरान योजना के लिए बजट आवंटन के अनुसार निधियाँ जारी नहीं की थी । इसके अलावा, यह भी बताया कि जिला परिषदों को उनके पीडी खातों में पड़ी अनुपयोजित राशियों को कम करने के लिए भी नियमित निर्देश जारी किये जाते रहे है । साथ ही, 2021-22 के दौरान, आवंटन के अनुसार निधियाँ जारी की गईं हैं ।

  तथापि तथ्य यह है कि ग्रामीण विकास विभाग ने जिला परिषदों द्वारा निधियों के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरुप वित्त विभाग द्वारा निधियाँ कम जारी की गईं ।

- इसके अलावा, जिला परिषदों को निधियाँ योजना के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित तरीके अर्थात कुल आवंटित निधियों के 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दो किश्तों के अनुसार जारी नहीं की गईं थी सिवाय वर्ष 2016-17 के दौरान । इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान निर्धारित दो किश्तों के बजाय तीन किश्तें जारी की गई थी ।

ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि 2017-21 के दौरान, पहली किश्त के रूप में 80 प्रतिशत निधियाँ जारी करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये गए थे, लेकिन वित्त विभाग ने 80 प्रतिशत के बजाय केवल 50 प्रतिशत निधियाँ जारी करने के लिए सहमति प्रदान की । आगामी वित्तीय वर्षों में योजना के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित तरीके से निधियाँ जारी करने के लिए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जायेंगे ।

2.2.7.2 उपलब्ध निधियों का कम उपयोग

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधानों और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित जिला परिषद द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए संबंधित कार्यकारी संस्था को वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन के साथ ही, स्वीकृत राशि की 80 प्रतिशत राशि जारी किया जाना अपेक्षित है । दूसरी ओर कार्यकारी संस्था निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण करने और निधियों के अंतिम समायोजन के लिये जिला परिषद को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है ।

वर्ष 2016 -21 की अवधि के दौरान, राज्य में योजना अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का वर्ष-वार उपयोग, **तालिका 2** में दिया गया है ।

तालिका 2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जारी निधियाँ		कुल उपलब्ध निधियाँ (2+4+5)	वार्षिक लेखों के अनुसार व्यय	कुल उपलब्ध निधियों के विरुद्ध किये गए व्यय का प्रतिशत	अंतिम शेष	
	नकद*	कार्यकारी संस्थाओं के पास अग्रिम@	राजस्थान सरकार	विविध प्राप्तियां[40]				नकद	कार्यकारी संस्थाओं के पास अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016-17	**501.53**	731.91	400.00	3.50	905.03	355.07	39.23	471.00	786.36
2017-18	469.05	782.32	500.00	4.81	973.86	329.76	**33.86**	519.72	912.70
2018-19	519.53	913.09	225.00	3.85	748.38	382.05	51.05	228.99	1053.80
2019-20	228.99	1050.21	370.13	6.73	605.85	401.27	66.23	341.84	912.95
2020-21	342.41	911.22	220.50	10.10	573.01	429.40	**74.94**	**245.69**	**809.14**
योग			**1,715.63**	**28.99**		**1,897.55**	**84.48**		

स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2016-21 के लिए सम्पूर्ण राज्य के आंकड़ों का एक विवरण उपलब्ध कराया गया जो 33 जिला परिषदों के प्रमाणित वार्षिक लेखों के संकलन पर आधारित था ।

नोटः * नकद, जिला परिषदों के पीडी खातों में शेष को दर्शाता है ।

@ कार्यकारी संस्थाओं के पास अग्रिम, जिला परिषदों द्वारा स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध कार्यकारी संस्थाओं के पास पड़ी हुई वह राशि है जिसका उपयोग अभी कार्य पर नहीं किया गया है या उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण कार्य पर किये गए व्यय के विरुद्ध समायोजन के लिए लम्बित है ।

उपरोक्त तालिका से दृष्टिगत होता है किः-

40 विविध प्राप्तियों में ब्याज एवं जनसहयोग शामिल है ।

- योजनान्तर्गत उपलब्ध कुल निधियों[41] ₹ 2,246.15 करोड़ में से राशि ₹ 1,897.55 करोड़ (84.48 प्रतिशत) का उपयोग कर लिया गया था, तथापि, 2016-21 की अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों का वार्षिक उपयोग केवल 33.86 प्रतिशत से 74.94 प्रतिशत के मध्य रहा।

- मार्च 2021 के अंत में राशि ₹ 245.69 करोड़ (2016-21 के दौरान जारी कुल निधियों का 14.32 प्रतिशत) अप्रयुक्त रही। तथापि, ₹ 809.14 करोड़ की एक बड़ी राशि, जो कि औसत वार्षिक आवंटन (₹ 343.13 करोड़) का 235.81 प्रतिशत होता है, कार्यकारी संस्थाओं के पास अग्रिम के रूप में उपयोग या लेखों के अन्तिमीकरण हेतु लम्बित पड़ी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यकारी संस्थाओं के पास औसतन वार्षिक आवंटन के दोगुने से अधिक की राशि अग्रिम के रूप में हमेशा रहती है। दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित अग्रिमों के समायोजन के मामले भी ध्यान में आए, जिनकी चर्चा **पैराग्राफ 2.2.7.3** में की गई है।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि विधायकों की अनुशंसाओं पर कार्यों को स्वीकृत किया गया था। विधायकों से कम संख्या में अनुशंसाएं प्राप्त होने और स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध निधियों के समायोजन हेतु लंबित रहने के कारण, निधियाँ जिला परिषदों के पीडी खातों में एकत्रित होती रहती हैं। जिला परिषदों के पीडी खाते में शेष को कम करने लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

तथापि, तथ्य यह है कि निधियों के कम उपयोग का मुख्य कारण कार्यकारी संस्थाओं को दिए अग्रिमों का समायोजन नहीं होना था क्योंकि कार्यकारी संस्थाओं के पास ₹ 809.14 करोड़ की बड़ी राशि उपयोग अथवा लेखाओं के अन्तिमीकरण के लिए लंबित पड़ी थी।

- इसके अलावा, 33 जिला परिषदों के संयुक्त विवरण में, चालू वर्षों के प्रारंभिक शेष और पिछले वर्षों के अंतिम शेष के बीच मामूली अंतर यथा (-) ₹ 1.95 करोड़ (2017-18 में), (-) ₹ 0.19 करोड़ (2018-19 में) और (+) ₹ 0.57 करोड़ (2020-21 में) भी देखे गए थे। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त अंतरों का समाधान किया जाना प्रगतिरत था (फ़रवरी 2022)।

- इसी तरह, नमूना जांच किये गए सात जिलों में, 2016-21 के दौरान योजना अंतर्गत उपलब्ध कुल निधियों[42] ₹ 466.33 करोड़ में से राशि ₹ 400.83 करोड़ (85.95 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था, तथापि, उपलब्ध निधियों का वार्षिक उपयोग केवल 34.16 प्रतिशत से 80.12 प्रतिशत के बीच रहा। विवरण **तालिका 3** में दिया गया है।

41 2016-17 का प्रारम्भिक शेषः ₹ 501.53 करोड़ + 2016-21 के दौरान कुल जारी राशिः ₹ 1,715.63 करोड़ + विविध प्राप्तियांः ₹ 28.99 करोड़ = कुल उपलब्ध निधियाँः ₹ 2,246.15 करोड़।

42 ₹ 109.55 करोड़ (2016-17 का प्रारम्भिक शेष) + ₹ 355.51 करोड़ (कुल जारी की गई राशि) + ₹ 1.27 करोड़ (विविध प्राप्तियां) = ₹ 466.33 करोड़।

तालिका 3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जारी निधियाँ	विविध प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियाँ (2+4+5)	वार्षिक लेखों के अनुसार व्यय	कुल उपलब्ध निधियों के विरुद्ध किये गए व्यय का प्रतिशत	अंतिम शेष	
	नकद	कार्यकारी संस्थाओं के पास अग्रिम						नकद	कार्यकारी संस्थाओं के पास अग्रिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016-17	**109.55**	145.72	82.01	0.41	191.97	72.83	37.94	101.08	163.78
2017-18	101.08	163.78	102.50	0.39	203.97	69.68	**34.16**	109.41	188.66
2018-19	109.41	188.66	46.12	0.18	155.71	77.60	49.84	44.20	222.56
2019-20	44.20	222.56	78.75	0.21	123.16	87.74	71.24	69.84	188.14
2020-21	69.84	188.14	46.13	0.08	116.05	92.98	**80.12**	**55.32**	**155.89**
योग			**355.51**	**1.27**		**400.83**			

स्रोत : 2016-20 के लिए प्रमाणित आंकड़े जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गए । 2020-21 के लिए आंकड़े ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए ।

इसके अलावा, ₹ 55.32 करोड़ की राशि सात[43] जिला परिषदों के पीडी खातों में अप्रयुक्त रही और ₹ 155.89 करोड़ (औसत वार्षिक आवंटन अर्थात ₹ 71.10 करोड़ के 219.25 प्रतिशत के बराबर) की बड़ी राशि कार्यकारी संस्थाओं के पास मार्च-2021 के अंत तक अव्ययित या असमायोजित अग्रिम के रूप में पड़ी हुई थी ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि जिला परिषदें एमएलएलैड के अंतर्गत अधिक संख्या में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर रहीं हैं और जिला परिषदों के पीडी खातों में शेष को कम करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्रों के समायोजन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

उपलब्ध निधियों के कम उपयोग से संबंधित मामलों पर पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी । तथापि, ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई ।

2.2.7.3 कार्यकारी संस्थाओं को दिए गए अग्रिमों का समायोजन नहीं होना

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के पैरा 22.12 में प्रावधान है कि यदि कोई कार्यकारी संस्था/विभाग पैरा 22.10 में निर्दिष्ट समय (तीन से नौ माह तक) में कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है तो देरी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है और तदनुसार उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए ।

ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेखों की जाँच में दृष्टिगत हुआ कि मार्च 2021 तक 33 जिलों में विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के पास ₹ 809.14 करोड़ की राशि समायोजन हेतु बकाया थी । तथापि, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अग्रिमों का आयु-वार विवरण संधारित नहीं किया जा रहा

43 बारांः ₹ 3.09 करोड़; भीलवाड़ाः ₹ 6.22 करोड़; चूरूः ₹ 8.33 करोड़; जोधपुरः ₹ 15.43 करोड़; करौलीः ₹ 6.17 करोड़; प्रतापगढ़ः ₹ 1.43 करोड़ और सीकरः ₹ 14.65 करोड़ ।

था। ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि बकाया अग्रिमों का आयु-वार विवरण जिला स्तर पर संधारित किया जाता है।

इसी प्रकार, नमूना जांच की गई सात जिला परिषदों में, मार्च 2021 को विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के पास ₹ 155.89 करोड़[44] का अग्रिम समायोजन हेतु बकाया था। तथापि, नमूना जांच की गई जिला परिषदों द्वारा भी अग्रिमों का आयु-वार विवरण संधारित नहीं किया गया था।

जिला परिषदों द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई-अक्टूबर 2021) कि कार्यकारी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अग्रिमों को वसूल/ समायोजित नहीं किया जा सका।

तथापि, लेखापरीक्षा, ने 11 मुख्य कार्यकारी संस्थाओं का चयन करते हुए, समायोजन के लिए लम्बित अग्रिमों के सम्बन्ध में आईडब्ल्यूएमएस में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से पता चला कि 2016-2020 के दौरान स्वीकृत 4,751 कार्य जो कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के प्रावधानों के अनुरूप (अधिकतम अनुमत समय अवधि 9 माह) दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किए जाने आवश्यक थे, उनसे सम्बंधित कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध, फ़रवरी 2022 को, कुल अग्रिम राशि ₹ 131.91 करोड़ समायोजन/वसूली हेतु लम्बित थी। विवरण **तालिका 4** में दिया गया है।

तालिका 4

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्था/विभाग का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		योग	
		कार्य	राशि	कार्य	राशि	कार्य	राशि	कार्य	राशि	कार्य	राशि
1	पंचायती राज संस्थाएं	415	11.19	789	19.03	1,076	26.98	804	23.43	3,084	80.63
2	नगर निगम	42	2.05	82	3.37	112	6.86	28	1.90	264	14.18
3	सार्वजनिक निर्माण विभाग	18	0.80	64	3.97	67	3.49	54	3.02	203	11.28
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	52	1.51	85	2.07	140	3.36	73	2.55	350	9.49
5	शिक्षा विभाग	28	0.48	77	1.07	165	2.10	60	1.14	330	4.79
6	नगर पलिकाएँ	19	0.69	48	1.91	36	1.12	12	0.34	115	4.06
7	विद्युत वितरण कंपनी	26	0.44	65	0.75	98	1.25	69	0.75	258	3.19
8	नगर परिषद्	13	0.32	17	0.71	14	0.28	18	0.53	62	1.84
9	चिकित्सा विभाग	8	0.52	7	0.45	6	0.16	39	0.63	60	1.76
10	वन विभाग	1	0.12	10	0.05	3	0.11	3	0.12	17	0.40
11	वाटरशैड	0	0	4	0.05	4	0.24	0	0	8	0.29
	योग	**622**	**18.12**	**1,248**	**33.43**	**1,721**	**45.95**	**1,160**	**34.41**	**4,751**	**131.91**

यह देखा गया कि 90 प्रतिशत से अधिक अग्रिम (₹ 121.48 करोड़) अकेले पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों[45], लोक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

44 बारांः ₹ 14.89 करोड़; भीलवाड़ाः ₹ 28.43 करोड़; चूरूः ₹ 25.19 करोड़; जोधपुरः ₹ 35.98 करोड़; करौलीः ₹ 19.01 करोड़; प्रतापगढ़ः ₹ 9.22 करोड़ और सीकरः ₹ 23.17 करोड़।

45 नगर निगम, नगर परिषदें और नगरपालिकाएं।

के विरुद्ध निर्माण कार्यों की पूर्णता की निर्धारित तिथि के बाद एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे। यहाँ तक कि 2016-20 के दौरान स्वीकृत कार्यों के लिए कुल अग्रिमों का 61.12 प्रतिशत, केवल पंचायती राज संस्थाओ के विरुद्ध समायोजन/कार्यों को पूर्ण करने के लिए लम्बित था।

यह जिला परिषदों द्वारा कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध पहल करने में कमी का द्योतक था। इसके अलावा, विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान को लागू करने और तदनुसार उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध की गई कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी, चयनित जिला परिषदों के अभिलेखों में नहीं पायी गई ।

इस प्रकार, जिला परिषदें योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आईडब्ल्यूएमएस में उपलब्ध निगरानी के साधनों का उपयोग करने में असफल रहीं।

राजस्थान सरकार ने चयनित सात जिलों के सम्बन्ध में अवगत कराया (जून 2022) कि अग्रिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्रों के समायोजन नहीं होने के कारण लंबित थे और लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्रों के समायोजन के लिए प्रयास किये जा रहें हैं।

2.2.7.4 उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना

सितम्बर-2014 में जारी शिड्यूल ऑफ पावर्स के परिशिष्ट-5 के अनुसार कार्यकारी संस्थाओं के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से अधिकतम 15 दिवसों के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने थे अन्यथा प्रकरण स्वीकृति के लिए उच्च अधिकारियों को अग्रेषित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 2016-21 के दौरान ₹ 2,042.34 करोड़ के 54,929 कार्य स्वीकृत किये गये थे। इनमें से, राज्य में जून 2021 को राशि ₹ 213.14 करोड़ के 6,631 कार्यों[46] के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा राशि ₹ 187.80 करोड़ के 5,462 कार्यों[47] के पूर्णता प्रमाण-पत्र लम्बित थे।

इसी प्रकार, नमूना जाँच किये गये सात जिला परिषदों में, मार्च 2021 तक स्वीकृत ₹ 420.17 करोड़ के कुल 10,250 कार्यों में से, राशि ₹ 94.85 करोड़ के 2,041 कार्यों[48] के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ पूर्णता प्रमाण-पत्र लंबित थे।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि जिला परिषद जोधपुर में राशि ₹ 5.34 करोड़ के 161 कार्य और जिला परिषद प्रतापगढ़ में 178 कार्य लंबित थे। शेष जिला परिषदों

46 2016-17: ₹ 19.52 करोड़ (688 कार्य); 2017-18: ₹ 38.57 करोड़ (1,430 कार्य); 2018-19: ₹ 52.25 करोड़ (1,815 कार्य); 2019-20: ₹ 43.52 करोड़ (1,277 कार्य) और 2020-21: ₹ 59.28 करोड़ (1,421 कार्य)।

47 2016-17: ₹ 27.88 करोड़ (791 कार्य); 2017-18: ₹ 42.51 करोड़ (1,574 कार्य); 2018-19: ₹ 56.28 करोड़ (1,716 कार्य); 2019-20: ₹ 38.89 करोड़ (1,103 कार्य) और 2020-21: ₹ 22.24 करोड़ (278 कार्य)।

48 बारां: 167 कार्य (₹ 8.80 करोड़); भीलवाड़ा: 407 कार्य (₹ 15.52 करोड़); चूरू: 183 कार्य (₹ 12.10 करोड़); जोधपुर: 420 कार्य (₹ 25.40 करोड़); करौली: 221 कार्य (₹ 7.00 करोड़); प्रतापगढ़: 206 कार्य (₹ 7.74 करोड़) और सीकर: 437 कार्य (₹ 18.29 करोड़)।

के सम्बन्ध में, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों/पूर्णता प्रमाण-पत्रों के समय पर समायोजन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

कार्यकारी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने से संबंधित प्रकरणों पर पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों (2010 और 2016) में भी टिप्पणी की गयी थी । तथापि, ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई ।

इस प्रकार, कार्यकारी संस्थाओं के पास वार्षिक आवंटन के दोगुने से भी अधिक राशि संबंधित कार्यकारी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण या तो अप्रयुक्त रहती है अथवा असमायोजित रहती है । उक्त अप्रयुक्त/असमायोजित रही राशि के कारण सार्वजनिक उपयोग हेतु मूर्त परिसंपत्ति के समयबद्ध सृजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं करने तथा जिला परिषदों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने/देरी से करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है ताकि अग्रिमों का समय पर समायोजन सुनिश्चित किया जा सके । इससे निधियों के वास्तविक उपयोग में वृद्धि होगी और सार्वजनिक उपयोग की मूर्त परिसंपत्तियों का समय पर सृजन होगा ।

2.2.7.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्राम के लिए निधियों का उपयोग

एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देशों (मार्च 2013 और नवंबर 2018) का पैरा 2.1 प्रावधित करता है कि प्रति विधानसभा क्षेत्र वार्षिक आवंटन की कम से कम 20 प्रतिशत निधियाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्राम के विकास के लिए अनिवार्य रूप से अनुशंसित की जाएगी ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वार्षिक आवंटन में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्राम में कार्यों के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया । इसके बजाय, ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (जून 2021) कि अभिलेख जिला स्तर पर उपलब्ध हैं ।

नमूना जांच की गई सात जिला परिषदों में 2016-21 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्राम के लिए अनिवार्य वार्षिक आवंटन की 20 प्रतिशत निधियों के सम्बन्ध में अनुशंसा की स्थिति **तालिका 5** में दी गई है ।

तालिका 5

जिला परिषद का नाम	वार्षिक आवंटन में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्राम के लिए अनुशंसित निधियों का प्रतिशत				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बारां	0.13	0	0	0	0
भीलवाड़ा	10.56	0	0	0	0
चूरु	4.00	1.13	10.37	2.30	8.30
जोधपुर	14.45	14.88	89.51	9.47	8.53

जिला परिषद का नाम	वार्षिक आवंटन में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्राम के लिए अनुशंसित निधियों का प्रतिशत				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
करौली	19.88	25.90	39.56	27.33	14.67
प्रतापगढ़	100.25	66.00	84.89	25.11	163.11
सीकर	15.31	22.80	66.11	18.78	7.00

स्रोतः जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना ।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2016-21 के दौरान केवल जिला परिषद प्रतापगढ़ ने अधिदेशित 20 प्रतिशत निधियां अनुशंसित की थी । जिला परिषद बारां, भीलवाड़ा, चूरू और जोधपुर (सिवाय 2018-19 के) के द्वारा 2016-21 के दौरान अधिदेशित 20 प्रतिशत निधियों की अनुशंसा नहीं की गई ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि जिला परिषद भीलवाड़ा के दो विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए निधियों की अनुशंसा की गयी थी, तथापि, जिला परिषद भीलवाड़ा के अन्य क्षेत्र में स्वीकृतियां जारी करने का कार्य प्रक्रियाधीन है । जिला परिषद बारां में, 2016-21 के दौरान राशि 13.20 करोड़ के 479 कार्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किये गए थे, जो कुल स्वीकृत कार्यों का लगभग 20 प्रतिशत है । जिला परिषद चूरू और सीकर के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि विधायकों की अनुशंसाओं के आधार पर कार्य स्वीकृत किये थे और विधायकों से कम अनुशंसाएं प्राप्त होने के कारण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए कम निधियाँ स्वीकृत की गयी थी ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों के अपर्याप्त कवरेज से सम्बंधित प्रकरणों पर लेखापरीक्षा के पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी, टिप्पणी की गई थी । तथापि, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई ।

2.2.7.6 एमएलएलैड योजना निधि का मनरेगा के साथ अभिसरण

ग्रामीण विकास विभाग ने ये निर्देश जारी (नवंबर-2015) किये कि एक वित्तीय वर्ष में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त कुल निधियों में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियाँ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों के लिए जारी की जानी थी ।

ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से दृष्टिगत हुआ कि 2016-21 के दौरान एमएलएलैड के अंतर्गत राज्य में 33 जिला परिषदों को ₹ 1,715.63 करोड़ आवंटित किये गये थे । इस प्रकार, मनरेगा के साथ ₹ 343.13 करोड़ का अभिसरण किया जाना अपेक्षित था, तथापि, 2016-21 के दौरान जिला परिषदों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अनुमत कार्यों के लिए अभिसरण के माध्यम से केवल ₹ 14.85 करोड़ (0.87 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया था ।

नमूना जांच की गई जिला परिषदों में, 2016-21 के दौरान एमएलएलैड योजना अंतर्गत जिला परिषदों द्वारा ₹ 355.51 करोड़ प्राप्त किये गए, इस प्रकार, मनरेगा के साथ अभिसरण करके

₹ 71.10 करोड़ का उपयोग किया जाना था किन्तु केवल ₹ 4.81 करोड़ का ही उपयोग किया गया। विवरण **तालिका 6** में दिया गया है।

तालिका 6

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	जिला	आवंटन	अभिसरण के माध्यम से स्वीकृत की जाने वाली निधियाँ	अभिसरण के माध्यम से स्वीकृत वास्तविक निधियाँ	अभिसरण के माध्यम से कम स्वीकृत निधियाँ
1.	बारां	36.00	7.20	1.13	6.07
2.	भीलवाड़ा	63.01	12.60	0.47	12.13
3.	चूरू	54.00	10.80	00	10.80
4.	जोधपुर	90.00	18.00	0.77	17.23
5.	करौली	31.50	6.30	0.06	6 .24
6.	प्रतापगढ़	18.00	3.60	1.73	1.87
7.	सीकर	63.00	12.60	0.65	11.95
	योग	**355.51**	**71.10**	**4.81**	**66.29**

स्रोत : जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि विधायकों द्वारा कम अनुशंसा किए जाने के कारण अभिसरण नहीं किया जा सका।

2.2.7.7 एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देशों का क्रमिक कमजोर पड़ना

एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देशों में 1999-2000 में इसकी शुरुआत से ही कई संशोधन किये हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अध्ययन दर्शाता है कि दिशा-निर्देश अपनी प्रभावशीलता खो चुके हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को वापस ले लिया गया था जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विवरण **तालिका 7** में दिया गया है।

तालिका 7

क्र.सं.	प्रावधान	वापस लिए गए प्रावधान/शामिल किये गए प्रावधान	प्रभाव
1.	कुल वार्षिक आवंटन की कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्रामों के विकास के लिए अनिवार्य रूप से अनुशंसित की जानी चाहिये। यदि कार्य विधायक द्वारा अनुशंसित नहीं किये जाते हैं तो जिला कलेक्टर कार्य स्वीकृत कर सकता है। (**दिशा-निर्देश 2009**)	कुल वार्षिक आवंटन की कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्रामों के विकास के लिए अनिवार्य रूप से अनुशंसा की जानी चाहिये। (**जुलाई-2012**)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों और संबल ग्रामों के विकास से वंचित होने की संभावना (जैसा कि **पैराग्राफ 2.2.7.5** में चर्चा की गई है)
2.	जिला परिषद को वार्षिक आवंटन का 50 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा बशर्ते कि योजना अंतर्गत पिछले वर्ष में उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय किया जा चुका हो और शेष 50 प्रतिशत, चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत से अधिक व्यय करने और पिछले वर्ष की सीए ऑडिट रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जायेगा। (**दिशा-निर्देश 2000**)	जिलों को एकमुश्त राशि (एक किश्त में) जारी की जाएगी। (**दिशा-निर्देश 2009**) 80 प्रतिशत निधियाँ पहली किश्त के रूप में और 20 प्रतिशत दूसरी किश्त के रूप में जिलों को जारी की जाएगी। (**जून 2010**)	जिला परिषदों के पास भारी शेष अनुपयोजित रहता है। (जैसा कि **पैराग्राफ 2.2.7.2 और 2.2.7.3** में चर्चा की गई है)

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही एमएलएलैड के दिशा-निर्देशों में संशोधन अधिसूचित किये गए थे ।

तथापि, तथ्य यह है कि इन संशोधनों के कारण, योजना के दिशा-निर्देशों के उपरोक्त प्रावधानों की प्रभावकारिता कम हुई है जैसा कि उपरोक्त संदर्भित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है ।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2: क्या योजना मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जा रही थी ?

2.2.8 योजना का कार्यान्वयन

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिवर्ष विधायक की अनुशंसा पर वार्षिक बजट सीमा के भीतर, उसके निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किये जाने वाले टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को भेजना अपेक्षित है । संबंधित जिला परिषद अनुशंसित कार्यों के लिए समयबद्ध तरीके से प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए उत्तरदायी होगी । ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य कार्यकारी संस्थाओं द्वारा निष्पादित किए जाएंगे ।

2.2.8.1 विधायकों द्वारा प्रस्तावित कार्य

आईडब्ल्यूएमएस पर (14.02.2022 को) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2016-21 के दौरान विधायकों द्वारा प्रस्तावित कार्य और जिला परिषदों द्वारा स्वीकृत कार्यों का विवरण, **तालिका 8** में दिया गया है ।

तालिका 8

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	वर्ष	वर्ष के दौरान जारी निधि	विधायकों द्वारा अनुशंसित कार्यों की संख्या	अनुशंसित कार्यों की लागत (प्रतिशत)	जिला परिषद द्वारा स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत कार्यों की राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की राशि
1	2016-17	400	11,892	408.67 (102.17)	11,710	405.28	10,873	354.56
2	2017-18	500	15,052	539.06 (107.81)	15,055	516.67	13,241	426.25
3	2018-19	225	15,588	545.97 (242.65)	15,246	533.02	12,657	406.66
4	2019-20	370.13	7,063	290.04 (78.36)	6,926	284.85	4,979	184.99
5	2020-21	220.50	6,063	302.40 (137.14)	5,992	302.52	1,603	76.36
	योग	**1,715.63**	**55,658**	**2,086.14 (121.60)**	**54,929**	**2,042.34**	**43,353**	**1,448.82**

स्रोत : आईडब्ल्यूएमएस पर उपलब्ध आंकड़ों और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार

इस प्रकार, 2016-21 के दौरान कुल आवंटित निधियों ₹ 1715.63 करोड़ के विरुद्ध, विधायकों ने ₹ 2,086.14 करोड़ (121.60 प्रतिशत) मूल्य के 55,658 कार्यों की अनुशंसा की ।

यह विधायकों के बीच योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है क्योंकि संबंधित विधायकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव जिला परिषदों को अग्रेषित किये गए थे ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि विधायकों की अनुशंसाओं के अनुसार ही कार्य स्वीकृत किये गए थे। चुनाव वर्ष होने के कारण वर्ष 2018-19 में अधिक स्वीकृतियाँ जारी की गई थी।

2.2.8.2 तकनीकी और वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं करना

योजना के दिशा-निर्देशों (2013/2018) के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की तिथि से अधिकतम 30 दिवसों के भीतर तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी चाहिए।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए (22 जून 2021) आंकड़ों के अनुसार, 2016-21 के दौरान, 56,397 प्रशासनिक स्वीकृतियों के विरुद्ध 55,133 तकनीकी स्वीकृतियाँ और 54,929 वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गई थी। इस प्रकार, तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद भी 204 कार्यों[49] की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद भी 1,468 कार्यों[50] का निष्पादन नहीं हुआ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि कार्यकारी संस्थाओं से प्राक्कलन/चैकलिस्ट समय पर प्राप्त नहीं होने या भूमि संबंधी विवाद के कारण कम संख्या में तकनीकी स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। निर्धारित समयावधि में तकनीकी स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.2.8.3 वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने में असामान्य विलंब

एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देशों (मार्च 2013/नवंबर 2018) के अनुसार प्रस्तावित कार्यों की विधायक द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से 30-40 दिवसों के भीतर वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना अपेक्षित है। कोई भी कार्य इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकता है और तदनुसार कार्यकारी संस्था को निधियाँ हस्तांतरित की जाती हैं।

नमूना जांच किए गए सात जिला परिषदों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि 2016-21 के दौरान 5,833 कार्यों (56.91 प्रतिशत) की वित्तीय स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा में जारी नहीं की गई थी। विवरण **तालिका 9** में दिया गया है।

तालिका 9

जिला परिषदों का नाम	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	उन कार्यों की संख्या जिनकी वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से जारी की गई/नहीं की गई					विलम्ब
		90 दिवसों तक	91 से 180 दिवसों तक	181 से 365 दिवसों तक	एक वर्ष से अधिक	कुल प्रकरण (प्रतिशत में)	
बारां	1,314	480	84	7	शून्य	571 (43.46)	275 दिन तक
भीलवाड़ा	1,904	618	117	33	139	907 (47.64)	**1,472 दिन तक**
चूरू	1,241	635	140	38	23	836 (67.37)	**1,661 दिन तक**
जोधपुर	2,271	976	345	106	6	1,433 (63.10)	635 दिन तक

49 2016-17: 13 कार्य; 2017-18: 27 कार्य; 2018-19: 105 कार्य; 2019-20: 14 कार्य; 2020-21: 45 कार्य;

50 प्रशासनिक स्वीकृतिः 56,397 में से वित्तीय स्वीकृतियाँः 54,929 घटाकर= 1,468

जिला परिषदों का नाम	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	उन कार्यों की संख्या जिनकी वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से जारी की गई/नहीं की गई					विलम्ब
		90 दिवसों तक	91 से 180 दिवसों तक	181 से 365 दिवसों तक	एक वर्ष से अधिक	कुल प्रकरण (प्रतिशत में)	
करौली	1,009	516	158	90	6	770 (76.31)	919 दिन तक
प्रतापगढ़	564	133	11	2	3	149 (26.42)	458 दिन तक
सीकर	1,947	927	116	21	103	1,167 (59.94)	1,129 दिन तक
योग	**10,250**	**4,285**	**971**	**297**	**280**	**5,833 (56.91)**	

स्त्रोत : जिला परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं आईडब्ल्यूएमएस पर उपलब्ध आंकड़े ।

स्पष्टतः, 56.91 प्रतिशत मामलों में वित्तीय स्वीकृति जारी करने में असामान्य देरी के कारण कार्यों को प्रारम्भ करने और पूर्ण करने में भी विलम्ब हुआ, जिससे योजना अंतर्गत सृजित की जाने वाली सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लाभ से लोग वंचित रहे । 1,548 मामलों[51] (26.54 प्रतिशत) में तीन माह से अधिक का विलम्ब देखा गया था । इसके अलावा, 280 मामलों में से, 16 मामलों में वित्तीय स्वीकृतियाँ एक वर्ष से अधिक की देरी से जारी की गई थी, जबकि 264 मामलों में, वित्तीय स्वीकृतियाँ 365 से 1,661 दिवस (अक्टूबर 2021 तक) की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी नहीं की गई थी ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि कार्यकारी संस्थाओं द्वारा समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने और भूमि विवाद के कारण वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलम्ब हुआ था । वित्तीय स्वीकृति समय पर जारी करने के प्रयास किये जा रहे है । इसके अलावा, जिला परिषद सीकर के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि तकनीकी कारणों से, निरस्त कार्यों की स्वीकृति आईडब्ल्यूएमएस से नहीं हटाई जा सकी । वर्तमान में, 90 दिवस के भीतर वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जा रहीं हैं और 90 दिवस से अधिक की कोई वित्तीय स्वीकृति लंबित नहीं है ।

लेखापरीक्षा समापन बैठक (जनवरी 2022) में, ग्रामीण विकास विभाग के उप शासन सचिव ने बताया कि वित्तीय स्वीकृति जारी करने में 1,661 दिवसों तक की देरी नहीं हो सकती क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 दिवसों के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जाती है। वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलम्ब जैसा कि आईडब्ल्यूएमएस पर दर्शाया गया है, का कारण ऐसे मामलों को सिस्टम से नहीं हटाया जाना है ।

लेखापरीक्षा का मत है, कि यदि सिस्टम में इस एप्लिकेशन के संचालन से संबंधित कोई मामला है, तो सिस्टम को अधिक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी बनाने के लिए उसको हल किये जाने की आवश्यकता है ।

2.2.9 योजना अंतर्गत भौतिक प्रगति

2016-21 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य में निष्पादन के लिए कुल 54,929 कार्य स्वीकृत किये गए थे । इनमें से, 43,353 कार्य (78.93 प्रतिशत) पूर्ण किये गए, 1,616 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए, 194 कार्य निरस्त कर दिए गए और 9,766 कार्य (17.78 प्रतिशत) अपूर्ण रहे ।

51 971 मामले (91 से 180 दिन विलम्ब)+ 297 मामले (181 से 365 दिन विलम्ब)+ 280 मामले (एक वर्ष से अधिक विलम्ब)= 1,548 मामले (तीन माह से अधिक विलम्ब)

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि सभी जिला परिषदों को स्वीकृत कार्यों को शुरू करने और प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश नियमित रूप से दिए जा रहे हैं।

2.2.9.1 कार्यों का विलंब से निष्पादन/निष्पादन नहीं होना

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के पैरा 22.10 में कार्यों को पूर्ण करने के लिए तीन से नौ माह तक की अवधि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, पैरा 22.12 में प्रावधान है कि यदि कार्यकारी संस्था/सरकारी विभाग कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित से अधिक समय लेता है, तो, विलम्ब के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है।

i) नमूना जांच की गयी सात जिला परिषदों की लेखापरीक्षा में (जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान) तथापि, पाया गया कि 2016-20 (मार्च 2020 तक) के दौरान कुल स्वीकृत 9,491 कार्यों में से, 1,368 कार्य (14.41 प्रतिशत) उनकी निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अपूर्ण रहे। अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत 9.03 से 19.83 प्रतिशत के मध्य रहा। विवरण **तालिका 10** में दिया गया है।

तालिका 10

जिला परिषद	कार्य						अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत
	स्वीकृत		पूर्ण		अपूर्ण		
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
बारां	1,217	42.09	1,092	35.63	112	3.50	10.02
भीलवाड़ा	1,836	63.63	1,489	50.87	281	9.90	15.31
चूरू	1,159	58.14	1,026	46.21	119	3.26	10.27
जोधपुर	2,095	91.93	1,800	68.98	295	17.98	14.08
करौली	938	34.03	752	27.82	186	4.82	19.83
प्रतापगढ़	432	17.68	328	13.53	39	1.15	9.03
सीकर	1,814	68.02	1,488	51.93	326	12.60	17.97
योग	**9,491**	**375.53**	**7,975**	**294.97**	**1,368**	**53.51**	**14.41**

स्रोत : जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि प्रगतिरत रहे/अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ii) लेखापरीक्षा द्वारा आईडब्ल्यूएमएस के आंकड़ों के विश्लेषण से दृष्टिगत हुआ कि 2014-16 के दौरान स्वीकृत, राशि ₹ 34.61 करोड़ के 1,080 कार्य[52] छह से सात वर्षों की समाप्ति के बाद भी जुलाई 2021 तक प्रगतिरत थे या प्रारंभ नहीं हुए थे। इनमें से राशि ₹ 7.16 करोड़ के 204 अपूर्ण रहे कार्य[53] नमूना जांच की गई जिला परिषदों से सम्बंधित थे।

52 2014-15: 360 कार्य (₹ 11.74 करोड़) और 2015-16: 720 कार्य (₹ 22.87 करोड़)।

53 बारां: 23 कार्य (₹ 0.59 करोड़); भीलवाड़ा: 57 कार्य (₹ 1.56 करोड़); चूरू: 4 कार्य (₹ 0.15 करोड़); जोधपुर: 20 कार्य (₹ 0.90 करोड़); करौली: 52 कार्य (₹ 1.28 करोड़); प्रतापगढ़: 7 कार्य (₹ 0.16 करोड़) और सीकर: 41 कार्य (₹ 2.52 करोड़)।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि 2014-16 के दौरान स्वीकृत किए गए कार्यों में से जिला परिषद जोधपुर में केवल दो कार्य ही अपूर्ण हैं। तथापि, राज्य सरकार ने शेष जिला परिषदों के बारे में, अपने उत्तर में कुछ नहीं बताया।

iii) कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब: नमूना जांच की गई पांच जिला परिषदों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि चयनित जिला परिषदों द्वारा कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब से सम्बंधित सूचनाओं/स्थिति का संधारण नहीं किया गया था। जिला परिषदों द्वारा कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब की सूचनाओं के संधारण के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा विलम्ब से पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि कैंप आयोजित कर कार्यकारी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्रों के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है जिससे कि कार्यों को पूर्ण किया जा सके। इसके अलावा, जिला परिषद चूरू में, विलम्ब से पूर्ण किये गए कार्यों का विवरण कार्यकारी संस्थाओं से मांगा गया है और इसको जिला परिषद स्तर पर संधारित किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के सन्दर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि जिला परिषदें, बहुत लंबे समय तक कार्यकारी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं उनको समायोजित करने और विवादित कार्यों को समय पर निरस्त करने में असफल रहीं।

2.2.10 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों का निष्पादन

चयनित सात जिला परिषदों और 15 पंचायत समितियों के अभिलेखों की नमूना जांच और योजना अंतर्गत निष्पादित, 374 कार्यों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों[54] के साथ) से निम्नलिखित दृष्टिगत हुआः

2.2.10.1 सड़क कार्य

i) नालियों एवं विस्तार जोड़ के निर्माण का अभाव

ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के परिशिष्ट-I के पैरा 17 (ए) के अनुसार, सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए सड़कों के साथ-साथ नालियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां भी आवश्यक हो, जलभराव को रोकने के लिए सड़कों के साथ-साथ नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पैरा 23(3) अधिदेशित करता है कि सीसी सड़क के प्रत्येक 15 मीटर पर विस्तार जोड़ (एक्सपेंशन ज्वाइंट)[55] दिए जाने चाहिए।

नमूना जांच की गई सात जिला परिषदों में ₹ 4.83 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई 100 सड़कों (सीसी सड़कः 89 और इंटरलॉकिंगः 11) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (विवरण **परिशिष्ट** XVI में दिया गया है) में दृष्टिगत हुआ किः

54 सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और ग्राम विकास अधिकारी।

55 तापमान में परिवर्तन से होने वाले सामग्री के विस्तार को अनुमत करने और फ्लेक्सुरल तनाव को कम करने के लिए सीसी सडकों में 15 मीटर के अंतराल पर 25 मिमी चौड़ाई के विस्तार जोड़ (एक्सपेंशन ज्वाइंट) दिए जाते हैं।

- सीसी सड़कों के सभी 89 मामलों में, सीसी सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रामीण कार्य निर्देशिका में यथा निर्धारित विस्तार जोड़ नहीं दिए गए थे।
- इसके अलावा, 41 निर्माण कार्यों के मामले में (सीसी सड़कः 30 और इंटरलॉकिंगः 11), सड़कों के साथ साथ नालियों का निर्माण इस तथ्य के बावजूद नहीं किया गया था कि विस्तृत अनुमान में नाली निर्माण शामिल था और पर्याप्त निधियों का प्रावधान था। यह तथ्य कार्यों के निष्पादन के दौरान पर्यवेक्षण और निरीक्षण की कमी को भी प्रदर्शित करता है।
- 23 सड़क कार्यों (सीसी सड़कः 16 और इंटरलॉकिंगः 07) के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी इस तथ्य की पुष्टि हो गई कि सड़कों के साथ-साथ विस्तार जोड़/नालियां प्रदान/ निष्पादित नहीं कराये गए थे।

उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैंः

कार्यः इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली ग्राम बडोदिया में संपत के मकान से आंगनवाड़ी केन्द्र की ओर, ग्राम पंचायत झारखेड़ी, पंचायत समिति छबड़ा, जिला परिषद बारां (पूर्णः जून 2017) **तकनीकी अनुमान में किये गए प्रावधान के विरुद्ध, यह सड़क बिना नाली के निर्मित की गई थी।**	कार्यः इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली फूल बड़ोदा सड़क से कन्हैया लाल के मकान तक ग्राम रिधा ग्राम पंचायत खोपर, पंचायत समिति छबड़ा, जिला परिषद बारां (पूर्णः अप्रैल 2017) **तकनीकी अनुमान में किये गए प्रावधान के विरुद्ध यह सड़क बिना नाली के निर्मित की गई थी।**

राजस्थान सरकार ने जिला परिषद बारां, करौली और प्रतापगढ के सम्बन्ध में अवगत कराया (जून 2022) कि नाली निर्मित नहीं की गई थी क्योंकि यह आवश्यक नहीं थी और विधायक द्वारा अनुशंसित कार्य में नाली निर्माण सम्मिलित/उल्लिखित नहीं था। इसके अलावा, जिला परिषद जोधपुर के सम्बन्ध में यह अवगत कराया कि अनुपालना कर दी गई है और अनुपालना की कार्य-वार सूची संलग्न थी। जिला परिषद सीकर के सम्बन्ध में यह बताया कि नालियाँ और विस्तार जोड़ सड़कों में निर्मित किये गए थे, तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में धूल के कारण, विस्तार जोड़ धूल से ढँक गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवश्यकता के आधार पर विस्तृत अनुमानों में शामिल होने के बावजूद नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इसके अलावा, जिला परिषद जोधपुर ने केवल एमएलएलैड के तहत निष्पादित कराए गए कार्यों की सूची प्रदान की है, न कि की गई अनुपालना का विवरण। इसके अलावा, जिला परिषद सीकर के मामले में, माप पुस्तिका में विस्तार जोड़ के कार्य का मापन शामिल नहीं था।

इस प्रकार, पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद सड़कों की गुणवत्ता/मजबूती से समझौता किया गया था। इससे योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों को क्षति भी पहुंची।

ii) क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य परिसंपत्तियों की मरम्मत नहीं करना

योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 2.5 के अनुसार, विधायक अपने वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत राशि तक के कार्य सार्वजनिक उपयोग की राजकीय परिसंपत्तियों की मरम्मत/नवीनीकरण करवाने के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं ।

अभिलेखों की संवीक्षा से दृष्टिगत हुआ कि परिसम्पत्तियों की मरम्मत/नवीनीकरण कार्यों पर उपयोग की गई निधियों से संबंधित विवरण ग्रामीण विकास विभाग में राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं था । ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया (जून 2021) कि यह डाटा जिला परिषद स्तर पर संधारित किया जाता है ।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच की गयी दो जिला परिषदों (भीलवाड़ा और जोधपुर) ने मरम्मत/नवीनीकरण कार्यों पर उपयोग की गई निधियों के अलग से अभिलेख/विवरण संधारित नहीं किये थे । शेष पाँच जिला परिषदों में 2016-21 के दौरान इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध ₹ 40.50 करोड़ (₹ 202.50 करोड़ के कुल आवंटन का 20 प्रतिशत) की निधियों के विरूद्ध, केवल ₹ 4.73 करोड़ (कुल आवंटन का 2.34 प्रतिशत) की राशि का ही उपयोग किया गया था ।

नमूना जांच की गयी सात जिला परिषदों में 76 सीसी/इंटरलॉकिंग सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, पांच जिला परिषदों में ₹ 124.67 लाख के व्यय से 2016-21 के दौरान पूर्ण हुई 17 सीसी सड़कें, जलभराव के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पाई गईं थी । इसके अलावा, दो अन्य परिसंपत्तियां यथा 'चारदीवारी' और 'कमरा मय बरामदा' भी छत के अनुचित लेवल और कार्य की गुणवत्ता सब-स्टैण्डर्ड होने के कारण क्षतिग्रस्त स्थिति में पाए गए थे (विवरण **परिशिष्ट** XVII में दिया गया है) ।

इस प्रकार, मरम्मत/नवीनीकरण के लिए भारी राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी विभाग द्वारा परिसम्पत्तियों की मरम्मत/नवीनीकरण के कार्यों को नहीं किया गया था ।

उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं:

क्षतिग्रस्त सीसी सड़क : सीसी सड़क का निर्माण, भारत टेंट हाउस से चामुंडा मंदिर की ओर पंचायत समिति करौली शहरी, जिला परिषद करौली (पूर्णः फरवरी 2019)

क्षतिग्रस्त सीसी सड़क मय नाली छगन लाल के घर से बालाजी मंदिर तक, ग्राम पंचायत सेवद बडी, पंचायत समिति धोद, जिला परिषद सीकर (पूर्णः जून 2016)

क्षतिग्रस्त सीसी सड़क मय नाली छोटू नागर के मकान से प्रहलाद मालव और देवकरण के मकान की ओर ग्रामः गोवर्धनपुरा, ग्राम पंचायत बारां, पंचायत समिति बारां, जिला परिषद बारां (पूर्णः अगस्त 2017)	**क्षतिग्रस्त इंटर लॉकिंग सड़क मय नाली बालाजी मंदिर से मोक्षधाम तक, ग्राम पंचायत मूंडिया, पंचायत समिति टोडाभीम, जिला परिषद करौली (पूर्णः अप्रैल 2018)**

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि जिला परिषद बारां के मामले में, बताये गए पांच कार्य 2016-18 के दौरान निर्मित किये गए थे और नियमित सामुदायिक उपयोग के कारण, परिसम्पत्तियों का क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक था। लेकिन ये केवल विधायक की अनुशंसा पर ही मरम्मत किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य कार्य लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मरम्मत किये गए थे। जिला परिषद चूरू और करौली के मामले में, ग्राम विकास अधिकारी को क्रमशः तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने और कार्यों की मरम्मत के लिये निर्देश दे दिए गए हैं। जिला परिषद प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में, यह बताया कि परिसम्पत्तियाँ परिसम्पतियाँ 2016-17 के दौरान निर्मित की गयी थी और पांच वर्ष की अवधि में क्षतिग्रस्त हुई थी। इन कार्यों की मरम्मत की जा रही है।

2.2.10.2 पेयजल स्रोतों की स्थापना

i) हैंड पंपों के साथ सोख्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं किया जाना

पंचायती राज विभाग ने हैंड पंप की स्थापना के संबंध में एक परिपत्र जारी (सितंबर 2014) किया जो निर्धारित करता है कि नाली, पशु खेली और सोख्ता गड्ढे (सोक पिट) का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि अपशिष्ट जल स्वाभाविक रूप से पशु खेली में चला जाए।

नमूना जांच की गई सात में से पांच[56] जिला परिषदों में ₹ 1.17 करोड़ की लागत से स्वीकृत (मई 2016 से जनवरी 2021) 133 'हैंड पंप एवं पनघट[57] की स्थापना' के कार्यों के मामले में (विवरण **परिशिष्ट** XVIII में दिया गया है) दृष्टिगत हुआ किः

- ₹ 0.85 करोड़ के व्यय से पूर्ण किए गए 93 हैंड पंपों और पनघटों के मामले में, सोख्ता गड्ढे/रिचार्ज पिट और पशु खेली का निर्माण नहीं किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई कि 17 कार्यों में सोख्ता गड्ढा/रिचार्ज पिट और पशु खेली का निर्माण नहीं किया गया था।

56 बारां, भीलवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़ और सीकर।

57 पनघटः लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए निर्मित एक ढांचा है।

- राशि ₹ 0.28 करोड़ के शेष 40 मामलों में, कार्य प्रगति पर थे, तथापि, स्वीकृत अनुमान में पशु खेली के निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया था ।

इस प्रकार, जल स्रोतों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य सम्पन्न नहीं कराए गए थे । उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं:

बिना सोख्ता गड्ढा/पशु खेली के हैण्ड पंप का निर्माण बजरंग बली मंदिर के पास खूंटगढ़, ग्राम पंचायत चिकलाड, पंचायत समिति प्रतापगढ़, जिला परिषद प्रतापगढ़ (पूर्णः जून 2020)	**बिना रिचार्ज पिट के पनघट की स्थापना वार्ड नं. 50, चमारों का मोहल्ला, जिला परिषद भीलवाड़ा (पूर्णः जून 2016)**

राजस्थान सरकार ने जिला परिषद बारां और करौली के सम्बन्ध में अवगत कराया (जून 2022) कि सोख्ता गड्ढ़े/पशु खेली का निर्माण इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि ये विधायक द्वारा अनुशंसित कार्य में सम्मिलित/उल्लिखित नहीं किए गए थे । जिला परिषद प्रतापगढ़ के मामले में, यह बताया गया कि सोख्ता गड्ढा/पशु खेली का निर्माण कार्य अनुमानित लागत में सम्मिलित नहीं किया गया था और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया । भविष्य में, उन्हें विस्तृत अनुमान में सम्मिलित करने के बाद स्वीकृतियां जारी की जायेंगी । जिला परिषद सीकर में, पैराग्राफ में उल्लिखित स्थानों पर सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण करवा लिया गया है ।

तथ्य यह है कि पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन जिला परिषदों द्वारा नहीं किया गया था । इसके अलावा, जिला परिषद सीकर द्वारा न तो पशु खेली का निर्माण कराया गया और न ही सोख्ता गड्ढ़ों के निर्माण के दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया ।

ii) विद्युत कनेक्शन के बिना सिंगल फेज ट्यूबवेल का निर्माण

पंचायती राज विभाग ने परिपत्र जारी किया (नवंबर 2015) कि एक जल स्रोत की स्थापना के लिए अनुमान तैयार करते समय, अनुमान में विद्युत कनेक्शन और उसकी लागत का प्रावधान किया जाना चाहिए । यदि विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाता है, तो जल स्रोत को निष्फल माना जाएगा और जल स्रोत के विकास पर होने वाले व्यय को कार्यकारी संस्था से वसूल किया जाएगा । विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के बाद कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे ।

नमूना जांच की गयी सात में से चार[58] जिला परिषदों में 2016-21 के दौरान 'सिंगल फेज ट्यूबवेल निर्माण' हेतु ₹ 59.83 लाख के व्यय से पूर्ण किए गए 46 कार्यों के अभिलेखों की

58 बारां, करौली, प्रतापगढ़ और सीकर ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि कार्यों के स्वीकृत अनुमानों में विद्युत कनेक्शन का प्रावधान नहीं किया गया था और कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित किए बिना जारी कर दिए गए थे। (विवरण **परिशिष्ट** XIX में दिया गया है)। इस प्रकार, ₹ 59.83 लाख का व्यय निष्फल रहा।

ऐसे पांच कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई कि योजना के अंतर्गत निर्मित ट्यूबवेल के साथ सार्वजनिक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध/सुनिश्चित नहीं किया गया था। यह देखा गया कि इनमें से चार ट्यूबवेल निजी/अवैध विद्युत कनेक्शन से कार्य कर रहे थे। उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं:

सार्वजनिक विद्युत कनेक्शन के बिना पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल और टंकी का निर्माण, नाहर सिंह माता मंदिर के पास बस स्टैंड, ग्राम पंचायत कचोटिया, पंचायत समिति पीपलखूंट जिला परिषद प्रतापगढ़ (पूर्णः जून 2020)	**सार्वजनिक विद्युत कनेक्शन के बिना ट्यूबवेल मय मोटर निर्माण, श्मशानघाट, ग्राम पंचायत बमूलिया, पंचायत समिति अंता, जिला परिषद बारां (पूर्णः नवम्बर 2019)**

राजस्थान सरकार ने बताया (जून 2022) कि जिला परिषद बारां में संबंधित ग्राम पंचायत से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की सहमति के पश्चात सिंगल फेज ट्यूबवेल कार्य स्वीकृत किये गए थे। जिला परिषद सीकर में, विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता के आधार पर सिंगल फेज ट्यूबवेल कार्य स्वीकृत किये गए थे। ट्यूबवेल जिन पर पुराने विद्युत कनेक्शन हैं या जन सहयोग से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं, ऐसे मामलों में विद्युत कनेक्शन की लागत तकनीकी स्वीकृति में सम्मिलित नहीं की गयी थी। वर्तमान में, सभी ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं। जिला परिषद प्रतापगढ़ के मामले में, यह बताया गया कि विद्युत कनेक्शन प्राप्त किये जा रहे हैं।

उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, जल स्रोत की स्थापना के लिए अनुमान तैयार करते समय, विद्युत कनेक्शन और उसकी लागत का प्रावधान अनुमान में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद सीकर ने विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता के दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

iii) अनुभवहीन संस्था द्वारा सिंगल फेज ट्यूबवेल/हैंडपंपों की स्थापना

योजना के दिशा-निर्देशों (नवंबर 2018) के पैरा 3.13.3 में प्रावधान है कि पेयजल से संबंधित कार्य, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें किसी अनुभवी संस्था/ठेकेदार के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर निष्पादित कराया जा सकता है, बशर्ते

ऐसे सृजित कार्यों का रखरखाव सम्बंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना सुनिश्चित हो।

जिला परिषद करौली में, यह पाया गया कि पंचायत समिति करौली में राशि ₹ 21.35 लाख की लागत से 'सिंगल फेज ट्यूबवेल और हैंड पंप की स्थापना' के 14 कार्य स्वीकृत (सितंबर 2016-मार्च 2019) किये गये थे जो ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने थे। तथापि, ग्राम पंचायतों ने योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, उक्त कार्यों को किसी अनुभवी संस्था/ठेकेदारों द्वारा कराने के बजाय ₹ 21.33 लाख के व्यय से स्वयं निष्पादित कर दिया (विवरण **परिशिष्ट** XX में दिया गया है)।

राजस्थान सरकार ने बताया (जून 2022) कि उक्त कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की दरों से 10 प्रतिशत कम दरों पर निष्पादित किये गए थे। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी तथा पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा खुली निविदा के माध्यम से कार्यों का निष्पादन कराया जाएगा।

2.2.10.3 निष्फल व्यय

छह जिला परिषदों में ₹ 87.59 लाख के व्यय के उपरान्त पूर्ण/स्थापित 27 परिसंपत्तियों जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट/हैंडपंप/सिंगल फेज ट्यूबवेल/ ट्यूबवेल मय पानी की टंकी/सामुदायिक भवन/खेल-मैदान/नाला/प्याऊ के संयुक्त भौतिक सत्यापन में दृष्टिगत हुआ कि ये परिसंपत्तियां मरम्मत और सर्विसिंग की कमी, रास्ते का अभाव/संकुचित स्थान और ट्यूबवेल को पानी की टंकी से जोड़ने के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हुई थी (विवरण **परिशिष्ट** XXI में दिया गया है)। उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं:

सामुदायिक भवन, हरिजन बस्ती, ग्राम पोटी, ग्राम पंचायत बीनासर, पंचायत समिति चूरू, जिला परिषद चूरू में मार्ग के अभाव में अनुपयोगी सामुदायिक भवन (पूर्णः नवम्बर 2018)	**अक्रियाशील हैण्ड पम्प महाराजजी गुर्जर के घर के पास, गुर्जर पट्टी बोंल, पंचायत समिति टोडाभीम, जिला परिषद करौली, पर निष्फल व्यय (पूर्णः नवम्बर 2017)**

इसके अलावा, जिला परिषद चूरू में एक नाला अवरुद्ध पाया गया और आवासीय क्षेत्र में इससे गंदा पानी बह रहा था। इसी प्रकार, जिला परिषद प्रतापगढ़ में एक खेल मैदान का निर्माण अपूर्ण पाया गया।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बमोतर ग्राम पंचायत अमलावाद, पंचायत समिति प्रतापगढ़ में कबड्डी, खो-खो, तीरंदाजी, वॉलीबाल और बास्केटबाल का खेल मैदान और ट्रैक का अपूर्ण कार्य (स्वीकृतः सितम्बर 2018)	**ग्राम रामपुरा ग्राम पंचायत रामपुरा, पंचायत समिति राजगढ़, जिला परिषद चूरू में नाला अवरुद्ध और अस्वच्छ स्थिति में पाया गया। (पूर्णः अप्रैल 2018)**

राजस्थान सरकार ने बताया (जून 2022) कि जिला परिषद बारां, चूरु और करौली में कार्यकारी संस्थाओं से तथ्यात्मक रिपोर्ट और अनुपालना माँगी गयी है और इसके प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। जिला परिषद जोधपुर और सीकर में, कमियाँ दुरुस्त/मरम्मत कर दी गयी हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला परिषद जोधपुर और सीकर ने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य (वाउचर्स/फोटोज) उपलब्ध नहीं कराये और विभागीय अधिकारियों के साथ किये गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान परिसम्पत्तियों में कमियाँ पाई गई थी।

2.2.10.4 गैर अनुमत कार्य

एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देशों (मार्च 2013 और नवंबर 2018) के अनुसार योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले अनुमत कार्यों की एक सूची परिशिष्ट-I में दी गई है। खुला बरामदा और कबूतरखाना[59] का निर्माण अनुमत कार्यों की सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा, दिशा-निर्देशों का परिशिष्ट-2 धार्मिक पूजा स्थलों और निजी/व्यक्तिगत उपयोग के कार्यों को प्रतिबंधित करता है।

i) धार्मिक स्थलों पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति

नमूना जांच की गई दो जिला परिषदों (भीलवाड़ा एवं प्रतापगढ़) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि 2016-21 के दौरान राशि ₹ 2.27 करोड़ के 'खुला बरामदा एवं कबूतरखाना' के 78 कार्य, धार्मिक पूजा स्थलों के पास स्वीकृत किये गए थे। (विवरण **परिशिष्ट** XXII में दिया गया है)।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान इन 78 प्रकरणों में से, छह कार्य धार्मिक पूजा स्थलों पर निर्मित किये जाने पाए गए। उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं :

59 कबूतरखाना, स्तम्भों और छत के साथ एक खुला बरामदा जैसा ढांचा है।

खुला बरामदा, शीतला माताजी के स्थान के पास गांव रठांजना, ग्राम पंचायत रठांजना, पंचायत समिति प्रतापगढ़, जिला परिषद प्रतापगढ़, (पूर्णः मई 2018) धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है ।	**कबूतरखाना का निर्माण विजय सिंह पथिक नगर में मंशापूर्ण महादेव मंदिर के पास, पंचायत समिति भीलवाड़ा (शहरी ब्लॉक), जिला परिषद भीलवाड़ा, (पूर्णः जुलाई 2020) धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है ।**

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि वाक्यांश 'धार्मिक स्थलों के पास' केवल खुले बरामदे के पते का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन मंदिर परिसरों में इसका निर्माण नहीं कराया गया था। आवासीय क्षेत्रों में जहां भूमि उपलब्ध थी उन क्षेत्रों में खुला बरामदा निर्मित किया गया था। भूमि उपलब्ध नहीं होने पर खुला बरामदा मंदिर के पास भूमि पर निर्मित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य पूजा स्थलों के पास स्वीकृत किये गये थे परन्तु छः कार्य संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान धार्मिक स्थलों पर निर्मित पाए गए थे।

लेखापरीक्षा समापन बैठक में (जनवरी 2022) ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने यह मत व्यक्त किया कि धार्मिक स्थलों में प्रतीक्षालय, शौचालय एवं अन्य संरचनाओं के मुद्दे को स्वच्छता और पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने यह जानना चाहा कि क्या योजना के दिशा-निर्देश, धार्मिक स्थलों के सरकारी भूमि पर स्थित होने की दशा में निर्माण की अनुमति देते हैं। तथापि, ग्रामीण विकास विभाग का इस संबंध में स्पष्टीकरण अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2022)।

ii) अन्य गैर अनुमत कार्य

नमूना जांच की गई सात जिला परिषदों में सिंगल फेज ट्यूबवेल/सामुदायिक भवन/सार्वजनिक प्याऊ/यात्री प्रतीक्षालय/वन पथ/विश्राम स्थल/इंटरलॉकिंग खरंजा/सुरक्षा दीवार निर्माण के 32 कार्य ₹ 132.23 लाख की लागत पर स्वीकृत किये गए और ₹ 128.58 लाख के व्यय से पूर्ण किये गए। (विवरण **परिशिष्ट** XXIII में दिया गया है)।

ये निर्मित परिसंपत्तियां व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए उपयोग ली जा रही थी/कम क्षेत्र में निर्मित थी/स्वीकृत स्थान के बजाय अन्य स्थान पर निर्मित की गयी थी आदि।

यह एक रोचक तथ्य है कि, ग्राम पंचायत मुंडिया, पंचायत समिति टोडाभीम, जिला परिषद करौली में आंगनवाड़ी केंद्र की सुरक्षा दीवार के निर्माण के मामले में, तालाब की सुरक्षा दीवार का निर्माण

होना पाया गया था क्योंकि उस गांव में आंगनवाड़ी केंद्र अस्तित्व में नहीं था। इस प्रकार, सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य उस स्थान पर स्वीकृत किया गया जो अस्तित्व में ही नहीं था। उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं:

गांव मोतीपुरा की झोपड़िया में, ग्राम पंचायत बोहत, पंचायत समिति अंता, जिला परिषद बारां में सामुदायिक भवन (पूर्णः मार्च 2019) निजी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा था।

गांव झांटल में ग्राम पंचायत बल्दरखा, पंचायत समिति बनेडा, जिला परिषद भीलवाड़ा में सामुदायिक भवन (पूर्णः फरवरी 2019) टेंट हाउस हेतु किराये पर दिया गया।

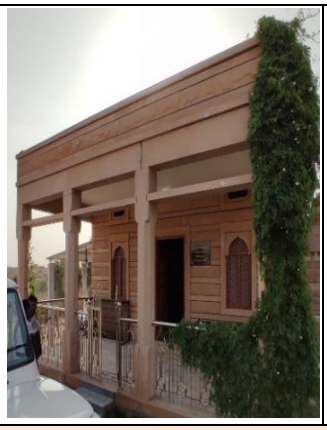

सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण गणपत सिंह/रतन सिंह जोडावत की ढाणी बाकासर ग्राम पंचायत बुरकिया, पंचायत समिति देचू, जिला परिषद जोधपुर, (पूर्णः मार्च 2018) निजी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा था।

राजस्थान सरकार ने जिला परिषद बारां के सम्बन्ध में अवगत कराया (जून 2022) कि सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत के स्वामित्व के अधीन हैं और जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा है। जिला परिषद प्रतापगढ़ में, उक्त कार्यों की जांच की जा रही है। जिला परिषद करौली, ग्राम पंचायत मुंडिया में, आंगनवाड़ी केंद्र की चारदीवारी का निर्माण किया गया था और कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रमाणित फोटो संलग्न किया गया है। जिला परिषद जोधपुर में, कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया था और कार्य-वार सूची संलग्न की गयी है। राजस्थान सरकार ने जिला परिषद भीलवाड़ा, चूरू और सीकर एवं जिला परिषद करौली के शेष कार्यों के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय कर्मचारियों के साथ किये गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितम्बर 2021) के दौरान दृष्टिगत हुआ कि जिला परिषद बारां में सामुदायिक भवन निजी

उद्देश्य के लिए उपयोग किये जा रहे थे। आंगनवाड़ी केंद्र की चारदीवारी का कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रमाणित फोटो उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्थल पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था।

जिला परिषद जोधपुर ने एमएलएलैड के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का केवल विवरण उपलब्ध कराया, आक्षेप के सम्बन्ध में अनुपालना का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.2.11 अन्य कार्यकारी संस्थाओं द्वारा निष्पादित कार्य

पंचायती राज संस्थाओं के अलावा अन्य कार्यकारी संस्थाओं द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों के मामलों की चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

2.2.11.1 पंजीकृत सोसाइटी को कार्यों की अनियमित स्वीकृति

योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 2.22 के अनुसार, योजना के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी/ न्यास/गोपालन विभाग द्वारा सहायता प्राप्त पंजीकृत गौशाला के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन अनुमत किया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि (i) पंजीकृत सोसाइटी/न्यास सामाजिक सेवा/कल्याणकारी गतिविधियों में संलग्न हों और कम से कम पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में हों और (ii) ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करते हुए, लाभार्थी सोसाइटी जिला कलेक्टर के साथ अनुबंध निष्पादित करेगी। तथापि, योजना के अंतर्गत ट्रस्ट/सोसाइटी की स्वयं की परिसंपत्तियों के निर्माण की अनुमति नहीं थी।

जिला परिषद चूरू में, एक पंजीकृत सोसाइटी[60] के लिए दो भवनों (ग्राम पंचायतः जसरासर और ग्राम पंचायतः थेलासर में) के निर्माण के लिए ₹ 22.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी (फरवरी 2019) की गई थी जो ₹ 22.53 लाख के व्यय के साथ (जनवरी 2020-जनवरी 2021) पूर्ण किये गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त सोसाइटी के अस्तित्व को निधियाँ स्वीकृत करने की तिथि पर तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे क्योंकि यह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 के अंतर्गत 31 मई 2016 को पंजीकृत की गयी थी। लाभार्थी सोसाइटी ने निर्धारित शर्तों को स्वीकार करने के लिए जिला कलेक्टर के साथ निर्धारित अनुबंध भी निष्पादित नहीं किया था।

राजस्थान सरकार ने बताया (जून 2022) कि दोनों कार्यों की भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास है और उस सोसाइटी के पास नहीं है। सोसाइटी को कोई अदेय लाभ नहीं दिया गया था। भवन ग्राम पंचायत की अनुमति से आम बैठकों के लिए उपयोग किये जा रहे हैं।

उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि सोसाइटी के लिए परिसम्पत्तियों का सृजन योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में किया गया था।

60 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सिएलएफ) प्रगति राजीविका महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सिरसाला।

2.2.11.2 सहकारी समितियों के लिए गोदाम का निर्माण

योजना के दिशा-निर्देशों (नवम्बर 2018) का परिशिष्ट-I का पैरा 40.1 प्रावधित करता है कि योजना अंतर्गत सहकारी समितियों के लिए कार्यालय भवन और गोदाम का निर्माण किया जा सकता है। तथापि, कार्य की स्वीकृति जारी करने से पूर्व जिला स्तर के वरिष्ठतम उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ से निर्माण कार्य की आवश्यकता के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।

जिला परिषद सीकर में, ग्राम सेवा सहकारी समिति, अजीतगढ़ के लिए राशि ₹ 22.40 लाख के गोदाम निर्माण के दो कार्य[61] स्वीकृत किये गए (जुलाई 2016-अक्टूबर 2016) और ₹ 21.16 लाख के व्यय से (दिसम्बर 2016-अक्टूबर 2017) पूर्ण हुए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, उक्त कार्य जिला स्तर के वरिष्ठतम उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ से कार्यों की आवश्यकता के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त किये बिना ही स्वीकृत कर दिए गए थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, जिला परिषद सीकर ने बताया (सितम्बर 2021) कि भविष्य में स्वीकृतियां जारी करने से पूर्व सहकारिता विभाग की सहमति प्राप्त की जावेगी।

लेखापरीक्षा समापन बैठक में (जनवरी 2022), ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी से सहमत होते हुए आश्वस्त किया कि विभाग इस प्रकरण को समग्रता से देखेगा और ऐसी अनियमितताओं को कम करने के प्रयास करेगा।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि गोदाम जिला स्तरीय अधिकारियों की सहमति प्राप्त करने के बाद निर्मित किये गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहमति प्रदान करने के दावे के सम्बन्ध में कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, जिला परिषद सीकर ने भी तथ्यों को पूर्व में स्वीकार कर लिया था।

2.2.12 कार्यों के निष्पादन में सामान्य अनियमिततायें

2.2.12.1 आरटीपीपी नियमों की अनुपालना का अभाव

उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, निविदाकर्ताओं के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दक्षता और मितव्ययिता बढाने और उपापन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा को सुरक्षित रखने के उद्देश्यों के साथ उपापन प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये राजस्थान सरकार द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 जारी किये गये थे। आरटीपीपी नियम, 2013

61 (i) ग्राम सेवा सहकारी समिति, अजीतगढ़ के गोदाम का निर्माण, ग्राम मंडूस्या, ग्राम पंचायत हथोरा, जिला परिषद सीकरः स्वीकृत राशि ₹ 10.50 लाख और व्यय राशि ₹ 9.62 लाख और (ii) ग्राम सेवा सहकारी समिति, अजीतगढ़ के गोदाम का निर्माण, गांव जुगराजपुरा, ग्राम पंचायत जुगराजपुराः स्वीकृत राशि ₹ 11.90 लाख और व्यय राशि ₹ 11.54 लाख।

का नियम 5 प्रावधित करता है कि ₹ 5 लाख के अनुमानित मूल्य के कार्यों का उपापन ई-उपापन के माध्यम से किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान आरटीपीपी नियमों की अनुपालना के संबंध में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

तालिका 11

क्र.सं.	कार्यकारी संस्था का नाम	कार्य का नाम व राशि	किया गया व्यय	पाई गयी कमियाँ
1	खंड विकास अधिकारी, हिंडौन सिटी, करौली	₹ 67.00 लाख की अनुमानित लागत से इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य के छह कार्य और स्कूल की चार दीवारी का नवीनीकरण और फर्नीचर का एक कार्य।	₹ 66.67 लाख	ई-उपापन के स्थान पर सीमित निविदा जारी की गयी (जून 2017)।
2	भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, सीकर	सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर, सांवली रोड, सीकर में ₹ 6.15 लाख की अनुमानित लागत से कक्षा-कक्ष का निर्माण।	₹ 4.90 लाख	निविदायें आमंत्रित किये बिना संवेदक विशेष को कार्य आदेश दिया गया।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिंडौन सिटी को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने जिला परिषद सीकर के कार्य के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया था।

2.2.12.2 स्वीकृत अनुमान के अनुसार कार्य निष्पादित नहीं करना और एक्स्ट्रा/अतिरिक्त मदों का अनुमोदन नहीं लिया जाना

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के पैरा 2.7 के अनुसार, सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण करने के बाद तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी और इसमें कार्य स्थल की आवश्यकताओं, मानचित्र, लीड चार्ट और कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री विवरण के अनुसार कार्य की मदों की मात्राओं के लिए विस्तृत लागत अनुमान शामिल होगा। इसके अलावा, पैरा 6.3.6 प्रावधित करता है कि तकनीकी अधिकारी विस्तृत अनुमान तैयार करने से पहले निर्माण कार्य की व्यवहार्यता और उपयोगिता सुनिचिश्त करेंगे।

जिला परिषद, करौली में ₹15.00 लाख के दो कार्यों[62] की स्वीकृति (दिसम्बर 2019-जून 2020) जारी की गई थी। कार्य ₹15.00 लाख के व्यय से पूर्ण (सितम्बर 2020-जनवरी 2021) कर लिये गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण के दौरान, विस्तृत तकनीकी अनुमानों में स्वीकृत मदों की तुलना में ₹ 7.11 लाख (47.4 प्रतिशत) मूल्य के आठ एक्स्ट्रा/अतिरिक्त मदों के कार्य निष्पादित किये गए। यह देखा गया कि एक्स्ट्रा/अतिरिक्त मदों की लागत की प्रतिपूर्ति कार्य की कुल लागत के भीतर, कार्यों की अन्य मदों की स्वीकृत मात्राओं को कम करते हुए की गयी थी। इसके अलावा, इस विचलन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।

62 (i) पंचायत समिति हिंडौन सिटी के आवासीय परिसर में चार दीवारी निर्माण और मिट्टी भरावः स्वीकृत राशि ₹10 लाख और व्यय राशि ₹ 10 लाख और (ii) मीटिंग हाल एवं कार्यालय छत की मरम्मत और पंचायत समिति हिंडौन सिटी का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरणः स्वीकृत राशि ₹ 5 लाख और व्यय राशि ₹ 5.00 लाख।

राजस्थान सरकार ने बताया (जून 2022) कि पंचायत समिति, हिंडौन सिटी से अनुपालना माँगी गयी है और तदनुसार उत्तर लेखापरीक्षा को भिजवा दिया जाएगा।

2.2.12.3 अनियमित व्यय

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 का पैरा 8.4.6 प्रावधित करता है कि ऐसे मद/निर्माण कार्य की दर निर्धारित करने के लिए जो मूल दर अनुसूची में उल्लेखित/अनुमोदित नहीं है, उस मद का दर विश्लेषण तैयार किया जाना चाहिए और जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति की अभिशंसा के साथ राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में, यदि अन्य विभागीय बीएसआर से मदों/निर्माण कार्यों की दरों (जो जिला स्तर पर जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित बीएसआर में सम्मिलित नहीं हैं) को लेना आवश्यक हो तो उस विभागीय बीएसआर में से संवेदक लाभ की 10 प्रतिशत राशि घटाकर दर अनुमत की जानी चाहिए। संवेदक लाभ की राशि एवं इन अनुमोदित दरों का कार्योत्तर अनुमोदन जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति से प्राप्त किया जाना चाहिए।

जिला परिषद सीकर ने पंचायत समिति धोद में ₹ 48.58 लाख की नौ हाई मास्ट लाइट के कार्य स्वीकृत (अगस्त 2016-फरवरी 2019) किये और उन्हें ₹ 47.09 लाख के व्यय से पूर्ण (अक्टूबर 2016-अगस्त 2019) कर लिया गया।

यह देखा गया कि इन लाइटों के तकनीकी अनुमान सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर 2013 से लिए गए थे, लेकिन इन अनुमोदित दरों का कार्योत्तर अनुमोदन जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति से प्राप्त नहीं किया गया था। आगे यह भी देखा गया कि दो मामलों में ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए संवेदक के लाभ की 10 प्रतिशत राशि ₹ 1.00 लाख नहीं काटी गयी थी।

जिला परिषद सीकर ने बताया (सितम्बर 2021) कि जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जावेगा।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने लेखापरीक्षा समापन बैठक में बताया (जनवरी 2022) कि विभाग बीएसआर में सुधार कर रहा है ताकि सही अनुमान तैयार किये जा सकें।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि तकनीकी स्वीकृतियां अन्य विभाग की बीएसआर से 10 प्रतिशत कटौती करने के बाद जारी की गईं थी। जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति अन्य विभागों की बीएसआर के साथ पंचायती राज संस्थाओं की बीएसआर भी अनुमोदित करती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने पंचायत समिति नेछवा की तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध कराई तथापि, इंगित किये गए दो विशेष मामलों में, अन्य विभाग की बीएसआर से 10 प्रतिशत कटौती नहीं की गयी। इसके अलावा, ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के पैरा 8.4.6 के अनुसार इन अनुमोदित दरों की कार्योत्तर स्वीकृति जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति से भी प्राप्त की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-3 : क्या प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद था ?

2.2.13 आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

2.2.13.1 कार्यों का निरीक्षण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 का पैरा 16.2 और 16.3 प्रावधित करता है कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक स्तर पर, विभागीय अधिकारियों[63] द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए और निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बंधित उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । निरीक्षण इस प्रकार से आयोजित किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक कार्य का किसी न किसी तकनीकी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सके । इसके अलावा, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के निरीक्षण का रजिस्टर निर्धारित प्रोफार्मा में संधारित किया जाना चाहिए, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गए कार्यों के निरीक्षण का विवरण हो ।

कार्यों के निरीक्षण के लिए निर्धारित मानदण्ड **तालिका 12** में दिए गए हैं ।

तालिका 12

(अंक प्रतिशत में)

कार्य की कुल लागत	**पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ तकनीकी सहायक**	**जिला परिषदों के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक और पंचायत समिति के सहायक अभियंता**	**जिला परिषद के अधिशासी अभियंता**	**विकास अधिकारी**	**जिला कलेक्टर/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
₹ 2.00 लाख तक	100	25	0	25*	5*
₹ 2.00 लाख से ₹ 10.00 लाख तक	100	100	25		
₹ 10 00 लाख और अधिक	100	100	100		

*** कुल कार्यों में से यह सुनिश्चित करते हुए कि क्षेत्र में चल रही प्रत्येक योजना के कार्य को आवृत किया जा सके ।**

चयनित सात जिला परिषदों के अभिलेखों की संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि इनमें से किसी भी जिला परिषद में कार्यों के निरीक्षण के निगरानी रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था तथा निरीक्षण प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजे नहीं जा रहे थे ।

रजिस्टरों के संधारण के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्रत्येक कार्य का निरीक्षण किसी एक तकनीकी अधिकारी द्वारा कर लिया गया था ।

राजस्थान सरकार ने अवगत (जून 2022) कराया कि जिला परिषदों को कार्यों के निरीक्षण से संबंधित अभिलेख संधारित करने के लिए निर्देश दे दिये गए हैं ।

63 पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और सहायक अभियन्ता और जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अधिशासी अभियन्ता और प्रशासनिक अधिकारी ।

2.2.13.2 निधियों के उपयोग के अनुसार जिलों की रैंकिंग

ग्रामीण विकास विभाग, योजना के अंतर्गत उपलब्ध कुल निधियों के विरुद्ध किये गए व्यय के आधार पर जिलों को रैंक प्रदान करता है । 2016-21 के दौरान, 22 जिलों को योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध निधियों के उपयोग के आधार पर 1 से 10 तक रैंक प्रदान की गयी थी ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2016-21 के दौरान उपलब्ध निधियों के तुलनात्मक रूप से कम उपयोग के कारण, 11 जिले[64] कभी भी शीर्ष 10 रैंक की सूची में प्रदर्शित नहीं हो सके । इस प्रकार, ये 11 जिले एमएलएलैड योजना की निधियों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करने में निरंतर रूप से असफल रहे ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि रैंकिंग सिस्टम अपने आप में योजना की प्रगति को बढाने का एक उपकरण है । यह भी बताया कि स्वीकृतियां विधायक की अनुशंसा पर जारी की जाती हैं और विधायक द्वारा कार्यों की अनुशंसा नहीं करने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया गया था । यह भी बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को एमएलएलैड के अंतर्गत अनुपयोजित निधियों के बारे में विधायकों को सूचित करने और विधायकों से इस निधि के उपयोग के लिए कार्यों की अनुशंसा के लिए अनुरोध करने के निर्देश जारी किए गए हैं ।

2.2.13.3 तृतीय पक्ष के माध्यम से कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने समय-समय पर निर्देश (नवम्बर 2015, सितम्बर 2019) जारी किए कि निष्पादित /प्रगतिरत कार्यों का तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा और निदेशालय तकनीकी शिक्षा, जोधपुर से संबद्ध सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों/पोलीटेक्निक कॉलेजों से कराया जाना चाहिए ।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि चयनित सात जिला परिषदों में से किसी में भी, नामित तृतीय पक्षों द्वारा कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराया गया था ।

चार जिला परिषदों[65] ने बताया (जुलाई-अक्टूबर 2021) कि ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अन्य जिला परिषदों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया ।

राजस्थान सरकार ने अवगत (जून 2022) कराया कि कार्य के निष्पादन के दौरान तृतीय पक्ष निरीक्षण कराने के लिए विभाग एक प्रभावी तंत्र विकसित करने पर विचार करेगा ।

2.2.13.4 कार्यों की सूचना कार्य-स्थल पर प्रदर्शित नहीं करना

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के पैराग्राफ 24.2 के प्रावधानानुसार प्रत्येक कार्य-स्थल पर कार्य से संबंधित जानकारी जैसे कार्य का नाम मय कार्य-स्थल, योजना का नाम, स्वीकृत राशि, मानव दिवस, कार्य प्रारम्भ और पूर्ण करने की तिथि, किया गया व्यय और आम जनता को मिलने वाले लाभ/सुविधाओं आदि को बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है । इसके अलावा, योजना के

64 अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, पाली, प्रतापगढ़ और सवाईमाधोपुर ।

65 बारां, भीलवाडा , जोधपुर और करौली ।

दिशा-निर्देशों का पैराग्राफ 2.21 प्रावधित करता है कि एमएलएलैड निधि से निर्मित कार्य की जानकारी कार्य-स्थल पर लगाई जानी चाहिए ।

नमूना जांच की गयी सात जिला परिषदों में भौतिक रूप से सत्यापित 374 कार्यों में से, 196 कार्यों [66] के संबंध में ऐसी सूचना कार्य-स्थल पर प्रदर्शित नहीं पाई गई । कार्य स्थलों पर सूचना के प्रदर्शन के अभाव में निष्पादित कार्यों की पहचान नहीं की जा सकी और कार्यों से संबंधित लाभों से जनता को जागरूक नहीं कराया जा सका ।

ग्राम पंचायत खोरी, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रतापगढ़ में भूतल जलाशय का डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया (पूर्णः जनवरी 2020)	**मेघवालों की ढाणी, ग्राम पंचायत नेतडवास, पंचायत समिति धोद, जिला परिषद सीकर में स्थापित सिंगल फेज टयूबवेल पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया (पूर्णः अक्टूबर 2016)**

राजस्थान सरकार ने बताया (जून 2022) कि कार्य-स्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किये जा रहे हैं । कार्य के विरुद्ध निधियाँ, पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ डिस्प्ले बोर्ड के फोटो की प्राप्ति पर समायोजित की जाती हैं । तथापि, कभी-कभी डिस्प्ले बोर्ड चोरी हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं होता हैं । ऐसी घटनाएँ दोहराई नहीं जाएँ, इस हेतु निर्देश भी जारी कर दिए हैं ।

2.2.13.5 योजना का मूल्यांकन

एमएलएलैड योजना, राज्य सरकार द्वारा 1999-2000 में प्रारम्भ की गई थी । निदेशालय मूल्यांकन संगठन द्वारा चार जिलों [67] की 8 पंचायत समितियों के 81 चयनित कार्यों के माध्यम से, योजना का मूल्यांकन किया गया था (2009) । इसके परिणामस्वरूप योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सिफारिशें की गई जैसे स्वीकृतियां समय पर जारी करना, वित्तीय वर्ष के भीतर कार्यों का निष्पादन, प्रभावी तकनीकी निरीक्षण और कार्यों का गुणवत्ता आश्वासन और भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करने के बाद स्वीकृति जारी करना/कार्यों को प्रारम्भ करना । सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए इन सिफारिशों को सभी जिला परिषदों को सूचित (जनवरी 2010) किया गया था ।

66 जिला परिषद बारांः 59 कार्य, जिला परिषद भीलवाड़ाः 9 कार्य, जिला परिषद चूरूः 22 कार्य, जिला परिषद जोधपुरः 14 कार्य, जिला परिषद करौलीः 31 कार्य, जिला परिषद प्रतापगढ़ः 35 कार्य और जिला परिषद सीकरः 26 कार्य ।

67 अजमेर, दौसा, करौली और उदयपुर ।

चयनित जिला परिषदों के अभिलेखों की जाँच (जुलाई-अक्टूम्बर 2021) में दृष्टिगत हुआ कि निदेशालय मूल्यांकन संगठन की सिफ़ारिशों को पूर्णतः लागू नहीं किया गया था, जो इस रिपोर्ट में वर्णित अनुच्छेदों के अवलोकन से स्पष्ट है । यह, कार्यों की योजना और निष्पादन में विभिन्न कमियों जैसे तकनीकी अनुमानों और ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का निष्पादन नहीं होना, निष्पादित कार्यों का अभिप्रेत प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं आना, निरीक्षण अभिलेखों का संधारण नहीं करना, विलम्ब से पूर्ण किये कार्यों का संधारण नहीं करना और गैर अनुमत कार्यों का निष्पादन इत्यादि के रुप में प्रकट हुआ है ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जून 2022) कि निदेशालय मूल्यांकन संगठन की सिफारिशों की अनुपालना की जा रही है ।

2.2.14 निष्कर्ष

विधायकों की अभिशंसाओं पर, निर्वाचन क्षेत्रों में पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, 1999-2000 में एमएलएलैड योजना प्रारम्भ की गई थी ।

2016-21 की अवधि हेतु योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि यह योजना लोकप्रिय थी क्योंकि इस योजनान्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के कार्य बड़ी संख्या में किये गए थे । तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि औसत वार्षिक आवंटन के दोगुने से अधिक के बराबर राशि अग्रिमों के रूप में कार्यकारी संस्थाओं के पास हमेशा अवरुद्ध रहती है ।

विभाग ने लंबित अग्रिमों के समायोजन के लिए कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कदम नहीं उठाये, जिससे मार्च 2021 तक लंबित अग्रिम बढ़कर ₹ 809.14 करोड़ के हो गए । उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत करने या प्रस्तुत नहीं करने के कारण उपलब्ध निधियों का वार्षिक उपयोग कम रहा ।

नमूना जांच किये चार जिलों (सात में से) के विधायकों द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी क्षेत्रों और संबल ग्रामों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत निधियों की अभिशंसा नहीं की गई । नमूना जाँच किये गए सात जिलों द्वारा उपलब्ध निधियों का मनरेगा के साथ अभिसरण भी नहीं किया गया था । योजना की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं में इंगित किये जाने के बावजूद, गैर अनुमत कार्यों का निष्पादन, निर्धारित मानदण्डों/विनियमों का पालन किये बिना कार्यों का निष्पादन, अपूर्ण कार्य, स्वीकृतियां जारी करने में विलम्ब, कार्यकारी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के आबादी वाले क्षेत्रों का अपर्याप्त कवरेज, योजना के मूल्यांकन के अध्ययन की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं करना इत्यादि, मामले भी देखे गए ।

2.2.15 अनुशंसाएँ

(i) निधियों के उपयोग और सार्वजनिक उपयोग की मूर्त परिसंपतियों के निर्माण को बढावा देने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा करने, उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

करने और अग्रिमों के समय पर समायोजन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कार्यकारी संस्थाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ की जावे ।

(ii) योजना के अंतर्गत अनुशंसित कार्य, योजना दिशा-निर्देशों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किये जावें । परिसम्पतियों की गुणवत्ता को बढाने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण भी सुनिचिश्त किया जाए ।

(iii) योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पतियों के स्थायित्व और उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध निधियों की अनुमत सीमा तक मरम्मत और नवीनीकरण के कार्यों को किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए ।

(iv) विभागीय अधिकारियों को योजना की प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए आईडब्ल्यूएमएस के विभिन्न मॉड्यूल पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जावे और केवल जिला परिषदों द्वारा भेजी गयी मासिक प्रगति रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जावे ।

(v) राज्य सरकार द्वारा योजना अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों में निर्दिष्ट व्यय और मनरेगा के साथ निधियों के अभिसरण को सुनिश्चित *करके ऐसे क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करना चाहिए ।*

2.2.16 आभार

उक्त निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है ।

अध्याय–III

पंचायती राज संस्थाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय III

इस अध्याय में पंचायती राज संस्थानों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के चार अनुच्छेद समाहित हैं ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

3.1 अनाधिकृत व्यय

आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन में अतिरिक्त सामग्री/कार्य का उपापन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 6.16 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ ।

राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 का नियम 73 (2) यह प्रावधित करता है कि यदि बोली दस्तावेजों में ऐसा उपबंधित हो एवं मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियाँ आमंत्रित किए जाने के बाद दिया गया हो, तो अतिरिक्त मदों एवं अतिरिक्त मात्राओं के लिए पुनः आदेश, अनुबंध में दी गई दरों और शर्तों पर दिए जा सकते हैं । प्रदाय अथवा पूर्णता की कालावधि भी आनुपातिक रूप में बढाई जा सकेगी । पुनः आदेश की सीमा, किसी भी मद की मात्रा के 50 प्रतिशत एवं मूल संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत तक होगी ।

आरटीपीपी नियमों के नियम 29(2)(ख) के प्रावधानानुसार दर संविदा की कालावधि सामान्यतया एक वर्ष, अधिमानतः एक वित्तीय वर्ष होगी । यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होना प्रत्याशित हो अथवा प्रत्याशित न हो तो इसे क्रमशः कम कालावधि अथवा दीर्घ कालावधि (अधिकतम दो वर्ष) के लिए किया जा सकेगा तथा दर संविदा की कालावधि के चयन के कारण अभिलिखित किये जायेंगे । आगे, उक्त नियमों का नियम 29(2)(झ) प्रावधित करता है कि नई दर संविदाएं विद्यमान दर संविदाओं की समाप्ति के ठीक पश्चात् बिना किसी अंतराल के प्रभावी हो जानी चाहिए । यदि अपरिहार्य कारणों से नई दर संविदाओं को तय करना संभव नहीं हो तो, विद्यमान दर संविदाओं को समान मूल्य, नियम और शर्तों पर तीन माह से अनाधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

चार पंचायत समितियों (डीग, कामां, घाटोल और पिण्डवाडा) के अभिलेखों की नमूना-जांच (सितंबर से अक्टूबर 2019, सितंबर 2021 एवं फरवरी 2022) में प्रकट हुआ कि पंचायत समिति डीग और कामां ने उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली 48 ग्राम पंचायतों[1] में सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की (सितंबर 2017) तथा पंचायत समिति घाटोल एवं पिण्डवाडा ने उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में कार्यों के निष्पादन के लिए निविदाएं आमंत्रित की (मार्च और जून 2017) । उक्त निविदाएं, वार्षिक दर संविदा के आधार पर वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित मूल्य ₹ 10 लाख (पंचायत समिति डीग और कामां की प्रत्येक ग्राम पंचायत), ₹ 25 लाख (पंचायत समिति घाटोल) और ₹ 2 लाख (पंचायत समिति पिण्डवाडा) के साथ आमंत्रित की गई थी । इस प्रकार कुल निविदत्त मूल्य ₹ 1.47 करोड़[2] था । पंचायत

1 पंचायत समिति डीगः 29 ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति कामांः 19 ग्राम पंचायत ।

2 पंचायत समिति डीगः ₹ 0.40 करोड़, पंचायत समिति कामांः ₹ 0.80 करोड़, पंचायत समिति घाटोलः ₹ 0.25 करोड़ एवं पंचायत समिति पिण्डवाडाः ₹ 0.02 करोड़ ।

समितियों ने सामग्री की आपूर्ति/कार्यों के निष्पादन के लिए आपूर्तिकर्ताओं/संवेदकों की निम्नतम दरें अनुमोदित की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, चार पंचायत समितियों (पंचायत समिति घाटोल, पंचायत समिति पिण्डवाडा, पंचायत समिति डीग की चार[3] ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति कामां की आठ[4] ग्राम पंचायतों) में अतिरिक्त सामग्री/कार्य के उपापन की अनुमत्य सीमा (मूल निविदा मूल्य का 50 प्रतिशत), आरटीपीपी नियमों के नियम 73 (2) के प्रावधानानुसार मात्र ₹ 0.74 करोड़ थी, जिसके अनुसार उपापन किए जाने योग्य सामग्री/कार्य (मूल निविदा मूल्य तथा अतिरिक्त सामग्री/कार्य सहित) की अधिकतम सीमा मात्र ₹ 2.21 करोड़ थी। तथापि पंचायत समितियों ने, इन अनुमत्य सीमाओं के समाप्त होने के बाद भी, आपूर्तिकर्ताओं/संवेदकों से उपापन जारी रखा एवं 2017-18 के दौरान ₹ 7.22 करोड़ मूल्य की कुल सामग्री/कार्य का उपापन किया। इस प्रकार उक्त पंचायत समितियों ने 2017-18 के दौरान अतिरिक्त सामग्री/कार्यों के उपापन पर ₹ 5.01 करोड़ का अनाधिकृत व्यय किया ***(विवरण परिशिष्ट XXIV में)***।

इसके अलावा, पंचायत समिति डीग और घाटोल ने 2018-19 के दौरान 2017-18 की दर संविदा के अंतर्गत (दर संविदा 2017-18 की विस्तारित अवधि जून 2018 में समाप्त हो गई थी) उसी आपूर्तिकर्ता/संवेदक से ₹ 1.15 करोड़[5] मूल्य की सामग्री/कार्य का उपापन किया (जुलाई-अक्टूबर 2018) और इस प्रकार, आगे भी 2018-19 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं/संवेदकों को ₹ 1.15 करोड़ का अनाधिकृत भुगतान कर दिया। यह आरटीपीपी नियमों के नियम 29(2)(झ) का उल्लंघन था, जिसके अंतर्गत दर संविदा को केवल तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता था।

मामला ध्यान में लाए जाने पर, पंचायत समिति डीग ने बताया (सितम्बर 2021) कि सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित करते समय अन्य विकासात्मक योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदान पर विचार नहीं किया जाता है एवं ऐसी योजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने की बाध्यता होती है, इसलिए अतिरिक्त सामग्री का उपापन अपरिहार्य हो जाता है। पंचायत समिति कामां ने आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में अतिरिक्त सामग्री के उपापन के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बताए गए कारण आरटीपीपी नियम 73(2) और 29(2)(झ) में निहित प्रावधानों में किसी तरह की छूट को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं। अन्य विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त हुए अनुदान को निविदाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2019) कि पंचायत समिति में प्रधान के रिक्त पद के कारण 2018-19 के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकीं तथा जन-प्रतिनिधियों की मांगों एवं ग्रीष्म ऋतु के कारण अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन कराया गया। तथापि, राजस्थान सरकार ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया

3 पंचायत समिति डीग की नमूना-जांच की गयी चार ग्राम पंचायतें कुचावटी, इकलेरा, गुहाना एवं मवई थी।

4 पंचायत समिति कामां की नमूना-जांच की गयी आठ ग्राम पंचायतें बिलंग, ओलेन्दा, कनवाडा, सोनोखर, मुन्सेपुर, उचैरा, लेवाडा एवं सहेडा थी।

5 पंचायत समिति घाटोल: ₹ 0.97 करोड़ एवं पंचायत समिति डीग (कुचावटी तथा मवई ग्राम पंचायतों में सामग्री की आपूर्ति करने हेतु): ₹ 0.18 करोड़।

(मार्च 2022) और बताया कि एमएलएएलएडी/एमपीएलएडी[6] योजना के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का निविदा के समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था एवं ग्रामीण आदिवासी आबादी को समय पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यों को नवीन निविदा की बजाय पूर्व अनुमोदित दरों पर निष्पादित कराया गया । पंचायत समिति पिण्डवाडा के संबंध में, राजस्थान सरकार ने बताया (मार्च 2022) कि लिपिकीय त्रुटि के कारण बोली दस्तावेज में अनुमानित राशि ₹ 22 लाख के स्थान पर ₹ 2 लाख अंकित कर दी गई थी । सरकार ने यह भी बताया कि आरटीपीपी नियमों के नियम 29(2)(घ) के अनुसार एक दर संविदा में मात्रा की कोई सीमा नहीं होती है और इसलिए, अतिरिक्त मात्रा पर 50 प्रतिशत की सीमा (जैसा कि आरटीपीपी नियमों के नियम 73(2) द्वारा निर्धारित है) दर संविदा पर लागू नहीं होती है।

पंचायत समिति घाटोल के संबंध में राजस्थान सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बताए गए कारण आरटीपीपी नियम 73(2) और 29(2)(झ) में निहित प्रावधानों में किसी तरह की छूट को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं । राजस्थान सरकार का यह तर्क कि एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्वीकृतियाँ गर्मी के मौसम के दौरान जारी होने के कारण उनको वार्षिक योजना की निविदाओं में शामिल नहीं किया जा सका, भी सही नहीं है क्योंकि एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत 163 हैण्डपम्पों की स्वीकृतियाँ (₹ 0.82 करोड़) पहले ही जनवरी 2017 में जारी की जा चुकी थी, इसलिए इन कार्यों को वार्षिक योजना में आसानी से शामिल किया जा सकता था । आगे, अतिरिक्त हैण्डपम्पों के कार्यों के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जा सकती थीं एवं निविदा प्रक्रिया 34 दिनों के भीतर पूरी की जा सकती थी, जैसा कि आरटीपीपी नियमों के नियम 40 में निर्धारित है । इसके अतिरिक्त, पंचायत समिति घाटोल में वर्ष 2018-19 के दौरान, नियम 29(2)(झ) द्वारा अनुमत्य समयवृद्धि के बाद, बिना नई निविदाएं आमंत्रित किये, ₹ 0.97 करोड़ के कार्यों का निष्पादन भी उचित नहीं था । पंचायत समिति पिण्डवाडा के संबंध में, विभिन्न स्तरों पर जांच के बाद भी निविदा दस्तावेज में लिपिकीय त्रुटि होने की संभावना समझ से बाहर है । इसके अतिरिक्त, एक परिशिष्ट जारी करके लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया जा सकता था । आगे, नियम 73(2) सभी प्रकार की संविदाओं पर लागू होता है और इसलिए, राजस्थान सरकार का तर्क कि नियम 73(2) द्वारा अतिरिक्त मात्रा पर लगाई गई सीमा दर संविदा पर लागू नहीं होती, बिना किसी वैधानिक आधार के है । राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति डीग एवं कामां के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया ।

इस प्रकार, आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त सामग्री के उपापन के परिणामस्वरूप ₹ 6.16 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ ।

3.2 कार्यों का अनाधिकृत निष्पादन

पंचायत समिति ने आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निविदाएं आमंत्रित किये बिना कार्यों का अनाधिकृत रूप से निष्पादन किया ।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 की धारा 29 (1) के प्रावधानानुसार उपापन करने वाली प्रत्येक संस्था, खुली प्रतियोगी बोली को, उपापन हेतु अनुसरण

6 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी) योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना ।

की जाने वाली सर्वाधिक अधिमानतः पद्धति के रूप में अपनाए जाने को प्राथमिकता देगी। आगे, उक्त अधिनियम की धारा 29 (5) प्रावधित करती है कि किसी खुली प्रतियोगी बोली के मामले में, उपापन करने वाली संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोलियों का आमंत्रण प्रकाशित कर एवं कम से कम एक अन्य स्रोत से, जो विहित की जाए, बोलियां आमंत्रित करेगी। साथ ही, आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 5 में यह प्रावधान है कि ₹ पांच लाख या अधिक के अनुमानित मूल्य वाले कार्यों के उपापन में इलेक्ट्रॉनिक उपापन को अपनाना अनिवार्य होगा।

पंचायत समिति सपोटरा (जिला- करौली) की नमूना-जांच (फरवरी 2022) में प्रकट हुआ कि पंचायत समिति सपोटरा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीएस) तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत 2017-18 के दौरान किए जाने वाले कार्यों हेतु सामग्री के उपापन के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की (नवंबर 2017)। पंचायत समिति ने उपरोक्त खरीद के लिए एक आपूर्तिकर्ता की न्यूनतम दरों को अनुमोदित किया (दिसंबर 2017)। आपूर्तिकर्ता से यह अनुबंध केवल निर्माण सामग्री के उपापन के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंचायत समिति सपोटरा ने, 2018-19 और 2019-20 के दौरान, पृथक निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय, उसी आपूर्तिकर्ता से मोटर सहित बोरवेलों की स्थापना के ₹ 2.50 करोड़ के 192 कार्य करवाए। पंचायत समिति की यह कार्यवाही आरटीपीपी अधिनियम, 2012 की धारा 29 (1) एवं 29 (5) और आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 5 का सीधा उल्लंघन थी। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि आपूर्तिकर्ता के साथ 2017-18 के लिए निष्पादित किए गए आपूर्ति अनुबंध में बोरवेल के कार्यों की मदें सम्मिलित नहीं थी। इस प्रकार, पंचायत समिति को बोरवेल के कार्यों के निष्पादन के लिए अलग से निविदाएं आमंत्रित करने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, पंचायत समिति ने आरटीपीपी अधिनियम और आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, बिना निविदाएं आमंत्रित किए ₹ 2.50 करोड़ के कार्यों का अनाधिकृत रूप से निष्पादन किया।

प्रकरण राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया (अप्रैल 2022); उत्तर प्रतीक्षित रहा (जुलाई 2022)।

पंचायती राज विभाग

3.3 अनाधिकृत भुगतान

ग्राम सभाओं में कराए गए कार्यों के लिए भुगतान, विद्यमान नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए किया गया। इसके अलावा, मस्टर रोल में नामों का दोहराव/उल्लेख नहीं होना, जाली भुगतान एवं निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को इंगित करता है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (आरपीआरआर) का नियम 211 यह प्रावधित करता है कि धन का आहरण केवल चैकों के माध्यम से किया जाएगा एवं अन्य व्यक्तियों को भुगतान केवल खाते में भुगतान योग्य चैकों के माध्यम से किया जाएगा। आगे, यह नियम निर्धारित करता है कि पक्षकार सीधे बैंक/कोषागार/उप-कोषागार से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित बिल पर

चैक संख्या और तारीख का सन्दर्भ अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाएगा ताकि एक ही बिल का दोहरा भुगतान नहीं किया जा सके।

पंचायत समिति तालेड़ा (जिला-बूंदी) एवं चयनित पांच ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी-मार्च 2021) में प्रकट हुआ कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आरपीआरआर के उपर्युक्त प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, सरपंच/सामग्री-आपूर्तिकर्ता/अन्य व्यक्ति के नाम पर चैक जारी किए गए, जैसा कि नीचे **तालिका 1** में वर्णित है:

तालिका 1

क्र. सं.	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति का नाम	अवधि	राशि (₹ में)
1	*सूंथडा*	2018-19 से 2019-20	15,25,450
2	*नोताडा*	2017-18 से 2019-20	22,67,489
3	*सींटा*	2018-19 से 2019-20	19,28,144
4	*सुवासा*	2017-18 से 2019-20	19,88,916
5	*लाडपुर*	2017-18 से 2019-20	26,49,630
6	*पंचायत समिति तालेड़ा*	2018-19	36,800
योग			**1,03,96,429**

चूंकि चैक श्रमिकों के बजाय अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए थे, लेखापरीक्षा को यह आश्वासन नहीं हो सका कि भुगतान वास्तविक श्रमिकों को किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत नोताडा में *"ग्राम बाथपुरा में टैंक के निर्माण के साथ सिंगल फेज ट्यूबवैल"* कार्य हेतु 3 से 15 जुलाई 2018 की अवधि के लिए चार श्रमिकों को भुगतान किया गया था। दिलचस्प है कि, उन्हीं चार श्रमिकों के नाम उसी अवधि में, एक अन्य कार्य *"प्रेमचंद के घर से मोतीलाल कुशवाह के घर तक सीसी सड़क का निर्माण"* के अभिलेखों में पाए गए, जिसके लिए उन्हें अलग से भुगतान किया जाना दर्शाया गया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत नोताडा में, *"गांव नोताडा भोपत में तेजाजी मंदिर में उद्यान की सुरक्षा दीवार का निर्माण"* के कार्य से संबंधित दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के मस्टर रोल[7] में श्रमिकों के नाम नहीं थे, जबकि ₹ 1,18,950[8] का भुगतान एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर किया गया, जो कि सामग्री आपूर्तिकर्ता था।

इस प्रकार, आरपीआरआर के प्रावधानों की अनुपालना नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ का अनाधिकृत भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, जाली भुगतानों एवं निधियों के दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया (जुलाई 2021); उत्तर प्रतीक्षित रहा (जुलाई 2022)।

7 संख्या 1184, 1185 एवं 1348

8 ₹ 59,550 (मस्टर रोल संख्या 1184), ₹ 33,000 (मस्टर रोल संख्या 1185) एवं ₹ 26,400 (मस्टर रोल संख्या 1348)

3.4 स्वयं सहायता समूहों से सीड मनी की वसूली का अभाव

आईडब्ल्यूएमपी के परिचालन दिशा-निर्देशों और विभाग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विफलता के परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूहों से ₹ 1.66 करोड़ की वसूली का अभाव रहा, इस प्रकार भूमिहीन/परिसंपत्तिविहीन व्यक्तियों की आजीविका की गतिविधियों को संबल देने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

भारत सरकार ने, निवल जोत क्षेत्र एवं कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा सिंचित भागों को विकसित करने के उद्देश्य से *एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)* आरम्भ किया (2009-10)। भारत सरकार ने 2011 में 'भूमिहीन/परिसंपत्तिविहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका गतिविधियों' पर केंद्रित प्राथमिकता के साथ *वाटरशेड विकास परियोजनाओं (संशोधित)* के सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए । *आईडब्ल्यूएमपी* के अन्तर्गत उपर्युक्त घटक के परिचालन दिशा-निर्देशों (नवंबर 2011) में, प्रावधान किया गया कि आजीविका की गतिविधियों को संबल देने के लिए, सम्पूर्ण परियोजना निधि का नौ *प्रतिशत* ग्राम स्तर की समितियों[9] (वाटरशेड समितियां /वाटरशेड उपसमितियां[10]) को प्रदान किया जाएगा । वाटरशेड समितियों/उपसमितियों को यह निधि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन/परिसंपत्तिविहीन परिवारों, महिलाओं इत्यादि से बने स्वयं सहायता समूहों को 'रिवॉल्विंग फंड हेतु सीड मनी' के रूप में प्रदान करनी थी । एक स्वयं सहायता समूह को उसकी प्रस्तावित गतिविधि(यों) के वाटरशेड समितियों/उपसमितियों द्वारा अनुमोदन के पश्चात ₹ 25,000 तक की प्रारंभिक राशि, सीड मनी के रूप में दी जा सकती थी । स्वयं सहायता समूह को, इस सीड मनी को अधिकतम 18 निश्चित मासिक किश्तों में वापस करना आवश्यक था, ताकि उक्त राशि को आगे उसी अथवा अन्य स्वयं सहायता समूहों में उनकी आजीविका गतिविधियों को संबल प्रदान करने के लिए, पुनर्निवेशित किया जा सके ।

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के संशोधित सामान्य दिशा-निर्देशों (2011) में वाटरशेड विकास योजनाओं के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तन्त्र निर्धारित किया गया । इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित था कि जिला परिषद स्तर पर, एक वाटरशेड सैल-कम-डेटा सेंटर (डब्ल्यूसीडीसी), जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक अधीक्षण अभियंता-सह-पदेन परियोजना प्रबंधक सम्मिलित होंगे, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करके जिले में वाटरशेड विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा एवं योजनाओं के लिए धन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करेगा । परियोजना स्तर पर, अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता (वाटरशेड विकास और मृदा संरक्षण), परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में काम करेंगे और डब्ल्यूसीडीसी को एक आवधिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे ।

---

9 वाटरशेड समितियां/उपसमितियां गांव में स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है । वाटरशेड समितियां/उपसमितियां *आईडब्ल्यूएमपी* के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने, स्वयं सहायता समूहों के आवेदनों पर विचार करने एवं सीड मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव पारित करने के लिए होती हैं ।

10 यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम शामिल हैं, तो वाटरशेड विकास परियोजना के प्रबंधन के लिए प्रत्येक ग्राम हेतु एक पृथक वाटरशेड उपसमिति का गठन किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, आईडब्ल्यूएमपी के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की गई कार्य निर्देशिका-2013 में भी यह प्रावधित था कि परियोजना निधि को वाटरशेड समितियों/उपसमितियों को हस्तांतरित किया जाएगा, जो इसे आगे स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी के रूप में हस्तांतरित करेंगी। इसमें यह भी प्रावधान था कि स्वयं सहायता समूहों से सीड मनी की वसूली छह से आठ किश्तों में की जाएगी एवं यदि कोई स्वयं सहायता समूह समय पर पहली किश्त का पुनर्भुगतान नहीं करता है, तो वाटरशेड समितियों/उपसमितियों द्वारा स्वयं सहायता समूह को पहले एक नोटिस दिया जाएगा एवं उसके बाद भी पुनर्भुगतान करने में विफल रहने पर स्वयं सहायता समूह द्वारा सीड मनी के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों को वाटरशेड समितियों/उपसमितियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की संपत्तियों का अधिग्रहण न हो पाने की स्थिति में, स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते एवं उसके लिए गारंटी देने वाले सदस्यों से सीड मनी की वसूली की जाएगी। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से ऋण राशि की अदायगी के लिए जिम्मेदार होंगे।

जिला परिषद (आरडीसी), पाली एवं जिला परिषद (आरडीसी), चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की नमूना-जांच (जनवरी-अप्रैल 2019) तथा आगे एकत्र की गई जानकारी (अक्टूबर 2021) से प्रकट हुआ कि उक्त दो जिला परिषदों की 12 पंचायत समितियों के अंतर्गत वाटरशेड समितियों/उपसमितियों ने 2012-17 के दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को *आईडब्ल्यूएमपी* के अंतर्गत सीड मनी के रूप में ₹ 1.99 करोड़ की राशि जारी की। परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार सीड मनी को अधिकतम 18 मासिक किश्तों में लौटाया जाना था, लेकिन वाटरशेड समितियों/उपसमितियों ने दिसंबर 2018 तक स्वयं सहायता समूहों से केवल ₹ 0.33 करोड़ की वसूली की। उसके बाद कोई वसूली नहीं की गई एवं अक्टूबर 2021 को ₹ 1.66 करोड़ की राशि की वसूली बकाया थी ***(विवरण परिशिष्ट XXV में)***। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वाटरशेड समितियों/उपसमितियों द्वारा मासिक किश्त के संग्रहण की प्रणाली लागू नहीं की गई थी, क्योंकि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 0.33 करोड़ की राशि केवल एक या दो किश्तों में वसूल की गई थी।

इस प्रकार, न तो परियोजना स्तर पर अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता (वाटरशेड विकास और मृदा संरक्षण) ने दिशा-निर्देशों के अनुसार *आईडब्ल्यूएमपी* लागू किया और न ही जिला परिषद स्तर पर संबंधित जिला परिषदों के सीईओ और अधीक्षण अभियंता-सह-पदेन परियोजना प्रबंधकों (डब्ल्यूसीडीसी) ने उनके जिलों में वाटरशेड विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया।

परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यूसीडीसी (जिला-चित्तौड़गढ़) ने बताया (मार्च 2019) कि पंचायत समिति स्तर पर कर्मचारियों की कमी एवं परियोजनाओं में वाटरशेड विकास दलों के परिनियोजित न होने के कारण, स्वयं सहायता समूहों से वसूली नहीं की जा सकी एवं वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, राजस्थान सरकार ने, एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया (मई 2022) कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, निधियों को अनुदान के रूप में वाटरशेड समितियों/ उपसमितियों को हस्तांतरित किया गया था तथा उनसे इसे वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का तर्क वाटरशेड समितियों/उपसमितियों से परियोजना निधि की वसूली के बारे में नहीं है बल्कि यह स्वयं सहायता समूहों से सीड मनी की वसूली नहीं

करने और नियमित किश्त के माध्यम से वसूली की प्रणाली के नहीं होने के बारे में है। दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना निधि को वाटरशेड समितियों/उपसमितियों को हस्तांतरित किया जाना था, जिन्हें इसे आगे स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी के रूप में उधार देना था तथा किश्तों के माध्यम से इसकी वसूली करनी थी।

इस प्रकार, *आईडब्ल्यूएमपी* के परिचालन दिशा-निर्देशों एवं विभाग की कार्य निर्देशिका-2013 का पालन करने में विफलता के कारण ₹ 1.66 करोड़ की वसूली नहीं हुई। परिणामस्वरूप वाटरशेड गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न क्षमता के अधिकतम उपयोग, वाटरशेड क्षेत्र के भीतर परिवारों की आय में वृद्धि एवं सतत आजीविका के सृजन करने के उद्देश्य, जो कि सीड मनी प्रदान करने एवं वसूल करने की सतत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किये जाने थे, भी प्राप्त नहीं किए गए।

जयपुर,
27 सितम्बर, 2022

(के. सुब्रमण्यम)
प्रधान महालेखाकार
(लेखा परीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
29 सितम्बर, 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.3.1)

पंचायती राज संस्थाओं के संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों के हस्तांतरण का विवरण

क्र.सं.	विषय	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियां	कार्य	कार्मिक
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार सम्मलित है	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मलित है	नहीं	हाँ	नहीं
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	हाँ*	हाँ*	हाँ*
12	ईंधन और चारा	हाँ*	हाँ*	हाँ*
13	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ*	हाँ*	हाँ*
14	ग्रामीण विद्युतिकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक कार्यकलाप	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एंव बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ*	हाँ*	हाँ*
29	सामुदायिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण	हाँ*	हाँ*	हाँ*

स्रोतः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं (सितम्बर 2021 को स्थिति)।

* *हस्तांतरित लेकिन अस्थाई रूप से वापस लिए गए।*

परिशिष्ट II

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.2.1)

महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए 13 मापदंडों को दर्शाने वाला विवरण

1. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित पहले से मौजूद प्रारूपों के संबंध में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन के प्रारूप और सामग्री सहित अंकेक्षण की प्रकृति, सीमा और कार्यक्षेत्र महालेखाकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा ।
2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना जारी रखेंगे और राज्य सरकार उनके वेतन का भुगतान करेगी ।
3. महालेखाकार लेखों को तैयार करने और उनकी लेखापरीक्षा में समयबद्धता और गुणवत्ता की निगरानी करेंगे।
4. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार को सूचित करते हुए लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा जिसमें उन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के विवरण का उल्लेख होगा जिनकी वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की जाएगी । महालेखाकार द्वारा नमूना जाँच की जाने वाली इकाइयों का चयन महालेखाकार द्वारा किया जाएगा ।
5. महालेखाकार द्वारा की गई नमूना जांच का प्रतिवेदन संबंधित स्थानीय निकाय के प्रमुख एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को, स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा । निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार द्वारा इंगित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर निस्तारण/की गई कार्रवाई का उसी तरह से अनुसरण करेगा जैसे वह अपने प्रतिवेदनों का करता है ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखापरीक्षा दलों की संरचना महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी ।
7. महालेखाकार के अधिकारीगण, महालेखाकार के निर्णयानुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग विवरणियां/प्रतिवेदनों को ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जिस पर महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की परस्पर सहमति हो ताकि लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके।
9. धन मूल्य या किसी अन्य मानदंड के अलावा, लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताएं, विशेष रूप से सिस्टम दोष, नियमों का गंभीर उल्लंघन/विचलन, गबन, धोखाधड़ी आदि की सूचना जब भी वे ध्यान में आये निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा महालेखाकार को आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित अर्ध-शासकीय रूप से दी जाएगी ।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/मानकों के अनुसार होगी ।
11. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय निकायों तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा । पाठ्यक्रम सामग्री अर्थात लेखापरीक्षा प्रक्रिया, लेखों का प्रमाणीकरण, लेखापरीक्षा मानक आदि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के परामर्श से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।
12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार के परामर्श से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित करेगा ।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, उनकी संवीक्षा करने और जारी करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में महालेखाकार दिशा-निर्देश जारी करेंगे ।

परिशिष्ट III

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.6)

बीएडीपी के अंतर्गत संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चयनित कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

सेक्टर	कार्यों की कुल संख्या	कुल कार्यों का 20 प्रतिशत	*'आइडिया'* सॉफ्टवेयर से चयनित कार्यों की संख्या	लेखापरीक्षा दल द्वारा निर्णयात्मक नमूनाकरण के माध्यम से चयनित कार्यों की संख्या (5 प्रतिशत)
श्रीगंगानगर –ब्लॉक अनूपगढ़	**282**	**56.4**	**65**	**14**
कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	59	11.8	12	
शिक्षा	37	7.4	8	
स्वास्थ्य	6	1.2	4	
आधारभूत अवसंरचना-I सड़क, पुल इत्यादि	72	14.4	15	
आधारभूत अवसंरचना-II पेयजल आपूर्ति	72	14.4	15	
सामाजिक सेक्टर	31	6.2	7	
खेलकूद	5	1	4	
जैसलेमर –ब्लॉक सम	**736**	**147**	**149**	**37**
कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	33	6.6	7	
शिक्षा	82	16.4	17	
स्वास्थ्य	17	3.4	4	
आधारभूत अवसंरचना-I सड़क, पुल इत्यादि	119	23.8	24	
आधारभूत अवसंरचना-II पेयजल आपूर्ति	169	33.8	34	
सामाजिक सेक्टर	316	63	63	
बाड़मेर –ब्लॉक चौहटन	**140**	**28**	**38**	**7**
कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	1	0.2	1	
शिक्षा	45	9	9	
स्वास्थ्य	9	1.8	4	
आधारभूत अवसंरचना-I सड़क, पुल इत्यादि	12	2.4	4	
आधारभूत अवसंरचना-II पेयजल आपूर्ति	62	12.4	13	
सामाजिक सेक्टर	8	1.6	4	
खेलकूद	3	0.6	3	
बीकानेर –ब्लॉक खाजूवाला	**390**	**78**	**87**	**20**
कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	4	0.8	4	
शिक्षा	100	20	20	
स्वास्थ्य	10	2	4	
आधारभूत अवसंरचना-I सड़क, पुल इत्यादि	89	17.8	18	
आधारभूत अवसंरचना-II पेयजल आपूर्ति	60	12	12	
सामाजिक सेक्टर	123	24.6	25	
खेलकूद	4	0.8	4	
कुल योग	**1548**		**339**	**78**
चयनित किए गए कार्यों की कुल संख्या			**417**	
संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जांच किए गए कार्यों की संख्या			**338***	**81#**
संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जांच किए गए कार्यों की कुल संख्या			**419**	

* सार्वजनिक निर्माण विभाग के असहयोग के कारण चयनित एक बीटी सड़क का सत्यापन नहीं हो सका।

जैसलमेर (ब्लॉक सम), में 37 कार्यों के स्थान पर 41 कार्यों (अर्थात चार अतिरिक्त कार्य) तथा बाड़मेर (ब्लॉक चौहटन) में सात कार्यों के स्थान पर छह कार्यों (अर्थात एक कम कार्य) का निर्णयात्मक आधार पर भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रकार, निर्णयात्मक नमूनाकरण के आधार पर कुल तीन अतिरिक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया।

परिशिष्ट IV

(सन्दर्भ अनुच्छेदः 2.1.8.1)

बीएडीपी के अंतर्गत मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में मौजूद विभिन्न सेक्टरों के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंडों में गंभीर कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सेक्टर	विभाग	मापदंड	गंभीर कमियों वाले गाँवों की संख्या	कुल सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों में से गंभीर कमियों वाले गाँवों का प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1 (ii). सरकारी बीज केन्द्रों की उपलब्धता	316	39.25
2			1 (iii). बाज़ारों की उपलब्धता	662	82.24
3			1 (xii). पशुधन विस्तार सेवाएँ	526	65.34
4			1 (xviii). खाद्यान्न भण्डारण के लिए गोदाम	368	45.71
5		पशुपालन एवं डेयरी विभाग	2 (v). पशु चिकित्सा क्लिनिक या अस्पताल	291	36.15
6	आधारभूत अवसंरचना-II (पेयजल आपूर्ति)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3 (ii). नल के पानी की उपलब्धता	299	37.14
7			3 (v). नल के पानी के कनेक्शन वाले घर	664	82.48
8			3 (vi). स्वच्छ शौचालय रहित घर	66	8.20
9	आधारभूत अवसंरचना -I सड़क एवं पुल	ग्रामीण विकास विभाग	10 (i). सभी मौसम उपयुक्त सड़कें	6	0.75
10			10 (v). पक्की आतंरिक सड़कें	262	32.55
11	शिक्षा	स्कूल शिक्षा विभाग	11 (i). प्रौढ़ शिक्षा केंद्र	608	75.53
12			11 (ii). उच्च विद्यालय	64	7.95
13			11 (iii). उच्चतर/सीनियर माध्यमिक विद्यालय	118	14.66
14			11 (iv). उच्च प्राथमिक विद्यालय	111	13.79
15			11 (v). प्राथमिक विद्यालय	373	46.34
16			11 (vi). व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	556	69.07
17		उच्च शिक्षा विभाग	7 (i). डिग्री महाविद्यालय	398	49.44
18	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	15 (i). पीएचसी, सीएचसी की उपलब्धता	110	13.66
19			15 (ii). जन औषधि केंद्र	606	75.28
20			15 (iii). मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाएँ	548	68.07
21	सामाजिक	नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	17 (i). सौर/पवन उर्जा	660	81.99
22		पंचायती राज मंत्रालय	18 (i). सी एस सी	231	28.70

क्र.सं.	सेक्टर	विभाग	मापदंड	गंभीर कमियों वाले गाँवों की संख्या	कुल सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों में से गंभीर कमियों वाले गाँवों का प्रतिशत
23		उर्जा मंत्रालय	20 (i). घरेलु उपयोग के लिए बिजली	33	4.10
24		सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	22 (i). लोक परिवहन	69	8.57
25		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	24 (i). आंगनबाड़ी केंद्र	336	41.74
26		वित्तीय सेवाएँ विभाग	4 (i). ए टी एम	349	43.35
27			4 (ii). बैंक	332	41.24
28			4 (iii). इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ व्यापार संवाददाता	587	72.92
29		भू-संसाधन विभाग	8 (ii). सामुदायिक वर्षा-जल संचय प्रणाली	526	65.34
30			8 (iii). वाटर शेड विकास परियोजना	606	75.28
31		डाक विभाग	9 (i). डाकघर/उप-डाकघर की उपलब्धता	145	18.01
32		दूरसंचार विभाग	12 (i). टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता	103	12.80
33			12 (ii). इन्टरनेट/ब्रोडबेंड सुविधाएँ	261	32.42
34	स्पेल	युवा कार्यक्रम और स्पेल मंत्रालय	23. मनोरंजन केंद्र	689	85.59

परिशिष्ट V

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.1)

बीएडीपी के अंतर्गत 'शून्य' रेखा से 0-10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित सीमावर्ती गाँवों/बस्तियों को बाहर रखे जाने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

जिला/ब्लॉक	'शून्य' रेखा से 0-10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित बस्तियों की कुल संख्या (बीएडीपी पोर्टल भारत सरकार के अनुसार)	वर्ष 2016-21 के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत सम्पादित कार्यों वाले गाँवों/ बस्तियों की कुल संख्या (आईडब्ल्यूएमएस आंकड़ों के अनुसार)	बीएडीपी के अंतर्गत वर्ष 2016-21 के दौरान कोई कार्य नहीं किए गए गाँवों/बस्तियों की कुल संख्या (आईडब्ल्यूएमएस आंकड़ों के अनुसार
जिला-बाड़मेर			
चौहटन	28	19	9
धनाऊ	13	10	3
गडरा रोड	58	29	29
रामसर	47	24	23
सेड़वा	37	28	9
कुल	**183**	**110**	**73**
जिला-बीकानेर			
खाजूवाला	30	20	10
कोलायत	7	7	0
कुल	**37**	**27**	**10**
जिला-जैसलमेर			
जैसलमेर	31	26	5
सम	113	55	58
कुल	**144**	**81**	**63**
जिला-श्रीगंगानगर			
अनूपगढ़	199	100	99
घडसाना	167	88	79
करनपुर	151	95	56
पदमपुर	36	30	6
रायसिंह नगर	134	85	49
श्रीगंगानगर	108	53	55
श्रीविजयनगर	47	28	19
कुल	**842**	**479**	**363**
कुल योग	**1206**	**697**	**509**

परिशिष्ट VI

(सन्दर्भ अनुच्छेदः 2.1.10.1)

बीएडीपी के अंतर्गत 'शून्य' रेखा से 0–10 किलोमीटर से बाहर सीमावर्ती गाँवों में किए गए कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

ब्लॉक	'शून्य' रेखा से 0–10 किलोमीटर के भीतर के कार्य			'शून्य' रेखा से 10 किलोमीटर के बाहर के कार्य			कुल कार्य		
	कार्यों की कुल संख्या	वित्तीय स्वीकृति की राशि	व्यय	कार्यों की कुल संख्या	वित्तीय स्वीकृति की राशि	व्यय	कार्यों की कुल संख्या	वित्तीय स्वीकृति की राशि	व्यय
जिला –श्रीगंगानगर									
अनूपगढ़	280	2,827.59	2,495.56	2	8.33	8.32	282	2,835.92	2,503.88
करनपुर	267	2,232.13	1,863.09	7	45.33	43.12	274	2,277.46	1,906.21
गंगानगर	303	2,836.63	2,564.33	7	45.21	45.21	310	2,881.84	2,609.54
घड़साना	282	2,297.20	1,956.77	20	254.94	215.42	302	2,552.14	2,172.19
पदमपुर	81	637.31	622.96	0	0	0	81	637.31	622.96
रायसिंह नगर	210	2,465.70	1,976.17	18	191.61	177.84	228	2,657.31	2,154.01
श्रीविजयनगर	71	523.72	518.46	30	255.91	255.57	101	779.63	774.03
(रिक्त)	0	0	0	3	56.00	49.60	3	56.00	49.60
कुल	**1,494**	**13,820.28**	**11,997.34**	**87**	**857.33**	**795.08**	**1,581**	**14,677.61**	**12,792.42**
जिला –जैसलमेर									
जैसलमेर	453	7,827.10	6,704.44	135	2,518.12	2,159.76	588	10,345.22	8,864.20
सम	607	10,509.23	8,116.50	129	3,057.58	2,348.84	736	13,566.81	10,465.34
कुल	**1,060**	**18,336.33**	**14,820.94**	**264**	**5,575.70**	**4,508.60**	**1,324**	**23,912.03**	**19,329.54**
जिला –बाड़मेर									
गडरारोड़	102	3,082.08	2,166.06	4	55.00	37.77	106	3,137.08	2,203.83
चौहटन	103	1,585.96	1,306.70	37	920.65	759.56	140	2,506.61	2,066.26
धनाऊ	94	1,606.15	1,246.38	8	238.83	205.23	102	1,844.98	1,451.61
बाड़मेर*	0	0	0	16	567.40	376.25	16	567.40	376.25
रामसर	66	1,042.92	774.47	7	99.88	44.26	73	1,142.80	818.73
शिव*	0	0	0	5	210.02	167.24	5	210.02	167.24
सेड़वा	177	2,956.94	2,520.04	14	293.68	208.54	191	3,250.62	2,728.58
कुल	**542**	**10,274.05**	**8,013.65**	**91**	**2,385.46**	**1,798.85**	**633**	**12,659.51**	**9,812.50**
जिला –बीकानेर									
कोलायत	116	2,444.99	1,490.50	85	2,340.32	1,746.01	201	4,785.31	3,236.51
खाजूवाला	159	3163.81	2341.85	231	3,644.50	3,025.85	390	6,808.31	5,367.70
लुणकरणसर*	0	0	0	1	2.50	उपलब्ध नहीं	1	2.50	उपलब्ध नहीं
कुल	**275**	**5,608.80**	**3,832.35**	**317**	**5,987.32**	**4,771.86**	**592**	**11,596.12**	**8,604.21**
कुल योग	**3,371**	**48,039.46**	**38664.28**	**759**	**14,805.81**	**11,874.39**	**4,130**	**62,845.27**	**50,538.67**

टिप्पणीः * ये सभी गैर-बीएडीपी ब्लॉक हैं।

परिशिष्ट VII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.10.4)

बीएडीपी के अंतर्गत आदर्श गाँवों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

आधारभूत अवसंरचना	सुविधाएँ	सुविधाओं की उपलब्धता		
		आदर्श गाँव-मिठडाऊ, ब्लॉक-चौहटन, (बाड़मेर)	आदर्श गाँव-18 पी, ब्लॉक-अनूपगढ़, (श्री गंगानगर)	आदर्श गाँव-20 बीडी, ब्लॉक-खाजूवाला, (बीकानेर)
शिक्षा की मूलभूत अवसंरचना	अच्छी शैक्षिक सुविधाएँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं बीएडीपी के अंतर्गत निर्मित एक डिजिटल पुस्तकालय अक्रियाशील था। एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष वाई-फाई, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रोजेक्टर आदि के साथ सुसज्जित नहीं था और संरचना निष्क्रिय थी।
	अच्छे अध्यापकों की उपलब्धता	उपलब्ध नहीं शिक्षकों की बहुत कमी थी। स्वीकृत 12 पदों के विरूद्ध, आठ शिक्षक उपलब्ध थे तथा विषयाध्यापकों के पद रिक्त पड़े थे।	उपलब्ध नहीं शिक्षकों की बहुत कमी थी। 15 की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध, 10 शिक्षक उपलब्ध थे तथा विषयाध्यापकों के पद रिक्त पड़े थे।	उपलब्ध नहीं शिक्षकों की बहुत कमी थी । 12 की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध, 7 शिक्षक उपलब्ध थे तथा विषयाध्यापकों के पद रिक्त पड़े थे।
	मूल्य आधारित शिक्षा के लिए प्रावधान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सामाजिक आधारभूत ढांचा	सांस्कृतिक केंद्र	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध यद्यपि इसका अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक भण्डार कक्ष के रूप में काम लिया जा रहा था।
	सामुदायिक केंद्र	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
	पार्क एवं अन्य मनोरंजन सुविधाएँ	एक पार्क उपलब्ध था।	एक पार्क उपलब्ध था।	एक पार्क उपलब्ध था।
स्वास्थ्य देखभाल	सभी सुविधाओं युक्त उपस्वास्थ्य केंद्र यथा- अल्ट्रासाउंड, एक्स रे, पैथ लेब, सभी प्रकार के टीकाकरण, मातृत्व केंद्र, इनडोर व आउटडोर वार्ड आदि। इनडोर वार्ड में पर्याप्त संख्या में बेड हो सकते हैं।	एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध था, हालाँकि आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। यद्यपि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बीएडीपी के अंतर्गत कुछ उपकरण/औजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिठडाऊ को आपूर्ति हेतु ख़रीदे थे, हालाँकि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिठडाऊ को नहीं भेजे गए थे।	एक उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध था, हालाँकि जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी।	एक उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध था, हालाँकि जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, यह 6 ग्राम पंचायतों के उप केंद्रों के साथ-साथ एक एएनएम के अतिरिक्त प्रभार के अंतर्गत था।
स्वास्थ्य देखभाल	चल औषधालय, रोगी वाहन आदि	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
कृषि	जैविक कृषि	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।

आधारभूत अवसंरचना	सुविधाएँ	सुविधाओं की उपलब्धता		
		आदर्श गाँव-मिठडाऊ, ब्लॉक-चौहटन, (बाड़मेर)	आदर्श गाँव-18 पी, ब्लॉक-अनूपगढ़, (श्री गंगानगर)	आदर्श गाँव-20 बीडी, ब्लॉक-खाजूवाला, (बीकानेर)
पानी की सुविधाएँ	सुरक्षति पेयजल सुविधाएँ शुद्ध पेयजल के लिए गाँव के मध्य में या किसी आस पास के गाँव में मूलभूत अवसंरचना का विकास किया जा सकता है। आस पास के सभी गाँव इस उद्देश्य के लिए पाइप लाइन से जुड़े होने चाहिए ताकि आस पास के सभी गाँवों को सुरक्षित पेयजल मिल सके।	उपलब्ध।	उपलब्ध।	उपलब्ध।
स्वच्छता	सभी गाँव, आदर्श गाँव के साथ साथ आस पास के सभी गांवों को भी स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।	उपलब्ध।	उपलब्ध।	उपलब्ध।
आर्थिक आधारभूत अवसंरचना	अनाज मंडी	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	व्यापार केंद्र	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	वित्तीय केंद्र एवं सेवाएँ जैसे बैंक आदि।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	व्यावसायिक अध्ययन और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और कारीगरों, कमजोर किसानों आदि को कौशल उन्नयन के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पर्यटन और आतिथ्य आदि में कौशल विकास, महिला समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	भवन उपलब्ध परन्तु अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा।
आर्थिक आधारभूत अवसंरचना	पिछड़ा अगड़ा एकीकरण स्तर की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	अन्य कोई आवश्यकता आधारित सुविधाएँ	-	-	-
गतिशीलता/संचार	आदर्श/स्मार्ट गांव को नजदीकी मुख्य सड़क से और आगे आसपास के सभी गांवों से सड़कों से जोड़ा जाएगा।	उपलब्ध।	उपलब्ध।	उपलब्ध।
	आदर्श/स्मार्ट गांव में बीएसएनएल का एक मोबाइल टावर होना चाहिए ताकि यह आसपास के गांवों में आबादी की जरूरतों को पूरा कर सके।	उपलब्ध।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध।
	डिजिटलाइजेशनः सूचना प्रौद्योगिकी, सीआईसी केंद्र, आदि।	ई-मित्र सुविधा उपलब्ध।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
विद्युत	आदर्श गांव एक उर्जा का केंद्र होगा जहां नई और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी और आसपास के गांवों को भी वितरित की जाएगी।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।

आधारभूत अवसंरचना	सुविधाएँ	सुविधाओं की उपलब्धता		
		आदर्श गाँव-मिठडाऊ, ब्लॉक-चौहटन, (बाड़मेर)	**आदर्श गाँव-18 पी, ब्लॉक-अनूपगढ़, (श्री गंगानगर)**	**आदर्श गाँव-20 बीडी, ब्लॉक-खाजूवाला, (बीकानेर)**
आवास	शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ आदि के लिए घर ।	आवासीय क्वार्टर उपलब्ध थे।	आवासीय क्वार्टर उपलब्ध थे ।	आवासीय क्वार्टर उपलब्ध थे ।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन । गंदे पानी का पुनर्चक्रण । वर्षा जल संग्रहण ।		उपलब्ध नहीं ।	उपलब्ध नहीं ।	उपलब्ध नहीं ।

परिशिष्ट VIII

(सन्दर्भ अनुच्छेदः 2.1.10.5(i))

बीएडीपी के अंतर्गत शिक्षा सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति/मरम्मत की आवश्यकता						
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रमजान की गफन में अतिरिक्त कक्षा कक्ष और पानी एवं शौचालय की सुविधा का निर्माण (2018-19/34265)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-रमजान की गफन	12.00/ 07-02-2019	12.00 पूर्ण	दीवारों में दरारें पाई गई। पानी की सुविधा नहीं पाई गई।
2	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरबी की गफन में अतिरिक्त 2 कक्षा कक्ष और पानी एवं शौचालय की सुविधा का निर्माण (2018-19/34266)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-रमजान की गफन	17.61/ 07-02-2019	17.61 पूर्ण	दीवारों में दरारें पाई गई। पानी तथा शौचालय की सुविधा नहीं पाई गई।
3	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नवतला जैतमल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं पानी की सुविधा का निर्माण (2019-20/1581)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-नवतला जैतमल	6.89/ 01-07-2019	6.89 पूर्ण	दीवारों में दरारें पाई गई।
4	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शोभाला जैतमल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2019-20/8203)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-शोभाला जैतमल	10.00/ 09-12-2019	0.10 प्रगतिरत	कक्ष का एक दरवाजा टूटा हुआ पाया गया।
5	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 12 एच में दो कमरे के बरामदे का निर्माण (2017-18/19895)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत-12 एच	9.00/ 12-06-2017	9.00 पूर्ण	छत और फर्श में दरारें पाई गई।
6	उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6 बीजीएम में चारदीवारी विस्तार कार्य (16-17/21856)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-40 केवाईडी	12.00/ 01-09-2017	12.00 पूर्ण	चार दीवारी में दरारें पाई गई।
7	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लम्बापार की चारदीवारी का निर्माण (2017-18/23361)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-लूनार	8.00/ 01-01-2018	4.00 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। चारदीवारी का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त था। चारदीवारी में मुख्य दरवाजा नहीं लगाया हुआ था।
8	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धनाना की चारदीवारी का निर्माण (2019-20/12628)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत – धनाना	10.00/ 31-03-2020	10.00 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। चारदीवारी का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त था।
9	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 12 केवाईडी में अध्यापक आवास का निर्माण (16-17/19995)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	7.5/ 12-05-2016	7.5 पूर्ण	फर्श टूटा हुआ था। रेम्प पर अत्यधिक ढलान था जो काफी घातक था। खिड़कियों में कांच नहीं पाए गए।
10	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रमजान की गफन में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण (2017-18/23462)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत – रमजान की गफन	9.00/ 14-02-2019	9.00 पूर्ण	दरारें पाई गई और उपयोग में नहीं आ रही थी।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
निष्क्रिय/अक्रियाशील संपत्तियां/निष्फल						
11	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय शोभाला जैतमल में कम्प्यूटर कक्ष तथा विज्ञान कक्ष का निर्माण (2017-18/23447)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-शोभाला जैतमल	18.00/ 12-03-2018	17.73 पूर्ण	विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं हैं, जबकि कक्षों को सामान्य उपयोग में लिया जा रहा है।
12	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवतला जैतमल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष और विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण (2017-18/23408)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-नवतला जैतमल	18.00/ 14-02-2018	18 पूर्ण	विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं था।
13	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रमजान की गफन में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण (2017-18/23471)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-रमजान की गफन	9.00/ 14-02-2019	9 पूर्ण	दरारें पाई गई तथा कक्षों का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
14	राजकीय माध्यमिक विद्यालय 8 केवाईडी में खेल मैदान का निर्माण (16-17/20797)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 8 केवाईडी	11.50/ 23-12-2016	11.50 पूर्ण	खेल मैदान उपयोग में नहीं आ रहा था और केवल शेड पाया गया तथा मैदान में झाड़ियाँ उग रही थी।
15	राजकीय माध्यमिक विद्यालय 2 केएलडी में अध्यापक आवास निर्माण (17-18/25642)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 2 केएलडी	8.00/ 01-01-2018	8 पूर्ण	आवासों का किसी को आवंटन नहीं किया गया था, और इस प्रकार उपयोग में नहीं आ रहे थे।
16	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8 केवाईडी में विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य (17-18/25783)	बीकानेर खाजूवाला	अतिरिक्त जिला समन्वयक, रमसा	19.64/ 22-01-2018	16.75 पूर्ण	संपत्ति उपयोग में नहीं आ रही पाई गई।
17	राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 पीएचएम में खेल मैदान का निर्माण (19-20/7066)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 7 पीएचएम	15.00/ 22-10-2019	15 पूर्ण	केवल शेड पाया गया तथा ट्रेक नहीं पाया गया।
18	डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण कार्य	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 20 बीडी	15.00/ 27-11-2017	14.99 पूर्ण	कम्प्यूटर तथा फर्नीचर बिखरे हुए पड़े हैं और उपयोग में नहीं आ रहे हैं।
19	कक्षा कक्ष, दो हॉल और बरामदा का निर्माण कार्य	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	12.00/ 04-01-2019	11.99 पूर्ण	विद्युत कनेक्शन नहीं पाया गया, लाईट फिटिंग सही स्थिति में नहीं है, छत पर पानी निकास के लिए कोई पाइप नहीं पाया गया । खिड़की में कांच नहीं पाए गए।
20	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 27 बीडी में कम्प्यूटर कक्ष मय बरामदे का निर्माण	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 2 केडब्ल्यूएम	7.5/ 12-12-2017	7.47 पूर्ण	कोई विद्युत कनेक्शन नहीं पाया गया । कम्प्यूटर नहीं लगाए गए थे।
21	उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजपाला में ई-पुस्तकालय का निर्माण (2018-19/808)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तेजपाला	10.00/ 11-07-2018	9.69 पूर्ण	ई-पुस्तकालय का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था और पुस्तकालय खाली पड़ा था।
22	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चौहानी में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2016-17/16293)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - दव	5.00/ 27-10-2016	5 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपयोग में नहीं आ रहा था।
23	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूनार में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण (2017-18/18766)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - लूनार	12.45/ 01-01-2018	12.45 पूर्ण	पुस्तकालय का अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा पुस्तकालय खाली पड़ा था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
24	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खाराझंडा, खबडेला में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2018-19/29554)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - हरनाऊ	10.00/ 08-03-2019	10 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। विद्यालय में कोई अध्यापक पदस्थापित नहीं था । इसलिए विद्यालय क्रियाशील नहीं था । पुराना भवन क्षतिग्रस्त था और निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष बंद था तथा अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं आ रहा था क्योंकि चाबियां किसी निजी व्यक्ति के पास थी।
25	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुरार में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2018-19/29557)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - हरनाऊ	10.00/ 08-03-2019	9.69 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था । विद्यालय में कोई अध्यापक पदस्थापित नहीं था । इसलिए विद्यालय क्रियाशील नहीं था । पुराना भवन क्षतिग्रस्त था और निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष खाली पड़ा था तथा अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं आ रहा था।
26	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायमला में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण (2017-18/18779)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - रायमला	9.82/ 26-12-2017	9.82 पूर्ण	कम्प्यूटर कक्ष अनुपयोगी पड़ा था तथा अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं आ रहा था। एक कम्प्यूटर कक्ष, एक कला एवं शिल्प और एक पुस्तकालय कक्ष समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में निर्मित थे। इस प्रकार आवश्यकताओं का वास्तविक निर्धारण किए बिना निर्माण कार्यों का दोहराव किया गया था।
परिसंपत्तियों का अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना/व्यक्तिगत उपयोग						
27	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 3 पीडब्ल्यूएम में पुस्तकालय का निर्माण (2016-17/12896)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 3 पीडब्ल्यूएम	10.00/ 15-09-2016	10 पूर्ण	पुस्तकालय का उपयोग आवास के रूप में किया जा रहा है। बालकनी टूटी हुई पाई गई थी तथा दरारें भी पाई गई।
28	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नयातला में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2019-20/12629)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - हरनाऊ	11.00/ 31-03-2020	11 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। दो अतिरिक्त कक्षा कक्षों के विरुद्ध, केवल एक कक्षा कक्ष का निर्माण किया गया । अतिरिक्त कक्षा कक्ष का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए न किया जाकर एक अध्यापक द्वारा आवास के रूप में किया जा रहा था।
29	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कम्प्यूटर मय फर्नीचर की खरीद, 18 पी (2017-18/12406)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचातयत- 18 पी	5.00/ 07-07-2017	5 पूर्ण	दस कम्प्यूटर के बजाए सात ही पाए गए। एक कम्प्यूटर अध्यापक के घर पर लगाया हुआ पाया गया तथा एक अन्य प्रधानाचार्य के कक्ष में लगाया हुआ पाया गया । वे छात्रों द्वारा उपयोग में नहीं लिए जा रहे थे।
30	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण (2018-19/13455)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - तेजपाला	25.00/ 11-07-2018	24.67 पूर्ण	कम्प्यूटर प्रयोगशाला का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था बल्कि अध्यापन

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						कार्मिक द्वारा आवास के रूप में किया जा रहा था।
31	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्थाला मठ में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2017-18/23363)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - म्याजलार	5.5/ 05-02-2018	5 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था बल्कि किसी अन्य के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लाया जा रहा था।
32	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, म्याजलार में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण (2018-19/29458)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - म्याजलार	9.82/ 08-03-2019	9.82 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। कम्प्यूटर कक्ष का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था और भण्डार कक्ष के उपयोग में लाया जा रहा था।
अपूर्ण/अनुचित साईट का चयन						
33	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायमला में पुस्तकालय कक्ष और छात्रा शौचालय का निर्माण (2019-20/1993)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - रायमला	13.95/ 26-12-2017	10 प्रगतिरत	साईट पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। भौतिक सत्यापन की दिनांक पर कार्य रुका हुआ था तथा कार्य लम्बे समय से अपूर्ण था।
34	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्भैयो की ढाणी, शाहगढ़ चारदीवारी का निर्माण (2018-19/29525)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - शाहगढ़	5.00/ 08-03-2019	2.5 प्रगतिरत	कार्य पूर्ण नहीं किया गया था तथा प्रगतिरत है।
35	राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राठौड़ों का वास, किरत सिंह की ढाणी तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण (2018-19/29542)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - म्याजलार	5.00/ 08-03-2019	5 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। नाली निर्मित नहीं थी । पत्थर चुनाई कार्य नहीं किया गया था और उचित ढाल नहीं दिया गया था । इंटरलॉकिंग स्वरंजा मुख्य सड़क से नहीं जुडा हुआ था।
36	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बलिदाद की बस्ती, धनाना में तीन अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण (2018-19/29475)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - धनाना	16.50/ 08-03-2019	8.25 प्रगतिरत	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार छः दरवाजे होने चाहिए थे जबकि वहां तीन दरवाजे बनाए गए थे।
37	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धनाना में दो अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण (2018-19/29516)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - धनाना	10.00/ 08-03-2019	5 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। कार्य रुका हुआ था तथा भौतिक सत्यापन की दिनांक को कार्य अपूर्ण था।
निर्माण कार्य विनिर्देशों के अनुरूप नहीं/दोषपूर्ण						
38	अध्यापक आवास निर्माण कार्य, 12 केवाईडी	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत- 17 केवाईडी	8/ 22-05-2018	8 पूर्ण	रेम्प पर अत्यधिक ढलान पाया गया तथा टाइलें नहीं थी। खिड़की में कांच नहीं पाए गए।
39	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लाले की बस्ती, धनाना में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2018-19/29480)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - धनाना	5.5/ 08-03-2019	5.5 पूर्ण	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार एक दरवाजा व तीन खिड़कियाँ होनी चाहिए थी जबकि वहां केवल एक दरवाजा व एक खिड़की बनाई गई थी।

परिशिष्ट IX

(सन्दर्भ अनुच्छेद : 2.1.10.5(ii))

बीएडीपी के अंतर्गत स्वास्थ्य सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त/मरम्मत की आवश्यकता						
1	उपस्वास्थ्य केंद्र, लूनार का चारदीवारी निर्माण (2018-19/794)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-लूनार	8.00/ 30-07-2018	8 पूर्ण	एक तरफ की चारदीवारी क्षतिग्रस्त थी । चारदीवारी पर मुख्य द्वार नहीं लगाया हुआ था ।
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(पीएचसी), मिठडाऊ में वार्ड तथा प्रसूति कक्ष का निर्माण (2017-18/13021)	बाड़मेर चौहटन	लोक निर्माण विभाग-चौहटन	30.00/ 30-10-2017	28.12 पूर्ण	छत पर पानी इकठ्ठा हो रहा था और जलनिकास कार्यशील नहीं था। डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया ।
निष्क्रिय/अक्रियाशील/निष्फल						
3	बीओपी कैलाश के नजदीक ग्राम 35- ए, में 10 बेड के वातानुकूलित अस्पताल का निर्माण (2019-20/332)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अनूपगढ़	30.00/ 28-05-2019	11.23 प्रगतिरत	अस्पताल का उपयोग नहीं हो रहा था ।
4	बीओपी कैलाश के नजदीक ग्राम 27- ए में 10 बेड के वातानुकूलित अस्पताल का निर्माण (2019-20/333)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अनूपगढ़	30.00/ 28-05-2019	23 पूर्ण	अस्पताल बंद पाया गया तथा आमजन के द्वारा उपयोग नहीं हो रहा था । इसका रखरखाव नहीं हो रहा था ।
5	उप स्वास्थ्य केंद्र, 18 पी में प्रसूति कक्ष का निर्माण (2017-18/12442)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 18 पी	10.00/ 07-07-2017	10 पूर्ण	प्रसूति कक्ष में उपकरण नहीं लगे थे ।
6	उपकेन्द्र मय एएनएम क्वार्टर एवं प्रसूति गृह का निर्माण कार्य	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-20 बीडी	10.00/ 19-07-2017	10 पूर्ण	भवन बंद था और इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था ।
7	प्रसूति गृह का निर्माण कार्य 17 केवाईडी	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-17 केवाईडी	10.00/ 06-02-2018	10 पूर्ण	दरवाजे और शौचालय टूटे हुए हैं और उपयोग नहीं किया जा रहा है ।
8	एएनएम क्वार्टर लूनार का मरम्मत कार्य (2016-17/14876)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-लूनार	5.00/ 19-10-2016	2.5 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था । एएनएम क्वार्टर क्षतिग्रस्त व जर्जर हालत में है । क्वार्टर में मरम्मत नहीं की गई थी ।
परिसंपत्तियों को अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाना/निजी उपयोग में लाना						
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, म्याजलार में प्रसूति कक्ष का निर्माण (2016-17/14871)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-म्याजलार	8.00/ 11-11-2016	8 पूर्ण	प्रसूति कक्ष में सीढ़ी/रैंप का निर्माण नहीं किया गया था । प्रसूति कक्ष के सामने निर्माण सामग्री रखी हुई थी । प्रसूति कक्ष का उपयोग स्टोर कक्ष के रूप में किया गया था और अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था ।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
10	दो वार्ड का लघु अस्पताल भवन मय एक शीत कक्ष, स्टाफ कार्यालय और चिकित्सा अधिकारी कक्ष मय शौचालय का निर्माण, घोटारु (2017-18/13281)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर, सेना, जैसलमेर	30.00/ 28-08-2017	30 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। अस्पताल में कोई चिकित्सक/चिकित्सा स्टाफ नियुक्त नहीं था। भवन का उपयोग अस्पताल के उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था और इसके बजाय इसका उपयोग सेना के जवानों द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।
11	बचियाचोर में एमआई कक्ष का निर्माण (2020-21/847)	जैसलमेर सम	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग-II, जैसलमेर	25.00/ 25-06-2020	12.50 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। एमआई अस्पताल के कमरे का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि कोई चिकित्सालय कर्मचारी पदस्थापित नहीं था।
अपूर्ण/अनुचित साईट का चयन						
12	ग्राम साधेवाला में एमआई कक्ष का निर्माण (2019-20/1958)	जैसलमेर सम	सीमा सुरक्षा बल, उत्तर, जैसलमेर	30.00/ 09-08-2019	12.50 अपूर्ण	साइट पर बीएडीपी का कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। निरीक्षण के दिनांक को साईट पर कोई निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं था। कार्य अपूर्ण था और चाबियां ठेकेदार के पास थी। आगे यह देखा गया कि साईट चयन उचित नहीं था क्योंकि निर्माण जल भराव क्षेत्र में किया गया था और एक नाला निर्माण स्थल की ओर सड़क के नीचे से गुजर रहा था। साथ ही, प्लिंथ लेवल का निर्माण सड़क के लेवल से नीचे था।

परिशिष्ट X

(सन्दर्भ अनुच्छेदः 2.1.10.5(iii))

बीएडीपी के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां/मरम्मत की आवश्यकता						
1	पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का निर्माण, मिठडाऊ (2017-18/13040)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-मिठडाऊ	10.00/ 10-10-2017	10 पूर्ण	दीवारों में दरारें आ गई थी। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। ट्रैविस स्थापित नहीं किया गया था।
निष्क्रिय/अक्रियाशील संपत्तियाँ/निष्फल						
2	पशु उप केंद्र का निर्माण (2016-17/12889)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-2 केएलडी	10.35/ 20-09-2016	10.35 पूर्ण	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं था और भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
3	पशु उप केंद्र का निर्माण, 34 केवाईडी (2016-17/12900)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 34 केवाईडी	10.35/ 15-09-2016	10.34 पूर्ण	कोई कर्मचारी पदस्थापित नहीं था और इसलिए उप केंद्र का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
4	पशु उप केंद्र का निर्माण, आनंदगढ़ (16-17/12956)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-आनंदगढ़	10.85/ 20-09-2016	10.80 पूर्ण	वहां कोई कर्मचारी पदस्थापित नहीं है इसलिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।
5	पशु उप केंद्र,तेजपाला में कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण (2018-19/801)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-तेजपाला	15.00/ 11-07-2018	14.99 पूर्ण	आवासीय क्वार्टर खाली पड़ा था।
6	पशु चिकित्सालय, म्याजलार में पशु चिकित्सक और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण (2018-19/778)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - म्याजलार	15.00/ 11-07-2018	15 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक और कर्मचारियों के लिए आवासीय घर खाली था और पूर्ण होने के बाद से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।
7	वाटर कोर्स प्लांटेशन, 7 डीएनडी, धनाना (2016-17/16100)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	9.5/ 15-12-2016	9.5 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2015 में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया था और सितंबर 2019 तक रखरखाव का कार्य किया गया था। इसके बाद खाला वृक्षारोपण का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।
8	टीला स्थिरीकरण योजना 0-5 आरडी, लोंगेवाला माइनर, लोंगेवाला (2016-17/16096)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	6.33/ 15-12-2016	6.33 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। वृक्षारोपण की ओर कोई बाड़ नहीं थी और पौधों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया था। वर्ष 2014 में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया तथा वर्ष 2017-18 (रखरखाव के तीसरे वर्ष) तक रखरखाव किया गया। इसके बाद रखरखाव नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके और विलायती बबूल के केवल कुछ छोटे पौधे ही जीवित रहे जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
9	टीला स्थिरीकरण योजना हुसेन की ढाणी, 25 हेक्टेयर लोंगेवाला (2016-17/16094)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	2.64/ 09-09-2016	2.64 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। वृक्षारोपण की तरफ कोई बाड़ नहीं थी और पौधों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया था । वर्ष 2014 में 60 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया तथा वर्ष 2017-18 (रखरखाव के तीसरे वर्ष) तक रखरखाव किया गया। इसके बाद रखरखाव नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके और विलायती बबूल के केवल कुछ छोटे पौधे ही जीवित रहे जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।
10	टीला स्थिरीकरण योजना समदे खान की ढाणी, 60 हेक्टेयर, लोंगेवाला (2016-17/16098)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	3.17/ 15-12-2016	3.17 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। वृक्षारोपण की ओर कोई बाड़ नहीं थी और पौधों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया था। वर्ष 2014 में 60 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का कार्य एवं वर्ष 2017-18 तक रखरखाव का कार्य किया गया था। इसके बाद वृक्षारोपण का रखरखाव नहीं किया जा रहा था । फलस्वरूप, अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके और विलायती बबूल के केवल कुछ छोटे पौधे ही जीवित रहे जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।
11	डब्ल्यूसी पौधारोपण चक 12 एटीडी, 10 हेक्टेयर, बाँधा (2017-18/31385)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	4.75/ 09-04-2018	4.75 पूर्ण	वर्ष 2016-17 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य (5000 पौधे) एवं वर्ष 2018-19 तक रखरखाव कार्य किया गया। इसके बाद खाला वृक्षारोपण का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। खाला के दोनों ओर के अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।
अपूर्ण/अनुचित साईट चयन						
12	वाटर कोर्स का निर्माण एस.एन. 137/24, कुल एलटी 2, मुरब्बा 8 के-बी (2017-18/24224)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत - 8 केबी	4.78/ 15-12-2017	4.28 पूर्ण	660 फीट में वाटर कोर्स बनने के बाद स्थगन आदेश के कारण कार्य रोक दिया गया था। डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला।
13	जंगली जानवरों के लिए एम्बुलेंस (2019-20/8778)	जैसलमेर सम	डीडीपी जैसलमेर	12.00/ 26-12-2019	0.1 प्रारंभ	एक वाहन निर्मित बोलेरो कैंपर को 28-07-21 को ₹ 7,92,829 में खरीदा गया था, हालांकि, स्वीकृति के 18 माह बीत जाने के बाद भी इसे वाहन संशोधन द्वारा जंगली जानवरों के लिए एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया जाना बाकी था। बीएडीपी के तहत बिना किसी एम्बुलेंस संरचना के वाहन खरीदने की अनुमति नहीं है।
गैर अनुमत कार्य						
14	वाटर कोर्स प्लांटेशन, 1,4,5 एमआरडी 5, घोटारू (2016-17/16079)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	4.75/ 15-12-2016	4.75 पूर्ण	घोटारू, ग्राम पंचायत शाहगढ़ क्षेत्र के लिए इन कार्यों को स्वीकृत दर्शाया गया था, जबकि कार्य ग्राम पंचायत बांधा में निष्पादित किया गया था जो शून्य रेखा पहली बस्ती से 50 किलोमीटर से बाहर था। इस प्रकार, कार्य अस्वीकार्य था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
15	वर्षा जल संचय संरचना (आरडब्ल्यूएचएस) का निर्माण और स्थापना तथा रखरखाव 6 आरएमएम, डिट्टोवाला बांधा। (2018-19/29432)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	25.00/ 09-03-2019	21.05 पूर्ण	जल भंडारण टैंक के पास बाड़ में स्थित बूँद-बूँद पद्धति से बेर व अनार के पौधों को पानी नहर से टैंक में संगृहीत कर दिया जा रहा था। उक्त कार्य में बाड़ लगाने पर व्ययः ₹7,99,053 और उर्वरक पर ₹29,400 का व्यय बीएडीपी के तहत स्वीकार्य नहीं था। आगे, अनार और बेर के पेड़ों से उर्वरक उपचार के बाद भी कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ और अनार के फल की फसल खराब हो गई। साथ ही, लगाया हुआ पम्प मरम्मत के अभाव में खराब हो गया था और उक्त सिंचाई कार्य के लिए कोई विद्युत कनेक्शन स्थापित नहीं किया गया था। वन भूमि का क्षेत्रफल (12.5 हेक्टेयर) पहचान योग्य नहीं था क्योंकि कोई बाड़ नहीं लगाई गई थी और आसपास का क्षेत्र अन्य किसानों के मुरब्बों से घिरा हुआ था। आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण स्वीकृत किया गया था जबकि वर्ष 2019-20 में जलग्रहण क्षेत्र के बिना एक जल भंडारण टैंक का निर्माण किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

परिशिष्ट XI

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.5(iv)(a))

बीएडीपी के अंतर्गत आधारभूत अवसंरचना-I सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त/मरम्मत की आवश्यकता						
1	सीसी ब्लॉक सड़क का निर्माण, 17 केवाईडी आबादी	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	20.00/ 01-01-2018	19.99 पूर्ण	उखड़े हुए ब्लॉक विभिन्न स्थानों पर पड़े थे और सड़क के किनारे क्षतिग्रस्त भी पाए गए थे।
2	म्याजलार पोछीना सड़क से श्याम सिंह/महा सिंह की ढाणी 1.5 किमी. तक बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29309)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	31.50/ 18-01-2019	22.56 पूर्ण	बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और वह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत था। लेकिन यह देखा गया कि सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, शोल्डर्स उचित नहीं थे, साइड ढलान नहीं दिया गया था।
3	पोछिना ग्राम से अमर सिंह की ढाणी तक किमी. 0/0 से 5/0 (2017-18/31639)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	105.00/ 22-03-2018	104.59 पूर्ण	
4	ए/आर छंगानियों की बस्ती 1 किमी, बीटी सड़क का निर्माण (2019-20/12305)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 26-02-2020	16.79 पूर्ण	
5	पन्ने सिंह की ढाणी 2 किमी, बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29302)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	42/ 18-01-2019	29.54 पूर्ण	
6	राघवा से कालरा कुआँ तक 3.5 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2017-18/23178)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	73.50/ 26-12-2017	51.25 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रास्वरस्राव नहीं किया जा रहा था। आगे, एमबी (पेज नंबर 99) के अनुसार 4 पुलियाओं/ब्रिज के ₹ 1,46,088 का निर्माण सड़क पर किया गया था हालाँकि पुलियाओं के निर्माण का कार्य नहीं किया गया था।
7	नया केरला से उदय सिंह की ढाणी तक 1.5 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2017-18/23186)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	31.50/ 26-12-2017	25.14 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रखरखाव नहीं किया जा रहा था। शोल्डर्स उचित नहीं थे, साइड ढलान नहीं दिया गया था।
8	म्याजलार पोछिना सड़क से बिन्जराज का तला 0/0 से 1/250 तक का नवीनीकरण (2017-18/31439)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	15.00/ 22-03-2018	11.72 पूर्ण	बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और वह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत था। लेकिन यह देखा गया कि सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, शोल्डर्स उचित नहीं थे, साइड ढलान नहीं दिया गया था।
9	मुख्य सड़क से धनाना सड़क 0.50 किमी (2016-17/14848)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	13.47/ 11-11-2016	7.77 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
10	राघवा से कालरा कुआँ की ढाणी तक 3 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2016-17/14849)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	75.00/ 27-10-2016	58.8 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी ।
11	40 आरडी आसुतार सड़क से डीटीएसएम तक 4 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29243)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	84.00/ 18-01-2019	69.68 पूर्ण	बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और वह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत था । पुलिया डाली गई थी, परन्तु पुलिया की तरफ की सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी । सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी । रखरखाव नहीं किया जा रहा था ।
12	डामर सड़क से सहकारी गोदाम तक सीसी ब्लाक सड़क का निर्माण (16-17/23624)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 25 केवाईडी	14.00/ 02-02-2017	14 पूर्ण	सड़क पर दरारें पाई गई । डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला ।
13	आरडी 11 25 केनाल 3 केजेडी पर पुल निर्माण (16-17/24008)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 22 केवाईडी	15.00/ 17-02-2017	13.8 पूर्ण	
14	वाटर से नई आबादी तक सीसी सड़क का निर्माण, 18पी (2017-18/9934)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 18 पी	13.88/ 14-06-2017	13.88 पूर्ण	सड़क पर गड्ढे और दरारें थी ।
15	एच-माइनर से आबादी हिसम की 11 एच तक खरंजा सड़क का निर्माण (2017-18/25139)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 12 एच	12.00/ 13-12-2017	12 पूर्ण	खरंजा टूटा हुआ पाया गया । डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला ।
16	बीटी रिंग सड़क घंटियाली 1 किमी का निर्माण (2018-19/29303)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 18-01-2019	15.60 पूर्ण	बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और वह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत था । सड़क पर कई गड्ढे थे ।
17	अहमद की ढाणी, धनाना में इंटरलॉकिंग खरंजा का निर्माण (2019-20/1796)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	5.00/ 30-07-2019	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और सड़कों के बीच में घास उग आई थी । नाली का निर्माण नहीं किया गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
18	पंचायत घर पर सीसी सड़क मय नाली का निर्माण (2019-20/1917)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	5.00/ 30-07-2019	5 पूर्ण	सीसी सड़क पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे और इसके परिणामस्वरूप सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और कंक्रीट उखड़ गई थी । नाली का निर्माण नहीं किया गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
19	गाड सिंह के घर से उम्मेद सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग सडक का निर्माण (2018-19/791)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत लुनार	15.00/ 30-07-2018	7.50 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी । पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे । नाली का निर्माण नहीं किया गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
20	मुख्य सड़क से सत्तो की ढाणी तक बीटी सड़क का निर्माण (2016-17/25917)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	75.00/ 28-02-2017	48.98 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
21	आसुतार रोड से चक आबादी 9 10 एटीडी आसुतार (2016-17/14862)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	137.00/ 27-10-2016	91.62 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी । पुलिया डाली गई थी, लेकिन पुलिया की तरफ की सड़क बुरी

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
22	सीसी ब्लॉक सड़क, राजस्व ग्राम 1 के जे डी (16-17/12897)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 3 पीडब्ल्यूएम	15.00/ 15-09-2016	14.99 पूर्ण	सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई और डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं मिला ।
23	गोहर का तला से भूरामल की ढाणी तक बीटी सड़क का निर्माण (2016-17/16713)	बाड़मेर चौहटन	पीडब्ल्यूडी-चौहटन	146.97/ 16-11-2016	95.71 पूर्ण	विभिन्न स्थानों पर सड़क टूट गई और शोल्डर्स भी क्षतिग्रस्त पाए गए ।
24	सीसी ब्लाक सड़क का निर्माण, 6 बीडीए मुख्य सड़क से वाटर वर्क्स डिग्गी तक 6 बीडीबी (18-19/32474)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 8 केवाईडी	20.00/ 19-12-2018	20 पूर्ण	सीसी ब्लॉक सड़क के किनारे उखड़कर टूट गए थे और कई जगह पड़े थे ।
25	मिठडाउ में आतंरिक सड़क तथा जल निकासी का निर्माण (2017-18/13057)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - मिठड़ाऊ	36.80/ 10-10-2017	36.80 निर्णयात्मक	निकास नाली मिट्टी से भरी हुई थी, इसलिए नाली का आधा हिस्सा जल निकासी के काम में नहीं आ रहा था । नाली में कहीं-कहीं दरारें पाई गई, नाली में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, नाली सिरे से नहीं जुड़ी है ।
26	मुख्य सड़क से कोड़ेचो मेघवालों का पाडा ग्राम पंचायत रमजान की गफन में सीसी सड़क का निर्माण (2017-18/23414)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत – रमजान की गफन	10.00/ 14-02-2018	10 पूर्ण	कहीं-कहीं कंक्रीट उखड़ गई थी और कई जगह दरारें पड़ गई । डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं मिला ।
27	मुख्य सड़क से उपकेन्द्र शोभाला जैतमाल तक सीसी सड़क का निर्माण (2017-18/23418)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत – शोभाला जैतमाल	9.00/ 24-01-2018	9 पूर्ण	कहीं-कहीं कंक्रीट उखड़ गई थी और कई जगह दरारें पड़ गई । डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं मिला ।
28	किशन कुमार के घर से जांगीर सिंह के घर तक सीसी सड़क का निर्माण	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	20.00/ 06-02-2018	19.99 पूर्ण	सड़क उखड़ गई है और कई गड्ढे थे ।
अपूर्ण तथा अनुचित साईट का चयन						
29	धनाना सड़क से दुल्ले का वास जेकब फ़कीर की ढाणी तक इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली का निर्माण (2019-20/1829)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	10.00/ 30-07-2019	10 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था । इंटरलॉकिंग खरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
30	अजीज शाले मोहम्मद का वास, इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली का निर्माण (2019-20/1831)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	10.00/ 30-07-2019	10 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था । इंटरलॉकिंग खरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
31	2 जीडीएम 81/51, हमीरों की बस्ती इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/15993)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत सम	10.00/ 11-11-2016	9.97 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था । इंटरलॉकिंग सड़क कई जगहों पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी । पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे । इंटरलॉकिंग सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
32	राघवा से कालरा कुआँ तक बीटी सड़क का निर्माण 4 किमी (2018-19/29246)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता,	84.00/ 18-01-2019	67.89 पूर्ण	एमबी (पृष्ठ संख्या 98) के अनुसार ₹ 1,09,604 के पुलिया/पुल सड़क पर बनाए गए थे लेकिन पुलिया निर्माण का कार्य नहीं किया गया था । सड़क पर लकीरें थी । बीटी

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
			पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर			सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और सड़क दोष देयता अवधि के अंतर्गत थी। विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और शोल्डर्स टूट गए थे।
33	ग्राम जेस्सिओ से बीओपी जेस्सिओ तक बीटी सड़क का निर्माण (2020-21/844)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	40.00/ 25-06-2020	10 प्रगतिरत	बीटी सड़क का कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि यानी 16-12-2020 की समाप्ति के बाद भी अपूर्ण था। ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
34	सलूनो की ढाणी मुख्य सड़क से 5 डीएनडी बी धनाना तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/15991)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	10.00/ 19-10-2016	10 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इंटरलाकिंग स्वरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
35	मोमड़ाऊ इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण (2019-20/1913)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत शाहगढ़	5.00/ 09-08-2019	2.5 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दी गई थी। इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इंटरलॉकिंग स्वरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
36	वीर सिंह की ढाणी से हुकुम सिंह की ढाणी तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2019-20/1923)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 20-08-2019	3.94 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
37	मुख्य सड़क से महावीर की ढाणी मुरब्बा नम्बर110-63 तक बीटी सड़क का निर्माण 2 किलोमीटर (2019-20/12292)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	42.00/ 26-02-2020	11 अपूर्ण	भौतिक सत्यापन के दिन काम बंद था। केवल 900 मीटर सड़क का निर्माण किया गया था और उसके बाद भूमि विवाद के कारण काम रोक दिया गया था जैसा कि सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
निर्माण विनिर्देश के अनुसार नहीं/ दोषपूर्ण						
38	चक नम्बर 10 केएसआर मुरबा न. 188/01 लीलावती की ढाणी तक बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29312)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	42.00/ 18-01-2019	28.90 पूर्ण	एमबी (पृष्ठ संख्या 98) के अनुसार ₹ 1,46,139 के 8 पुलिया/पुल सड़क पर बनाए गए थे लेकिन केवल एक पुलिया के निर्माण का कार्य किया गया था। 2 किमी सड़क के विरुद्ध केवल 1.4 किमी सड़क का निर्माण किया गया था जबकि एमबी के अनुसार 2 किमी सड़क का निर्माण किया गया था। बीटी सड़क का काम दोष देयता अवधि के अंतर्गत था। कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी और शोल्डर्स टूट गए थे।
39	पदमा राम/लूना राम की ढाणी 10 केएसआर से चक न. 10 केएसआर मुरबा न. 188/01 मेघवालों की ढाणी तक बीटी सड़क का निर्माण 1.0 किमी. (2017-18/23189)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 26-12-2017	15.11 पूर्ण	एमबी (पेज नं. 99) के अनुसार राशि ₹ 48,696/- के 2 पुलिया/पुल सड़क पर बनाए गए थे, लेकिन एक पुलिया बनाने का काम किया गया था जिसमें भी मिट्टी भर दी गई थी। सड़क पर कई गड्ढे थे।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
40	बीटी सड़क का निर्माण रिंग रोड से खयालामठ 2 किमी (2018-19/29247)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	42.00/ 18-01-2019	33.29 पूर्ण	यह देखा गया कि दो (15 मीटर) पुलिया बिछाई गई थी, हालांकि पुलियों का निर्माण/डिजाइन उचित ढंग से नहीं किया गया था और क्रॉस ड्रेनेज के लिए उचित स्थानों पर नहीं रखा गया था। एक पुलिया मिट्टी से भर गई और अवरुद्ध हो गई और दूसरी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। शोल्डर्स उचित नहीं थे और साइड ढलान नहीं दिया गया था। बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और सड़क दोष देयता अवधि के अंतर्गत थी। हालांकि, सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
41	चक न. 4,9 एस एल डी मुरबा न. 10/60 प्रेमरतन की ढाणी, अपूर्ण बीटी सड़क का निर्माण (2017-18/23166)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 18-01-2019	16.55 पूर्ण	एमबी पेज नं. 97 के अनुसार 3 पुलिया राशि ₹ 54,802 का निर्माण क्रॉस ड्रेनेज के लिए किया गया था, हालांकि वास्तव में केवल एक पुलिया का निर्माण किया गया था जो अवरुद्ध हो गई थी। शोल्डर्स उचित नहीं थे और साइड ढलान नहीं दिया गया था। बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और सड़क दोष देयता अवधि के अंतर्गत थी। हालांकि, सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
42	तनोट से नाथुवाला रोड तक 1 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29304)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 18-01-2019	15.40 पूर्ण	1 किमी सड़क में ₹ 36,535 के चार पुलिया का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिया का कार्य नहीं किया गया था। साइट पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध था लेकिन वह खाली था।
43	साधना से 6-7 के एस आर तक सड़क का नवीनीकरण 4 किमी (2018-19/30378)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	44.00/ 18-01-2019	42.32 पूर्ण	सड़क के शोल्डर्स का निर्माण उचित ढंग से नहीं किया गया था।
44	चक न. 4,9 एस एल डी मुरबा न. 10/60 प्रेमरतन की ढाणी, बीटी सड़क 1 किमी का निर्माण (2017-18/23189)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 26-12-2017	15.10 पूर्ण	एमबी पेज नं. 97 के अनुसार राशि ₹ 54,802 के तीन पुलिया का निर्माण क्रॉस ड्रेनेज के लिए किया गया था, हालांकि वास्तव में किसी भी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया था। बीटी रोड का कार्य पूर्ण हो गया था और सड़क दोष देयता अवधि के अंतर्गत थी। सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रखरखाव नहीं किया जा रहा था। शोल्डर्स उचित नहीं थे और साइड ढलान नहीं दिया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
45	मुख्य सड़क से अटल सेवा केंद्र, शाहगढ़ तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/15825)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत शाहगढ़	10.00/ 11-11-2016	10 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

परिशिष्ट XII

(सन्दर्भ अनुच्छेदः 2.1.10.5(iv)(b))

बीएडीपी के अंतर्गत आधारभूत अवसंरचना–II सेक्टर के अंतर्गत चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त/मरम्मत की आवश्यकता						
1	पेयजल सुधार ग्रेविटी मुख्य लाइन और आरडब्ल्यूआर 6 केजेडी, गांव 6 केजेडी के लिए पाइपलाइन बिछाने और जोड़ने का कार्य (2016-17/12881)	बीकानेर खाजूवाला	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला ग्रामीण,ब्लॉक-II) बीकानेर	60.00/ 30-11-2016	45.19 पूर्ण	डिग्गी की दीवार टूट गई और पंप नहीं लगा हुआ था । डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया ।
2	जल संग्रहण संरचना का निर्माण (2017-18/12295)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत - 18 पी	3.06/ 07-07-2017	3.06 पूर्ण	जल संचयन संरचना में दरारें पाई गई हैं ।
3	50 किलो लीटर जीएलआर का निर्माण और चालू करना और असुतार से बधू की ढाणी, डिट्टोवाला, बांधा तक पाइपलाइन उपलब्ध कराना, बिछाना और जोड़ना (2019-20/8745)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	10.00/ 26-12-2019	6.84 पूर्ण	प्लिंथ संरक्षण खराब था और बुरी तरह क्षतिग्रस्त था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
4	हरडा गांव के पास ट्यूबवेल, सीडब्ल्यूटी, पाइपलाइन, जीएलआर/सीडब्ल्यूआर का निर्माण और चालू करना (2018-19/1706)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	30.00/ 11-7-2018	24 प्रगतिरत	प्लिंथ संरक्षण क्षतिग्रस्त हो गया था । सीडब्ल्यूआर में जल रिसाव था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
5	हाजी बसाया की ढाणी, लूणार में जलापूर्ति की व्यवस्था का प्रस्ताव (2019-20/12316)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	17.00/ 26-2-2020	12.09 पूर्ण	प्लिंथ संरक्षण खराब और क्षतिग्रस्त था । पानी के नल टूट गए ।
6	इसे की ढाणी-डाबरी, लूणार में जलापूर्ति की व्यवस्था का प्रस्ताव (2019-20/12318)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	15.00/ 26-2-2020	10.76 पूर्ण	
7	भवारू भील की ढाणी, पुंजाराम भील केडी में जीएलआर और पाइपलाइन का निर्माण और 4 डीटीएम शाहगढ़ में डिग्गी का निर्माण (2017-18/22711)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	35.00/ 26-02-2018	29.72 पूर्ण	4 डीटीएम और भख्खरे की ढाणी पर निर्मित डिग्गियां क्षतिग्रस्त थी । भख्खरे की ढाणी में नहर से जुड़ी पाइप लाइन नहर में ऊंचाई पर थी और डिग्गी में पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा था । जीएलआर क्रियाशील नहीं था । ग्राम पंचायत शाहगढ़ क्षेत्र के लिए कार्यों को स्वीकृत दिखाया गया था जबकि कार्यों का निर्माण वास्तव में ग्राम पंचायत बांधा में किया गया था जो कि शून्य रेखा प्रथम बस्ती से 50 किलोमीटर से अधिक दूर था । आवासीय क्वार्टर 40 आरडी पर निर्मित नहीं पाया गया । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
8	ग्राम पंचायत हरनाऊ, तनोट, नेतसी, सुल्ताना और जवाहरनगर में तत्काल जलापूर्ति बहाल करने के लिए सीमा क्षेत्र में विभिन्न एचडब्ल्यू के लिए दो वाहन सहित ट्रॉली माउंटेड लोअरिंग मशीन की आपूर्ति (2016-17/15354)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	60.00/ 27-10-2016	45.19 पूर्ण	यद्यपि वाहन सहित 2 ट्रॉली माउंटेड लोअरिंग मशीन खरीदी गई थी तथापि वाहन पर चालक पदस्थापित नहीं था और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा वाहन चलाया जा रहा था। एक लोअरिंग मशीन मरम्मत कार्य की आवश्यकता के कारण क्रियाशील नहीं थी और दूसरी मशीन उसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा काम के लिए तनोट की तरफ भेजी गई थी। वाहन की लॉगबुक उपलब्ध नहीं कराई गई । वाहन सहित ट्रॉली माउंटेड लोअरिंग मशीन पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
9	सीमावर्ती क्षेत्र, हरनाऊ में पंचायत के नहर क्षेत्र में 10 ग्रेवल पैक हैंडपंप का निर्माण और चालू करना (2018-19/1702)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	10.00/ 11-7-2018	10 पूर्ण	निर्मित 8 हैंडपंपों में से सात हैंडपंपों की पहचान ज.स्वा.अ.वि. के विभागीय कर्मियों द्वारा की जा सकी। इन 7 हैंडपंपों में से 2 हैंडपंप (प्राथमिक विद्यालय के निकट और झालरिया में) निष्क्रिय थे। डिस्प्ले बोर्ड/हैंड पंप नं. विवरण के साथ चिह्नित नहीं थे।
निष्क्रिय/अक्रियाशील/निष्फल						
10	खुले कुएं का निर्माण एवं विकास, न्यू झालरिया (2019-20/1966)	जैसलमेर/ सम	ग्राम पंचायत- हरनाऊ	5.00/ 30-7-2019	5 पूर्ण	खुले कुएं पर पानी खींचने वाली रैली नहीं लगाई गई । खुले कुएं का उपयोग नहीं किया जा रहा था और बीएसएफ के लिए आरक्षित जल स्रोत के रूप में रखा गया था। टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए एक और खुला कुआं पास में उपलब्ध था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
11	कर्ता, चिमकड़ा एवं थोरोई में 03 खुले कुओं का निर्माण एवं विकास (2019-20/2076)	जैसलमेर/ सम	ग्राम पंचायत – शाहगढ़	9.00/ 20-08-2019	4.50 प्रारंभ	3 खुले कुओं में से एक का उपयोग किया जा रहा था और अन्य दो का उपयोग नहीं किया जा रहा था।तीनों कुएं एक ही जगह पर थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
12	आरडब्ल्यूएसएस 26 एपीडी पर फ़िल्टर मीडिया की आपूर्ति और चार्जिंग (2017-18/19937)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अनूपगढ़	5.00/ 17-11-2017	5 पूर्ण	पंप हाउस का कार्य प्रगति पर होने के कारण पिछले छह माह से इसका उपयोग नहीं हो रहा था।
13	सीडब्ल्यूआर से कांफ्रेंस हॉल तक पाइप लाइन बिछाकर बाबलियान के चेक पोस्ट के पास विभिन्न मोहल्लों के लिए वाटर हाइड्रेंट और संबंधित कार्य (2016-17/15350)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता जिला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जैसलमेर	16.00/ 27-10-2016	13.21 पूर्ण	सीडब्ल्यूआर से कांफ्रेंस हॉल तक पाइप लाइन बिछाकर बबलियान के चेक पोस्टों के पास विभिन्न मोहल्लों के लिए वाटर हाइड्रेंट और संबंधित कार्य किए जाने थे जबकि कांफ्रेंस हॉल के स्थान को बदलकर बबलियान के चेक पोस्ट के पास केवल एक हाइड्रेंट बिछाया गया था। मौजूदा सीडब्ल्यूआर से कॉन्फ्रेंस हॉल तक 1,340 मीटर 100 मिमी डीआई के-7 पाइप बिछाया जाना था, हालांकि कॉन्फ्रेंस हॉल में/के निकट में हाइड्रेंट स्थापित नहीं

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						किया गया था और पीवीसी पाइप (जैसा सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बताया गया) बबलियान पोस्ट पर सीडब्ल्यूआर तक बिछाया गया था। बबलियान चेकपोस्ट पर ₹ 13.21 लाख की लागत से बिछाई गई वाटर हाइड्रेंट और पाइप लाइन इसकी स्थापना के बाद से ही काम नहीं कर रही थी और सीडब्ल्यूआर से भी जुड़ी नहीं थी। कोई मोनो ब्लॉक पंप सेट (2 सेट) स्थापित नहीं किए गए थे। साइट पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
14	आरओ प्लांट, घोटारू (2018-19/1275)	जैसलमेर/ सम	स्टेशन कमांडर, जैसलमेर	9.50/ 21-6-2018	9.5 पूर्ण	घोटारू में स्थापित नहीं कर लोंगेवाला में रखा गया।
15	सबमर्सिबल बोरवेल के साथ 30 केवी जेनरेटर, मौजेवाला (2019-20/1745)	जैसलमेर/ सम	स्टेशन कमांडर, जैसलमेर	12.51/ 09-08-2019	2 प्रारंभ	सबमर्सिबल बोरवेल लगाने के बाद काम बंद कर दिया गया है। यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि 30 केवी जेनरेटर अभी तक स्थापित नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
16	डिग्गी एसएसएफ जीएलआर का निर्माण और चालू करना और पाइपलाइन उपलब्ध कराना और बिछाना और जोड़ना, धनाना (2017-18/18688)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	120.00 26-2-2018	96.33 पूर्ण	पानी के फिल्टर को पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया। पंप काम नहीं कर रहे थे और डायरेक्ट बूस्टिंग की जा रही थी। ढाणियों तक बिछाई गई पाइप लाइन में लीकेज थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
17	स्यालामठ के निकट स्वीवराज सिंह की ढाणी के लिए जीएलआर, पीएल के निर्माण और चालू करने का प्रस्ताव (2016-17/14935)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	20.00/ 13-01-2017	10.91 पूर्ण	जीएलआर, सीडब्ल्यूटी क्रियाशील नहीं थे। पंप रूम 3x4 की विभागीय अधिकारी द्वारा पहचान नहीं की जा सकी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
18	जीएलआर व पम्प कक्ष का निर्माण और चालू करना, बिंजराज का तला में पाइप लाइन और पंप सेट प्रदान करना, बिछाना और जोड़ना (2017-18/23204)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	79.70 22-03-2018	62.62 पूर्ण	निर्मित पम्प हाउस अक्रियाशील था तथा पम्प रूम में कोई पम्प स्थापित नहीं किया गया था। नलकूप से सीधे जलापूर्ति के लिए बूस्टिंग की जा रही थी। जीएलआर बिंजराज का तला (स्कूल परिसर) में पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
19	स्वालताना में नलकूप का प्रावधान, मेघवालो की बस्ती और भीम सिंह की ढाणी म्याजलार में सीडब्ल्यूआर, पंप हाउस और सत्तो की ढाणी पी/एल में पाइप लाइन और जीएलआर प्रदान करना, बिछाना और जोड़ना (2019-20/12315)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	60.00/ 26-02-2020	6 प्रारंभ	सत्तो में एक पम्प कक्ष के विरूद्ध, एक सीडब्ल्यूआर तथा दो पम्प में से सीडब्ल्यूआर तथा एक पम्प क्रियाशील नहीं था तथा आगे जलापूर्ति के लिए सीधी बूस्टिंग की जा रही थी। स्वतलाना में दो पम्पों के प्रावधान के विरूद्ध पम्प रूम में कोई पम्प स्थापित नहीं किया गया था तथा नलकूप से सीधे जलापूर्ति की जा रही थी।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						सत्तो की ढाणी में 9 किमी एचडीपीई पाइप में से लगभग 2 किमी एचडीपीई पाइप भी विभिन्न स्थानों पर बिछाई गई थी और इन पाइपों को मोहल्ले में पानी की आपूर्ति के लिए नहीं जोड़ा गया था। सत्तो की ढाणी जीएलआर में पानी नहीं पहुंच रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
20	सीमावर्ती क्षेत्र के विभिन्न बसावटों में पाइप लाइन के साथ जीएलआर एवं सीडब्ल्यूटी निर्माण एवं चालू करना (झुजर सिंह की ढाणी) (2019-20/8736)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	10.00/ 26-12-2019	7.40 पूर्ण	जीएलआर और सीडब्ल्यूटी काम नहीं कर रहे थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
21	गांव डाबरी गूंगे की बेरी, जिंदे की ढाणी, डाबरी उत्तर की ओर, स्कूल के पास 5 जीएलआर का निर्माण और चालू करना (2016-17/15341)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	15.00/ 13-1-2017	9.25 पूर्ण	गूंगे की बेरी और जिंदे की बेरी में जीएलआर में जलापूर्ति चालू नहीं थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
22	उदय सिंह/नाथू सिंह सिद्ध की ढाणी केरला में नलकूप, पाइप लाइन आदि से जलापूर्ति व्यवस्था का प्रस्ताव। (2019-20/12319)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	15.00/ 26-02-2020	10.47 पूर्ण	जीएलआर और सीडब्ल्यूटी काम नहीं कर रहे थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
23	सार्वजनिक पेयजल डिग्गियों का निर्माण कार्य 2 डीडब्ल्यूडी (2017-18/25641)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 2 केएलडी	5.00/ 01-01-2018	5 पूर्ण	स्वाला से कनेक्शन नहीं दिए जाने के कारण डिग्गियों का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
24	ट्यूबवेल, जीएलआर, सीडब्ल्यूटी, पंप रूम का निर्माण और चालू करना, पाइप लाइन की आपूर्ति, बिछाने और जोड़ने, विद्युतीकरण और पंप सेट का कार्य, उकरलापार (2017-18/23210)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	30.00/ 22-3-2018	26.54 पूर्ण	नलकूप का निर्माण किया गया और सीधी बूस्टिंग कर जलापूर्ति एक मदरसा को 90 मिमी एचडीपीई पाइप बिछाकर सीधे पानी की आपूर्ति की जा रही थी। इस प्रकार, केवल मदरसे को जलापूर्ति लाइन से लाभान्वित किया गया था और उकरलापार में जीएलआर के साथ पाइपलाइन को जोड़ने से अन्य आवासों/घरों को कोई लाभ नहीं हुआ। सीडब्ल्यूआर को ट्यूबवेल से काट दिया गया। निर्मित सीडब्ल्यूटी पाइपलाइन से नहीं जुड़ा था।
25	नलकूप, जीएलआर, सीडब्ल्यूटी का निर्माण और चालू करना, पाइप लाइन और बूस्टर प्रदान करना, बिछाना और जोड़ना, गजुओं की बस्ती (2017-18/22662)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	33.00/ 22-3-2018	32.68 पूर्ण	गजुओं की बस्ती में जीएलआर में जलापूर्ति क्रियाशील नहीं थी। सीडब्ल्यूटी खाली था। नलकूप से लाया गया पानी पीने योग्य नहीं था। इसलिए वहां रहने वाले लोग पीने के पानी के लिए एक तालाब (150 मीटर की दूरी पर) का उपयोग कर रहे थे।
26	आरडब्ल्यूएसएस 4 एमएसआर से 24-ए जीएलआर पर 90 मिमी आकार की एचडीपीई पाइप	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य	9.89/ 12-04-2019	5.76 पूर्ण	पिछले कुछ दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि श्मशान में पानी का कनेक्शन होने से उपभोक्ता के पास पानी

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
	लाइन प्रदान करना, बिछाना और जोड़ना(2019-20/9539)		अभियांत्रिकी विभाग, अनूपगढ़			नहीं आ रहा है । डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया ।
अपूर्ण/अनुचित साईट चयन						
27	उम्मेदपुरा ग्राम पंचायत केल्नोर में खुले कुएं को गहरा करना, गाद निकालना और चालू करना (2017-18/22875)	बाड़मेर चौहटन	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, दक्षिण, बाड़मेर	19.64/ 16-02-2018	16.59 पूर्ण	बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, काम अधूरा है । डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया ।
विनिर्देशों के अनुसार निर्माण नहीं किया जाना/दोषपूर्ण						
28	एसएमजी नहर के 190 आरडी पर 50 दिनों के कच्चे जल भंडारण का निर्माण एवं चालू करना (2019-20/8747)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	30.00/ 26-12-2019	24.05 पूर्ण	कच्चे पानी का भंडारण खाली था और खराब निर्माण के कारण भरा नहीं जा सका (तला रिस रहा था और सारा पानी भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया गया था)। इस प्रकार, निर्मित कच्चे पानी का भण्डारण जलरोधी नहीं था । कच्चे पानी के भंडारण तक पहुंचने के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं बनाया गया था। बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण पानी का पंप काम नहीं कर रहा था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
29	तनोट माता मंदिर में पानी की टंकी व भूमिगत जल टंकी का निर्माण कार्य (2018-19/29589)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	90.00/ 08-03-2019	90 पूर्ण	ओएचएसआर और जीएलआर के काम में प्लिंथ सुरक्षा प्रदान नहीं की गई । साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
30	जिला मंडल जैसलमेर, किशनगढ़ में पाइप लाइन उपलब्ध कराना, बिछाना एवं जोड़ना (2019-20/12320)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जिला), जैसलमेर	60.00/ 6-02-2020	35 प्रगतिरत	पाइप लाइन में रिसाव था । एक सीडब्ल्यूटी हाइड्रेंट स्थापित नहीं किया गया था और सीडब्ल्यूटी तक डीआई पाइप के अनुचित तरीके से बिछाने के कारण पानी का दबाव बहुत कम था । यह कार्य का एक हिस्सा था-मौजूदा ढांचे के साथ डीआई पाइप बिछाने और अन्य कार्य प्रगति पर थे। साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्धनहीं था ।
गैर अनुमत कार्य						
31	नहर क्षेत्र में विभिन्न हैड वर्क्स की डिग्गी फिल्टर मीडिया पाइपलाइन में सुधार (2018-19/30769)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जिला), जैसलमेर	90.00/ 08-03-2019	90 पूर्ण	किए गए कार्य शून्य रेखा से प्रथम बस्ती से 50 किमी से अधिक दूर थे । साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।

परिशिष्ट XIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.5(v))

बीएडीपी के अंतर्गत सामाजिक सेक्टर के चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां/मरम्मत की आवश्यकता						
1	सार्वजनिक भवनों और गलियों में सोलर लाइट मिठडाऊ (2017-18/13031)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत मिठडाऊ	4.95/ 06-04-2018	4.95 पूर्ण	सभी लाइटें काम नहीं कर रही हैं। सार्वजनिक पार्क में लगे सोलर पैनल उखड़ गए हैं। डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला।
2	शौचालय के साथ बस स्टैंड प्रतीक्षालय शेड का निर्माण, 21 एसजेएम (2016-17/15504)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 21 एसजेएम	2.00/ 23-02-2017	2 पूर्ण	शौचालय क्षतिग्रस्त स्थिति में था।
3	इंटरलॉकिंग टाइलों का निर्माण चक संख्या 10 आरजेएम 210/41 (2017-18/23335)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 01-01-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और सड़कों के बीच में घास उग आई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
4	इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली, डिट्टो की ढाणी से आसुतार रोड (2017-18/31659)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत बांधा	10.00 09-04-2018	10 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दी गई थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
5	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, मुख्य सड़क से नरपत सिंह की ढाणी (2018-19/1471)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	10 पूर्ण	सीसी सड़क पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे। सीसी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कंक्रीट उखड़ गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
6	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, मुख्य सड़क से किशन सिंह का वास (2018-19/1475)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	10 पूर्ण	
7	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, मुख्य सड़क से सवाई सिंह/उदय सिंह का वास (2018-19/1525)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	10 पूर्ण	सीसी रोड पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे। सीसी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कंक्रीट उखड़ गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
8	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, डामर सड़क से सुरेन्द्र सिंह/हठे सिंह का वास (2018-19/1534)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	10 पूर्ण	
9	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, उकरलापार (2016-17/16289)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत लुनार	7.00 19-10-2016	7 पूर्ण	सीसी रोड पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे। सीसी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कंक्रीट उखड़ गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
10	मुख्य सड़क से 2 डीएनडी तक इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण, (2017-18/18756)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	5.00 26-02-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और सड़कों के बीच में घास उग आई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
11	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, अमद की ढाणी, धनाना (2016-17/16283)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	8.00 27-10-2016	8 पूर्ण	सीसी रोड पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे । सीसी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कंक्रीट उखड़ गई थी । नाली का निर्माण नहीं किया गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
12	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, मोचरे का वास, खब्डेला (2017-18/31534)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	10.00/ 22-03-2018	10 पूर्ण	
13	कंडे का वास में सीसी सड़क मय नाली का निर्माण (2017-18/31662)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	10.00/ 22-03-2018	10 पूर्ण	
14	मुख्य मार्ग से देरावर सिंह का वास तक नाली के साथ इंटरलॉकिंग खरंजा का निर्माण, सत्तो (2016-17/16286)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत सत्तो	10.00/ 11-11-2016	10 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी । नाली का निर्माण नहीं किया गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
15	सामुदायिक हाल का निर्माण, बड्डा (2017-18/31695)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तेजपाला	5.00/ 09-04-2018	5 पूर्ण	बिजली कनेक्शन नहीं था । फर्श और खिड़कियां टूट गई । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
16	पंचायत घर से उदय सिंह का वास, सत्तो में नाली के साथ इंटरलॉकिंग खरंजा का निर्माण (2016-17/16257)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत सत्तो	10.00 11-11-2016	10 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई । नाली का निर्माण नहीं किया गया था । पत्थर की चिनाई का कार्य नहीं किया गया था । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
17	खरंजा निर्माण चंदे खां का वास से मुख्य सड़क तक, म्याजलार (2017-18/23343)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 22-03-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी । पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
18	चक आबादी 162 आरडी से जनाब की ढाणी मालीगाड़ा में इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली, का निर्माण (2016-17/16237)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत सम	10.00 11-11-2016	9.99 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था । पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे । इंटरलॉकिंग रोड बीच-बीच में क्षतिग्रस्त थी । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
19	रतन महाराज का तला में नाली के साथ इंटरलॉकिंग खरंजा का निर्माण (2016-17/16253)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00 11-11-2016	10 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई । नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
20	जल निकासी के लिए बोरवेल निर्माण कार्य, 17 केवाईडी (17-18/25631)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-17 केवाईडी	10.00/ 01-01-2018	10 पूर्ण	बोरवेल का ऊपरी पाइप विभिन्न स्थानों से टूटा हुआ था और डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था ।
21	नाली निर्माण कार्य 28 के वाई डी (16-17/12899)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-3 पीडब्ल्यूएम	15.00/ 15-09-2016	14.99 पूर्ण	उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि नाली रेत से भरी है ।
22	पार्क निर्माण, 4 के एस एम (2019-20/14)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत-बाँधा	5.00/ 28-05-2019	4.74 पूर्ण	कुर्सियां टूटी हुई हैं। कोई वृक्षारोपण/हरियाली नहीं है।
23	सार्वजनिक पार्क का निर्माण कार्य	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-20 बी डी	20.00 अनुपलब्ध	अनुपलब्ध पूर्ण	गेट टूटा हुआ था । बगीचे में पशुओं का गोबर पड़ा था । हरियाली नहीं थी ।
24	सार्वजनिक पार्क, मीठडाऊ (2017-18/13052)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-मिठडाऊ	25.00/ 10-10-2017	25 पूर्ण	रख-रखाव के लिए न घास थी और न ही बागवान । साथ ही, पार्क में कोई कुर्सी/बेंच भी नहीं थी ।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
25	मारु का वास में सीसी सड़क मय नाली का निर्माण (2017-18/31406)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-हरनाऊ	10.00 09-04-2018	10 पूर्ण	सीसी रोड का कार्य स्वीकृत था जबकि इंटरलॉकिंग का कार्य प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया था। इंटरलॉकिंग रोड बीच-बीच में क्षतिग्रस्त हो गई। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
निष्क्रिय/अकार्यशील परिसंपत्तियां/निष्फल						
26	चक 10 केएसआर एम.एन. 188/01 में खाद बीज संग्रह केंद्र निर्माण कार्य (2017-18/18745)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 26-12-2017	4.99 पूर्ण	"खाद बीज संग्रह केंद्र" अनुपयोगी पड़ा हुआ था और इसका उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था। निर्मित सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं और बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था (आस-पास के क्षेत्र में बिजली की कोई लाइन नहीं थी)।
27	कर्ण सिंह की ढाणी 3 आरवाईएम 129/61 रायमाला 3 फेज का विद्युतीकरण (2018-19/1609)	जैसलमेर सम	जेवीवीएनएल जैसलमेर	6.08/ 21-06-2018	6.08 पूर्ण	11 केवी लाइन और एलटी लाइन लगाई गई और एलटी लाइन और पोल ऐसी खुली जमीन पर बिछाए गए जहां किसी भी लाभार्थी के घर का निर्माण नहीं हुआ था। न तो ट्रांसफार्मर लगाया गया और न ही क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा बिजली कनेक्शन आवेदित किया गया।
28	ग्राम पंचायत की दुकानें (2019-20/1855)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 18 पी	8.00/ 04-02-2019	7.23 पूर्ण	5 दुकानें बनीं थीं लेकिन अब तक 4 आवंटित हुई हैं और एक खाली पड़ी है।
29	आंगनवाड़ी भवन मय पानी की टंकी शौचालय व चारदीवारी निर्माण, 7 पीएचएम (16-17/19938)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-7 पीएचएम	7.50/ 12-05-2016	7.50 पूर्ण	भवन बंद पड़ा है तथा उपयोग में नहीं आ रहा है।
30	आंगनवाड़ी भवन मय पानी की टंकी शौचालय एवं चारदीवारी निर्माण 10 केएलडी (16-17/19945)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-कुंडल	7.50/ 12-05-2016	7.50 पूर्ण	भवन बंद पड़ा है तथा उपयोग में नहीं आ रहा है।
31	ओनाड सिंह की ढाणी का विद्युतीकरण 3 पीएच 7 केएम, पोछीना (2018-19/29436)	जैसलमेर सम	जेवीवीएनएल जैसलमेर	18.43/ 08-03-2019	18.42 पूर्ण	ओनाड सिंह की ढाणी के एक कच्चे घर तक 7 किलोमीटर की लंबाई में 3 फेज विद्युत लाइनें और एलटी लाइन बिछाई गई। उक्त कार्य में न तो ट्रांसफार्मर लगाया गया और न ही किसी घर का विद्युतीकरण किया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
32	मौजूदा विद्युत लाइन से बस्ती का विद्युतीकरण-क्रमशः राधामोहन की ढाणी 4 आरएमएम, रमेश की ढाणी चक नं 6 आरएमएम, राजेंद्र की ढाणी चक नं 6 आरएमएम, सत्यनारायण की ढाणी चक नं 8 आरएसएम, महेश की ढाणी 9 आरएमएम, सुशीला की ढाणी 9 आरएमएम और राजेश की ढाणी 9 आरएमएम (2018-19/1585)	जैसलमेर सम	जेवीवीएनएल जैसलमेर	28.54/ 21-06-2018	28.54 पूर्ण	विद्यालय तक एलटी लाइन लगाने के बावजूद लाइन से बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। प्रारंभ में राधामोहन की ढाणी तक एक 11 केवी और दूसरी एलटी लाइन खड़ी की गई थी, लेकिन राधामोहन की ढाणी में बने घर को केवल एक एलटी कनेक्शन दिया गया था। इसके बाद एलटी लाइन के पोल या तो गिर गए या एलटी लाइन के बिना खड़े रहे। 11 केवी लाइन के खंभों पर एलटी लाइन रखी गई थी। राधामोहन की ढाणी तक 11 केवी लाइन पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया था। आगे, पूर्व डीएफओ के फार्म पोंड तक एक 11 केवी लाइन स्थापित की गई थी लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मर स्थापित नहीं किया गया था और

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						उपरोक्त लाइन से कोई कनेक्शन नहीं दिया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
33	छह शौचालय ब्लॉक वाले दो शौचालयों का निर्माण लोंगेवाला (2019-20/1981)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर सेना, जैसलमेर	22.50 09-08-2019	22.50 पूर्ण	पाइप डालने सहित पानी की टंकी ठीक से नहीं लगाई गई । दीवार का एक किनारा क्षतिग्रस्त/अपूर्ण था। दरवाजा बंद था और उस समय सेना के जवानों की अनुपलब्धता के कारण संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
34	तनोट में सार्वजनिक शौचालयों मय सोलर लाइट का निर्माण 3 स्नानघर और 3 शौचालय (2019-20/1985)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर सेना, जैसलमेर	7.50/ 09-08-2019	5 पूर्ण	शौचालय में कोई सोलर लाइट, बिजली कनेक्शन और पानी की टंकी उपलब्ध नहीं थे। शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा था। एक शौचालय में डब्ल्यू सी पर टाइलें लगी हुई थी। साइट पर बीएडीपी का कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
35	आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिठड़ाऊ में छात्रों के लिए शौचालय, पानी कक्ष, पीयूईयू के साथ मिनी आरओ और सेमिनार हॉल का निर्माण (2017-18/13034)	बाड़मेर चौहटन	पीडब्ल्यूडी-चौहटन	50.00/ 30-10-2017	44.80 पूर्ण	कोई आरओ स्थापित नहीं गया था। कमरे में सीलन थी । उपयोग में नहीं आने के कारण मोटर खराब पाई गई। शौचालय पर योजना का बोर्ड नहीं पाया गया।
36	सुलभ काम्प्लेक्स का निर्माण, मीठडाऊ (2017-18/13043)	बाड़मेर चौहटन	पीडब्ल्यूडी-चौहटन	20.00/ 30-10-2017	19.93 पूर्ण	मल मूत्र निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है। कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है।
परिसंपत्तियों का अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना/निजी उपयोग						
37	सामुदायिक हाल का निर्माण,हरनाऊ (2017-18/31656)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	10.00/ 22-03-2018	10 पूर्ण	कम्युनिटी हॉल खराब स्थिति में था और किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। आस-पास के स्थानों में बीएडीपी के तहत कई सामुदायिक हॉल बनाए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
38	सामुदायिक हाल का निर्माण, गाँधी नगर (2017-18/31401)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तनोट	5.00/ 09-04-2018	4.99 पूर्ण	सामुदायिक भवन का उपयोग एक परिवार द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। तथापि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। अतः जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है, उसमें इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
39	सामुदायिक हॉल का निर्माण, 4 एलएमबी के नजदीक एम.संख्या 162/37 लम्बी माइनर, तेजपाला (2018-19/1396)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तेजपाला	10.00/ 21-06-2018	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं कर, चारे के भंडारण के लिए उपयोग किया गया था।
40	पानी की टंकी के साथ आंगनवाड़ी भवन, शौचालय और चारदीवारी निर्माण 7 केएलडी (2016-17/12946)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत कुंडल	7.50/ 27-09-2016	7.31 पूर्ण	ईमारत में दरारें पाई गई और इसका उपयोग व्यक्तिगत कार्य के लिए किया जा रहा है।
41	सामुदायिक हॉल का निर्माण,ढेल कँवर/तने राव सिंह का वास ,बिन्जराज का वास (2017-18/31668)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	10.00/ 09-04-2018	10 पूर्ण	दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और सामुदायिक हॉल का इस्तेमाल किसी के द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए किया जा रहा था। सामुदायिक हॉल की चाबी भी उस व्यक्ति के पास ही थी । डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
42	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण, विस्तार दोहतों का वास, मीठडाऊ (2017-18/18749)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 05-02-2018	5 पूर्ण	किसी व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए सामुदायिक हॉल का उपयोग किया जा रहा है। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
43	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण, विस्तार हुकुम सिंह म्याजलार की ढाणी, बिन्जराज का तला (2017-18/22739)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 05-02-2018	5 पूर्ण	सामुदायिक भवन का उपयोग कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा है। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
44	मेघवाल जैसलराम के वास में सामुदायिक हॉल का निर्माण (2019-20/2018)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 20-08-2019	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल का उपयोग कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा है। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
45	सामुदायिक हॉल का निर्माण, हरी सिंह/तनेराव सिंह का वास, मीठडाऊ (2018-19/1497)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00 11-07-2018	10 पूर्ण	
46	अमर सिंह की ढाणी, पोछिणा में बस स्टैंड का निर्माण (2016-17/14887)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 27-10-2016	5 पूर्ण	बस स्टैंड का निर्माण एक घर के रूप में किया गया था और यह बस स्टैंड नहीं था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
47	सामुदायिक हॉल का निर्माण, रेवंत सिंह/दीप सिंह का वास पोछिना (2017-18/31497)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिना	5.00/ 09-04-2018	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल किसी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लिया जा रहा है और इसमें फ्रीजर स्थापित करके दूध संग्रह भंडारण के रूप में उपयोग किया जाता है। सामुदायिक हॉल को एक व्यक्ति के बगल के घर के साथ मिला दिया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
48	सामुदायिक हॉल का निर्माण, खसरा न. 620, पोछिणा (2018-19/1448)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	10.00/ 21-06-2018	5 प्रगतिरत	सामुदायिक हॉल अपूर्ण था और किसी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
49	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण छुग सिंह/तनेराव सिंह का वास (2019-20/2021)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 30-07-2019	2.50 प्रगतिरत	सामुदायिक हॉल अपूर्ण था और किसी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
50	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण कान सिंह/मंगल सिंह का वास सोहन सिंह की ढाणी (2019-20/2029)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 30-07-2019	2.50 प्रगतिरत	सामुदायिक हॉल किसी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लिया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
51	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण, अली शेर की ढाणी (2019-20/2024)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	5.00 09-08-2019	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल का उपयोग कोई व्यक्तिगत उपयोग के लिए सोलर पैनल से बिजली के साथ कर रहा था। बीएडीपी के तहत 25 मीटर की दूरी पर एक अन्य सामुदायिक हॉल का भी निर्माण किया गया था जिसका उपयोग कोई व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
52	सामुदायिक हॉल का निर्माण चन्दन सिंह/जवाहर सिंह का वास नाथुवाला (2017-18/31400)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तनोट	5.00/ 09-04-2018	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल का उपयोग ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (पास के क्षेत्र में स्कूल के निर्माण में लगे हुए) के भंडारण के लिए किया जा रहा था। हालांकि, उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग करने की कोई अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी गई थी।
53	नाथुवाला में किसान सेवा केंद्र का निर्माण (2019-20/1843)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तनोट	5.00/ 18-11-2019	5 पूर्ण	किसान सेवा केंद्र का उपयोग पास के विद्यालय के विभिन्न सामानों का भण्डारण हेतु किया जा रहा था। हालांकि, उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग करने की कोई अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी गई थी।
54	सर्व किसान सेवा केंद्र झंड सिंह/कान सिंह का वास (2017-18/18742)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 26-12-2017	5 पूर्ण	किसान सेवा केंद्र का उपयोग किसी के द्वारा निजी उपयोग हेतु किया जा रहा था।
55	त्रिपाल सिंह का वास में सामुदायिक भवन का निर्माण (2017-18/31690)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 09-04-2018	4.99 पूर्ण	सामुदायिक भवन का उपयोग त्रिपाल सिंह (पूर्व ब्लॉक सदस्य) द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था और उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा सामुदायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था। साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
56	मुख्य सड़क से त्रिपाल सिंह का वास तक नाली के साथ इंटरलॉकिंग खरंजा सड़क (2019-20/18754)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 09-08-2019	4.99 पूर्ण	त्रिपाल सिंह का वास में इंटरलॉकिंग खरंजा रोड का निर्माण किया गया था, जहां त्रिपाल सिंह (पूर्व ब्लॉक सदस्य) के परिवार के सदस्य रहते थे। निर्मित इंटरलॉकिंग खरंजा रोड को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था और नाली का निर्माण नहीं किया गया था। साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
अपूर्ण/अनुचित साईट का चयन						
57	तनोट माता मंदिर के समीप सामुदायिक शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण (2017-18/31688)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तनोट	8.00/ 09-04-2018	4 अपूर्ण	निरीक्षण के दिन स्थल पर कोई निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं था। कार्य अधूरा था। साइट पर बीएडीपी का डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध था।
58	चक 2 एसएसएम फतन खान की ढाणी से अयूब की ढाणी और आरयुडी नहर से हसीन की ढाणी से सुमेर की ढाणी का विद्युतीकरण (2019-20/8754)	जैसलमेर सम	सहायक अभियंता जेवीवीएनएल ग्रामीण जैसलमेर	10.01 26-12-2019	8.0 पूर्ण	विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं था। विभिन्न अंतरालों पर केवल पोल खड़े किए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
59	लोंगेवाला में छह शौचालय ब्लॉक के साथ दो शौचालयों का निर्माण (2019-20/1974)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर सेना, जैसलमेर	7.50/ 09-08-2019	7.50 पूर्ण	2 शौचालय ब्लॉकों के विरूद्ध 3 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण किया गया। जिसमें से एक अधूरा और एक काम नहीं कर रहा था। केवल एक शौचालय ब्लॉक क्रियाशील था और उपयोग किया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
60	गांव ऑल्ड साधेवाला में सभा भवन का निर्माण (2019-20/2185)	जैसलमेर सम	सीमा सुरक्षा बल	35.00/ 09-08-2019	27.62 प्रगतिरत	निरीक्षण के दिन स्थल पर कोई निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं था। काम अधूरा था। स्थल चयन उचित नहीं था क्योंकि निर्माण स्थल की ओर सड़क के नीचे से नाला गुजरने के कारण जलभराव वाले क्षेत्र में निर्माण किया गया था। इसके अलावा, प्लिंथ स्तर का निर्माण सड़क के

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						स्तर से नीचे किया गया था। साइट पर बीएडीपी का कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
निर्माण विनिर्देशों के अनुरूप नहीं/दोषपूर्ण						
61	नाली के साथ इंटरलॉकिंग खरंजा का निर्माण, 3 बीआईएम 158/56, गमनेवाला (2017-18/31502)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत नेतसी	5.00 09-04-2018	5 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलाकिंग खरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
62	धनाना में शौचालय ब्लॉक का निर्माण (2020-21/848)	जैसलमेर सम	अधिशासी अभियंता, पीडब्लूडी-द्वितीय, जैसलमेर	10.00 02-07-2020	8.41 पूर्ण	स्नान घर और मूत्रालय पाइप को खुला छोड़ दिया गया था और उन्हें नाली/चैम्बर्स से नहीं जोड़ा गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
63	इंटरलॉकिंग सड़क फतेह सिंह का वास (2017-18/18757)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत लुनार	5.00 22-03-2018	2.50 प्रारंभ	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। घरों के सामने के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इंटरलॉकिंग किया गया था और मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
64	मुख्य सड़क से शैतान सिंह/भूर सिंह का वास, तक नाली के साथ सीसी रोड का निर्माण (2018-19/1530)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	8 प्रगतिरत	इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया गया जबकि सीसी सड़क की स्वीकृति दी गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलाकिंग खरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
65	हेलीपैड, तनोट के निकट भूमिगत सभागार का निर्माण (2019-20/1952)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर सेना, जैसलमेर	15.84/ 09-08-2019	7.5 प्रगतिरत	5.6 फीट की ऊंचाई होने के कारण दरवाजे छोटे थे। निर्माण की गुणवत्ता खराब थी, छत की पत्थर की पट्टी टूटी हुई थी, जिसे दोनों तरफ अतिरिक्त स्तंभ स्थापित करके आधार दिया गया था। साइट पर बीएडीपी का डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
66	मुख्य सड़क से जान सिंह भोमिया सभा भवन तक नाली के साथ इंटरलॉकिंग खरंजा का निर्माण (2017-18/18764)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 01-01-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग टाइल्स के बगल में नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिया गया था। साइट पर बीएडीपी का डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
गैर अनुमत कार्य						
67	रामगढ़-असुतार रोड से विजय सिंह की ढाणी, नेतसी के लिए सीसी सड़क का निर्माण (2016-17/16251)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत नेतसी	8.00/ 13-01-2017	8 पूर्ण	अंतरराष्ट्रीय सीमा से शून्य रेखा बसावट से 50 किमी से अधिक दूरी पर कार्य निष्पादित किया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
68	स्याला मठ से मुख्य सड़क म्याजलार तक नाली के साथ इंटरलॉकिंग का निर्माण (2018-19/1511)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 11-07-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण, स्याला मठ परिसर में फुटपाथ के सौंदर्यीकरण (स्वीकृत से भिन्न स्थान) के लिए किया गया था। इंटरलॉकिंग टाइलें भिन्न प्रकार की थीं और तकनीकी स्वीकृति और सामग्री खरीद बिलों के अनुसार नहीं थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
69	चार दीवारी और सत्संग भवन स्वांगियान मंदिर (2019-20/1826)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 20-08-2019	5 पूर्ण	बीएडीपी के अंतर्गत स्वांगियान मंदिर में चार दीवारी और सत्संग भवन अनुमत नहीं था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
70	स्याला मठ में भोजनशाला का निर्माण (2019-20/1842)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 20-08-2019	5 पूर्ण	स्याला मठ में भोजनशाला का निर्माण कार्य बीएडीपी के अंतर्गत नहीं किया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
71	स्याला मठ में सुलभ परिसर के साथ सामुदायिक विश्राम गृह का निर्माण (2019-20/1910)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	20.00/ 20-08-2019	20 पूर्ण	बीएडीपी के अंतर्गत स्याला मठ परिसर में सामुदायिक विश्राम गृह मय सुलभ परिसर के निर्माण अनुमत नहीं थे। स्याला मठ परिसर में उक्त सामुदायिक विश्राम गृह का नाम "प्रवचन कक्ष" रखा गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
72	मेघवालों का वास में, रामगढ़ इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/16270)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रामगढ़	5.00/ 11-11-2016	5 पूर्ण	किया गया कार्य शून्य रेखा (सीमा से प्रथम बसावट) से 50 किमी से अधिक दूर था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
73	तगाराम/अचलराम भील का वास, रामगढ़ इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/16276)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रामगढ़	5.00/ 11-11-2016	5 पूर्ण	किया गया कार्य शून्य रेखा (सीमा से प्रथम बसावट) से 50 किमी से अधिक दूर था। साथ ही करीब 308 फीट लंबी सड़क पर अतिक्रमण कर अवरुद्ध कर दिया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
कार्य का कार्य स्थल पर नहीं पाया जाना						
74	इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली, 1 डीटीएम स्वसरा नं 227/26 डिट्टोवाला (2017-18/31404)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत बांधा	10.00/ 09-04-2018	10 पूर्ण	₹ 9.99 लाख की लागत से किया गया इंटरलॉकिंग सड़क कार्य मौका स्थल पर निर्मित नहीं पाया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
75	इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली, 1 डीटीएम स्वसरा नं 227/28 डिट्टोवाला (2017-18/31657)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत बांधा	10.00 09-04-2018	10 पूर्ण	मौका स्थल पर ₹ 9.99 लाख व्यय के इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली का निर्माण नहीं पाया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
76	स्याला मठ में बस स्टैंड का निर्माण (2016-17/15819)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	8.00/ 11-11-2016	8 पूर्ण	बीएडीपी के अंतर्गत कोई बस स्टैंड निर्मित नहीं था। श्री बादलनाथ गोशाला स्याला मठ के सामने केवल एक बस स्टैंड था जिसका निर्माण 2014-15 में एक अन्य योजना "क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन" के तहत किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

परिशिष्ट XIV

(सन्दर्भ अनुच्छेदः 2.1.10.5(vi))

बीएडीपी के अंतर्गत खेल सेक्टर के चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां/मरम्मत की आवश्यकता						
1	बास्केट बाल मैदान, लोंगेवाला (2017-18/22767)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर जैसलमेर	6.50/ 09-04-2018	6.50 पूर्ण	जमीन की सतह टूटी हुई थी और ठीक से सीमेंट नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
निष्क्रिय/ अक्रियाशील परिसंपत्तियां /निष्फल						
2	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अरबी की गफन में खेल मैदान मय चारदीवारी का निर्माण (2019-20/11307)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - रमजान की गफन	18.00/ 16-03-2020	18.00 पूर्ण	कार्यानुसार कोई सुविधा विकसित नहीं की गई है (खेल मैदान का निर्माण), केवल चारदीवारी का निर्माण किया गया था।
3	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शोभाला, जैतमल में खेल मैदान मय चारदीवारी का निर्माण (2019-20/11308)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - शोभाला, जैतमल	18.00/ 16-03-2020	18.00 पूर्ण	खेल मैदान में जंगली वनस्पतियाँ और झाड़ियाँ पाई गई।
4	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 6 एमएसआर में, खेल मैदान का निर्माण (2020-21/6077)	श्री गंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत - 4 एमएसआर	5.23/ 12-01-2020	5.23 पूर्ण	प्राथमिक विद्यालय होने के कारण उपयोगिता में कमी पाई गई। बास्केट बोल नेट उपलब्ध नहीं था।
5	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-गुल्लुवाली के पास में, खेल मैदान का निर्माण (2016-17/12964)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - गुल्लुवाली	11.25/ 30-09-2016	10.92 पूर्ण	खेल मैदान उपयोग में नहीं आ रहा है, केवल शेड पाया गया है और मैदान में अवांछित झाड़ियाँ पाई गई।
6	किसपुरा में खेलमैदान का निर्माण (2016-17/12967)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - लुन्खान	13.00/ 09-08-2016	13.00 पूर्ण	खेल मैदान उपयोग में नहीं आ रहा है, केवल शेड पाया गया है और मैदान में अवान्छित झाड़ियाँ पाई गई।
7	खेल मैदान विकास कार्य, 3 पीडब्ल्यूएम (2018-19/32460)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 3 पीडब्ल्यूएम	15.00/ 19-12-2018	15.00 पूर्ण	केवल शेड पाया गया और मैदान पर घास उग गई।
8	राजकीय विद्यालय, 12 केवाईडी में खेलमैदान का निर्माण	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	15.00/ 01-06-2018	14.99 पूर्ण	केवल शेड बनाया गया है, कोई ट्रेक आदि नहीं है । जंगली वनस्पतियाँ उग आई थी।

परिशिष्ट XV

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.7)

बीएडीपी के अंतर्गत ठेकेदारों को अनियमित मजदूरी के भुगतान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	कार्य की पहचान संख्या	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	मजदूरी भुगतान की राशि	सामग्री भुगतान की राशि	कुल भुगतान
1	2018-19/ 801	तेजपाला	पशु चिकित्सा उपकेंद्र तेजपाला में कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण	15	6.03	8.96	14.99
2	2018-19/ 13457	तेजपाला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजपाला में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण	20	3.21	6.48	9.69
3	2016-17/ 16251	नेतसी	रामगढ़-आसुतार रोड से विजय सिंह की ढाणी, नेतसी तक सीसी सड़क का निर्माण	8	3.51	4.49	8.00
4	2017-18/ 31668	म्याजलार	सामुदायिक भवन का निर्माण, ढेलकंवर/तनेराव सिंह का वास, बिंजराज का वास	10	3.53	6.47	10.00
5	2018-19/ 1448	पोछिणा	सामुदायिक भवन का निर्माण, खसरा नं. 620 पोछीणा	10	1.99	6.00	7.99
6	2017-18/ 31404	बांधा	इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली, 1 डीटीएम खसरा नं. 227/26, डिट्टोवाला	10	0.89	9.11	10.00
7	2017-18/ 31659	बांधा	इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली, डिट्टो की ढाणी से आसुतार रोड	10	1.70	8.30	10.00
8	2018-19/ 29458	म्याजलार	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय म्याजलार में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	9.82	2.08	7.73	9.81
9	2017-18/ 18779	रायमला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमला में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	9.82	3.54	6.28	9.82
कुल				**102.64**	**26.48**	**63.82**	**90.30**

परिशिष्ट XVI

(संदर्भ अनुच्छेदः 2.2.10.1(i))

एमएलएलैड के अंतर्गत बिना नाली एवं विस्तार जोड़ निर्माण किये सीसी सड़कों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
सीसी सड़क						
जिला परिषद बारां						
1	सीसी सड़क का निर्माण, राधेश्याम मास्टरजी से रामकिशन मीना के मकान तक, काचरी	अंता	काचरी	4.00 सितम्बर-18	3.67 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
2	सीसी सड़क का निर्माण श्री वैधनाथ कीर के मकान से मांगीलाल कीर के कुआँ की ओर	बारां	इकलेरा	5.00 अक्टूबर-19	4.62 नवंबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
3	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली और चारदिवारी सहित विद्यालय से शमशान घाट की ओर, ग्राम कोटरी		तुलसान	8.00 अक्टूबर-19	7.99 फरवरी-20	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
4	सीसी सड़क का निर्माण, मान सिंह के मकान से गुठान तक, मोतीपुरा कला	छीपाबडोद	बंजारी	2.00 अक्टूबर-18	1.93 जुलाई-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
5	सीसी सड़क का निर्माण, धामनिया मुख्य मार्ग से लोढ़ा बस्ती की ओर, धामनिया			5.00 अगस्त-19	5.00 अक्टूबर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
जिला परिषद भीलवाड़ा						
6	सीसी सड़क का निर्माण, मूलजी गुर्जर के मकान से हनुमान जी की ओर, चौहानों का खेड़ा/नुवालिया	आसीन्द	जालरिया	5.00 जुलाई-19	5.00 अक्टूबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
7	सीसी सड़क का निर्माण मदनजी सेन के मकान से तेजाजी चौक की ओर, पांडरू			5.00 जुलाई-19	4.97 अक्टूबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
8	सीसी सड़क का निर्माण, भालूजी गुर्जर के मकान से उदा जी गुर्जर के मकान तक, नुवालिया			5.00 जुलाई-19	4.99 जुलाई-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
9	सीसी सड़क का निर्माण, निर्मन देवी चांदना के मकान से स्कूल के पास, रूपपुरा का खेड़ा	बनेडा	लाम्बिया खुर्द	5.00 मई-13	5.00 मार्च-14	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
10	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, दुर्गा सिंह के मकान से फोर लेन की तरफ, कुचलवाड़ा	जहाजपुर	कुचलवाड़ा कलां	5.00 सितम्बर-16	5.00 अक्टूबर-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
11	सीसी सड़क का निर्माण, बाग के बालाजी से लेकर आरा मशीन तक			5.00 मई-16	4.98 जनवरी-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
12	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, नंद लाल जी के प्लॉट से छोटू लाल वर्मा के मकान तक, हनुमान नगर		हनुमान नगर	5.00 नवंबर-16	4.99 जनवरी-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
13	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, चेतनजी के मकान से कमल जी के मकान तक	जहाजपुर	हनुमान नगर	5.00 नवंबर-16	4.99 जून-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
14	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, शमशान के रास्ते से निकलकर शंकर जी जाट के मकान तक, खानिया	रायपुर	पालड़ा	5.00 मई-18	5.00 जनवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
15	सीसी सड़क का निर्माण, नारायण गुर्जर के मकान से गोपी गुर्जर के मकान तक, गुन्दाली	सुवाना	गुन्दली	3.00 सितम्बर-18	3.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
16	सीसी सड़क का निर्माण, कंजर बस्ती के आंगनवाड़ी के पास, सुरास	मांडलगढ	सुरास	2.00 अक्टूबर-18	1.94 मई-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
17	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, पानी की टंकी से शंकर बलाई के मकान से होते हुये पथवारी तक		सरथला	5.00 नवंबर-19	4.96 नवंबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
18	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, भवानीपुरा के मकान से सेराम के मकान तक, लालपुरा		मुकुन्दपुरिया	9.92 मार्च-17	9.92 अप्रैल-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
19	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, कल्याण बैरवा के पास बस्ती में, सालमपुरा	मांडलगढ़	जस्सूजी का खेडा	7.50 अक्टूबर-19	7.50 अक्टूबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
20	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, भीलों के मकान के पास से आगे मंदिर वाली गली में, आमली			7.50 अक्टूबर-19	7.50 दिसम्बर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
21	सीसी सड़क का निर्माण, चारभुजा परिसर किसान सेवा केंद्र के पास, मानपुरा		मानपुरा	5.00 नवम्बर-19	4.94 नवम्बर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
जिला परिषद चूरू						
22	सीसी सड़क, भवानी सिंह के घर से मंदिर तक, पार्वतिसर	सुजानगढ़	भीमसर	6.00 अक्टूबर-18	5.96 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
23	सीसी सड़क, आम गुवाड़ पंचायत भवन से पशु फाटक की ओर, मलसीसर		मलसीसर	9.99 अक्टूबर-18	9.99 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
जिला परिषद जोधपुर						
24	सीसी सड़क का निर्माण,मुख्य सड़क घासी राम के घर से श्री राम प्रजापत के घर तक	लूणी	फिटकासनी	5.00 अक्टूबर-19	4.89 दिसम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
25	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क, भंवर सिंह के घर से मेघवालों का बास, खारडा रणधीर		फिटकासनी	5.00 अक्टूबर-19	4.89 दिसम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
26	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क कार्य एससी/एसटी क्षेत्र में चम्पालाल के घर के सामने सड़क पर पानी भराव के स्थान पर		सबदंड	2.00 मार्च-18	2.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
27	250 फीट सीसी सड़क का निर्माण मुख्य बाजार प्याऊ से भीकरना की दुकान तक	लूणी	सालावास	2.25 मार्च-18	2.23 अगस्त-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
28	150 फीट सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य बाजार पंचायत समिति भवन से भीकासा की दुकान तक			1.35 मार्च-18	0.72 सितम्बर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
29	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क से लाला राम धामामी के घर तक	पीपाड़ शहर	बुचकला	5.00 अक्टूबर-19	5.00 अक्टूबर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
जिला परिषद करौली						
30	सीसी सड़क का निर्माण,कमला के घर से जाटव बस्ती चौराहे तक लाहचोरा	हिंडौन	लाहचोरा	7.00 जून-16	7.00 जुलाई-16	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
31	सीसी सड़क का निर्माण,विजय सिंह गुर्जर के घर से स्कूल तक दुरगासी		जाटवाड़ा	3.00 जनवरी-17	2.97 जनवरी-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
32	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क से रेस्व सिंह गुर्जर के घर तक दुरगासी		जटवाड़ा	2.00 जनवरी-17	1.29 जनवरी-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
33	सीसी सड़क का निर्माण, श्री राम के बोर से जट्टी की कोठी की ओर खेडी	टोडाभीम	खेडी	5.00 जून-16	4.62 जून-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
34	सीसी सड़क का निर्माण, ककराडी से लोहाडा के पुर की ओर, भनकपुरा		भनकपुरा	5.00 सितम्बर-16	5.00 मई-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
35	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क से श्रीमन के कुआ की ओर, लपावाली		लपावाली	5.00 अगस्त-16	3.78 जून-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
36	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य, महस्वा सड़क कुएं के पास यादराम बैरवा के घर की ओर, नांगल शेरपुर	टोडाभीम	नांगल शेरपुर	5.00 अगस्त-18	5.00 सितम्बर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
37	सीसी सड़क निर्माण कार्य, भगवान सहाय पंचायत समिति सदस्य के घर से मुख्य मार्ग तक		नांगल शेरपुर	5.00 दिसम्बर-17	4.98 दिसम्बर-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
38	सीसी सड़क निर्माण कार्य, नांगल महस्वा सड़क से हरकेश वार्डपंच के घर की ओर		नांगल शेरपुर	5.00 दिसम्बर-17	4.99 दिसम्बर-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
39	सीसी सड़क निर्माण कार्य, मुख्य सड़क से धावाली की पाल तक, धावाली	मंडरायल	रानीपुरा	5.00 जनवरी-19	5.00 फ़रवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
40	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य, कालू के घर से जीतू के घर तक, रानीपुरा		रानीपुरा	3.00 जुलाई-18	1.34 सितम्बर-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
41	सीसी सड़क निर्माण कार्य, मुख्य सड़क कैला देवी से गुर्जर बस्ती तक, पड़ेवा	करौली	रामपुर धाबाई	5.00 अगस्त-16	5.00 मार्च-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
42	सीसी सड़क निर्माण कार्य, गॉव खुन्धारी में बाबू महाराज के स्थान से जाटव बस्ती होते हुए गूजर बस्ती तक, कुंधा		कुंधा	9.98 जून-17	9.98 सितम्बर-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
जिला परिषद प्रतापगढ़						
43	सीसी सड़क निर्माण, संपर्क सड़क से विद्यालय की ओर	छोटी सादडी	मानपुरा जागीर	5.00 अगस्त-18	4.03 जनवरी-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
44	सीसी सड़क मय नाली निर्माण, संपर्क सड़क से नाथू लाल के मकान तक		मानपुरा जागीर	3.00 अक्टूबर-18	2.85 अक्टूबर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
45	सीसी सड़क मय नाली निर्माण, विद्यालय से धन सिंह के मकान तक		मानपुरा जागीर	4.00 अक्टूबर-18	3.98 अक्टूबर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
46	सीसी सड़क निर्माण, भेरू लाल मेघवाल के मकान से रामचंद्र दामामी के मकान तक जामलावाडा	छोटी सादडी	नाराणी	4.00 अक्टूबर-18	3.99 नवम्बर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
47	सीसी सड़क निर्माण, भैरवी माताजी से पेला ढाबा		पीली खेडा	6.00 अक्टूबर-18	6.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
48	सीसी सड़क निर्माण, नाईयों के घर से लुहार फला तक	छोटी सादडी	सियाखेडी	5.00 दिसम्बर-18	4.63 उपलब्ध नहीं	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
49	सीसी सड़क निर्माण, भेरू के घर से लखमा के घर की तरफ		काला कोट	5.00 दिसम्बर-18	5.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
50	सीसी सड़क निर्माण,मुख्य सड़क से नंदा बा के फला तक		काला कोट	5.00 दिसम्बर-18	5.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
51	सीसी सड़क निर्माण, खाकलदेव मंदिर से ढाबा माता मंदिर तक, बसेड़ा		बसेड़ा	4.00 दिसम्बर-18	3.94 जनवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
52	सीसी सड़क निर्माण, मोटा घर नेगडिया		सतोला	5.00 अक्टूबर-18	4.80 अप्रैल-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
53	सीसी सड़क निर्माण, देबराला	छोटी सादडी	सतोला	10.00 अक्टूबर-18	9.84 मई-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
54	सीसी सड़क निर्माण, हड़मतिया जागीर विद्यालय परिसर		बम्बोरी	5.00 अक्टूबर-18	4.99 अक्टूबर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
55	सीसी सड़क निर्माण, तेली समाज के सराय के बाहर		करुन्दा	2.00 दिसम्बर-18	1.99 जुलाई-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
56	सीसी सड़क निर्माण, लक्ष्मी नारायणजी के मकान से राजपूत मोहल्ला तक		जालोदा जागीर	5.00 अक्टूबर-18	3.65 नवम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
57	सीसी सड़क निर्माण मय नाली, नाथूजी के मकान से सत्यनारायण माली के मकान तक		सतोला	2.00 नवम्बर-19	1.43 जुलाई-20	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
58	सीसी सड़क निर्माण, लक्ष्मी चन्द्र पाटीदार के घर से देवनारायण बावजी के चबूतरे तक		रम्भावली	3.00 नवम्बर-19	2.98 दिसम्बर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
59	सीसी सड़क निर्माण, नई आबादी बसेड़ा मुख्य मार्ग तक, खेडी आर्यनगर		बसेड़ा	4.00 दिसम्बर-18	3.84 जनवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
60	सीसी सड़क निर्माण, गमेती फला से हीरा बावजी के पास तक, साथपुर	धरियावाद	गडवास	5.00 दिसम्बर-18	5.00 फरवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
61	सीसी सड़क निर्माण, हाकरिया फला मुनिया		भोजपुर	5.00 अगस्त-18	4.99 नवम्बर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
62	सीसी सड़क निर्माण, मोहन के मकान से दमला के मकान की ओर, मंडकलां		पीपलिया	5.00 अक्टूबर-19	5.00 नवम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
63	सीसी सड़क निर्माण, मुख्य सड़क से बाबरू के घर तक, माता मगरी भानावता बिलदिया		बिलदिया	5.00 जनवरी-20	4.97 जून-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
64	सीसी सड़क निर्माण, महादेव जी से मुख्य सड़क की तरफ, केली दातलिया		दातलिया	5.00 जनवरी-20	4.99 फरवरी-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
65	सीसी सड़क निर्माण, ठाकुर जी के मंदिर से विजेंद्र पटवारी के घर तक, पारसोला	धरियावाद	पारसोला	5.00 अक्टूबर-19	5.00 अक्टूबर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
66	सीसी सड़क निर्माण, मुख्य केनाल से चारण तालाब तक		चरनिया	5.00 दिसम्बर-19	4.98 जनवरी-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
67	सीसी सड़क निर्माण,लोहार फला से होली फला ,भूझो का पटला	धरियावाद	चरनिया	5.00 जुलाई-16	4.99 अगस्त-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
68	सीसी सड़क निर्माण, मिडा फला से धावडी फला की ओर, मुंडला	धरियावाद	चितोडिया	5.00 दिसम्बर-17	5.00 जनवरी-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
69	सीसी सड़क निर्माण, होला महाराज की कुई से शंकर/भेरा के घर तक, मुंडकोसिया		गडवास	5.00 दिसम्बर-17	5.00 जनवरी-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
70	सीसी सड़क निर्माण, आंगनवाड़ी II से धरमोला की ओर, साथपुर गडवास		गडवास	5.20 मई-16	5.17 जून-16	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
71	सीसी सड़क निर्माण, मोटा बडला मुनिया		भोजपुर	5.00 दिसम्बर-18	5.00 जनवरी-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
72	सीसी सड़क निर्माण, गांव मानपुरा के मुख्य बाजार में	प्रतापगढ़	कुलमीपुरा	2.00 अक्टूबर-17	2.00 नवम्बर-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
73	सीसी सड़क निर्माण, गांव टोडा में रिसोर्ट से कालूराम के घर तक		कुलमीपुरा	4.75 मार्च-18	4.75 मार्च-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
74	सीसी सड़क निर्माण कार्य, राणा की हरवर शिक्षाकर्मी विद्यालय से गोवर्धन के घर तक	पीपल खूंट	केशरपुरा	5.00 फरवरी-17	5.00 अगस्त-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
75	सीसी सड़क निर्माण चोखला के घर से कामजी पिता गलियां के घर तक		जेठलिया	5.00 फरवरी-17	5.00 अगस्त-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
जिला परिषद सीकर						
76	सीसी सड़क निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से फगलावा पटोदा सड़क की ओर, फागलवा	धोद	सेवा	3.00 जून-17	3.00 अक्टूबर-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
77	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य, छगनलाल के घर से बालाजी मंदिर तक ग्राम पंचायत सेवद बड़ी	धोद	सेवद बड़ी	5.00 मई-16	4.80 जून-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
78	सीसी सड़क निर्माण कार्य चेलासी से सिहोट छोटी रास्ते पर चेलासी	धोद	श्यामपुरा	6.50 जून-17	6.50 सितम्बर-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
79	सीसी सड़क निर्माण कार्य, मुख्य सड़क गजराज वर्मा के मकान से पूरन वर्मा विजय वर्मा मास्टर की तरफ, दलपतपुरा	पाटन	दलपतपुरा	3.00 जनवरी-19	2.19 नवम्बर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
80	सीसी सड़क निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरा से मीना बस्ती की ओर, मोहनपुरा	पाटन	बल्लूपुरा	3.50 नवम्बर-17	3.50 अप्रैल-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
81	सीसी सड़क निर्माण कार्य, तेजाराम के खेत से मूलाराम के खेत की ओर, श्यामपुरा	पिपराली	श्यामपुरा	9.95 मई-20	9.94 जून-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
82	सीसी सड़क निर्माण कार्य, सती मंदिर से पीपलगट्टा तक, सकराय	पिपराली	श्यामगढ़	5.00 सितम्बर-17	4.94 अगस्त-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
83	सीसी सड़क निर्माण कार्य, शाकम्बरी माता गेट से मंदिर की ओर, सकराय		श्यामगढ़	5.00 सितम्बर-17	4.19 अगस्त-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
84	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य, पिपराली सड़क से मंजू देवी चहल के घर की तरफ	पिपराली	शिवसिंह पुरा	5.52 जून-17	5.02 अप्रैल-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
85	सीसी सड़क निर्माण कार्य, रेलवे फाटक से मीठारवालों की ढाणी मांगीलाल धोबी के घर तक	पिपराली	कटराथल	10.00 अगस्त-18	10.00 नवम्बर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
86	सीसी सड़क निर्माण कार्य, सिंघासन राम नगर मुख्य सड़क से पुष्पेंद्र सिंह के घर की ओर		सिंघासन	5.00 जुलाई-18	5.00 अक्टूबर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
87	सीसी सड़क निर्माण कार्य, हरदयालपुरा चारण का बास डामर सड़क से बगराम बलाई के घर तक, डाडली	पिपराली	चैनपुरा	9.26 जून-18	9.26 सितम्बर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
88	सीसी सड़क निर्माण श्योपाल वर्मा के घर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती की ओर, गोरिया		सूजावास	5.00 दिसम्बर-17	4.47 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
89	सीसी सड़क निर्माण कार्य, ग्राम गुंगारा में केसरवाली जोहड़ी में हरिजन एवम सांसियो की बस्ती की ओर		गुंगाड़ा	7.00 नवम्बर-19	7.00 दिसम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
योग				**447.17**	**434.11**	
इंटरलॉकिंग सीसी ब्लॉक सड़कें						
जिला परिषद बारां						
90	सीसी इंटरलॉकिंग खरंजा मय नाली निर्माण, सीसी सड़क से श्री मोहन लाल जी राठौड़ के मकान तक	अंता	पचेल कलां	1.00 सितम्बर-19	0.41 अक्टूबर-19	नाली नहीं पायी गयी
91	सीसी प्रीकास्ट निर्माण कार्य ग्राम उदयपुरिया में श्री लटूर लाल मीना के नोहरे से अंता शीश वाली सड़क की ओर	अंता	उदयपुरिया	4.00 अक्टूबर-19	3.99 नवम्बर-19	नाली नहीं पायी गयी
92	सीसी प्रीकास्ट इंटरलॉकिंग मय नाली निर्माण रमेश की बाड़ी से देवनारायण मंदिर की तरफ, ग्राम बमूलिया कलां	अंता	बमूलिया	6.00 नवम्बर-19	5.98 दिसम्बर-19	नाली नहीं पायी गयी
93	इंटरलॉकिंग खरांजा मय नाली निर्माण पदम सिंह के मकान से गौरव राठौड के मकान तक, ग्राम भोराजेड़ी		जय नगर	5.00 सितम्बर-18	3.86 दिसम्बर-18	नाली नहीं पायी गयी
94	इंटरलॉकिंग खरंजा निर्माण, गंगाधर गोचर से रामेश्वर की तरफ कुआँ वाली बस्ती में, ग्राम रावल जावल		मऊ	8.00 अक्टूबर-19	8.00 नवम्बर-19	नाली नहीं पायी गयी
95	इंटरलॉकिंग खरांजा मय नाली निर्माण फूल बड़ौदा सड़क से कन्हैया लाल के मकान तक, ग्राम रिझा	छबडा	खोपर	4.39 मार्च-17	4.39 अप्रैल-17	नाली नहीं पायी गयी
96	इंटरलॉकिंग निर्माण, मुख्य सड़क से गांव तक, ग्राम बड़ौदिया में		झारखेडी	5.00 जून-16	4.94 जुलाई-16	नाली नहीं पायी गयी

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
97	इंटरलॉकिंग मय नाली निर्माण ग्राम बड़ौदिया में संपत के मकान से आंगनवाड़ी केंद्र की ओर		झारखेडी	4.54 मार्च-17	4.54 जून-17	नाली नहीं पायी गयी
जिला परिषद जोधपुर						
98	सीसी ब्लॉक खरंजा निर्माण, भगवान महावीर नगर खसरा नं. 49 नंदी सड़क पर श्री मदन सिंह राजपुरोहित के घर से पूर्व की तरफ सोहन लाल इंदा के घर तक	लूणी	नांदडी	2.50 अक्टूबर-18	2.50 अप्रैल-19	नाली नहीं पायी गयी
99	सीसी ब्लॉक निर्माण, गणेश चौक से उपासरा तक, सोयला	बावड़ी	सोयला	7.00 दिसम्बर-17	6.99 अगस्त-18	नाली नहीं पायी गयी
जिला परिषद सीकर						
100	इंटरलॉकिंग/सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य, मुख्य सड़क कुढ़ी की ढाणी से कजोड़ मल सैनी के मकान की ओर, कुढ़ी की ढाणी पनिहारवास	खंडेला	पनिहारवास	3.50 सितम्बर-18	3.11 जनवरी-19	नाली नहीं पायी गयी
कुल				**50.93**	**48.71**	
महा योग				**498.10**	**482.82**	

नोटः हाईलाइट किये गये कार्यों को विभाग के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया ।

परिशिष्ट XVII

(संदर्भ अनुच्छेदः 2.2.10.1(ii))

एमएलएलैड के अंतर्गत संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गए क्षतिग्रस्त कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
जिला परिषद बारां					
पंचायत समिति अंता					
1	चार दीवारी का निर्माण, शमशान घाट का मिट्टी भराव, आम की झोपडिया	अमलसरा	10.00 सितम्बर-16	9.59 जुलाई-17	चार दीवारी क्षतिग्रस्त पाई गई।
पंचायत समिति बारां					
2	सीसी सड़क मय नाली निर्माण, छोटू नागर के मकान से प्रहलाद मालव एवं देवकरण के मकान की ओर, गोवर्धनपुरा	बराना	4.00 जुलाई-17	3.08 अगस्त-17	भारी बारिश के कारण सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त पाई गई।
3	सीसी सड़क मय नाली निर्माण, दुर्गा शंकर नागर के मकान से रमेश नागर के मकान की ओर, इकलेरा	इकलेरा	1.00 अक्टूबर-18	0.98 जून-19	सड़क उखड़ी हुई एवं क्षतिग्रस्त पाई गई।
पंचायत समिति छबड़ा					
4	इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य, हनुवत खेड़ा से मेन सड़क शिवचरण गाडरी के मकान तक	चाचोडा	1.50 जुलाई-18	1.50 जून-19	नाली निर्माण नहीं करने से से सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
5	इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य, दुर्गा शंकर शर्मा के मकान से ठाकुर के ट्यूबवेल की ओर, कडेया छतरी	भुवा खेड़ी	5.00 मार्च-17	4.04 जुलाई-17	आधे भाग में नाली निर्माण नहीं करने से सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
जिला परिषद चूरू					
पंचायत समिति चूरू					
6	इंटरलॉकिंग खुर्रा निर्माण, फूलाराम के घर से गिरधारी/केशर सिंह के घर तक	कोटवाद ताल	6.48 सितम्बर-16	6.48 अक्टूबर-16	कुछ स्थानों पर ब्लॉक उखड़े हुए पाए गए।
7	खुर्रा का निर्माण मय मिट्टी भराव और सुरक्षा दीवार, मुख्य सड़क से आम चौक तक, रावटिब्बा	विजयपुरा	10.53 जून-16	10.53 सितम्बर-16	खुर्रा पानी के बहाव के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाया गया।
8	इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण मुख्य रास्ते से रोहिताश मास्टर के घर से मुख्य चौक, पानी की टंकी मातूराम गिरधारी मेघवाल के घर की तरफ	सुलखानिया छोटा	8.00 अक्टूबर-19	7.98 नवंबर-19	बेस लेयर नहीं बिछाने से सड़क पर उतार चढ़ाव पाया गया।
जिला परिषद करौली					
पंचायत समिति करौली (शहरी)					
9	सीसी सड़क धरम सिंह सरपंच के मकान से चिरंजी थानेदार के मकान तक, वार्ड नंबर 2, नगरपालिका करौली	करौली (शहरी)	2.00 जनवरी-18	1.19 मई-18	सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
10	सीसी सड़क निर्माण, भारत टेंट हाउस से चामुंडा मंदिर की ओर	करौली (शहरी)	50.00 सितम्बर-18	49.82 फरवरी-19	सड़क पर जलभराव के कारण सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
पंचायत समिति टोडाभीम					

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
11	इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क मय नाली निर्माण, मुख्य सड़क श्री महावीरजी शेखपुरा से रामोली के घर की ओर, किरवाड़ा	किरवाड़ा	5.00 मार्च-18	5.00 अप्रैल-18	सड़क पर जलभराव के कारण सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई ।
12	सीसी सड़क निर्माण, मुख्य सड़क से श्रीमन के कुआ की ओर, लपावली	लपावली	5.00 अगस्त-16	3.78 जून-17	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई ।
13	इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण, बालाजी मंदिर से मोक्षधाम तक, मूंडिया	मूंडिया	4.00 दिसम्बर-17	3.99 अप्रैल-18	विभिन्न स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई और नाली का निर्माण नहीं करने के कारण सड़क पर कीचड़ पाया गया ।
जिला परिषद प्रतापगढ़					
पंचायत समिति पीपलखूंट					
14	सीसी सड़क निर्माण, चौख्ला के घर से कमजी पिता गलिया के घर तक, जेठलिया	जेठलिया	5.00 फरवरी-17	5.00 अगस्त-17	सीसी सड़क की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त पाई गई और नालियां और विस्तार जोड़ निर्मित नहीं पाये गये।
15	सीसी सड़क निर्माण शिक्षा कर्मी विद्यालय से गोवर्धन के घर तक, केशरपुरा	केशरपुरा	5.00 फरवरी-17	5.00 अगस्त-17	सड़क कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई। इसके अलावा, नाली और विस्तार जोड़ भी निर्मित नहीं किये गये थे ।
16	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो कमरे मय बरामदा निर्माण, मोटी खेड़ी	मोटी खेड़ी	12.00 सितम्बर-17	12.00 जनवरी-19	कमरों की छत की उचित समतलीकरण नहीं किया गया था, जिसके कारण छत पर जल भराव हो गया था परिणामस्वरूप दीवार पर सीलन हुई ।
पंचायत समिति प्रतापगढ़					
17	सीसी सड़क निर्माण, राधा कृष्ण मंदिर से शीतला माता मंदिर तक, रठांजना	रठांजना	5.00 मई-16	5.00 अगस्त-16	सीसी सड़क की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त पाई गई ।
जिला परिषद सीकर					
पंचायत समिति धोद					
18	सीसी सड़क एवं नाली निर्माण, छगन लाल के घर से बालाजी मंदिर तक, सेवद बड़ी	सेवद बड़ी	5.00 मई-16	4.80 जून-16	पानी के बहाव के कारण सीसी सड़क की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त पाई गई थी क्योंकि सीसी सड़कों के साथ नाली निर्मित नहीं की गई थी ।
19	सीसी सड़क निर्माण, चेलासी से सिहोट छोटी रास्ते पर, चेलासी	श्यामपुरा	6.50 जून-17	6.50 सितम्बर-17	पानी के बहाव के कारण सीसी सड़क की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त पाई गई क्योंकि सीसी सड़कों के साथ नाली निर्मित नहीं की गई थी ।
योग			**151.01**	**146.26**	

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भ अनुच्छेदः **2.2.10.2**(i))

एमएलएलैड के अंतर्गत सोख्ता गड्ढा/पशु खेली के बिना हैण्डपम्पों की स्थापना और पशु खेली के प्रावधान नहीं किये जाने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
पूर्ण कार्य					
जिला परिषद बारां					
पंचायत समिति बारां					
1	हैण्डपम्प की स्थापना, ग्राम बामुलिया में रामसागर मेघवाल के मकान के पास	सुन्दलक	0.80/ जनवरी-18	0.73 अप्रैल-18	सोस्ता गड्ढा /पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
पंचायत समिति किशनगंज					
2	हैण्डपम्प निर्माण रामगढ सड़क धूम पर, किशनाइपुरा	पीपल्दा कलां	0.80 अक्टूबर-16	0.78 जुलाई-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
3	हैण्डपम्प निर्माण माताजी के स्थान के पास	पीपल्दा कलां	0.80 अक्टूबर-16	0.80 जुलाई-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
4	हैण्डपम्प निर्माण रामदयाल मीना के मकान के पास नीचे की ओर	पीपल्दा कलां	0.80 अक्टूबर-16	0.80 जुलाई-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
5	हैण्डपम्प निर्माण ओमप्रकाश मीणा के मकान के सामने मुख्य सड़क पर लक्ष्मीपुरा	सेवानी	0.75 अक्टूबर-16	0.73 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
6	हैण्डपम्प निर्माण नन्द लाल रैगर के मकान के पास, गोबरचा	सखरावाडा	0.80 अक्टूबर-16	0.73 फरवरी-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
7	हैण्डपम्प निर्माण नरेश मीना के मकान के पास में मुख्य सड़क हुकुमपुरा	सेवानी	0.75 अक्टूबर-16	0.73 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
8	हैण्डपम्प निर्माण मनफूल गुर्जर पुत्र श्री छीतर मल के मकान के पास, श्रीपुरा	सिमलोद	0.85 अक्टूबर-16	0.85 जून-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
9	हैण्डपम्प निर्माण पुराने हैण्डपंप के पास मोयडा का टापरा	सिमलोद	0.85 अक्टूबर-16	0.85 जून-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
10	हैण्डपम्प निर्माण पन्ना लाल मीना के मकान के पास, पदमपुरा	सेवानी	0.75 अक्टूबर-16	0.71 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
11	हैण्डपम्प निर्माण रूपनारायण जी के मकान के पास, गुना सड़क नाहरगढ़	नाहरगढ़	0.80 अक्टूबर-16	0.80 मार्च-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
12	हैण्डपम्प निर्माण मांगरोल सड़क अर्जुनपुरा चौराहा, अर्जुनपुरा	पीपल्दा कलां	0.80 अक्टूबर-16	0.78 जुलाई-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
पंचायत समिति शाहाबाद					
13	हैण्डपम्प का निर्माण कम्पू जाटव के मकान के पास, मुसरेडी	संदोकडा	0.75 अक्टूबर-16	0.75 जून-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
14	हैण्डपम्प निर्माण गडरिया मोहल्ला में स्कूल के आगे नाले पर, मुसरेडी	संदोकडा	0.75 अक्टूबर-16	0.75 जून -20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
15	हैण्डपम्प निर्माण काली माता मंदिर के पास, अमरोड़	आगर	0.80 जनवरी-17	0.80 जून-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
16	हैण्डपम्प निर्माण भोलाजी मंदिर के पास बील खेडामाल	बील खेडामाल	0.80 जनवरी-17	0.80 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
17	हैण्डपम्प निर्माण हनुमान जी के मंदिर के पास, पाटन	सनवाडा	0.80 जनवरी-17	0.80 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
18	हैण्डपम्प निर्माण बाबूलाल सहरिया के मकान के पास, बासखेडा गागल	बीचि	0.80 जनवरी-17	0.80 मार्च-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
19	हैण्डपम्प निर्माण ग्यारसी लाल मेहता के मकान के पास, बासखेडा गागल	बीचि	0.80 जनवरी-17	0.80 मार्च-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
20	हैण्डपम्प निर्माण नाथू भील के मकान के पास बलारपुर	बीचि	1.10 जनवरी-17	0.80 मार्च-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
21	हैण्डपम्प निर्माण रामस्वरूप के मकान के पास कमलवाडा	खटका	0.80 जनवरी-17	0.80 जून-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
22	हैण्डपम्प निर्माण पटेल के मकान के पास, भील बस्ती, जावरा	खटका	0.80 जनवरी-17	0.80 जून-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
23	हैण्डपम्प निर्माण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास, रताई कलां	ढ़िकवानी	0.80 जनवरी-17	0.80 अक्टूबर-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
24	हैण्डपम्प निर्माण राजकीय प्राथमिक विद्यालय गड़ीघट्टा	बांसथूनी	1.14 मई-16	0.79 अगस्त-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
25	हैण्डपम्प निर्माण बद्री लाल सुमन के यहां, भभूका	रेलावन	1.36 मई-16	1.32 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
26	हैण्डपम्प निर्माण महावीर हलवाई के मकान के सामने, रेलावन	रेलावन	1.36 मई-16	1.33 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
27	हैण्डपम्प निर्माण गंगा राम गुर्जर के मकान के पास, दौलतपुरा	सुवांस	1.27 मई-16	1.16 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
28	हैण्डपम्प निर्माण सुखवीर मीना के मकान के पास, जगदेवपुरा	बाकनपुरा	1.19 मई-16	0.76 मार्च-21	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
29	हैण्डपम्प निर्माण घासी लाल के मकान के पास रामगढ सड़क पर सोभागपुरा	सोभागपुरा	1.35 मई-16	0.74 फरवरी-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
30	हैण्डपम्प निर्माण विजय सिंह के मकान के सामने	रेलावन	1.36 मई-16	1.32 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
31	हैण्डपम्प निर्माण हरी सिंह के मकान के सामने, चनडाडिया	रेलावन	1.36 मई-16	1.32 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
32	हैण्डपम्प निर्माण सती अमली के पास, पदमपुरा, सेवानी	सेवानी	1.27 मई-16	0.96 फरवरी-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
33	हैण्डपम्प निर्माण सूरजमल जी गुर्जर के मकान के पास, कंवरपुरा	रेलावन	1.35 मई-16	1.32 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
34	हैण्डपम्प निर्माण पटेल जी के मकान के पास, भूतपुरा	रेलावन	1.36 मई-16	1.34 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
35	हैण्डपम्प निर्माण राम कुमार गुर्जर के मकान के रास्ते के पास सेरावनी खेडा	सुवांस	1.27 मई-16	1.15 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
36	हैण्डपम्प निर्माण मोती लाल के मकान के पास छत्तरगंज खेडा	छत्तरगंज	1.13 मई-16	1.06 मार्च-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
37	हैण्डपम्प निर्माण जिन्द बाबा के स्थान के पास तलवाडा	घट्टी	1.13 मई-16	1.09 मार्च-21	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
38	हैण्डपम्प का निर्माण जिन्द बाबा के स्थान के पास होडापुरा	बील खेडा डांग	0.75 मई-16	0.75 जून-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
39	हैण्डपम्प निर्माण जानकी लाल के मकान के पास आम रास्ते पर	गरदा	1.14 मई-16	0.90 मार्च-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
40	हैण्डपम्प निर्माण भोगजी भील के मकान के पास, धून	सनवाडा	0.75 मई-16	0.75 मार्च-17	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
41	हैण्डपम्प निर्माण एससी बस्ती, गांव दीवाली	खुरी	1.00 मार्च-21	1.00 जुलाई-21	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
जिला परिषद भीलवाड़ा					
पंचायत समिति भीलवाड़ा (शहरी)					
42	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 50, राजपूत कॉलोनी में	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.26 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
43	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 16, पटेल नगर, मयूर स्कूल के पीछे की बस्ती में	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.40 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
44	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 18, सेक्टर 4	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.50 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
45	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 18, सेक्टर 4, पार्क के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.40 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
46	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 19, आदर्श विद्या मंदिर, अम्बेडकर नगर	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.41 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
47	हैंडपंप स्थापना वार्ड नम्बर 1, लक्ष्मीपुरा श्मशान घाट पर	भीलवाड़ा (शहरी)	0.70/ दिसम्बर-19	0.70 मई-20	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
48	हैंडपंप स्थापना वार्ड नम्बर 4, खोरिया खेडा माताजी मंदिर के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	0.61/ फरवरी-18	0.61 मई-18	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
49	हैंडपंप स्थापना वार्ड नम्बर 4, पुर तालाब की पाल पर कुम्हरिया खेडा	भीलवाड़ा (शहरी)	0.61/ फरवरी-18	0.61 मई-18	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
50	हैंडपंप स्थापना वार्ड नम्बर 1, बाबू लाल तेली के खेत के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	0.70/ दिसम्बर-19	0.70 मई-20	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
51	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 50, चमारों का मौहल्ला	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.28 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
जिला परिषद करौली					

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
पंचायत समिति टोडाभीम					
52	हैण्डपम्प स्थापना महाराज गुर्जर के घर के पास गुर्जर पट्टी बोंल	बोंल	1.00 जून-17	0.98 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
53	हैण्डपम्प स्थापना निर्भय गुर्जर एवं चन्द्रभान मास्टर के घर के पास गूजर पट्टी बोंल	बोंल	1.00 जून-17	0.98 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
पंचायत समिति हिंडौन					
54	हैण्डपम्प स्थापना अमृत एवं दिगम्बर के घर के पास धुरसी	बाईजट	0.90 नवम्बर-17	0.90 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
55	हैण्डपम्प स्थापना राम सहाय पुत्र नाथी जाटव के घर के पास धुरसी का पुरा	बाईजट	0.90 नवम्बर-17	0.90 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
56	हैण्डपम्प स्थापना रोशन पुत्र दीवान जाट के घर के पास धुरसी	बाईजट	0.90 नवम्बर-17	0.90 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
पंचायत समिति करौली					
57	हैण्डपम्प स्थापना फकीर मौहल्ला ग्राम माकनपुर	बीजलपुर	0.90 सितम्बर-16	0.90 दिसम्बर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
58	हैण्डपम्प स्थापना नाई मौहल्ला काशीपुरा	काशीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
59	हैण्डपम्प स्थापना बैरवा बस्ती काशीपुरा	काशीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
60	हैण्डपम्प स्थापना पुरानी टंकी से पाइप लाइन कार्य धन सिंह माली के घर के पास माली बस्ती ग्राम बावली	माहोली	1.40 सितम्बर-18	1.40 अक्टूबर-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
61	सार्वजनिक हैण्डपम्प का स्थापना कार्य मेघाराम गुर्जर के घर के पास भीतर के ढोंगर के नीचे ग्राम मांची	मांची	1.00 दिसम्बर-17	1.00 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
62	हैण्डपम्प स्थापना जगरूप सिंह ठेकेदार के घर के पास तुलसीपुरा	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
63	हैण्डपम्प स्थापना पीतम के घर के पास थाढ़ का पुरा	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
64	हैण्डपम्प स्थापना अतर सिंह के घर के पास, अचे का पुरा	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
65	हैण्डपम्प स्थापना मान सिंह गुर्जर के पास खरेटा	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
66	हैण्डपम्प स्थापना शिवचरण गुर्जर के पास राजपुर	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.89 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
67	हैण्डपम्प स्थापना बाबू के घर के पास कीरतपुरा	साईंपुर	0.90 अगस्त -18	0.89 अक्टूबर-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
68	हैण्डपम्प स्थापना ब्रह्मानंद के घर के पास कीरतपुरा	साईंपुर	0.90 अगस्त -18	0.90 अक्टूबर-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
69	हैण्डपम्प स्थापना गोविन्द के घर के पास कीरतपुरा	साईंपुर	0.90 अगस्त -18	0.90 अक्टूबर-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
पंचायत समिति मंडरायल					
70	हैण्डपम्प स्थापना बागरिया बस्ती डांगरी ग्राम पंचायत भरतून	भरतून	0.90 अक्टूबर-16	0.90 अक्टूबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
71	सार्वजनिक हैण्डपम्प की स्थापना राधे गुर्जर के घर के पास महाराजपुरा	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
72	हैण्डपम्प स्थापना काहरपाडा ग्राम छरी का हार ग्राम पंचायत बहादुरपुर	बहादुरपुर	0.90 सितम्बर-16	0.89 अक्टूबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
73	हैण्डपम्प स्थापना हनुमानजी के पीछे माली पाडा ग्राम छरी का हार	बहादुरपुर	0.90 सितम्बर-16	0.89 अक्टूबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
74	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक मंदिर के पास ग्राम महाराजपुरा	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
75	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक स्थान स्कूल के पास ग्राम चचेरी	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
76	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक स्थान ठाकुरजी के मंदिर के पास कानडा की झोपडी	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
77	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक स्थान पर बैरवा बस्ती हसनपुर	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
78	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक भोमिया के स्थान के पास मालीपुरा	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
79	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक स्थान पीपर के पास कानरडा	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
पंचायत समिति सपोटरा					
80	हैण्डपम्प स्थापना गांव के पीछे की ओर ग्राम मोरीन की झोपडी	भरतून	0.90 अक्टूबर-16	0.90 अक्टूबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
81	हैण्डपम्प स्थापना सरकारी टंकी के पास ग्राम टोंटापुरा, ग्राम पंचायत भरतून	भरतून	0.90 अक्टूबर-16	0.90 अक्टूबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
जिला परिषद प्रतापगढ़					
पंचायत समिति पीपल खूंट					
82	हैण्डपम्प स्थापना गौतम पुत्र नारिया मीणा के घर के पास ग्राम वडलीखोरी	कचोटिया	0.60/ मई-20	0.59 जून-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं पाई गई।
83	हैण्डपम्प स्थापना कैलाश पुत्र नगजी मीणा के घर के पास गांव जान्हिया	कचोटिया	0.60/ मई-20	0.59 जून-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं पाई गई।
84	हैण्डपम्प स्थापना रतन पुत्र थावरां के घर के पास गांव पीपलिया	कचोटिया	0.60/ मई-20	0.59 जून-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं पाई गई।
85	हैण्डपम्प स्थापना नाथू पुत्र जीवा मीणा के घर के पास ग्राम दौतेड	कचोटिया	0.60/ मई-20	0.59 जून-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं पाई गई।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
86	पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प की स्थापना वार्ड नंबर 11 असावता सड़क पर तालाब के पास, गोपालजी खाटवाड के पास स्थित पुराने हैण्डपम्प के पास अवलेश्वर	अवलेश्वर	0.75 मई-20	0.75 जून-20	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
पंचायत समिति प्रतापगढ़					
87	हैण्डपम्प स्थापना बजरंग बली मंदिर के पास, खूंटगढ़	चिकलाड	0.70/ जून-20	0.70/ जून-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली नहीं पाई गई।
88	हैण्डपम्प स्थापना होलीराम मगरा फलां के मकान के पास	चिकलाड	0.70/ जून-20	0.70/ जुलाई-20	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली नहीं पाई गई।
जिला परिषद सीकर					
पंचायत समिति खण्डेला					
89	हैण्डपम्प स्थापना पटावाली ढाणी के पास ग्रेवल सड़क पर श्याम नगर	चोकडी	1.00 अक्टूबर-17	0.83 सितम्बर-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
90	हैण्डपम्प की स्थापना शिव मंदिर के पास ढाणी बढ़वाली ग्राम पंचायत कोटडी लुहारवास	कोटडी लुहारवास	1.00 अक्टूबर-18	1.00 अप्रैल-19	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
91	हैण्डपम्प स्थापना बीरबल/ किशनाराम गुर्जर के मकान के सामने ग्राम मेहरो की ढाणी	रोयल	1.20 जनवरी-19	1.18 मार्च-19	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
92	हैण्डपम्प स्थापना दानाराम/ भानाराम गुर्जर के मकान के सामने ग्राम मेहरो की ढाणी	रोयल	1.20 जनवरी-19	1.18 मार्च-19	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
93	हैण्डपम्प स्थापना शिव मंदिर के पास, ढाणी बडवाडी, कोटडी लुहारवास के पास	कोटडी लुहारवास	1.00 अक्टूबर-18	1.00 अप्रैल-19	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
योग			**89.46**	**85.34**	
निर्माणाधीन कार्य					
जिला परिषद प्रतापगढ़					
पंचायत समिति पीपल खूंट					
1	हैण्डपम्प स्थापना गौतम साविया के घर के पास बोरखेडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
2	हैण्डपम्प स्थापना बेडा बीच सेन्टर घाटी के पास बोरखेडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
3	हैण्डपम्प स्थापना गौतम जीवा के घर के पास पावटीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
4	हैण्डपम्प स्थापना धर्मा राकिया के घर के पास बोरखेडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
5	हैण्डपम्प स्थापना थावरा सोनिया के घर के पास पावटीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
6	हैण्डपम्प स्थापना गलिया नागजी के घर के पास पावटीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
7	हैण्डपम्प स्थापना कांति कचरिया के घर के पास तलाईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
8	हैण्डपम्प स्थापना धीरिया कमजी के घर के पास कटारियापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
9	हैण्डपम्प स्थापना भूरिया रामा के घर के पास नालपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
10	हैण्डपम्प स्थापना रमन गंगा जी के घर के पास नालपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
11	हैण्डपम्प स्थापना विटला के घर के पास मोवाईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
12	हैण्डपम्प की स्थापना विश्राम जीवा के घर के पास मोवईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
13	हैण्डपम्प स्थापना कालू बनिया के घर के पास डूकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
14	हैण्डपम्प स्थापना लक्ष्मन गौतम के घर के पास डूंकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
15	हैण्डपम्प की स्थापना रावजी भाई के खेत के पास डूंकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
16	हैण्डपम्प स्थापना केसर फुलिया के घर के पास उगमानापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
17	हैण्डपम्प स्थापना सूरजमलजी के घर के पास उगमानापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
18	हैण्डपम्प स्थापना पूरण चंद रकमा के घर के पास कडबालिया	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
19	हैण्डपम्प स्थापना रामचंद्र रकमा के घर के पास अम्बापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
20	हैण्डपम्प की स्थापना धूलजी दीपा के घर के पास अम्बापाडा	पीपलखूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
21	हैण्डपम्प स्थापना काल काचरिया के घर के पास उगमानापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
22	हैण्डपम्प स्थापना पासिया के घर के पास डूकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
23	हैण्डपम्प स्थापना नानका मोतिया के घर के पास तलाईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
24	हैण्डपम्प की स्थापना रमन लाला के घर के पास मोवईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
25	हैण्डपम्प स्थापना हरीश उंकार के घर के पास कडबालिया	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
26	हैण्डपम्प स्थापना केशिया नारायण के घर के पास डूकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
27	हैण्डपम्प स्थापना हीरा लालू के खेत के पास नालपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
28	हैण्डपम्प स्थापना मुकेश दलजी के घर के पास बोरखेडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
29	हैण्डपम्प स्थापना नारायण लालिया के घर के पास पावटीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
30	हैण्डपम्प स्थापना उदा रजिया के घर के पास बागफरा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
31	हैण्डपम्प स्थापना कालू रूपा के घर के पास गोटडा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
32	हैण्डपम्प स्थापना गंगाराम धारजी चौराहे पर बावड़ी	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
33	हैण्डपम्प स्थापना शान्ति नारायण के घर के पास गोटडा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
34	हैण्डपम्प की स्थापना छगनी भेरिया के घर के पास ऊपलाखेडा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
35	हैण्डपम्प स्थापना वेस्टा गौतम के घर के पास माताजी सड़क पर	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
36	हैण्डपम्प स्थापना रमेश लालू के घर के पास हाबूडीपाडा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
37	हैण्डपम्प स्थापना अमरा हवजी के खेत के पास डूंगरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 जनवरी-21	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
पंचायत समिति प्रतापगढ़					
38	हैण्डपम्प निर्माण शीतलामाता भग्गा बदरिया के घर के बीच में खोरा	नकोर	0.70 जून-20	0.40	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
39	हैण्डपम्प निर्माण सुरपुर फला नाथू के घर के बीच में रोनखेडा	नकोर	0.70 जून-20	0.40	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
40	हैण्डपम्प की स्थापना धूला के मकान के पास होटारेल	नकोर	0.70 जून-20	0.00	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
योग			**28.00**	**4.5**	

नोटः हाईलाइट किये गये कार्यों को विभाग के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया ।

परिशिष्ट-XIX

(संदर्भ अनुच्छेदः 2.2.10.2(ii))

एमएलएलैड के अंतर्गत सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित सिंगल फेज बोरिंग का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
जिला परिषद बारां					
पंचायत समिति अंता					
1	ट्यूबवेल मय मोटर निर्माण, श्मशान घाट, बमूलिया	बमूलिया कलां	1.00 अक्टूबर-19	1.00 नवंबर-19	ट्यूबवेल बिना सरकारी विद्युत कनेक्शन के और पानी की टंकी के पाया गया।
2	सिंगल फेस ट्यूबवेल मय मोटर, जय शंकर नगर के पास, हापाहेडी	जय नगर	0.80 अक्टूबर-19	0.80 दिसम्बर-19	ट्यूबवेल निजी घर से विद्युत कनेक्शन लेने के साथ स्थापित पाया गया।
3	ट्यूबवेल मय विद्युत मोटर, बैरवा बस्ती में, हापाहेडी	जय नगर	0.80 अक्टूबर-19	0.80 दिसम्बर-19	ट्यूबवेल निजी चबूतरे पर स्थापित पाया गया और पास स्थित विद्युत पोल से बिजली लेकर से चलाया अवैध रूप से चलाया जा रहा था।
पंचायत समिति शाहबाद					
4	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, काली के चबूतरे के पास, चमराना बस्ती, सिरसोद	महोदरा	1.30 जनवरी-17	1.21 फरवरी-17	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
5	मुख्य सड़क पर मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, धन सिंह के मकान के पास, हातरी	ढ़िकवानी	1.10 जनवरी-17	1.10 फरवरी-17	
6	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, बारी वाला मोहल्ला	ढ़िकवानी	1.30 जनवरी-17	1.28 फरवरी-17	
7	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, राम सिंह भील के मकान के पास, गुदारमल	ढ़िकवानी	1.10 जनवरी-17	1.10 फरवरी-17	
8	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, कंवर सिंह भील के मकान के पास, अहेड़ी	ढ़िकवानी	1.30 जनवरी-17	1.28 फरवरी-17	
9	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, स्कूल के सामने, धनसूरी	नताई	1.30 जनवरी-17	1.25 मार्च-17	
10	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, कोली मोहल्ला, अजरोंदा	नताई	1.30 जनवरी-17	1.30 मार्च-17	
11	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, अमर सिंह यादव के मकान के सामने, बैराई	गणेशपुरा	1.10 जनवरी-17	1.09 मार्च-17	
12	मोटर, एसेसरी, बोरिंग का निर्माण कार्य, धुल्ले भील के मकान के पास, खाजू	गणेशपुरा	1.10 जनवरी-17	1.10 फरवरी-17	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
13	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, मुन्नालाल भील के मकान के पास, खाजू	गणेशपुरा	1.10 जनवरी-17	1.10 फरवरी-17	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
14	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, मदन रजत के मकान के पास, वार्ड न. 6, जस्खोनी	गणेशपुरा	1.30 जनवरी-17	1.29 फरवरी-17	
15	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, हनुमानजी के मंदिर के पास, औदापुरा	गणेशपुरा	1.30 जनवरी-17	1.29 फरवरी-17	सिंगल फेज बोरिंग बिना सरकारी विद्युत कनेक्शन के निर्मित किये गये।
16	मोटर, एसेसरी, बोरिंग का निर्माण कार्य, मुख्य सड़क के पास यज्ञशाला	गणेशपुरा	1.30 जनवरी-17	1.25 फरवरी-17	
17	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, स्कूल के पास, अचरपुरा	बीचि	1.10 जनवरी-17	1.10 मार्च-17	
18	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, राम सिंह भील के मकान के पास, कंकर तलाई	बीचि	1.10 जनवरी-17	1.10 मार्च-17	
19	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, सड़क के पास, नादिया	बीचि	1.10 जनवरी-17	1.10 मार्च-17	
20	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, भोमिया बाबा के स्थान के पास, बसई काली के चबूतरे के पास	सनवाडा	1.10 जनवरी-17	1.09 मार्च-17	
21	मोटर, एसेसरीज, टंकी, बोरिंग निर्माण कार्य, तारा चंद के बाड़े के पास, साद	बील खेडामाल	3.00 जनवरी-17	1.99 मार्च-17	
22	मोटर, एसेसरीज, टंकी, बोरिंग निर्माण कार्य, फारेन यादव और श्याम यादव के मकान के पास, घोघरा	बील खेडामाल	3.00 जनवरी-17	2.21 मार्च-17	
23	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, तेजाजी के चबूतरे के पास, पुराना फरेदुआ	भोयल	1.10 जनवरी-17	1.11 जून-17	
24	मोटर, एसेसरीज कार्य, देवनारायण मंदिर के पीछे, ढ़िकोनिया	घट्टी	0.50 मई-16	0.37 मई-16	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
25	सिंगल फेस मोटर, एसेसरीज कार्य, खेल के पास, मुख्य सड़क, ढ़िकोनिया	घट्टी	0.50 मई-16	0.34 मई-16	
26	बोरिंग निर्माण कार्य, छोटू लाल नागर के मकान के पास, पंडाली	बजरंगगढ़	0.94 मई-16	0.74 जनवरी-17	
27	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, आंगनवाडी केन्द्र के पास, बैरवा बस्ती, बानदाखुर्द	पचलावडा	1.41 मई-16	1.22 नवम्बर-16	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
28	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य,हेमराज रैबारी के मकान के पास, गोरेला सड़क, तगारिया ढाणी	असनावर	1.41 मई-16	1.14 अगस्त-16	
29	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, राजकीय माध्यमिक स्कूल, सिमलोद	सिमलोद	1.41 मई-16	1.13 मई-16	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
30	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, बजरंग लाल मीना डीलर के मकान के पास, चौराहे पर, कमठा	कांकरदा	1.44 मई-16	0.99 अगस्त-16	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
31	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, किशन चंद मीना के मकान के पास, कांकरदा	कांकरदा	1.44 मई-16	0.91 सितम्बर-16	
32	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, श्याम मेघवाल के मकान के पास टोढ़ी, कांकरदा	कांकरदा	1.44 मई-16	0.94 दिसम्बर-16	
33	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण और स्केल कार्य, बड के पेड़ के पास, मंशा का डेरा	घट्टी	1.80 जून-16	1.53 जुलाई-16	
जिला परिषद करौली					
पंचायत समिति हिंडौन					
34	सिंगल फैज ट्यूबवेल मय कुंडा निर्माण कार्य, लेखराज पुत्र कजोडी के घर के पास, गांवड़ी मीना	गांवड़ी मीना	1.87 दिसम्बर-17	1.87 मार्च-18	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
35	सिंगल फैज ट्यूबवेल मय मय कुंडा कार्य, श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय बनवारीपुर	गांवड़ी मीना	1.87 दिसम्बर-17	1.87 मार्च-18	
36	सिंगल फैज ट्यूबवेल का निर्माण मय कनेक्शन एवं टंकी कार्य, अटल सेवा केन्द्र, सार्वजनिक स्थान पर, सोमला	सोमला	2.31 मार्च-18	1.47 अप्रैल-18	
पंचायत समिति टोडाभीम					
37	सिंगल फैज ट्यूबवेल का निर्माण मय कुण्ड कार्य, श्रीफूल मीना के घर के पास, खारे का पुरा मीना पट्टी, बोंल	बोंल	2.50 जून-17	2.32 अप्रैल-18	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
38	सिंगल फैज ट्यूबवेल मय कुंडा निर्माण कार्य, उमराव मीना के घर के पास, एवं नर सिंह मंदिर के पास, मीना पट्टी, बोंल	बोंल	2.50 जून-17	2.45 अप्रैल-18	
जिला परिषद प्रतापगढ़					
पंचायत समिति छोटी सादडी					
39	ट्यूबवेल ड्रिलिंग सिंगल फेज मोटर मय एसेसरीज कार्य, आश्रम के पास	करुन्डा	3.00 दिसम्बर-18	1.60 दिसम्बर-19	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
40	ट्यूबवेल बोर मय पंप सेट, उदापुरा	करजू	1.60 अगस्त-18	1.27 दिसम्बर-18	
41	ट्यूबवेल बोर मय पंप सेट, मठ चौराहा	करजू	1.60 अगस्त-18	1.60 जून-19	
42	ट्यूबवेल बोर मय पंप सेट, हनुमान चौराहा	करजू	1.60 अगस्त-18	1.58 जून-19	
पंचायत समिति पीपल खूंट					

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
43	ट्यूबवेल और पीने के पानी हेतु टंकी निर्माण, नाहर सिंह माता मंदिर के पास, बस स्टैंड, कचौटिया	कचौटिया	1.40 मई-20	1.40 जून-20	सरकारी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था, तथापि, यह पास स्थित मंदिर से बिजली लेकर उपयोग में लिया जा रहा था । ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि बिजली बिलों की देयता सृजित होने के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था ।
44	ट्यूबवेल मय सीमेंट टंकी निर्माण, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बगडावद, मोटा धामनिया	मोटा धामनिया	3.00 मई-20	2.99 फरवरी-21	ट्यूबवेल सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना था। तथापि, पास स्थित विद्युत पोल से अवैध विद्युत कनेक्शन लिया गया था ।
जिला परिषद सीकर					
पंचायत समिति खण्डेला					
45	सिंगल फैज ट्यूबवेल का केबल बोर मय केसिंग कार्य निर्माण, सार्वजनिक कुए के पास, चक खटून्दरा	खंटून्दरा	1.95 अगस्त-18	1.92 मार्च-19	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किया गया ।
पंचायत समिति श्रीमाधोपुर					
46	सिंगल फैज ट्यूबवेल मय खराब मोटर, 300 मीटर केबल और पेनल बदलवाने एवं 700 फीट पाइप डलवाने का कार्य, बाबा हरिदास के आश्रम के पास, देवीपुरा	कोटडी धायलान	1.30 अक्टूबर-17	1.24 जनवरी-18	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किया गया ।
योग			**68.79**	**59.83**	

नोटः हाईलाइट किये गये कार्यों को विभाग के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया ।

परिशिष्ट- XX

(संदर्भ अनुच्छेदः 2.2.10.2(iii))

एमएलएलैड के अंतर्गत बिना टेंडर के हैण्डपम्प और सिंगल फैज ट्यूबवेल के निर्माण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	पूर्ण होने का माह
1	सार्वजनिक हैण्डपम्प का निर्माण मय टंकी, माली बस्ती, कालीपुरा	करसई	सितम्बर 2016	1.20	1.20	अक्टूबर 2016
2	सिंगल फैज सार्वजनिक बोर का निर्माण, पागर की तलाई पर, कुम्हार मोहल्ला, वामनपुरा	करसई	सितम्बर 2016	3.25	3.25	अक्टूबर 2018
3	सार्वजनिक हैण्डपम्प का निर्माण मय टंकी, आश्रम के पास	माहोली	मार्च 2019	1.20	1.20	जून 2019
4	हैण्डपम्प का निर्माण, बाबू के घर के पास	साईंपुर	अगस्त 2018	0.90	0.90	अगस्त 2018
5	हैण्डपम्प का निर्माण, ब्रह्मानंद के घर के पास	साईंपुर	अगस्त 2018	0.90	0.90	अक्टूबर 2018
6	सार्वजनिक हैण्डपम्प का निर्माण, गोविन्द के घर के पास, कीरथपुरा	साईंपुर	अगस्त 2018	0.90	0.90	अक्टूबर 2018
7	सिंगल फैज मय टंकी का निर्माण और विद्युत कनेक्शन, दयानंद सरस्वती माध्यमिक स्कूल, कीरथपुरा	साईंपुर	दिसम्बर 2017	3.00	3.00	जनवरी 2018
8	सिंगल फेज बोर मय टंकी निर्माण सार्वजनिक स्थान पर, एससी बस्ती, गमेती, मनोहरपुरा	सेमरदा	सितम्बर 2016	3.00	3.00	फरवरी 2017
9	नये हैण्डपम्प का निर्माण, अतर सिंह के घर के पास, ऊँचे का पुरा, तुलसीपुरा	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.89	नवम्बर 2016
10	नये हैण्डपम्प का निर्माण, जगरूप ठेकदार के घर के पास, तुलसीपुरा	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.90	नवम्बर 2016
11	नये हैण्डपम्प का निर्माण, पीतम के घर के पास, थाढ का पुरा	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.90	नवम्बर 2016
12	हैण्डपम्प का निर्माण, शिवचरण गुर्जर के पास	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.89	नवम्बर 2016
13	नये हैण्डपम्प का निर्माण, मानसिंह गुर्जर के पास	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.90	नवम्बर 2016
14	सिंगल फैज बोर मय विद्युत कनेक्शन निर्माण, हाकिम सिंह पुत्र बाबू सिंह के घर के पास, टिकेतपुरा, पांचना सड़क	तुलसीपुरा	अक्टूबर 2018	2.50	2.50	अप्रैल 2019
योग				**21.35**	**21.33**	

परिशिष्ट– XXI

(संदर्भ अनुच्छेदः 2.2.10.3)

एमएलएलैड के अंतर्गत कार्यों पर अलाभकारी व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
जिला परिषद बारां					
पंचायत समिति अंता					
1	हाई मास्ट लाइट की स्थापना, झण्डी चौराहा, पलायथा	पलायथा	2.10/ सितंबर-19	2.10 अक्टूबर-19	सरकारी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था।
2	हाई मास्ट लाइट की स्थापना, चिल्ड्रन पार्क, पलायथा		2.10/ सितंबर-19	2.10 अक्टूबर-19	सरकारी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था। हाई मास्ट लाइट बल्ब चोरी हो गये थे। एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई गई थी।
3	हाई मास्ट लाइट की स्थापना, सब्जीमंडी चौक, पलायथा		2.10/ सितंबर-19	2.10 अक्टूबर-19	सरकारी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था।
जिला परिषद चूरू					
पंचायत समिति चूरू					
4	सामुदायिक भवन का निर्माण, हरिजन मोहल्ला, पोटी	बीनासर	5.66 सितम्बर-18	5.66 नवंबर-18	भवन में प्रवेश करने के लिए उचित रास्ता नहीं होने के कारण सामुदायिक भवन उपयोग में लिया जाना नहीं पाया गया।
5	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गजासर में सूचना, संचार और प्रोद्योगिकी लैब	कडवासर	0.76 मार्च-19	0.76 अगस्त-19	कम्प्यूटर कक्ष की अनुपलब्धता और वैब कैमरा की स्थापना के अभाव के कारण कम्प्यूटर उपकरण अनुपयोगी पड़े हुए थे।
पंचायत समिति राजगढ़					
6	नाला निर्माण गांव रामपुरा में	रामपुरा	21.36/ नवंबर-17	14.82 अप्रैल-18	नाला अवरुद्ध था और चेम्बर खुले पड़े हुए थे। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि कार्य ग्राम पंचायत को हेन्ड ओवर नहीं किया गया था। इस प्रकार, स्वछता का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
7	पावर हाउस के पूर्व दिशा में सार्वजनिक पक्का तालाब मय वृक्षारोपण निर्माण।	ताम्बा खेड़ी	17.50/ अप्रैल-18	12.91 जून-18	कार्य मौके पर निर्मित किया गया था लेकिन वृक्षारोपण कार्य नहीं पाया गया। सहायक अभियन्ता ने अवगत कराया कि वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया था।
जिला परिषद जोधपुर					
पंचायत समिति देचू					
8	प्याऊ का निर्माण, करनोतो की ढाणियां जालम नगर	खेडा बागोरिया	3.60/ दिसम्बर-17	3.60 मार्च-18	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी।
9	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, हाजी अमला की ढाणी में		3.60/ फरवरी-18	3.60 जुलाई-18	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी।
10	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, महाराज का स्थान, राम नगर के खसरा नम्बर 401 में	खेडा बागोरिया	3.60/ अक्टूबर-18	3.60 मार्च-19	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी और ताला लगा पाया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
11	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, जसोड़ों की ढाणी, खसरा नम्बर 502 में	भोजाकोर	3.60/ फरवरी-19	3.60 अप्रैल-19	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी और ताला लगा पाया गया।
12	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, राजस्व ग्राम पीपलिया नगर, खसरा नम्बर 996/3	रावतनगर	3.60/ जुलाई-18	3.60 नवम्बर-19	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी और यह कचरे/कबाड़/टायर से भरी थी।
जिला परिषद करौली					
पंचायत समिति करौली (शहरी)					
13	हैण्ड पम्प का निर्माण, माली बस्ती कांटे के पास, वार्ड नम्बर 36, करौली	करौली (शहरी)	1.00 सितम्बर-16	0.95 मार्च-18	हैण्ड पम्प अक्रियाशील था।
पंचायत समिति टोडाभीम					
14	राजकीय कॉलेज भूडा में पानी हेतु 8 इंच बोर का निर्माण	साकरवाडा	4.00 मार्च-20	3.20 मई-20	बोर मोटर के अभाव में निष्क्रिय पड़ा हुआ था।
15	माध्यमिक स्कूल, पदमपुरा में 5 इंच बोर का निर्माण	पदमपुरा	2.00 अप्रैल-18	1.95 सितम्बर-18	बोर निष्क्रिय पड़ा हुआ था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि बोर शुरुआत से सूखा था।
16	हैण्ड पम्प निर्माण, महाराजी गुर्जर के घर के पास, गुर्जर पट्टी, बोंल	बोंल	1.00 जून-17	0.98 नवम्बर-17	हैण्ड पम्प निष्क्रिय पड़ा हुआ पाया गया। हैण्ड पम्प का ऊपरी हिस्सा गायब था।
जिला परिषद प्रतापगढ़					
पंचायत समिति पीपल खूंट					
17	टयूबवेल मय सीमेंटेड टंकी का निर्माण माँ बड़ी केंद्र के पास, तालाब फला, खोरा पाडा	मोटा धामनिया	3.00 मई-20	2.99 जनवरी-21	पानी का टैंक टयूबवेल के स्थान पर पास स्थित हैण्ड पम्प से भरा जा रहा था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि पानी का टैंक नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि टयूबवेल बहुत दूर था।
पंचायत समिति प्रतापगढ़					
18	रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्लांट और वाटर कूलर की स्थापना, यात्री प्रतीक्षालय के पास बरडिया बस स्टैंड, बरडीया	बरडीया	1.00 जून-18	0.97 जून-18	आरओ बिना उपयोग के पड़ा हुआ था और साईट पर पानी का टैंक भी नहीं पाया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि आरओ अक्टूबर 2018 से मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी पड़ा हुआ था।
19	जिला जेल प्रतापगढ़ में पानी के शुद्धिकरण हेतु आरओ सिस्टम	प्रतापगढ़	0.60 जनवरी-20	0.60 फरवरी-20	आरओ बिना उपयोग के पड़ा हुआ पाया गया और जेल अधीक्षक ने सूचित किया कि आरओ सिस्टम अप्रैल 2021 से सर्विसिंग के अभाव में अनुपयोगी पड़ा हुआ था।
20	सिंगल फेज मोटर पम्प सेट, पानी टैंक मय फिक्सिंग स्टैंड निर्माण, शीतला माता मन्दिर के पास, बड़ी डोरी	बारावरदा	1.00 अक्टूबर-17	1.00 दिसम्बर-17	न तो मोटर पम्प सेट और न ही पानी की टंकी पायी गई। साईट पर केवल लोहे का स्टैंड पाया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि सामान अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया था।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
					तथापि, यह पाया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी ।
21	टयूबवेल बोर मय मोटर पम्प सेट के पोली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) टंकी निर्माण, ग्राम सहकारी समिति के पास	देवगढ	1.00 सितम्बर-18	1.00 जुलाई-19	साईट पर टयूबवेल और पीवीसी टंकी पाई गयी थी लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुये नहीं थे और बिना अनुपयोगी के पड़े हुए थे । ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि इसके निर्माण से ही विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण टयूबवेल और पीवीसी टंकी बिना उपयोग के पड़ी हुई थी ।
22	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बमोतर में कब्बडी, खो-खो, तीरंदाजी वॉलीबाल एवं बास्केटबाल का खेल मैदान और ट्रेक का निर्माण	अमलावद	14.80/ सितम्बर-18	5.01 उपलब्ध नहीं	कार्य ढाई वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी अपूर्ण था। साईट पर भारी मलबा/चट्टानें पड़ी हुई पाई गयी ।
जिला परिषद सीकर					
पंचायत समिति धोद					
23	आरओ की स्थापना, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आला की ढाणी, नेतडवास	नेतडवास	1.00 दिसम्बर-18	1.00 जून-19	आरओ पानी के टैंक से जुडा नहीं होने के कारण जून 2019 से अनुपयोगी पड़ा हुआ था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि आरओ से जुडी टंकी से पानी उठाने के लिए मोटर की व्यवस्था के अभाव के कारण आरओ उपयोग में नहीं लिया जा रहा था ।
24	हाई मास्ट लाइट की स्थापना, मैंन चौक जस्सूपुरा	बिन्जासी	5.00 फरवरी-19	4.98 अगस्त-19	लाइट चालू नहीं पाई गई ।
25	रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण, अटल सेवा केन्द्र पर	श्यामपुरा	0.99/ दिसम्बर-17	0.99 जून-18	रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर रूफ टॉप से जुड़ा हुआ नहीं था जिसके कारण रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सूखा था ।
पंचायत समिति सीकर (शहरी)					
26	भूमिगत कूड़ेदान लगाना, होली खेडा, पालवास सड़क, सीकर	सीकर (शहरी)	2.50 नवम्बर-16	1.76 जनवरी-18	भूमिगत कूड़ेदान साईट पर नहीं पाया गया । सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर ने सूचित किया कि कूड़ेदान से गंदगी होने और कूड़ेदान की उपयोगिता नहीं होने के कारण भूमिगत कूड़ेदान ध्वस्त कर दिया गया ।
27	भूमिगत कूड़ेदान लगाना, सुभाष चौक सीकर	सीकर (शहरी)	2.50 नवम्बर-16	1.76 जनवरी-18	भूमिगत कूड़ेदान साईट पर नहीं पाया गया । सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर ने सूचित किया कि कूड़ेदान से गंदगी होने और कूड़ेदान की उपयोगिता नहीं होने के कारण भूमिगत कूड़ेदान ध्वस्त कर दिया गया ।
योग			**110.97**	**87.59**	

परिशिष्ट– XXII

(संदर्भ अनुच्छेदः 2.2.10.4(i))

एमएलएलैड के अंतर्गत धार्मिक पूजा स्थलों के पास स्वीकृत खुला बरामदा और कबूतरखाना कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
जिला परिषद भीलवाड़ा					
पंचायत समिति आसीन्द					
1	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, गोरडिया सुतवाडी में माताजी के स्थान के पास, गोरडिया	बाजुन्दा	1.50 अक्टूबर-18	1.20 प्रगतिरत	कार्य धार्मिक स्थान के पास स्वीकृत किया गया था।
2	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, बाजुन्दा हाथीभाटा में हनुमान जी के स्थान के पास, बाजुन्दा	बाजुन्दा	1.50 अक्टूबर-18	1.20 प्रगतिरत	
3	कबूतरखाना निर्माण, हनुमान जी के स्थान के पास, झाबरकिया	मोतीपुर	3.00 अक्टूबर-18	3.00 जून-20	
4	कबूतरखाना निर्माण, देवनारायण मंदिर के पास, लक्ष्मीपुरा	बरसनी	3.00 जुलाई-19	2.40 प्रगतिरत	
5	कबूतरखाने का निर्माण, तालाब की पाल पर भेरूजी के स्थान के पास बरसनी	बरसनी	2.00 जुलाई-19	1.60 प्रगतिरत	
पंचायत समिति भीलवाडा (शहरी)					
6	कबूतरखाना निर्माण, चिन्ताहरण महादेव मंदिर के पास, डी-सेक्टर चित्रकूट नगर, वार्ड नम्बर 42, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 सितम्बर-19	4.37 सितम्बर-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
7	कबूतरखाना निर्माण, चारभुजा नाथ मन्दिर के पास, बिलिया वार्ड नम्बर 6	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 अगस्त-18	5.89 अगस्त-19	
8	कबूतरखाना निर्माण, चामुंडा माता मन्दिर के पास, मंशापूर्ण महादेव मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 26	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 मार्च-20	0.00 उपलब्ध नहीं	
9	कबूतरखाना निर्माण, ओडों का खेडा, भेरुनाथ मन्दिर के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-20	0.00 उपलब्ध नहीं	
10	कबूतरखाना निर्माण, छोटी हरनी वार्ड नम्बर 20, चारभुजा मन्दिर के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-21	0.00 उपलब्ध नहीं	
11	विश्रामस्थली/बरामदा निर्माण, सांगानेर में वार्ड नम्बर 44 में दशहरा मैदान में नामदेव समाज की सती माता के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 दिसम्बर-17	6.19 अगस्त-18	
12	कबूतरखाना निर्माण, ओडों का खेडा में स्थित बालाजी मन्दिर के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-20	0.00 उपलब्ध नहीं	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
13	कबूतरखाना निर्माण, मोड्न्डी के बालाजी के पास, वार्ड नम्बर 11, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	4.00 जून-19	0.00 उपलब्ध नहीं	

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
14	कबूतरखाना निर्माण, रामदेव मन्दिर के पास, बैरवा मौहल्ला, मैंन वार्ड नम्बर 4, पुर, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 सितम्बर-16	6.50 नवम्बर-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
15	कबूतरखाना निर्माण, वार्ड नम्बर 2, पाटोला महादेव सड़क पर श्मशान घाट के हनुमान मन्दिर के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 नवम्बर-17	4.15 नवम्बर-19	
16	कबूतरखाना निर्माण, बाबाधाम के पास, हनुमान मन्दिर के पास, श्याम नगर, वार्ड नम्बर 53,	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 जून-18	4.00 प्रगतिरत	
17	कबूतरखाना निर्माण, कोटा सड़क सांगानेरी गेट पर बालाजी के मन्दिर के पास, कसेरा समाज के नोहरे के पास खाली स्थान पर, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-19	4.62 जुलाई-20	
18	कबूतरखाना विस्तार निर्माण, वार्ड नम्बर 46, विजय सिंह पथिक नगर में, मंशा पूर्णा मन्दिर के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	4.00 मार्च-20	3.51 सितम्बर-20	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
19	कबूतरखाना निर्माण, वार्ड नम्बर 46, विजय सिंह पथिक नगर में, मंशा पूर्णा मन्दिर के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	4.00 नवम्बर-19	3.32 जुलाई-20	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
20	कबूतरखाना निर्माण, विवेकानन्द पार्क में मन्दिर के पास, सुभाष नगर	भीलवाड़ा (शहरी)	10.00 नवम्बर-17	8.49 जनवरी-19	परिसम्पत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
पंचायत समिति कोटडी					
21	कबूतरखाना निर्माण, श्री तेजाजी महाराज के मन्दिर के पास, जीवा खेडा	जीवा खेडा	2.00 जुलाई-17	2.00 जून-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
पंचायत समिति मांडलगढ़					
22	कबूतरखाना निर्माण, चारभुजा मन्दिर के पास, रलायता	रलायता	3.00 सितम्बर-17	3.00 मार्च-21	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
23	कबूतरखाना निर्माण, चौहान साहब सगस जी महाराज के स्थान के पास, धामनडूंगरी	बरुन्दनी	1.50 मई-17	1.50 नवम्बर-19	
24	कबूतरखाना निर्माण, रामदेव जी स्थान के पास, मकडिया	काचरोल	2.50 मई-17	2.50 फरवरी-19	
25	कबूतरखाना निर्माण, भील बस्ती माताजी के स्थान के पास, सिंगोली	सिंगोली	2.00 जुलाई-17	2.00 मार्च-20	
पंचायत समिति हुरडा					
26	कबूतरखाना निर्माण, पाबूजी के स्थान के पास, लाम्बा	लाम्बा	1.00 सितम्बर-17	1.00 नवम्बर-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
पंचायत समिति सुवाना					
27	कबूतरखाना निर्माण, श्री बागलेश्वर महादेव के स्थान के पास, मांगरोप	मांगरोप	2.00 जनवरी-17	2.00 जुलाई-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
28	कबूतरखाना निर्माण, रामदेव जी मन्दिर के पास, बलाई खेडा	रामपुरिया	1.00 जून-16	1.00 नवम्बर-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
29	कबूतरखाना निर्माण, खेडा खूंट माताजी के स्थान के पास	खेराबाद	2.00 मार्च-17	2.00 मार्च-18	
30	कबूतरखाना निर्माण, भेरुंजी के स्थान के पास, शिवपुरा	डूडिया	2.00 सितम्बर-17	2.00 दिसम्बर-19	
31	कबूतरखाना निर्माण, कालाजी के स्थान के पास, गुन्दली	गुन्दली	2.00 जुलाई-17	2.00 जनवरी-19	
32	कबूतरखाना निर्माण, हनुमान जी के मन्दिर के पास, गुन्दली	गुन्दली	2.00 जून-17	2.00 जनवरी-19	
33	कबूतरखाना निर्माण, शिवजी के स्थान के पास, डूगरड़ा	गुन्दली	2.00 सितम्बर-18	2.00 जनवरी-20	
पंचायत समिति रायपुर					
34	कबूतरखाना निर्माण, कालाजी के स्थान के पास, रांस	आसाहोली	3.00 मई-18	3.00 अप्रैल-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
35	कबूतरखाना निर्माण, मामदेवजी के स्थान के पास, कालाखेड़ी	बोराना	2.00 नवम्बर-19	2.00 मार्च-21	
36	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, रामदेवजी के स्थान के पास, जालीखेड़ी	बोराना	2.00 नवम्बर-19	1.60 प्रगतिरत	
पंचायत समिति सहाड़ा					
37	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, एससी/एसटी बस्ती कालिका माता के पास, जयसिंहपुरा	सालेडा	2.00 नवम्बर-19	2.00 जून-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
38	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, भेरूजी के पास, माकडिया	भुनास	3.00 नवम्बर-19	3.00 जनवरी-21	
39	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, चावण्डा माता के पास, भुनास	भुनास	2.00 नवम्बर-19	2.00 जनवरी-21	
40	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, भीलों के माताजी के पास, डेलाना	डेलाना	2.00 नवम्बर-19	2.00 दिसम्बर-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
41	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, बैरवा के भेरूजी के पास, झूमपुरा	नंदसा	2.00 दिसम्बर-19	1.60 प्रगतिरत	
जिला परिषद प्रतापगढ़					
पंचायत समिति छोटी सादड़ी					
42	खुले बरामदा निर्माण, देवनारायण देवरे के पास, मालावाडा	गोमाना	3.00 दिसम्बर-17	3.00 जून-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
43	सार्वजनिक खुला बरामदा निर्माण, देवनारायण मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 4, छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	2.00 अक्टूबर-17	0.00 उपलब्ध नहीं	
44	खुला बरामदा निर्माण, हनुमानजी के स्थान के पास, उडपाडा खुर्द	पीथलवाडी कलां	2.50 नवम्बर-19	0.00 उपलब्ध नहीं	

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
45	खुला बरामदा निर्माण, रामदेवजी के पास, उम्मेदपुरा	गणेश पुरा	2.50 नवम्बर-19	2.50 दिसम्बर-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
46	खुला बरामदा निर्माण, महादेव के स्थान के पास, बिलिया	गणेश पुरा	2.50 नवम्बर-19	2.28 अगस्त-20	
47	खुला बरामदा निर्माण, देवनारायण मन्दिर के पास, बरेखां	गागरोल	3.00 नवम्बर-19	0.00 उपलब्ध नहीं	
पंचायत समिति पीलीखेडा					
48	खुला बरामदा निर्माण, रेला हनुमान मन्दिर के पास	छोटी सादड़ी	2.00 जनवरी-18	1.03 फरवरी-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
पंचायत समिति धरियावद					
49	खुला बरामदा निर्माण, गोरखनाथ मन्दिर के पास, सराजीखेडा	हजारी गुडा	5.00 नवम्बर-19	3.00 प्रगतिरत	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
पंचायत समिति प्रतापगढ़					
50	खुला बरामदे निर्माण, भेरूजी बावजी के स्थान के पास	मधुरा तालाब	2.00 अगस्त-16	1.80 प्रगतिरत	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
51	खुला बरामदा निर्माण, चोखा बावजी के स्थान के पास, उठाखेडा	सरी पीपली	2.00 अगस्त-16	2.00 जुलाई-17	
52	खुला बरामदे का निर्माण, भेरू बावजी के स्थान के पास, सरी पीपली	सरी पीपली	1.00 अक्टूबर-17	0.80 प्रगतिरत	
53	खुला बरामदा निर्माण, जोगिया माताजी के स्थान के पास, भामेरिया	बरडीया	2.00 फरवरी-18	1.94 जुलाई-18	
54	खुला बरामदे निर्माण, देवनारायण जी मन्दिर के पास, कुशलपुरा	बरडीया	2.00 मार्च-18	2.00 अप्रैल-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
55	खुला बरामदा निर्माण, नारायण खेडा के वराइ माताजी के स्थान के पास	नारायण खेडा	2.50 मार्च-18	2.50 मई-18	
56	खुला बरामदा निर्माण, हनुमान जी के मन्दिर के पास, खिजनखेडा	नारायण खेडा	2.50 फरवरी-18	2.50 मई-18	
57	खुला बरामदा निर्माण, मोटा देवरा के स्थान के पास, रठांजना	रठांजना	2.00 जुलाई-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
58	खुला बरामदा निर्माण, भेरू बावजी के स्थान के पास, सावराजी फला	ग्यासपुर	2.00 दिसम्बर-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
59	खुला बरामदा निर्माण, नरसिंह माताजी के स्थान के पास, खेड़ी	नकोर	2.00 जुलाई-18	2.00 नवम्बर-18	
60	खुला बरामदा निर्माण, भेरू जी बावजी के स्थान के पास, भियाहुडी	नकोर	1.50 अप्रैल-18	1.50 नवम्बर-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
61	खुला बरामदा निर्माण, माताजी का फला, बांदरखेडा	नकोर	1.50 जून-18	1.50 अक्टूबर-18	

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
62	खुला बरामदा निर्माण, रूपा बावजी के स्थान के पास, करमाडिया खोरी	देवगढ	2.00 जून-18	2.00 अगस्त-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
63	खुला बरामदा निर्माण, महादेवजी के स्थान के पास, अम्बाखोरी लालपुरा	देवगढ	2.00 जून-18	1.99 अगस्त-18	
64	खुला बरामदा निर्माण, नरसिंह माताजी के स्थान के पास, सामलीपठार	देवगढ	2.00 जून-18	2.00 अगस्त-18	
65	खुला बरामदा निर्माण, बावजी के स्थान के पास, कालाखेत	जोलर	1.50 जुलाई-18	1.50 नवम्बर-18	
66	खुला बरामदा निर्माण, खाना बावजी के स्थान के पास मंगरी डाडाफला	जोलर	2.00 जुलाई-18	2.00 नवम्बर-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
67	खुला बरामदा निर्माण, महादेवजी के स्थान के पास, धावडा	जोलर	2.00 जुलाई-18	1.99 जनवरी-20	
68	खुला बरामदा निर्माण, महादेवजी के स्थान के पास, मोगजीकुडी	धमोतर	2.50 जून-18	2.44 अक्टूबर-20	
69	खुला बरामदा निर्माण, कालिका जी मन्दिर के पास, लेमगरा फला, रिछडी	पाल	1.50 जुलाई-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
70	खुला बरामदा निर्माण, नाथु बावजी के स्थान के पास, राणा	पाल	3.00 जुलाई-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
71	खुला बरामदा निर्माण, कालिका माताजी के मन्दिर के पास, रावलाफला, मेरिया खेड़ी	मेरिया खेड़ी	2.00 अगस्त-18	2.00 अक्टूबर-18	
72	खुला बरामदा निर्माण, मधुरातालाब जोड मियाफला में तेजा बावजी के स्थान के पास	मधुरा तालाब	1.50 दिसम्बर-18	0.75 प्रगतिरत	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
73	खुला बरामदा निर्माण, पेमा बावजी प्रथम के मन्दिर के पास, धावडीफला	मधुरा तालाब	2.00 सितम्बर-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
74	खुला बरामदा निर्माण, देवनारायण मन्दिर के पास, आचल पुर	आचल पुर	5.00 जुलाई-20	0.20 प्रगतिरत	
75	खुला बरामदा निर्माण, भेरू बावजी मन्दिर के पास, घोटारसी	घोटारसी	3.00 जुलाई-20	2.00 प्रगतिरत	
76	खुला बरामदा निर्माण, ऊँठेला माताजी के पास, खेड़ी	नकोर	2.00 जुलाई-18	2.00 फरवरी-19	धार्मिक पूजा उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जाना पाया गया।
77	खुला बरामदा निर्माण, शीतला माताजी के स्थान के पास, रठांजना	रठांजना	5.00 मार्च-18	5.00 मई-18	धार्मिक पूजा उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जाना पाया गया।
78	बरामदा निर्माण, जैन मन्दिर के पास, बारावरदा	बारावरदा	3.00 अगस्त-18	2.99 सितम्बर-20	कार्य जैन समाज मंदिर परिसर पर निर्मित पाया गया और खुला बरामदा धार्मिक/पूजा उद्देश्य हेतु उपयोग में लेना पाया गया।
योग			**226.50**	**161.85**	

नोटः हाईलाइट किये गये कार्यों को विभाग के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया।

परिशिष्ट- XXIII

(संदर्भ अनुच्छेदः 2.2.10.4 (ii))

एमएलएलैड के अंतर्गत अन्य गैर अनुमत कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	पाई गयी अनियमिततायें
जिला परिषद बांरा					
पंचायत समिति अंता					
1	ग्राम मोतीपुरा की झोपड़िया में सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण	बोहट	6.00 सितम्बर-18	5.89 मार्च-19	सामुदायिक भवन निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
2	सामुदायिक भवन का निर्माण, मालियों का मोहल्ला, वार्ड नं.2	बोहट	8.00 मार्च-18	7.98 जनवरी-19	सामुदायिक भवन निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
जिला परिषद भीलवाड़ा					
पंचायत समिति भीलवाड़ा (शहरी)					
3	विश्राम स्थली/बरामदा निर्माण, सांगानेर में वार्ड नं. 44 में दशहरा मैदान में नामदेव समाज की सती माता के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 दिसम्बर-17	6.19 अगस्त-18	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
4	विश्रांति गृह का निर्माण रीको क्षेत्र ,एक नंबर चौराहा पर उद्योगपति महादेव के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-19	4.99 मार्च-20	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
5	विश्रांति गृह का निर्माण, वार्ड नं. 48, पनिया भैरू के स्थान के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 नवम्बर-17	4.64 सितम्बर-18	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
पंचायत समिति बनेडा					
6	सामुदायिक भवन का निर्माण, बैरवा समाज के लिए रामदेव मंदिर के पास , झांतल	बल्दरखा	5.00 जुलाई-18	5.00 फरवरी-19	सामुदायिक भवन टेंट हाउस के लिए किराये पर दिया गया था और निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
7	सामुदायिक भवन का निर्माण, झांतल	बल्दरखा	5.00 जुलाई-18	4.89 फरवरी-19	सामुदायिक भवन को टेंट हाउस के लिए किराये पर दिया गया था और निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
जिला परिषद चूरू					
पंचायत समिति चूरू					
8	इंटरलॉकिंग खरंजा निर्माण ,भालेरी सड़क से किशन लाल की ढाणी तक, खसरा नं,931 /115, सोमासी	झारिया	5.48 नवम्बर-19	5.00 फ़रवरी-20	इंटरलॉकिंग खरंजा निर्माण प्राइवेट कृषि भूमि पर किया गया था और लोहे के गेट से अतिक्रमित पाया गया।
पंचायत समिति राजगढ़					
9	सार्वजनिक चौक में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण, धोलिया	सेउवा	3.25 सितम्बर-18	3.00 मई-19	कार्य स्वीकृत स्थान अर्थात सार्वजनिक चौक के बजाय आंगनवाड़ी/सामुदायिक भवन के परिसर में निर्मित पाया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	पाई गयी अनियमिततायें
जिला परिषद जोधपुर					
पंचायत समिति देचू					
10	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण चौधरियों की ढाणियां, खेडा बागोरिया	खेडा बागोरिया	3.60 दिसम्बर-17	3.60 मार्च-18	वाटर हट (प्याऊ) निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा रही थी ।
11	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, माजिसा मंदिर के पास, मेघवालों का बास माँडला कलां	माँडला कलां	4.00 मार्च-19	3.96 दिसम्बर-19	प्याऊ निर्धारित सार्वजनिक उद्देश्य के बजाय व्यक्तिगत निवास के रूप में उपयोग ली जा रही थी ।
12	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, चतुर सिंह की ढाणियां,दुर्गा भवन के पास, खसरा नं. 43	खेडा बागोरिया	3.60 फरवरी-19	3.60 नवम्बर-20	प्याऊ निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के बजाय व्यक्तिगत निवास के रूप में उपयोग ली जा रही थी ।
13	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, धाना राम चौधरी की ढाणी .	खेडा बागोरिया	3.60 अप्रैल-18	3.60 जून-18	प्याऊ निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के बजाय, व्यक्तिगत निवास के लिए उपयोग में ली जा रही थी ।
14	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, बकसर बूड़किया में दीपगिरी कुआँ के पास	बुरकिया	3.60 अप्रैल-17	3.60 मई-18	प्याऊ का उपयोग निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के बजाय, व्यक्तिगत निवास के उपयोग में ली जा रही थी ।
15	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, पेप सिंह/संभू सिंह/अमर सिंह की ढाणी, आई माता मंदिर के पास, खसरा नं. 1652	देचू	3.60 मार्च-18	3.60 मार्च-19	प्याऊ निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के बजाय, व्यक्तिगत निवास के लिए उपयोग में ली जा रही थी ।
16	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, मुकुंद के दरीखाने के पास	चान्दसमा	3.60 मार्च-17	3.58 मार्च-19	भवन व्यक्ति विशेष द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जा रहा था ।
17	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, जवाहर दान की ढाणी, राजस्व गाँव, सांवलों की ढाणी	गोविन्दपुरा	3.60 मार्च-18	3.60 मार्च-19	भवन व्यक्ति विशेष द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जा रहा था ।
18	पानी की प्याऊ का निर्माण, भीलों की बस्ती मे पाबूजी मंदिर के पास, उटवालिया	उटवालिया	3.50 अक्टूबर-16	2.80 मार्च-21	पानी की प्याऊ ताला बंद थी, ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि कुछ ठेकेदारों का सेनेटरी का सामान प्याऊ में स्टोर किया हुआ था ।
19	वाचनालय का निर्माण, चिलाई माता मंदिर के पास, राजपूतों की ढाणी, खसरा नं. 531, गोविन्दपुरा	गोविन्दपुरा	3.60 सितम्बर-17	3.60 अप्रैल-19	वाचनालय व्यक्तिगत उद्देश्य हेतु उपयोग लिया जा रहा था। वाचनालय का दरवाजा सार्वजनिक सड़क के बजाय निजी भूमि में खुलता है ।
20	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, गणपत सिंह/रतन सिंह जोधावत की ढाणी बाकासर	बुरकिया	3.60 अक्टूबर-17	3.60 मार्च-18	सार्वजनिक प्याऊ का व्यक्तिगत उद्देश्य हेतु उपयोग में लिया जाना पाया गया । निवासी ने प्याऊ पर कार्य के डिस्प्ले बोर्ड के बजाय स्वयं के नाम की पट्टिका लगा रखी थी । प्याऊ के लिए सार्वजनिक पहुँच नहीं थी क्योंकि व्यक्ति विशेष के निजी फार्म हाउस द्वारा घिरा हुआ था ।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	पाई गयी अनियमिततायें
21	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, भीख सिंह जशोद की ढाणी के पास	उटवालिया	3.60 जून-18	3.60 मार्च-19	सार्वजनिक प्याऊ व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए उपयोग में ली जा रही थी। प्याऊ के लिए सार्वजनिक पहुँच नहीं थी क्योंकि व्यक्ति विशेष के निजी फार्म हाउस द्वारा घिरा हुआ था।
पंचायत समिति लूणी					
22	सार्वजनिक प्याऊ निर्माण, आबादी भूमि में प्रताप सिंह/भीजराज सिंह आयश के घर के पास, मेलवा	धवा	3.50 अप्रैल-17	3.50 मई-18	प्याऊ शादी समारोह के लिए सामुदायिक भवन के रूप में उपयोग ली जा रही थी।
23	सार्वजनिक प्याऊ निर्माण, आबादी भूमि में रामदेव मंदिर के पीछे स्कूल के पास, मेलवा	धवा	3.50 अप्रैल-17	3.50 अक्टूबर-18	प्याऊ शादी समारोह इत्यादि के लिए सामुदायिक भवन के रूप में उपयोग ली जा रही थी।
24	सार्वजनिक प्याऊ निर्माण, मेघवालों की ढाणी के पास, खसरा नं. 572/2 में राजकीय भूमि पर, खेडा सरेचा	सरेचा	5.00 जून-17	5.00 जनवरी-19	प्याऊ शादी समारोह इत्यादि के लिए सामुदायिक भवन के रूप में उपयोग ली जा रही थी।
25	सार्वजनिक प्याऊ मय शौचालय निर्माण, जोधों की ढाणी, सतलाना	सतलाना	4.50 नवम्बर-17	4.50 मई-18	प्याऊ के साथ टंकी का निर्माण नहीं किया गया था और सामुदायिक भवन में होने वाली शादी समारोह के काम में ली जा रही थी।
जिला परिषद करौली					
पंचायत समिति करौली (शहरी)					
26	सामुदायिक भवन का निर्माण, मुख्य सड़क, टोडाभीम गाजीपुर सड़क के पास स्थान जयराम का पुरा, थाई के पास टोडाभीम	करौली (शहरी)	5.00 जुलाई-17	4.94 अक्टूबर-17	सामुदायिक भवन का एक कमरा आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग लिया जाना पाया गया और अन्य मंदिर प्रयोजन हेतु।
पंचायत समिति टोडाभीम					
27	आंगनबाड़ी की सुरक्षा दीवार का निर्माण	मुण्डिया	3.00/ जुलाई-18	2.32 दिसम्बर-18	सुरक्षा दीवार तालाब पर निर्मित की गई थी चूंकि उस गाँव में आंगनवाडी केंद्र नहीं था । सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य ऐसे स्थान पर स्वीकृत किया गया जो अस्तित्व में ही नहीं था।
जिला परिषद प्रतापगढ़					
पंचायत समिति प्रतापगढ़					
28	यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण, भेरूंजी बावजी के स्थान के पास, टीला	नकोर	1.00 जनवरी-17	1.00 अगस्त-18	धार्मिक पूजा प्रयोजनों के लिए उपयोग लिया जाना पाया गया। यात्री प्रतीक्षालय जैसा कि एमएलएलैड योजना के पैरा 15.1 के दिशानिर्देशों में प्रावधान है निर्धारित 460 वर्ग फीट के बजाय 242 वर्ग फीट में निर्मित पाया गया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य कम क्षेत्र में करवाया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	पाई गयी अनियमिततायें
29	फोरेस्ट पथ का सुदृढ़ीकरण, योगेश्वर महादेव, मनोहर गढ़	मनोहर गढ़	5.00 दिसम्बर-19	5.00 फरवरी-20	कार्य धार्मिक/पूजा स्थल के लिए निर्मित पाया गया।
30	यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण, बरडिया, प्रतापगढ़-जीरण सड़क पर महिषासुर माता जी के पास	बरडीया	3.00 जुलाई-18	3.00 नवम्बर-18	यात्री प्रतीक्षालय मंदिर परिसर में पाया गया।
31	खुला बरामदा निर्माण, ग्राम ऊठासेड़ा में चोखा बावजी के पास	सरी पीपली	2.00 अगस्त-16	2.00 उपलब्ध नहीं	कार्य चोखा बावजी पूजा स्थल पर निर्मित पाया गया और खुला बरामदा धार्मिक/पूजा स्थल प्रयोजन के लिए उपयोग लिया जाना पाया।
जिला परिषद सीकर					
पंचायत समिति धोद					
32	सिंगल फेज नलकूप का निर्माण, माल सिंह शेखावत की ढाणी के पास, बिन्जासी	बिन्जासी	3.50 नवम्बर-17	3.50 जनवरी-18	नलकूप निजी प्रयोजनों के लिए उपयोग लिया जा रहा था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि नलकूप निजी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह कृषक के खेत में निर्मित किया गया है।
योग			**132.23**	**128.58**	

परिशिष्ट XXIV

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 3.1)

पंचायत समिति डीग, कामां, घाटोल एवं पिण्डवाडा में अतिरिक्त सामग्री/कार्यों के अनाधिकृत उपापन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

ग्राम पंचायत का नाम	मूल निविदा राशि	आरटीपीपी नियम 73 (2) के अनुसार अतिरिक्त सामग्री के उपापन या अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन की सीमा	सामग्री (अतिरिक्त सामग्री सहित) के उपापन अथवा कार्य (अतिरिक्त कार्य सहित) के निष्पादन की कुल अनुमत्य सीमा	2017-18 के दौरान उपापन की गयी सामग्री अथवा निष्पादित किये गए कार्य का मूल्य	2017-18 के दौरान उपापन की गयी अतिरिक्त सामग्री अथवा निष्पादित किये गए अतिरिक्त कार्य का मूल्य (मूल निविदा मूल्य का प्रतिशत)	2017-18 के दौरान किये गए अनाधिकृत उपापन अथवा निष्पादित किये गए कार्य का मूल्य (मूल निविदा मूल्य का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)= (2) का 50 प्रतिशत	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5)-(2)	(7) = (5)-(4)
(अ) पंचायत समिति डीग (नरेगा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति का कार्य)						
ग्राम पंचायत कुचावटी	0.10	0.05	0.15	0.19	0.09 *(90)*	0.04 *(40)*
ग्राम पंचायत इकलेरा	0.10	0.05	0.15	0.27	0.17 *(170)*	0.12 *(120)*
ग्राम पंचायत गुहाना	0.10	0.05	0.15	0.50	0.40 *(400)*	0.35 *(350)*
ग्राम पंचायत मवई	0.10	0.05	0.15	0.29	0.19 *(190)*	0.14 *(140)*
योग	**0.40**	**0.20**	**0.60**	**1.25**	**0.85** ***(213)***	**0.65** ***(163)***
(ब) पंचायत समिति कामां (नरेगा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति का कार्य)						
ग्राम पंचायत बिलंग	0.10	0.05	0.15	0.33	0.23 *(230)*	0.18 *(180)*
ग्राम पंचायत ओलेन्दा	0.10	0.05	0.15	0.53	0.43 (430)	0.38 *(380)*
ग्राम पंचायत कनवाडा	0.10	0.05	0.15	0.42	0.32 *(320)*	0.27 *(270)*
ग्राम पंचायत सोनोस्वर	0.10	0.05	0.15	0.22	0.12 *(120)*	0.07 *(70)*
ग्राम पंचायत मुंसेपुर	0.10	0.05	0.15	0.25	0.15 *(150)*	0.10 *(100)*
ग्राम पंचायत उचैरा	0.10	0.05	0.15	0.22	0.12 *(120)*	0.07 *(70)*
ग्राम पंचायत लेवाड़ा	0.10	0.05	0.15	0.35	0.25 *(250)*	0.20 *(200)*
ग्राम पंचायत सहेडा	0.10	0.05	0.15	0.28	0.18 *(180)*	0.13 *(130)*
योग	**0.80**	**0.40**	**1.20**	**2.60**	**1.80** ***(225)***	**1.40** ***(175)***
(स) पंचायत समिति घाटोल (ड्रिलिंग एवं हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य)						
पंचायत समिति घाटोल	0.25	0.13	0.38	3.03	2.78 *(1,112)*	2.65 *(1,060)*
योग	**0.25**	**0.13**	**0.38**	**3.03**	**2.78** ***(1,112)***	**2.65** ***(1,060)***
(द) पंचायत समिति पिण्डवाडा (दीवार पर चित्रकारी/स्लोगन-लेखन/ड्राइंग का कार्य)						
पंचायत समिति पिण्डवाडा	0.02	0.01	0.03	0.34	0.32 *(1,600)*	0.31 *(1,550)*
योग	**0.02**	**0.01**	**0.03**	**0.34**	**0.32** ***(1,600)***	**0.31** ***(1,550)***
महायोग	**1.47**	**0.74**	**2.21**	**7.22**	**5.75** ***(391)***	**5.01** ***(341)***

परिशिष्ट XXV

(सन्दर्भ अनुच्छेदः 3.4)

स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गयी, उनसे वसूल की गयी एवं बकाया रही सीड मनी का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	पंचायत समिति	वर्ष जिसमें सीड मनी जारी की गयी	सीड मनी की राशि		
				जारी की गई	वसूल की गई	बकाया
1.	चित्तौड़गढ़	भैंसरोडगढ़	2013-17	16.00	0.60	15.40
		कपासन	2014-15	22.00	6.45	15.55
		भदेसर	2014-15	0.75	0	0.75
		निम्बाहेडा	2012-15	21.50	4.86	16.64
		डूंगला	2014-17	7.75	1.50	6.25
		राशमी	2012-16	24.38	2.65	21.73
		बेगूं	2012-16	36.48	4.62	31.86
		भूपालसागर	2014-15	11.25	1.28	9.97
		गंगरार	2012-17	15.15	7.96	7.19
		बड़ी सादडी	2013-15	22.75	0.40	22.35
		चित्तौड़गढ़	2014-15	2.75	0	2.75
2.	पाली	बाली	2014-15	19.00	2.99	16.01
योग				**199.76**	**33.31**	**166.45**

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi